

# साफ़रे हज

## साफ़रे हज की मुश्किलात और उनका मुम्किन हल

क्यू. एस. खान

(B.E. Mech)

अल-क़लम पब्लिकेशन्स

**AL-QALAM Publications**



244 गली गढ़इया, जामा मस्जिद, बाज़ार मटिया महल, देहली 110006

Phone: 011-2324, 2326 1481, Fax : 2324 1481 (On Demand)

E-mail: alqalam\_publications@hotmail.com

## No Copyright

इस किताब का कॉपीराइट क्यू. एस. खान के पास है। लेकिन इस बात की आम इजाज़त है कि इस किताब का किसी भी ज़बान में तर्जुमा किया जा सकता है, इस शर्त के साथ कि इस की असल तहरीर में कोई तबदीली ना की जाए। किताब फरोख्त करने या मुफ्त तक्सीम करने के मक्सद से छपवाने की भी आम इजाज़त है। हम इस के बदले में किसी माली मुआविज़ा या रायल्टी नहीं चाहते इसलिए इस का कोई कॉपी-राइट नहीं रखा गया है। बेहतरीन क्वालीटी की छपाई के लिए आप हम से इस किताब की असल टाइप की गई सॉफ्ट कॉपी हासिल कर सकते हैं। किताब की छपी हुई कॉपियाँ हमें अपने रिकार्ड के लिए ज़रूर भेजे।

किताब का नाम: **सफ़टे हज की मुश्किलात और उनका मुम्किन हल**

ISBN NO. 978-93-80778-06-8

**लेखक व प्रकाशक:**

क्यू. एस. खान

(B.E. Mech)

प्रकाशक

**तन्वीर पब्लिकेशन्स**

हायड्रो इलेक्ट्रिक मशीनरी प्रिमाइसेस, ए-13, राम-रहीम उद्योग नगर, बस स्टॉप लेन,  
एल.बी.एस. मार्ग, सोनापूर, भांडुप (पश्चिम), मुंबई 400078

फोन: 022-2564 5930/25964075, मोबाइल: 9892064026, 8108000222

फैक्स: 0091-22-25961682, ई-मेल: hydelect@vsnl.com, hydelect@mtnl.net.in

दसवा एडिशन - 2014

कीमत: 50/- रूपये

लेखक की बहुत सारी पुस्तकें इंटरनेट पर पढ़ने तथा डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित वेबसाइट्स पर मुफ्त उपलब्ध है  
[www.freeeducation.co.in](http://www.freeeducation.co.in) और [www.tanveerpublication.com](http://www.tanveerpublication.com)

**मुम्बई में हमारी तमाम किताबें मिलने का पता**

**Firdos Kitab Ghar,**

179 Vazeer Building, Opp. Shalimar Hotel, Bhendi Bazar, Mumbai - 400003,  
Ph: 9892184258 (Maulana Anees Quasmi)

# सफ़रे हज की मुश्किलात और उनका मुम्किन हल फ़हरिस्त

नं.	उन्वान	पेज नं.	नं.	उन्वान	पेज नं.
१.	पेश लफज़ / मुकदमा .....	४	२५.	उम्रह कैसे करें .....	५०
२.	हज के दौरान मिलने वाले शनाख़ती कार्ड और उनकी अहमियत .....	५	२६.	अय्यामे हज के ६ खास दिन .....	५४
३.	सामाने सफर .....	८	२७.	हरम शरीफ, मिना, मुज्दुल्फा और अरफात का करीबी नक्शा .....	५५
४.	हज के दौरान रास्ता भूलने और खोजाने का मसला.	१२	२८.	हज कैसे करें? .....	५६
५.	हज के खास दिनों में सवारी का मसला .....	१४	२९.	हज्जे बदल .....	६१
६.	सफरे हज में नमाज़ का बयान .....	१७	३०.	मदीना मुनव्वरा के तारीखी मुकामात .....	६३
७.	मसलक का मसला .....	२०	३१.	रौज़ा-ए-मुबारक की तफ़सील .....	६४
८.	<b>जम्रात और जान का ख़तरा</b> .....	२२	३२.	हुजरा-ए-आइशा और रियाजुल जन्नत की तफ़सील .....	६६
९.	एहराम का बयान .....	२४	३३.	जन्तुल बक़ी का नायाब नक्शा .....	६७
१०.	हरम शरीफ और मिना के क़याम में पर्दे का मसला	२७	३४.	मदीना मुनव्वरा का सफर .....	६९
११.	हालते एहराम में मन्नु काम और उनका कफ़ारा ...	२८	३५.	रौज़ा-ए-नबवी का नक्शा (आउट लाइन) .....	७०
१२.	औरतों का एहराम .....	३०	३६.	दरबारे रिसालत की पहली हाज़िरी .....	७१
१३.	हैज़ व निफ़ास के मसाइल .....	३१	३७.	नबी-ए-करीम (स.) का ईसाar और हमारी ज़िम्मेदारियाँ .....	७३
१४.	हरम और मीक़ात का बयान .....	३३	३८.	हज से मुतअल्लिक़ चंद मशहूर ग़लतियाँ .....	७५
१५.	कुर्बानी में धोका .....	३४	३९.	हज का सफर किस के ज़रिए करें? .....	७७
१६.	तारीखे मक्का मुकर्रमा और काबा शरीफ .....	३५	४०.	सन १८६८ ई. का एक समंदरी सफरे हज .....	७९
१७.	मक्का मुकर्रमा के तारीखी मकामात .....	३६	४१.	हज और उमराह की बरकतें .....	८०
१८.	हज क्या है? .....	३७	४२.	सफरे हज में पढ़ी जाने वाली मस्नून दुआएँ .....	८१
१९.	नबी-ए-करीम (स.) का हज .....	४०	४३.	अरफ़ात में मांगने वाली दुआएँ .....	८४
२०.	तवाफ़ का बयान .....	४३	४४.	हज की तालीम कहाँ से हासिल करें? .....	८५
२१.	अरकाने उम्रह और हज का बयान .....	४५	४५.	मुसन्निफ़ की चन्द अहम किताबों का तआरूफ ...	८६
२२.	सफरे हज का आगाज़ .....	४६	४६.	आखरी लफज़ .....	८८
२३.	हवाई सफर और मक्का मुकर्रमा में आमद .....	४८			
२४.	मस्जिदे हरम, ख़ाना-ए-काबा और मुताफ़ की तफ़सील .....	४९			

# पेश लफ़्ज़

सफर ख़्वाह कोई भी हो तक्लीफ और मशक्कत का सबब है। इमाम गज़ाली (रह.) ने लिखा है के हज के सफर में आदमी जो कुछ खर्च करे इस को निहायत खुशदिली से करे और जो नुकसान जानी या माली पहुँचे इस को बर्दाश्त करे यह इस के हज के क़बूल होने की अलामत है। हज के रास्ते में तक्लीफ उठाने के बराबर है इस लिए जो मशक्कत उठाएगा या नुकसान बर्दाश्त करेगा अल्लाह के करीब इस का बड़ा अज़र है, वह ज़ाया नहीं होगा।

हदीस में आया है .....

हुज़ूर (स.) ने हज़रत आईशा (रज़ी) से फर्माया “ऐ आईशा (रज़ी) तेरे हज का अज़र तेरी मशक्कत के मुताबिक होगा”

फरीज़ा-ए-हज अदा करने में जिसे जितनी तक्लीफ होती है उसे उतना ही सवाब मिलता है। इसी लिए लोग हज की हर मुश्किल को ख़न्दा पेशानी के साथ खुशी से बर्दाश्त करते हैं और उफ तक नहीं करते। और न ही किसी से अपनी तक्लीफ का ज़िक्र करते हैं। लोग हज की तक्लीफें किसी से इस लिए भी बयान नहीं करते के कम हिम्मत के लोग हज करने से घबराने न लगे।

हज से पहले मैं ने हज की जो तर्बियती तालीम हासिल की उसमें तमाम उल्माए किराम ने सिर्फ इसी बात पर ज़ोर दिया कि फरीज़ा-ए-हज किस तरह अदा किया जाए, किसी ने यह न बताया के वहाँ के ४० दिन के क़याम में जो तक्लीफें पेश आऐंगी उन से कैसे निपटा जाए? मैंने हज के उन ४० दिनों में महसूस किया कि बहुत सारी परेशानियाँ सिर्फ हमारे अनजान होने की वजह से होती हैं, इस से हमारा बहुत सारा क़ीमती वक़्त जो की इबादत में गुज़ारा जा सकता था, ज़ाया हो जाता है। इस लिए मैं ने ये किताब लिखने की ज़रूरत की। इस किताब के ज़रिये से मैं हाजी साहेबान को आने वाली मुश्किलों से आगाह करने और उनके मुश्किल हल के बारे में ज़रूरी मालूमात, हिदायात और मश्वरा देना चाहता हूँ।

उम्मीद है कि हाजी साहेबान इन मश्वरों पर अमल करें, तो बहुत सी परेशानियों से बच कर अपना सारा वक़्त और अपनी सारी कुव्वत सिर्फ खुदा की इबादत में गुज़ारेंगे।

अगर आप इस किताब से फ़ैज़याब हों, तो अपनी दुआओं में इस गुनाहगार कम्बूद्दीन ख़ान को ज़रूर याद रखें। यह किताब महज़ दौराने हज पेश आने वाली मुश्किलात से महफूज़

रहने के लिए ज़ाबताए तहरीर में लाई गई है। गो कि इस में चन्द दुआएँ और नक़शाजात भी शामिल किये गये हैं मगर मनासिके हज के मुकम्मल मालूमात के लिए मुख़्तलिफ़ इदारों की जानिब से जो मजालिस मुन्अक़द की जाती हैं उन में शरीक होकर ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर लें, ताकि आप ख़ूब बेहतर तरीक़े पर हज जैसी मोहतिम-बिश्शान इबादत का हक़ अदा कर सकें। अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त से दुआ हैं कि आप को हज मक़बूल व मबरूर की सआदत नसीब फरमाए। आमीन!!.

वस्सलाम

फ़क़त तालिबे दुआ

क्यु. एस. ख़ान

△△△△△

## मुक़दमा

ज़ेरे नज़र किताब हमारे मोहतरम दोस्त अल्लाहज कम्बूद्दीन साहब ने (बेहतरिन इंसान वो है जो दुसरों के काम आऐ) के मकौला पर अमल करते हुऐ अपने हज के तजुर्बात से हजाजे किराम को आगाह करने के तहरीर की है उम्मीद है कि हुजाजे किराम इस से भरपूर फ़ायदा उठाते हुऐ अपने औक़ात को ज़्यादा से ज़्यादा जोहद व इबादत में सर्फ़ करेंगे। यह किताब आँमोहतरम के तजुर्बात की ही नहीं बल्कि इनके सोज़ व गदाज़ क़ौम व मिल्लत की दिली हमदर्दी की आईनादार है साथ साथ मौसूफ़ के ज़ोर क़लम का एतराफ़ भी करवाती है। किताब के बावजूद आँजनाब के तस्नीफ़ी मैदान में नौआमोज़ी के हर जगह कहीं न कहीं मशक़ मुसन्निफ़ की झलक दिखाती है। अल्फ़ाज़ का हुस्न, जुम्लों की बेहतरिन तरतीब दिल को मोह लेती है। अल्लाह करे ज़ेरे क़लम और ज़्यादा।

रब्बुलआलमीन से दुआ ये है कि इस किताब को मुसन्निफ़ के लिए ज़ख़ीरा-ए-आख़िरत बनाए और आम मुसलमानों को इस से ख़ूब मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमाऐ।

“इं दुआ अज़ मने व अज़ जुमला जहाँ आमीन बाद”

नाचीज़ फ़सीहउद्दीन

ख़ादिम दारुलउलूम हुसैनिया, सोनापूर, भांडुप.

# हज के दौरान मिलने वाले शिनाख़ती कार्ड (I-CARD) और उन की अहमियत

हज का फार्म भरने से लेकर आख़ीर तक अलग अलग महल्लों में आप को मुख़तलिफ़ शिनाख़ती कार्ड (I-Card) और हाथ में पहनने के कड़े और दस्तऐवज वगैरह दिये जाते हैं, जिनकी बहुत अहमियत है। अक्सर हाजी साहेबान लापरवाही से इन्हें गुम करके बहुत परेशानी उठाते हैं, इस मजमुन में इन का बयान किया जा रहा है ताकि आप इन की अहमियत अच्छी तरह समझ लें, इन की हिफ़ाज़त करें और सही ढंग से इस्तेमाल करें।

## हज कमेटी की तरफ़ से इत्लाअती ख़त और कवर नंबर (Intimation Letter & Cover No.):

हज का फार्म हज कमेटी में जमा करने के बाद आप को एक नंबर दिया जाएगा। जिसे कवर नंबर (cover number) कहते हैं। यह नंबर आपके लिए बहुत अहम है। आप का कोई भी फॉर्म और कागजी कारवाई इस नंबर के बगैर मुक़मल नहीं होगी। इसलिए इस नंबर को अच्छी तरह याद रखें। अगर आपका नाम कुरआ अंदाजी में आ गया तो हज के सफर के लिए हवाई टिकट, शिनाख़ती कार्ड और कड़ा वगैरह इसी कवर नंबर के जरिए (Reference) आपको मिलेगा।

अगर किसी वजह से आपका नाम कुरआ अंदाजी में नहीं आता है फिर भी इस नंबर को याद रखें। और अगले साल हज के फॉर्म में इस पुराने नंबर को भी इस के सही जगह पर लिखें। अगर किसी वजह से तीन साल तक आपका नाम कुरआ अंदाजी में न आया तो चौथे साल पीछले तीन साल के कवर नंबर की बुनीयाद पर बगैर कुरआ अंदाजी के आपका हज का फॉर्म कबुल हो जाएगा। इसलिए इस कवर नंबर को जब तक आपका हज मुक़मल न हो जाए बहुत एहेतियाद से याद रखें।

## पासपोर्ट की अहमियत:

2008 तक हज कमेटी वाले सफरे हज के लिए एक स्पेशल पासपोर्ट बनाते थे। मगर 2009 से सऊदी हुकूमत ने “इंटरनेशनल” पासपोर्ट को लाज़मी करार दिया है, इस लिए अगर आप का हज का इरादा है, तो फौरन पासपोर्ट बनवाने की कारवाई शुरू कर दीजिए। मक्का पहुँचने के बाद यह पासपोर्ट आप से आप का मुअल्लिम ले लेगा और वापसी के वक्त एयरपोर्ट पर वापस करेगा।

## हवाई टिकट:

हज कमेटी से पासपोर्ट के साथ आप को आने और जाने दोनों का हवाई टिकट (बोर्डिंग पास) मिलेगा, जिसे दिखा कर ही आप हवाई जहाज़ में सवार हो सकेंगे, इस लिए हवाई टिकट को वापसी के सफर तक इन्तेहाई हिफ़ाज़त के साथ रखें, और पासपोर्ट से अलग रखें और मुअल्लिम को सिर्फ़ पासपोर्ट दें, टिकट न दें।

## शिनाख़ती कार्ड (I-Card):

हज कमेटी से आप को आपका फोटो लगा हुआ एक शिनाख़ती कार्ड (I-Card) मिलेगा। ये काफी बड़ा और प्लास्टिक के कवर में और गले में पहनने के लिए होता है। इसे आप हमेशा अपने साथ रखें और जो दूसरे कार्ड आपको मक्का में मिलेंगे उन्हें भी इस में पीछे की तरफ़ रख लें। या दूसरी जगह हिफ़ाज़त से रख लें। (तसबीर नंबर 9)

## शिनाख़ती कार्ड में निम्नलिखित बातें होंगी:

- (9) आप का नाम
- (2) आप का पासपोर्ट नंबर
- (3) आप का ब्लड ग्रुप (Blood Group)
- (4) आप का दर्जा (Category)

## कड़ा:

हज कमेटी की तरफ़ से आप को एक स्टील का कड़ा मिलेगा जिसमें निम्नलिखित मालूमात दर्ज होंगी। (तसबीर नंबर 2)

- (9) आप का नाम।
- (2) आप का कवर नंबर।
- (3) आप का पासपोर्ट नंबर।
- (4) मुल्क का नाम।

इस कड़े को आप हाथ में पहन लें और वापस आने तक हर्ज़िज़ न उतारें। कड़े के साथ एक चैन भी होती है। अगर आप को तक्लीफ़ हो तो चैन निकाल लें मगर कड़ा हमेशा आप के साथ रहे। क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर इसी के ज़रिये आप की शिनाख़त हो सकेगी।

खुदा-न-खास्ता अगर आप किसी हादसे में बेहोश हो गए या आप का सारा सामान गुम हो गया तब भी कड़े पर लिखे कवर नंबर से आप को पहचाना जा सकता है और आप के मुक़ाम तक पहुँचाया जा सकता है। मैं ने ऐसे भी वाक़यात सुने हैं कि लोग बगैर शिनाख़त के हज के पहले गुम हो गए और हज के बाद भिकारियों की शक्ल में मिले, इसलिए यह कड़ा आप हमेशा आप के साथ रखें। नहाते वक़्त या बैतुलख़ला जाते वक़्त या किसी भी हाल में इसे न उतारें।

## ज़रे मुबादला (Foreign Exchange):

छठी चीज़ जो आप को हज के लिए रवाना होने से पहले एयरपोर्ट से मिलेगी वह है सऊदी रूपया (रियाल) या ड्रॉफ़्ट।

यह आप के राहत का सामान भी है और जान का दुश्मन भी। हमारे पड़ोस के एक साहब 2008 ई. में हज के लिए गए और मक्का में इंतक़ाल कर गए। उन के साथियों से पुछने पर पता चला के उन का सारा रूपया एयरपोर्ट पर तलाशी के बहाने पुलिस ने ले लिया था। वह समझे के जिद्दा एयरपोर्ट पर वापस मिलेगा। मगर जब ना मिला तो बहुत फ़िक्रमंद हुए और उसी फ़िक्र में दौर-ए-क़ल्ब (Heart Attack) की वजह से वह अल्लाह को प्यारे हो गए। मक्का में जिस कमरे में हम मुक़ीम थे ठीक उसके सामने वाले कमरे में माँ और बेटी रहती थीं उन दोनों के सारे रूपये हरम शरीफ़ में तवाफ़ करते हुए चोरी हो गए। पुछने पर दोनों ने बताया कि मक्का पहुँचते ही उम्रह करना था। कमरा नया, कमरे के साथी भी नये, किस पर कैसे भरोसा करें? इसलिए सारे रूपये साथ ही लिए थे और हरम शरीफ़ में जेब कट गई।

हमारे एक दोस्त मक्का में वकील हैं उन्होंने बताया कि मक्का में जितनी चोरी की वारदातें होती हैं, उन में अक्सर हरम शरीफ़ के अन्दर ही होती हैं।

हमारे एक और दोस्त ने अपना रूपया इतनी हिफ़ाज़त से अपने सामान में रख लिया के खुद भुल गए के कहाँ रखा है। बहुत परेशान रहे सलातुल्लाहाजत पढ़ कर खुदा से दुआ की। तब जाकर अपना रूपया अपने सामान में खोज पाए।

इस लिए एयरपोर्ट पर मिलने वाले रूपये का ख़ास ख़याल रखें और मक्का में

अपनी रिहाईशगाह पर पहुँचने के बाद या तो होटल के काउंटर पर जमा कर दें, और रसीद ले लें, या अपने मुअल्लिम के पास जमा कर के रसीद ले लें। रसीद लेना ना भूलें वरना वहाँ भी आप रूपयों से हाथ धो बैठेंगे। अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा रूपया निकालते रहें। अगर इन दोनों जगह भी पैसा रखना आपके लिए मुश्किल न हो तो अपने सुटकेस में ही रख लें। मगर सुटकेस का ताला मज़बूत हो।

जिद्दा एयरपोर्ट पहुँचने के बाद एयरपोर्ट से आप के रिहाईशगाह के सफर के दौरान बस में आप से, आप का पासपोर्ट ले लिया जाएगा और तीन शिनाख़्ती चीज़ें दी जाएँगी वो इस तरह हैं:

### रिहाईशी पत्ते का स्टिकर :

हिन्दुस्तान से रवाना होने के एक दिन पहले या एअरपोर्ट पर दो घंटा पहले आप के पासपोर्ट के पिछे एक स्टिकर चिपकाया जाएगा। जिसे नीचे की तस्वीर में दिखाया गया है अगर आप इसे गौर से पढ़ें तो इसमें आपको सारी एहम और जरूरी मालुमात दर्जा है। इसमें जो मक्ताब नंबर लिखा है यह आपके मुअल्लिम का नंबर है। और जो Buld No. है। यह आपके रिहाईशी इमारत या बिल्डिंग का नंबर है और रूम नंबर या आपके कमरे का नंबर है।

Passport	: K1998704	Maktab	: 41
Cover No	: GJR - 967-5		
Pilgrim Name	: KIFAYATULLAH HABIBBHAI K		
Category	: AZIZYA		
Makkah Acc	: BLDG.No.313	Room	: 409
Madina Acc	: RAS		
District	: PATAN	Dom Fit	: SV-5481
Arr.Flight No	: SV-5481	Arr.Dt	: 10/ 4/2013
Dep Flight No.	: SV-5514	Dep Dt.	: 11/8/2013
	Off : 041	Buld : 31	

वतन से रवाना होते वक्त (Permeant marker pen) परमनंट मार्कर पेन से आप अपने सामान पर पहले अपने घर का पत्ता और अपना हिन्दुस्तान का मोबाईल नंबर लिखें। दूसरी जगह आपके मुअल्लिम का नंबर आपके बिल्डिंग का नंबर और आपके सऊदी का मोबाईल नंबर भी लिखें। जैसे मुबादला के साथ आपको एक Sim card मिलेगा। इसे मोबाईल में डालकर अपना नया मोबाईल नंबर जान लें और फिर अपने सामान पर भी लिख दें। ऐसा करने से अगर कभी बदकिस्मती से आपका सामान खो गया तो फौरन आपको मिल जाएगा। वरना खोया हुआ सामान कई हफ्तों और कई महीनों बाद मिलता है। और यह वतन से जाते वक्त या हज से वापसी के सफर में कभी कभी एअरपोर्ट से सामान खो सकता है। इसलिए सामान पर पत्ता लिखकर अपने तरफ से अपने सामान की हिफाजत का इंतजाम कर लें।

### कलाई पट्टा:

मुअल्लिम की तरफ से आप को एक कलाई पट्टा दिया जाएगा जिस में मुअल्लिम का पता लिखा होगा, इस पट्टा की अहमियत यह है कि आप कभी मक्का में गुम हो गए, तो कोई भी इस पट्टे की मदद से आप को आप के मुअल्लिम के ऑफिस तक पहुँचा देगा। मुअल्लिम के ऑफिस में गार्ड (रहबर) होते हैं, जो आप को आप की रिहाईशगाह तक पहुँचा देंगे। (तसवीर नंबर ३)

### मुअल्लिम का शिनाख़्ती कार्ड:

जिद्दा एयरपोर्ट पर मुअल्लिम आप का पासपोर्ट आप से ले लेगा। और आप को अपना एक शिनाख़्ती कार्ड देगा, जिस में मुअल्लिम का पता आप के बिल्डिंग का नंबर और आप के कमरे का नंबर लिखा होगा।

जिद्दा एयरपोर्ट से बस सीधे आपको आप के बिल्डिंग तक पहुँचा देगी।

और मुअल्लिम के आदमी आप का सारा सामान आप के कमरे तक पहुँचा देंगे। (तसवीर नंबर ४)

### कम्प्यूटराइज़्ड शिनाख़्ती कार्ड (Computerised I-Card):

ये दूसरा और बहुत अहम शिनाख़्ती कार्ड आप को मक्का में एक या दो दिन के बाद मुअल्लिम की तरफ से मिलेगा। यह प्लास्टिक का कम्प्यूटराइज़्ड कार्ड है। यह एक तरह से आप का पासपोर्ट है। इस में आप के फोटो के साथ वो सारी बातें दर्ज होती हैं जो आप के पासपोर्ट में होती हैं। कानूनी तौर से हर हाजी को यह कार्ड अपने साथ रखना होता है और पुछने पर दिखाना ज़रूरी होता है। अगर आप को मक्का से जिद्दा या और किसी शहर जाना होगा तो इस कार्ड के बगैर नहीं जा सकते।

जब आप मक्का से मदीना जाएँगे तो मदीने में आप का दूसरा मुअल्लिम होगा और रिहाईशगाह भी नई होगी इस लिए मदीना में भी आप को आप का बगैर फोटो का एक कम्प्यूटराइज़्ड कार्ड मिलेगा और मुअल्लिम का शिनाख़्ती कार्ड मिलेगा, जिसमें मुअल्लिम का पता आप की बिल्डिंग का पता और कमरा नंबर लिखा होगा। मदीना के दस दिन क़याम में भी आप ये दोनों कार्ड हिफाज़त से रखें। वतन वापसी के लिए सफर के शुरू में इसी कार्ड को देखकर आप को बस का नंबर दिया जाएगा, इसी बस में आपको आपका पासपोर्ट वापस मिलेगा और यही बस आपको एअरपोर्ट तक पहुँचा देगी। (तसवीर नंबर ५)

### मुअल्लिम का शिनाख़्ती कार्ड (मिना के लिए):

मिना जाने से पहले मुअल्लिम आप को फिर अपना एक शिनाख़्ती कार्ड देगा, जिसमें आपके मिना का खेमा नंबर लिखा होगा। मिना में एक मुअल्लिम के बहुत सारे खेमे एक ही मुकाम पर होते हैं, जिन के एतराफ़ हिफाज़त के लिए लोहे के जंगले लगे होते हैं।

गेट पर मुअल्लिम के पहरेदार होते हैं जो ये कार्ड देख कर ही आप को जंगले के अन्दर खेमों की तरफ जाने देंगे। इस लिए मिना के क़याम में इस कार्ड को भी अपने साथ रखें और इस कार्ड के पीछे अपने हाथ से अपने खेमे के करीब के खेमे पर पहचान के लिये लिखें गए नम्बर को नोट कर लें और पुत का नाम नोट कर लें। इस से इंशा अल्लाह मिना में अपने खेमे का पता नहीं भूलेंगे। (तसवीर नंबर ६)

### ट्रेन टिकट:

मिना जाने से पहले मुअल्लिम आपको ट्रेन का टिकट देगा। यह टिकट दरअसल हाथ में पहनने का एक पट्टा है जिसे देखकर ही आपको ट्रेन में सवार होने दिया जाएगा।

### मेडिकल सर्टीफिकेट:

हुकुमत सऊदी अरबिया दे सन् २००६ से हज बैतुल्लाह जाने वाले हुज्जाज किराम के लिए ज़ाब्तए सेहत मुकर्रर किया है जिसकी रू से तमाम आज़मीने हज के लिए मुंदर्जा ज़ैल(नीचे दिये गये) टीके इन्जेक्शन लगवाना ज़रूरी है।

### पोलियो का टीका:

सऊदी वज़ारते सेहत के हुक्काम ने पोलियो की खुराक (बिला तफरीक उम्र) लेने और इस बाबत सर्टीफिकेट हासिल करना लाज़िमी करार दिया है, इस सर्टीफिकेट को पासपोर्ट के साथ नथ्थी करना ज़रूरी है, जिसमें बगैर सऊदी हुकुमत वीज़ा जारी नहीं करेगी। यह सर्टीफिकेट हज दरख्वास्त फार्म के साथ नथ्थी किया गया है। इसलिए वह हज़रत जिनका हज करने का इरादा है वह ओ.पी.वी. पोलियो की खुराक लें, इसका सर्टीफिकेट हासिल करें और हज कमीटी ऑफ इण्डिया को अपने फार्म के साथ भेज दें ताकि उनके लिए हज वीज़ा की हुसुलियाती में दुश्वारी न हो।

### दिमागी बुखार:

तमाम आज़मीने हज के लिए लाज़िमी है के सऊदी अरब में दाखले के लिए हवाई जहाज़ की रवानगी से छः हफ्ता कब्त दिमागी बुखार की रोकथाम के लिए इन्जेक्शन लगवाने का सर्टीफिकेट हासिल करें जिसके जारी किए जाने की मुद्दत सऊदी अरबिया में आपदा के वक्त दस दिन से कम और तीन साल से ज्यादा न हो।

## हज गाईड:

हज कमेटी की तरफ से आप को एक किताब दी जाएगी। इसमें हज की मालूमात के साथ बहुत सारे अहम पते और फोन नम्बर होंगे। इस किताब को आप गौर से पढ़ लीजिए और ज़रूरत के मुताबिक मालूमात का इस्तेमाल करें। अगर आपको हज के सफर में कोई शिकायत हो या आप कोई सलाह देना चाहते हैं, तो इस किताब में बहुत सारे वज़ीरों और सिफारतकारों (Counslators) वगैरह के पते और फोन नम्बर हैं, इन सब जगह खुतूत लिखें। हुकूमत और मिनिस्ट्रों ने हज में होने वाली मुश्किलात को नज़र अंदाज़ कर रखा है। अगर लाखों हाजी इस सिलसिले में उन्हें खुतूत लिखें तो ज़रूर उन के कान पर जूँ रेंगेगी।



मुअल्लिम का शिनाख्त कार्ड (मदीना से मुनक्वरा के लिए)




कम्प्यूटराइज्ड शिनाख्त कार्ड (Computerised I-card)



मुअल्लिम का शिनाख्त कार्ड (मक्का मुकर्रमा के लिए)



हज कमीटी की तरफ से दिया गया शिनाख्त कार्ड (I-card)



मुअल्लिम का शिनाख्त कार्ड (मिना के लिए)





मुअल्लिम की तरफ से दिया गया कलाई पददा



हज कमीटी की तरफ से दिया गया कड़ा

## Standard Baggage Allowed per Pilgrim :-

Description	Number of Pieces	Weight	Size
Check-in-Bag  22 Kgs 22 Kgs	Two (2) suitcases	upto 22 Kg. each	(Length + Breadth + Height) 158 cm maximum total dimensions
Hand Bag 	One (1) bag	upto 10 Kg.	55 cm x 40 cm x 23 cm

# सामान-ए-सफर

हज के सफर में आप जितना कम सामान ले जाएंगे, आप को उतनी ही आसानी होगी। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के कयाम के हालात और हमारी सलाह मुन्दर्जा जैल(नीचे दिए गये) है।

## 1. खाने पीने का इंतजाम:

रिहाईशगाह (बिल्डिंग) के हर मंजिला पर एक या दो किचन (बावरची खाना) होते हैं, जिसमें गैस और चुल्हा मुअल्लिम या मकान मालिक की तरफ से पहली बार मुफ्त मिलता है। हाजी साहेबान खाना बनाने का पूरा सामान साथ ले जाते हैं और वहाँ खाना बना कर खाते हैं। सऊदी हुकूमत कानून के मुताबिक कोई भी खाने की चीज़ सऊदी अरब में लाना मना है। मगर मैं ने देखा कि न हिन्दुस्तान के एयरपोर्ट पर किसी ने किसी हाजी को रोका न जिद्दा एयरपोर्ट पर। सिर्फ तेल, पानी या सय्याल माद्दा (Liquid) दोनों एयरपोर्ट वाले कभी कभी ज़ब्त कर लेते हैं।

मक्का और मदीना में बेशुमार पाकिस्तानी होटलें हैं, जो हिन्दुस्तानी ज़ाईके का खाना बनाते हैं, जिन की कीमतें (सन 2013 में) ८ से १० रियाल के दरमियान हैं।

अगर आप एक प्लेट दाल या गोश्त या सब्जी लें, तो तीन रोटी मुफ्त मिलती है, यह दो से तीन लोगों के लिए काफी होती है। इस लिए बहुत सारे हाजी खाना बनाने में वक्त ज़ाए करने के बजाए खाना खरीद कर खाते हैं और पूरा वक्त इबादत में लगाते हैं और यह बात मुनासिब और दुरुस्त है।

कभी कभी दूसरे और तीसरे दर्जे के हाजियों को अज़ीजिया मुकाम पर ठहराया जाता है, जो नई आबादी है, और वहाँ होटल वगैरह नहीं हैं। ऐसे हाजी अगर खाना बनाने का सामान साथ ले जाएँ तो बेहतर है।

## 2. कपड़े:

हर मंजिला पर कई बाथरूम (गुसुल खाना) होते हैं जिस में आप आसानी के साथ कपड़ा धो सकते हैं। सुखाने के लिए आप घर से रस्सी ले जाएँ और लाबी या बिल्डिंग के छत पर आसानी के मुताबिक कपड़ा सुखा लें। मक्का और मदीना में लॉन्ड्री भी है जो कि एक जोड़ा धोने का ५ रियाल लेते हैं। चूँकि वहाँ नमाज़ के सिवाय और कोई काम होता नहीं, इस लिए कपड़े कम ही गंदे होते हैं। इस लिए दो या तीन जोड़ों में गुज़र आसानी के साथ हो जाता है।

हज के सफर में बुजुर्गों से सुना है कि रोज़ मर्रह के कपड़ों के साथ अगर दो जोड़े नये हों तो ज़्यादा बेहतर है। एक १० ज़िल्हज्जा के लिए जिस दिन ईद होती है और एक मस्जिद नबवी के लिए जिस दिन पहली बार आप हुजुर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की कब्र मुबारक पर हाज़री देकर सलात व सलाम का नज़राना पेश करेंगे।

## 3. बिस्तर:

मक्का और मदीना दोनों जगह आप को आप के कमरे में पलंग, गदेला, तकिया और एक कम्बल, बेडशीट (चादर) मिलेगी। इसलिए मक्का और मदीना में खुद के बिस्तर की ज़रूरत नहीं होती।

मिना के खेमों में ज़मीन पर कालीन बिछा होता है। मगर तकिया और चादर नहीं मिलती इस लिए मौसम के मुताबिक एक हवाई तकिया और एक चादर ले लें तो बेहतर होगा।

## 4. दवाएँ:

सऊदी अरब में दवाएँ बहुत महंगी हैं और उन के नाम भी अलग होते हैं। इस लिए रोज़ मर्रह की सारी दवाएँ आप साथ ले जाएँ। सऊदी हुकूमत और इंडियन हज कमीटी की तरफ से भी मुफ्त दवाएँ मिलती हैं। मगर आप अपनी सेहत की हिफाज़त खुद करें और अपनी दवाएँ अपने साथ ले जाएँ। ज़रूरत पड़ने पर मक्का और मदीना में हिन्दुस्तानी कॉन्सिलेट के ऊपर हिन्दुस्तानी अस्पताल हैं जहाँ हिन्दुस्तानी डॉक्टर मिलते हैं, उन से अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। वहाँ सऊदी अस्पताल भी हैं उन में भी मुफ्त इलाज होता है। मिना में भी सऊदी अस्पताल हैं।

## 5. मोबाईल फोन:

हज के मौके पर हाजियों के लिए स्पेशल सिम कार्ड (Sim Card) निकालती है जो के १०० रियाल का होता है। और आप १०० रियाल कीमत ख़त्म होने तक बात कर सकते हैं। यानी आप को पूरी कीमत का टॉक-टाइम मिलता है। आप को अपना मोबाईल नंबर मिलता है, जिसे आप अपने घर वालों को और साथियों को दे सकते हैं। मोबाईल अगर सही इस्तेमाल करें तो बहुत से फायदे हैं। आप हमेशा अपने घर और कारोबार से बाख़बर होते हैं, इस लिए इत्मिनान से इबादत कर सकते हैं। हज के दौरान साथियों से बिछड़ जाने के बाद या किसी तकलीफ़ में फ़ौरन दोस्तों से राबता कायम कर सकते हैं और गुलत इस्तेमाल करें तो वबाल ही वबाल है। आप वहाँ इबादत के लिए जाते हैं, मोबाईल पर वहीं से तिजारत या बिज़नेस न करने लें। मोबाईल हरम शरीफ़ में बन्द रखें, नहीं तो लाखों के हिसाब से गुनाह होगा। (२०१३ में सीमकार्ड एअरपोर्ट पर ही जैरे मुबादला के साथ दे दिया गया था)

## पहियों वाला छोटा बैग:

हज के सब से मुश्किल दिन ८ से १३ ज़िल्हज्जा के होते हैं। इस दौरान आप को मुंदर्जाज़ैल (नीचे दिए गये) सफर करने होंगे:

तारीख	मकाम	दूरी	समय
८ ज़िल्हज्जा	मक्का से मिना	५ कि.मि.	एक घंटा
९ ज़िल्हज्जा सुबह	मिना से अफ़ात	६.५ कि.मि.	दो घंटे
९ ज़िल्हज्जा शाम	अफ़ात से मुज्दल्फ़ा	५.५ कि.मि.	दो घंटे
१० ज़िल्हज्जा सुबह	मुज्दल्फ़ा से मिना	१ कि.मि.	आध घंटा
१० ज़िल्हज्जा दोपहर	मिना से मक्का	५ कि.मि.	एक घंटा
१० ज़िल्हज्जा शाम	मक्का से मिना	५ कि.मि.	एक घंटा
१२ ज़िल्हज्जा शाम	मिना से मक्का	५ कि.मि.	एक घंटा

जो लोग यह सफर पैदल करते हैं वह बस या किसी और सवारी से सफर करने वालों के मुकाबले में ज़्यादा आराम से रहते हैं और हर जगह वक़्त पर पहुँचते हैं। खाली हाथ पैदल चलना आसान है और सामान ले कर चलना बहुत मुश्किल। मगर मक्का से मिना और मिना से अरफ़ात के सफर में सामान तो होता ही है इस लिए आसानी के लिए जो छोटा बैग आप खरीदें अगर वह दो पहियों वाला हो तो बहुत आसानी होगी। मिना अरफ़ात के सफर में सामान बहुत ही कम होता है (एक चटाई, पानी की बोतल, थोड़ा सा खाने का सामान और एक शाल), इस लिए यह बैग ज़्यादा बड़ा न हो। पहियों वाले इस छोटे बैग से मिना और मक्का के सफर में आप को बहुत आराम मिलेगा।



## 6. रोज़ मरह के इस्तेमाल की चीज़ें:

रोज़ मरह के इस्तेमाल की सारी चीज़ें आप को मक्का और मदीना शरीफ़ में दुकानों पर मिल जाएंगी। इस लिए अगर हिन्दुस्तान से कुछ ना ले जाएँ या हिन्दुस्तान में कुछ चीज़ें छूट जाएँ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वैसे अगर आप का सामान ३५ किलो से कम है तो मुंदर्जाज़ैल (नीचे दिए गये) सामान एहतियात के लिये रख लें।

1. खाना रखने और खाने के न टूटने वाले बर्तन।
2. दूध पेस्ट, साबुन और सिर में लगाने का तेल।
3. जा-नमाज़।
4. रात के वक़्त पहिनने के कपड़े।
5. रस्सी और पतला पर्दे का कपड़ा। (हो सकता है आप को अपने कमरे में औरतो के लिए पर्दा करना पड़े)
6. दो अदद एहराम, एक मोटे कपड़े में एक पतले कपड़े का, और कमर पट्टा (Belt)
7. मुज़दल्फ़ा में रात गुज़ारने के लिए चटाई।
8. पानी की थरमस या बोतल (जिससे आप आब-ए-ज़म ज़म कमरे तक ला सकें)
9. ऐसी खाने की चीज़ें जो बहुत दिनों तक खराब न हों, मिना व अर्फ़ात में खाने की सब चीज़ें मिलती हैं मगर एहतियात के लिये रख लेना बेहतर है।
10. अगर आपकी नज़र (बीनाई) कमज़ोर है और आप चश्मा इस्तेमाल करते हैं, तो दो अदद चश्में साथ रख लें।

दो सामान ऐसे हैं के जिन की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं होती, मगर साथ रख लें तो बेहतर है। एक है धूप का चश्मा, और दूसरा नाक पर लगाने का कागज़ का रुमाल (Nose-Mask)

धूप के चश्मे से दोपहर के वक़्त धूप की तरह सफेद फर्श पर तवाफ़ करने में आसानी होती है।

अगर आपको नज़ला अक्सर रहता है, या जल्दी हो जाता है तो Nose -Mask इस्तेमाल करने से आप और दूसरे लोग Infection से महफूज़ रहते हैं। नोज़ मास्क सिर्फ़ पांच रुपये में किसी भी मेडिकल दुकान पर मिल जाता है। यह मक्का शरीफ़ में एक रियाल में मिल जाएगा।

## 7. हैण्ड बैग:

हज़रत कमेटी या बैंक वगैरह से एक छोटा हैण्ड बैग आप को तोहफ़े के तौर पर मिलेगा, जो हज़रत के पूरे चालीस दिन आप का साथी होगा और आप के बहुत काम आएगा, इस में दो पट्टे लगे होते हैं; एक गर्दन से लटकाने के लिए और दूसरा कमर से बांधने के लिए। अगर दोनो पट्टे आप अच्छी तरह पहन लें तो ये आप के जिस्म से चिपका रहेगा और भीड़ भाड़ में भी इस के खोने का डर बहोत कम होता है इसमें दो हिस्से होते हैं; एक बाहरी और छोटा हिस्सा जिस में शम्फ़ाफ़ प्लास्टिक लगा होता है। इसमें आप अपना शिनाख़ती कार्ड और दूसरे कागज़ात रख सकते हैं। दूसरे हिस्से में आप चप्पल वगैरह रख सकते हैं। हरम शरीफ़ के दरवाज़े के बाहर रखी हुई चप्पलों को खादिम वक्फ़ा-वक्फ़ा से हटा कर फेंकते रहते हैं। दरवाज़े से लगी अल्मारीयों से चप्पल दूसरे हाजी पहन कर ले जाते हैं। इस लिए चप्पल को प्लास्टिक की थैली में रख कर बैग में रख लें। हरम शरीफ़ में दो से चार घंटे तक भी बैठना पड़ता है। इस लिए खाने के लिए कुछ खजुरें और बिस्किट वगैरह भी रख लें, और पीने के लिए आब-ए-ज़म ज़म हरम शरीफ़ में हर जगह मिलेगा। अगर यह बैग आप को तोहफ़ा में कोई न दे तो इंतज़ार न कीजिए बल्कि बाज़ार से खरीद लीजिए।

## 8. सफ़री सूटकेस:

हज़रत के सफ़र में तक़रीबन आठ से दस बार आप का लगेज कुली हज़रात के हाथों में होगा। जो अक्सर इसे बड़ी वेददी से इधर-उधर फेंकेगा। इस लिए आप का सूटकेस और बैग ऐसे हों के आसानी से न टूटें या तो ऐसे हों कि जिन के टूट जाने का आप को गुम न हो।

सन् २००६ में हाजियों को हवाई सफ़र में सख्त परेशानियां हुई थीं। हाजियों की कई परवाज़ (Flights) छूट गईं। कई कई दिन एयरपोर्ट पर रहना पड़ा। सामान कई हफ़्तों या महीनों बाद मिला वगैरह वगैरह।

इसकी वजह यह थी के पहल तो हाजियों ने हुक्मत के कवानीन को नज़र अंदाज करके ज़रूरत से ज़्यादा सामान साथ ले लिया, फिर बगैर ज़्यादा किराया दिए सामान मुफ्त में हिन्दुस्तान लाने पर अड़ गये इसलिए तंग आकर जहाज़ के अमले (Staff) ने बगैर हाजियों के ही जहाज़ रवाना कर दिया। जब ऐसे लावारिस हाजियों की तादाद एयरपोर्ट पर ज़्यादा बढ़ी और हुक्मत को दखल देना पड़ा तो एमरजंसी में इसने सारे शैड्यूल और प्लानिंग को साइड में रख कर जो भी फ्लाइट खाली मिली उस से हाजियों को वापस भेजना शुरू किया। इस unsheduled रवानगी में हाजी किसी और जहाज़ से रवाना होते और उनका सामान किसी और जहाज़ से रवाना होता और हफ़्तों या महीनों के बाद मिलता।

इस अफ़रा तफ़री की वजह हाजियों की लापरवाही और ज़िद के सिवाय कुछ भी न था इसलिए हुक्मत ने इसका सख्त नोटिस लिया है और सूटकेस के साइज़ और वज़न की पाबंदी को सख्ती से आयद करने का तहैया किया है इसलिए इस मुबारक और मुकद्दस सफ़र में आप भी इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, ताकि आप अपना और दुसरे हाजियों का सफ़र वक़्त पर और आसानी से हो।

सामान के सिलसिले में हुक्मत के कवानीन मुंदरजा ज़ैल (निचे दिए गये) हैं:

- 1) हिन्दुस्तान से सऊदी जाते वक़्त हाजियों को ३५ किलोग्राम सामान मुफ्त ले जाने की इज़ाज़त होगी।
- 2) वापसी पर ५५ किलोग्राम सामान और १० लीटर आबे ज़मज़म लाने की इज़ाज़त है।
- 3) वापसी में ५५ किलोग्राम में से ४५ किलोग्राम आप के Check-in-luggage का होगा और १० किलोग्राम वज़न आप के हैण्ड बैग का होगा। चेक इन लगेज यानि वह छोटे सूटकेस जो आप अपने साथ जहाज़ के अन्दर ले जाएंगे।
- 4) सऊदी हुक्मत के कानून के मुताबिक ४५ किलोग्राम भी आपके एक ही सूटकेस का वज़न न हो बल्कि २ सूटकेस का वज़न हो और आप का कोई सूटकेस २३ किलो से ज़्यादा न हो।
- 5) ज़मज़म के पानी का डिब्बा गोल न हो बल्कि चौकोर हो और प्लास्टिक की थैली में इस तरह बंद किया हो कि सफ़र के दौरान पानी निकलकर बहने का अदेशा न हो।
- 6) हज़रत कमेटी ऑफ़ इंडिया के मुताबिक़ दोनों चेक इन लगेज के सूटकेस मुंदर्जा ज़ैल (नीचे दिए गये) साइज़ के हों : पहले सूटकेस की लम्बाई, चौड़ाई और उंचाई को जमाअ किया जाए, तो ६२ ईंच से ज़्यादा न हो और दूसरे सूटकेस की लम्बाई, चौड़ाई और उंचाई को जमाअ किया जाए, तो ४४ ईंच से ज़्यादा न हो।
- 7) जहाज़ के अंदर अपने साथ ले जाने वाले बैग या सूटकेस का साइज़ 22'' X16'' X8'' से ज़्यादा न हो और वज़न भी दस किलों से ज़्यादा न हो, इस साइज़ के बैग को आप आसानी से जहाज़ के ऊपरी खानों में रख सकते हैं।
- 8) ज़ायद सामान आप को कार्गो के ज़रिये रवाना करना होगा ५५ किलो से ज़्यादा सामान पर ज़ायद हवाई जहाज़ का किराया भी देना होगा और हज़

कमेटी पर इन सामानों की ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

(छोटा बैग या सूटकेस अगर पहियों वाला हो, तो आप को मक्का से मिना और मिना से मक्का पैदल सफर करते वक़्त आसानी होगी।)

हाजियों के सामान का साईज़ और वज़न सही होना क्यों ज़रूरी है?

क्योंकि एयरपोर्ट पर सामान को एक जगह से दूसरी जगह बेल्ट कन्वेयर (Belt Conveyor) ले जाया जाता है, इन बेल्ट कन्वेयर की सामान ढोने की ताकत और साईज़ महदूद है और यह कई खिड़कियों से गुज़रते हैं, इन खिड़कियों की साईज़ भी महदूद है। बड़े सामान अगर कन्वेयर बेल्ट पर रख भी दिये जाएं तो वह खिड़कियों में जाकर अटक जाते हैं और अगर वह आगे ही न बढ़ें तो वह जहाज़ में लोड कैसे होंगे?

जहाज़ों में भी हर सामान अलग अलग लोड नहीं किया जाता बल्कि पहले उन्हें छोटे डिब्बों (containers) में पैक करते हैं, फिर उन छोटे कंटेनरों को एक जीप या ट्रैक्टर के ज़रिये खींचकर जहाज़ तक ले जाया जाता है फिर लोड किया जाता है, तो बड़े सामान या सूटकेस को उन छोटे कंटेनरों में भरने में बहुत दिक्कत होती है, इस लिए जहाज़ वाले बड़े सामान न मुसाफ़िरों के साथ ले जाने देते हैं।

आप अपने हर बुकिंग और सूटकेस पर अपना कवर नम्बर और घर का पूरा पता embarkation point या मर्कज़ रवानगी लिखना न भूलें वह भी परमानेंट मार्कर पेन या पक्की रोशनाई से जिससे कि पता बिल्कुल न मिटे। ताकि खुदा न खास्ता अगर आप का सामान खो जाये, तो कवर नम्बर और पते से आप को वापस मिल जाये।

दूर से एयरपोर्ट पर अपने सामान को पहचानने के लिए रिबन या रंग या और कोई रोशनाई लगा लें इससे सामान ढुंढने में आसानी होगी। वरना सभी सूटकेस दूर से एक जैसे लगते हैं।

दूसरी अहम बात याद रखिये कि आप के लगेज पर दुसरों के लगेज का ५०० किलो से ज़्यादा का भी बार पड़ सकता है। इस लिए आप के सुट केस या बैग में ऐसा कोई सामान न हो जिस के टूटने से आप का और दुसरों का सामान खराब होजाए। मक्का और मदीना शरीफ़ के क़याम और मिना के खेमों में, मस्तुरात पर्दे की वजह से अलग रह सकती हैं। इस लिए आप अपना रोज़ मरंह के इस्तेमाल का सामान मस्तुरात के सामान से अलग रखें, वरना दोनों को बड़ी परेशानी होगी और छोटी-छोटी चीज़ों के लिए एक दुसरे को आवाज़ देना पड़ेगा।

आप अपना सूटकेस मजबूत ताले का लें, ताकि आप रुपया पैसा सूटकेस में रख कर इत्मिनान से हरम शरीफ़ जा सकें।

## 9. परमनंट मार्कर पेन (Permeant marker pen)

इस पेन से आपको एअरपोर्ट पर जब आपके मुअल्लिम का नंबर मक्का शहर में आपके बिल्डिंग का नंबर और रूम नंबर मिले तो उसे इस पेन से अपने सारे सामान पर अच्छी तरह लिख ले। इससे इश्शा अल्लाह आपका सामान आपको जल्द ही मिल जाएगा।

## 10. तराजू (Spring scale)

अगर हज के सफर में आपका ज़्यादा लोगों का ग्रुप है तो एक लटकाकर वजन करने वाला तराजू भी लें। इस तराजू में स्प्रिंग होती है और किमत तकरीबन २०० रूपया होती है। हज से वापसी के वक़्त यह सामान वजन करने के काम आएगा। वापसी में अगर सामान का वजन ज़्यादा हो तो हर किलो पर १०० रूपये से ज़्यादा किराया अदा करना पडता है। इस तराजू से आप हद के अंदर ही अपने सामान का वजन रखेंगे। और जहनी तौर पर पुरसूकून रहेंगे।

## II. अच्छी सेहत

सब से ज़रूरी चीज़ जो आप को अपने साथ लेजाना है वह है अच्छी सेहत, क्योंकि मक्का के क़याम और हज के दौरान आप में जितनी ज़्यादा कुव्वत होगी आप उतनी ही ज़्यादा इबादत कर सकेंगे। तवाफ़ व सई और रिहाईश गाह से हरम तक आप को जितना चलना है और इस में जितना वक़्त दरकार है, अन्दाज़न में यहाँ दर्ज करता हूँ, इस से आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़ कम से कम आप को कितने देर तक लगातार चलना है।

### तवाफ़:

काबा शरीफ़ के गिर्द सात चक्कर या फेरा लगाने पर एक तवाफ़ होता है, चक्कर या फेरा को अरबी में शूत कहते हैं।

सुबह ६ बजे से १० बजे, दोपहर १:३० से २:३० बजे और रात १२ बजे से ३ बजे के वक़्त जब भीड़ कम होती है। काबा शरीफ़ से ५० फ़िट की दूरी पर शूत (फेरा या चक्कर) में ३ मिनट और १०० फ़िट की दूरी से एक शूत में ६ मिनट लगते हैं। इस लिए सात शूत के लिए कम भीड़ के वक़्त २० से ४२ मिनट के दरम्यान लगेगे। भीड़ के औकात में सात शूत यानी एक तवाफ़ में एक घंटा से ज़्यादा भी लग जाता है।

ज़्यादा भीड़ में जब मुताफ़ में तवाफ़ करना मुश्किल होता है तो पहले मंज़िले या छत पर तवाफ़ करना पडता है। जहाँ एक शूत के लिए १२ से १५ मिनट लगते हैं। इस लिए सात शूत के लिए ६१ से १०५ मिनट लग जाते हैं। तब जाकर एक तवाफ़ होता है।

### सई:

सफ़ा और मरवाह के दरम्यान ३६५ मिटर का फासला है। सफ़ा और मरवाह पहाड़ के बीच चलने को सई कहते हैं। सई में सफ़ा और मरवाह के दरम्यान ७ चक्कर लगाने पडते हैं। पहला चक्कर सफ़ा से शुरु होता है और सातवाँ चक्कर मरवाह पर खत्म होता है। एक चक्कर के लिए कम भीड़ में ४ से ५ मिनट लगते हैं। इस लिए सात चक्कर में करीब ३० मिनट का वक़्त लगता है। भीड़ के औकात में एक घंटा से ज़्यादा भी वक़्त लग जाता है।

## रिहाईश गाह से हरम शरीफ़ तक आने जाने का वक़्त:

आम तौर पर हाजियों का क़याम हरम से ५ से १५ मिनट की दूरी पर होता है। मगर ४ ज़िलिहज्जा से १५ ज़िलिहज्जा तक लोगों का ज़बर्दस्त हुजूम होता है। इस दौरान ५ से १५ मिनट का ये रास्ता तय करने में १५ से ३० मिनट का वक़्त भी लग सकता है।

## नमाज़ का इन्तेज़ार:

४ ज़िलिहज्जा तक चुँके ३० से ३५ लाख लोग मक्का शरीफ़ पहुँच चुके होते हैं इस लिए हरम शरीफ़ में भी ज़बर्दस्त भीड़ होती है। अगर नमाज़ से ३० से ४५ मिनट पहले आप हरम में न पहुँचे तो तमाम जगहें भर चुकी होती है। इस लिए हर नमाज़ से एक घंटा पहले आप को अपने कमरे से नमाज़ के लिए निकल जाना होता है।

हरम शरीफ़ से कमरे तक आने जाने में भी काफ़ी वक़्त लगता है इस लिए लोग तहज्जुद के लिए आते हैं और फज़र पढ़ कर जाते हैं। इसी तरह मगरिब के लिए आते हैं और इशा पढ़ कर जाते हैं। बहुत से लोग ज़ोहर से इशा तक हरम शरीफ़ में ही रहते हैं और नमाज़, तिलावत और तस्बीहात में मस्रूफ़ रहते हैं। और इशा पढ़ कर जाते हैं।

जो लोग मक्का के रहने वाले हैं उन के लिए हरम शरीफ़ में नफ़िल नमाज़, नफ़िल तवाफ़ से अफ़ज़ल है। मगर जो लोग दुसरे शहरों से आते हैं उन के लिए नफ़िल तवाफ़, नफ़िल नमाज़ और दुसरी इबादत से ज़्यादा अफ़ज़ल है। इस लिए हर हाजी को पाँच वक़्त की नमाज़ हरम शरीफ़ में पढ़ना चाहिए।

और ज्यादा से ज्यादा तवाफ करना चाहिए।

ऊपर दिए गए वक्त के हिसाब से आप खुद अन्दाज़ा कर सकते हैं कि एक दिन में आप को कितना वक्त चलना और हरम में बैठ कर इंतज़ार करना है।

हुजुर (स.) का इशारा है कि “कवी मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर है”। क्योंकि कवी मोमिन दीन के बहुत सारे वो काम कर सकता है, जो कमज़ोर मोमिन नहीं कर सकता।

हुजुर (स.) के इशारा के मुताबिक जो लोग सिर्फ जिहाद के लिए घोड़े पालते हैं। उन्हें घोड़े के खाने पीने, चलने यानी उस के हर काम पर सवाब मिलता है। (बुखारी)

हम और आप अगर अपनी सेहत इस मकसद से बेहतर बनाने की कोशिश करें कि इंशा अल्लाह अच्छी सेहत से हम इस्लाम और मुसलमान के फ़लाह और बेहबुदी के लिए काम करेंगे तो अपने बेहतर सेहत बनाने की कोशिश में भी हम को सवाब मिलेगा।

डॉक्टरों का कहना है के हर शख्स को दिन में कम से कम २० मिनट तक तेज़ चलना चाहिये, इस से दिल का दौरा, डायबिटीज़ और दुसरी बहुत सारी बिमारियाँ नहीं होती या कन्ट्रोल में रहती हैं।

इस लिए हज के लिए जो सब से पहली तैयारी आप को करना है, वह यह है कि सुबह और शाम कम से कम ३० मिनट चलें और अपनी सेहत को बेहतर बनाने की कोशिश करें।

हरम शरीफ पहुँचकर भी अपनी सेहत का खयाल रखे। हजम होनेवाला हलकी गिज़ा लें। फलों का इस्तेमाल खूब करें। हमेशा ज़मज़म का पानी पियें, गरमी के दिनों में जब पानी से प्यास न बुझे तो ठंडे पानी और मशरूब के बदले सुलेमानी चाय या कहवे का इस्तेमाल करें। सुबह ४ बजे से पहले उठे ताकि इस्तिनान से जरूरीयात से फ़ारिग होकर आप तहज्जुद पढ़ सकें।

## 10. सब से अहम ज़ादे सफ़र:

अल्लाह तआला फरमाता है।

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٨﴾  
(सूरह अहज़ब: १९८)

व तज़व्वदू फ-इन्ना खैरज़ा-दित-तक्वा, वल्लकूनी या ऊलिल अल्बाब  
(सूरह बकरा: १९८)

तर्जुमा : और ज़ादे राह जो बेहतरीन ज़ादे राह है वह तक्वा है और ऐ अकल्मंदों मेरा तक्वा इख्तियार करो।

हज़रत आदम (अ.) के बेटे काबील की कुर्बानी इस लिए कुबूल नहीं हुई थी क्योंकि उसमें तक्वा का ज़ब्बा न था।

अल्लाह तआला फरमाता है।

قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٥﴾ (سورة المائدة: २५)

“का-ल-इन्नमा य-त-कब्बलुल्लाहू मिनल मुत्तकीन।” (सूरह माइदाह: २५)

तर्जुमा : अल्लाह मुत्तकीयों ही से कुबूल फर्माता है।

रसूल अल्लाह (स.) ने हज्जतुलविदा के मौके पर फरमाया:

التقوى ههنا ويشيرالى صدره ثلاث مرات (سلم)

तर्जुमा : तक्वा यहाँ होता है आप (स.) ने तीन मर्तबा अपने सीने मुबारक की तरफ इशारा करते हुए फर्माया:

“इस लिए हज के सफ़र पर जाने से पहले सारी तैयारियों के साथ अपने दिल की कैफियत को भी सवॉरें। हाजी कहलाने की चाह, दिखावा, सैर व तफरीह की नियत, खूब खरीदी की तैयारी वगैरह का इरादा भी हज की नियत के साथ हो तो तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए और ख़ालिस खुदा की

खुशनुदी के लिए हज के सफ़र की तैयारी कीजिए।”

**अश्या-ए-मम्नुअ़ा:** यह सामान सऊदी अरब ले जाना मना है:

- हथियार या उनके हिस्से या फौजी इस्तेमाल की अश्या।
- तमाम किस्म की धमाका खेज़ अश्या या बारूद।
- मिट्टी का तेल और पेट्रोल और तमाम किस्म के सय्याल माद्दे और स्टोव वगैरह।
- आतिशगीर अश्या, चमक पैदा करने वाली गेम माचिस गेम राकेट वगैरह।
- तमाम नशा आवर मशरूबात और दवाएँ जो के ख़ाब आवर माद्दे, अफीम, चरस, मारफ़ीन, कोकीन या इस किस्म के माद्दों से बनी हुई हों या इन में इन अश्या की मिक्दार शामिल हो।
- ऐसी अश्या जिनमें ज़हरीला माद्दा या इसी किस्म की दवाएँ शामिल हों जब तक वज़ारते सेहते आमा से मंजूरी हासिल न हो।
- तमाम दवाएँ सिवाय जिनकी, वज़ारते सेहते आमा से मंजूरी हासिल हो।
- तमाम तबा शुदा मुवाद जो के इख़लाकी और इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ हो।
- नंगी तसावीर या इसी किस्म की दूसरी अश्या जो ईसाइयों के मज़हबी क्रॉस (✝) की शक़ल में हो।
- बड़ी साईज़ की तसावीर जो कि बगैर फ़रोख़्त आप ले जाना चाहते हों।
- फिल्में सिवाय इस समाजी फिल्मों के टेप जो कि वज़ारते इत्लाआत व नस्रियात ने मंजूर किये हों।
- वायरलेस और उसके पुर्जे जब तक के वह हुकूमत के इस्तेमाल के लिए दरआमद किये जायेंगे और वज़ारते ख़बर रिसानी की मंजूरी हासिल कर ली गयी हो।
- खिलौने वाली बंदूकें जो के बच्चों के लिए हों।
- बच्चों के वास्ते शूटिंग के लिए तमाम किस्म की बंदूकें जब तक वज़ारते दाख़ला की मंजूरी न हो।
- चाकू, खंजर और हथियार वगैरह।
- वह तमाम किताबें, पम्पलेट या दूसरी अश्या जिनमें कम्युनिज़म का प्रोपेगंडा किया हो या सऊदी हुकूमत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हों या इस्लाम के ख़िलाफ़ लिटरेचर।
- मछलियां पकड़ने के लिए खुसूसी फूल जो कि जहाज़ रानी और इंसानी जिंदगी के लिए नुकसानदायक हो।
- वह तमाम सामान जिन पर इस्त्राईल का तारा या उन का कोई निशान बना हो।
- बच्चों की मिठाईयां जो सिगरेट की शक़ल में हों या इसी तरह की अश्या जो सिगरेट की पब्लिसिटी के लिए हो।
- तेल और तेल से बनी तमाम अश्या जो के सेहत आमा के लिए मुज़िर हों।
- काले रंग की तस्वीह के दाने जो प्लास्टिक, कांच या इस किस्म की दूसरी चीज़ों से बने हों।
- वीडियो और ऑडियो कॅसेट।

**मुंदर्जा जैल (नीचे दिए गये) अश्या हर हवाई सफ़र में हैंड बैग में रखना मम्नु है:**

- कैंची, नेलकटर (नाखून काटने का सामान) ब्लैड, छुरी, चाकू और ऐसे सारे सामान जिन से किसी इंसान को ज़ख्मी किया जा सकता है।
- आज कल बम बनाने के केमिकल, सय्याल माद्दे या प्लास्टिक की तरह होते हैं इसलिए अब जहाज़ के अंदर पानी की बोतल और तमाम सय्याल माद्दे ले जाना मम्नु है।

(बकाया पेज नं २६ पर)

# हज के दौरान रास्ता भूलने और खो जाने का मसला

## मक्का मुकर्रमा में रवो जाने का मसला :

हरम शरीफ की मस्जिद में ६२ दरवाजे हैं, जिन पर नंबर लिखे हुए हैं। कुछ दरवाजों पर नंबर नहीं हैं। उन्हें भी गिना जाए तो १०० से ज्यादा दरवाजे हैं। नये आदमी को सब दरवाजे एक जैसे लगते हैं इस लिए जब पहली मर्तबा आप हरम शरीफ जाएं तो जिस दरवाजे से दाखिल हों उस का नंबर नोट कर लें और उसी दरवाजे से बाहर आएं।

जब आप हरम शरीफ के अंदर मुताफ (सेहन) में होंगे तब भी चारों तरफ सारे दरवाजे आप को एक जैसे लगेंगे। पहचान के लिए हुक्मत ने पाँच अहम दरवाजों पर पाँच अलग अलग रंग की मेहराबें बना दी हैं। जब आप हरम में दाखिल हों तो इन रंगों को अच्छी तरह पहचान लें और इसी तरफ के दरवाजे से बाहर निकलें। दरवाजों की मेहराबें और उन के रंग इस तरह हैं।

दरवाजे का नाम	मेहराब का रंग	सिमत (तरफ)
१. बाबे अब्दुल अजीज	हरा	यह दरवाजा नंबर १ है और मिस्फला इलाके की तरफ है।
२. बाबे सफ़ा	सफ़ेद	यह हिज्जे अस्वद के सामने सफ़ा पहाड़ी की तरफ है। जहाँ से सई शुरू की जाती है।
३. बाबे फतह	नीला	यह मरवा पहाड़ी की तरफ है।
४. बाबे उम्राह	सिलेटी	यह दरवाजा नंबर ६२ है। इस दरवाजे के पास गुमशुदा लोगों के लिए ऑफिस है।
५. बाबे फहद	पीला	यह दरवाजा नंबर ६२ है। शाह फहद ने हरम के एक हिस्सा की बहुत ज्यादा तवसि की है जिस में ८० हजार लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। यह मेहराब उसी हिस्से की तरफ है।

गेट नंबर ६२ के बाहर गुमशुदा लोगों और सामान का ऑफिस है। अगर आप गेट भूल जाएं और अकेले घर जाने की हिम्मत या एतमाद न हो तो गेट नंबर ६२ के पास ऑफिस में पहुँच जाएं। वह गाईड के ज़रिया आप को आप के घर या मुअल्लिम के ऑफिस पहुँचा देंगे।

## जिद्दा एयरपोर्ट पर रवो जाने का मसला :

जिद्दा एयरपोर्ट बहुत वसीअ और अज़ीज़ है। और इस एयरपोर्ट पर आप को काफी देर रुकना है और तकरीबन ३०० फीट बस डिपो तक चलना है। इस एयरपोर्ट के हर खम्बे पर नंबर लिखे हुए हैं। बस डिपो तक तो गाईड आपको रास्ता बता देंगे। मगर दूसरी किसी ज़रूरत से अगर आप दूर जाते हैं तो आप का सामान जिस खम्बे के पास है, उसे ज़रूर नोट कर लें।

## मिना में रास्ता भूलने का मसला :

मिना में अक्सर हर शख्स एक बार रास्ता ज़रूर भूलता है। इस लिए अगर आप मिना का जुगराफिया अच्छी तरह समझ लें तो इन्शा अल्लाह रास्ता नहीं भूलेंगे। मिना दो पहाड़ों के दरम्यान एक वादी का नाम है। इस वादी में मक्का की तरफ से दाखिल होते ही 'जमरात' यानी शैतान को कंकरी मारने का मुकाम पहले है, फिर उस के बाद खेमों का सिलसिला है। वादी के दूसरी तरफ निकलें तो आधे किलो मीटर की दूरी पर 'मुज्दल्फा' है, फिर और आगे जाएं तो ६ किलो मीटर की दूरी पर 'अरफात' है।

मिना लम्बाई में बसा है इसकी चौड़ाई कम है। रास्ता और खेमा न भुलने के

लिए सबसे पहले आप जमरात की जगह पहचान लीजिए फिर मिना के ऊपर चौड़ाई की सिमत में तीन पुल हैं। इन का नाम याद कर लीजिए। जमरात से नज़दीक पहले पुल का नाम है किंग खालिद ब्रिज दूसरे पुल का नाम है किंग अब्दुल अजीज ब्रिज, तीसरा पुल मिना से बाहर मुज्दल्फा की सरहद पर है। उसका नाम किंग फैसल ब्रिज। ज़्यादातर हिन्दुस्तानी खेमे पहले और दूसरे पुल के आसपास ही होते हैं। तीसरी और सबसे अहम निशानी की और खेमे का पत्ता मिना में लगे खम्बे है, जिनपर नम्बर लगे होते हैं। अगर आप सिर्फ इन खम्बों पर लिखे नम्बर भी नोट कर ले तो कोई भी आप को आप के खेमे तक पहुँचा देगा।

## एहतेयात और तदबीरें :

१. मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा पहुँचते ही होटल के काँउटर से उनका शन्खाती कार्ड माँग ले और हमेशा अपने पास रखे।
२. एहतेयात के तौर पर एक छोटी सी डायरी और पेन जेब में रखा कीजिए और इस में मुंजर्जैल बातें नोट किया कीजिए :

- आप के क़याम गाह की सिमत में हरम शरीफ के दरवाजे का नंबर।
- आप के क़याम गाह के पास के मशहुर होटल या दुकानों के नाम।
- मिना में आप के खेमा के नज़दीक खम्बे का नंबर।
- रोज़ मरह का आप का खर्च।

इस से आप को अपना ठिकाना तलाश करने में आसानी होगी और खर्च बजट के अन्दर रहेगा।

- तवाफ़ करते वक़्त अगर दो लोग भी साथ हों तो अलग अलग हो जाते हैं इस लिए एक दुसरे का हाथ मज़बुती से पकड़ने के बदले हरम शरीफ में दाखिले के वक़्त ही आपस में तय कर लें कि इबादत खत्म कर के कहाँ और कब मिलेंगे। हर एक हरम शरीफ में दाखिल होते वक़्त बाहर से दरवाजा का नंबर नोट कर लें और मुताफ़ या खाना काबा के सेहन की तरफ से जो मेहराब उस दरवाजा की तरफ है उस का रंग नोट कर लें (दरवाजे का नाम और नंबर दोनों तरफ लिखे हुए हैं मगर आसानी के लिए मुताफ़ की तरफ से पाँच अहम दरवाजों की मेहराबें भी अलग अलग रंग की हैं इस से भूलने का डर कम रहता है।) फिर अगर तवाफ़ करते करते साथ छुट जाए तो साथी को तलाश करने के बदले इबादत जारी रखें और पहले से तय शुदा जगह और वक़्त पर हरम शरीफ के दरवाजे पर मिलें।
  - ४. मिना और अरफात में भी भीड़ में साथ छुट जाने का डर रहता है वहाँ तो आप पहले से जगह भी तय नहीं कर सकते, इस लिए वहाँ लोग मुंजर्जैल (नीचे दिए गये) तदबीर एख्तियार करते हैं।
    - i) एक ग्रुप का हर फ़र्द एक ही जैसा कोई निशान अपने कपड़े या टोपी या दुपट्टे पर लगाए रहता है, जैसे लाल रिबन या कपड़े के फूल वगैरह इस से एक दुसरे को पहचानने में आसानी होती है।
    - ii) एक ग्रुप में किसी एक शख्स के हाथ में कोई निशानी की चीज़ होती है जो वह बुलंद किये रहता है, जैसे झंडा, छतरी, लकड़ी वगैरह। ग्रुप के बाकी के लोग उस निशान को देख कर उस ग्रुप लीडर के पीछे चलते रहते हैं और खो जाने पर दूर से ही पहचान कर आ मिलते हैं।
- ये दोनों तरीके लोग तवाफ़ करते वक़्त भी इस्तेमाल करते हैं।

iii) तीसरा तरीका मोबाईल का इस्तेमाल है। मगर इसे उस वक़्त इस्तेमाल करें जब कोई चारा न हो। मुताफ़ और हरम शरीफ़ के अंदर मोबाईल बंद ही रखें और हरम से बाहर आकर इस्तेमाल करें। मस्जिद के अंदर दुनियादारी की बातें करने पर फ़रिश्ते लानत भेजते हैं और मस्जिद-ए-हरम में किया गया एक गुनाह एक लाख गुनाह के बराबर है।

### गुमशुदा आजमीन किराम और सामान:

अगर आपका कोई साथी खो जाये, तो हिंदुस्तानी हज मिशन के ब्रांच आफिस को फ़ौरन इत्लाअ दें, और अगर आपका कोई सामान खो जाये, तो भी पहले अपने ब्रांच आफिस A.H.O. को इत्लाअ करें और फिर उन के मशविरे पर सऊदी अरब हुकूमत कि गुमशुदा सामान के ब्रांच आफिस में इत्लाअ करें।

### रक़म का गुम होना या चोरी होना:

अगर आप की रक़म गुम हो जाये या चोरी हो जाये, तो ऐसी सूरत में शोएब आमिर इलाके में मौजूद हिंदुस्तानी मिशन के सदर दफ़तर में इफ़ाद ऐ आम डेस्क से रूजूअ करें। आप को आरजी इम्दाद हिंदुस्तानी आजमीने इफ़ादा फ़ोरम I.P.W.F. की जानिब से फ़राहम की जायेगी।

### अपने साथी आजिम की मौत हो जाने पर:

अगर आप के किसी साथी की मौत हो जाये, तो मुअल्लिम के दफ़तर और अपने ब्रांच आफिस का मुत्लाअ करें। याद रखें के मरहूम की रिहाईश ग़ाह से क़ब्रिस्तान ले जाने और तद्फ़ीन की सारी जिम्मेदारी मुअल्लिम पर आयद होती है। शोएब आमिर में वाक़ेअ हिंदुस्तानी हज मिशन का सदर दफ़तर का राबता डेस्क इस ज़मन में N.O.C. जारी करता है।

### तिब्बी इमरजेंसी इम्दाद:

इमरजेंसी की सूरत में हिंदुस्तानी मिशन के ब्रांच के दवाख़ाने या अस्पतालों से दवा ली जा सकती है, मज़ीद मुश्क़ल हालात में डाक्टर को अपनी इमारत में भी बुलवाया जा सकता है।

### मिना में कोई मसला दरपेश हो तो..!

अपने ख़ेमे से हमेशा मुअल्लिम से राबता कायम करें। हिंदुस्तानी मिशन के मिना में मौजूद कैंप ऑफिस से भी राबता कायम कर सकते हैं।

### मोबाईल के जरिए रास्ता मालूम करना :

२०१३ में यह ख़बर मिली है की सौदी हुकूमत ने मिना, मजदल्फ़ा और अरफ़ात का नक्शा इंटरनेट पर लोड कर दिया है। और अगर आप स्मार्ट मोबाईल फ़ोन इस्तेमाल करते हो तो जैसे आप Google map पर सारी दुनिया का नक्शा या रास्ता तलाश कर सकते है। इसीतरह मिना में अपने ख़ैमे का रास्ता भी तलाश कर सकते है। इस ख़बर की मालुमात आप अपने मक्का के तयाम में पता कर लें।

\*\*\*\*\*

## हज्जे मक्बूल

हज़रत अबू हु़रैराह (रज़ी.) से रिवायत है के रसूल अल्लाह (स.) से किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह (स.) कौन सा अमल ज़्यादा अफ़ज़ल है? आप (स.) ने फरमाया : अल्लाह और उस के रसूल अल्लाह पर ईमान। अर्ज़ किया, उस के बाद? फरमाया: अल्लाह के रास्ते में जिहाद। अर्ज़ किया, फिर? फरमाया: हज्जे मक्बूल। (बुखारी, मुस्लिम)

## पहले कौन ?

मैं ५० किलो का दुबला पतला इन्सान हूँ, जब मुसल्ले पर खड़ा होता हूँ, तो आधा मुसल्ला ख़ाली रहता है। हरम शरीफ़ में मुझे उस जगह नमाज़ पढ़ने का बहुत शौक था जहाँ से ख़ानाए काबा साफ़ नज़र आए इसी लिए मैं वक़्त से पहले हरम पहुँच जाता और मौज़े जगह मुसल्लह बिछाकर बैठा रहता। जैसे जैसे नमाज़ का वक़्त करीब आता, आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती जाती। जब सारी ख़ाली जगह भर जाती तो लोग दो नमाज़ियों के दरम्यान कुछ जगह बना कर बैठने लगते।

चूँकि मेरा आधा मुसल्लह तो ख़ाली ही होता था इस लिए मेरे बग़ल में कोई न कोई ज़रूर आ जाता और अगर कोई सेहतमंद हाज़ी आ जाते तो आहिस्ता आहिस्ता वह मुसल्लह के बीच में होते और मैं किनारे और इस तरह अक्सर मैं ने नमाज़ दो मुसल्लों के बीच में पढ़ी, और ये बात मुझे नागवार गुज़रती।

एक दिन मैं ने दिल मैं फैसला किया कि आइंदा किसी को अपने मुसल्ले पर जगह न दूँगा। मेरा इतना सोचना था के दूसरे दिन से मेरे वक़्त से पहले हरम जाने और अपनी मन-पसंद जगह पर नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ छिन गई। मैं खुद देर से जाने लगा। दुसरों से गुज़ारिश कर के दरम्यान में जगह बना कर बैठने लगा। यहाँ तक कि कभी कभी मुसल्लह भी न ले जा पाता और जनवरी के सख़्त सर्दियों में बर्फ़ की तरह ठंडी फ़र्श पर किसी कोने या किनारे नमाज़ पढ़ता। आख़िर बहुत तौबा इस्तग़फ़ार के बाद फिर तौफ़ीक़ नसीब हुई।

किसी हाज़ी के लिए सिर्फ़ बदगुमानी की ये सज़ा के इबादत की तौफ़ीक़ छिन जाए, तो जो लोग हाज़ियों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं उनका क्या होगा?

जो कोई भी खुदा के घर आता है वह खुदा का मेहमान है और अल्लाह तआला मेज़बान है। अगर मेज़बान को खुश करना है, तो इसके मेहमानों की ख़िदमत को अपना नस्बुलऐन बनाना होगा। आप मेहमान से झगड़ा करके, धक्का देकर, पीछे ढकेल कर, उसे तकलीफ़ पहुँचाकर कभी मेज़बान (अल्लाह तआला) को खुश नहीं कर सकते। खुदा न करे के आप से भी इबादत की तौफ़ीक़ छिन जाए या इबादत लौटा दी जाए इसलिए एयरपोर्ट पर, बस अड्डे पर या कहीं भी जब ये सवाल हो कि पहले कौन तो आप का जवाब होना चाहिए कि पहले अल्लाह तआला का मेहमान फिर मैं।

- रसूलअल्लाह (स.) ने हजतुलविदा के मौके पर फरमाया: “हमेशा ही मुसलमानों का कत्ल करना, उन का माल लूटना, उन्हें बे-इज़्ज़त करना, उतना ही सख्ती के साथ हराम है जिस तरह मुकद्दस शहर और इस मुकद्दस अरफा के दिन उन का कत्ल करना, माल लूटना, और बे-इज़्ज़त करना हराम है। (बुखारी)
  - “मुसलमान वह है जिस की ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ ना हो।” (बुखारी, मुस्लिम)
  - हज़रत अबु हु़रैरा (रज़ी) से रिवायत है कि रसूलअल्लाह (स.) ने इर्शाद फरमाया, “हज उम्रह करने वाले अल्लाह तआला के मेहमान हैं। अगर वह अल्लाह से दुआ करें, तो वह उन की दुआ कबूल फरमाए और अगर वह इस से मग़फ़िरत माँगे तो वह उन की मग़फ़िरत फरमाए।” (नसाई, इब्ने माजा, बज़ार)
  - हज़रत अबु हु़रैरा (रज़ी) से रिवायत है कि रसूलअल्लाह (स.) ने हाज़ियों के लिए दुआ फरमाई है? “या अल्लाह! हज करने वालों को बख़्शा दे और जिस के लिए हाज़ी मग़फ़िरत तलब करे उस को भी बख़्शा दे।” (इब्ने खज़ीमा)
- इसलिए अल्लाह के मुअज़िज़ मेहमान का खयाल रखें और उन की ऐसी खिदमत करें कि वह आप को दिल की गहराइयों से दुआ दें।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

# हज के खास दिनों में सवारी का मसला

## 1. एहसान का बदला :

आप के घर में अगर दस लोग रह रहे हों और बीस मेहमान बाहर से आ जाएँ और आप ने उन की खुश दिली से खिदमत की तो मेहमान का क्या फर्ज बनता है? मेहमान को चाहिये कि आप के एहसान का बदला बराबरी के एहसान से चुकायें।

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (سورہ احسان، آیت: ۶۰)

“हल जज़ाअल इहसानि इल्लल इहसान” (सूरह रहमान, आयत: ६०)

तर्जुमा: नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है।

तीस से चालीस लाख लोग हज के अय्याम और रमज़ान-उल-मुबारक में मक्का शहर पहुँचते हैं। जो मक्का शहर की आबादी से कई गुना ज़्यादा है। शहर के लोग और हुकूमत हर तरह से हाजियों की खिदमत करते हैं। इस लिए हाजियों को चाहिये कि उन के रिज़्क में बर्कत और खुशहाली की दुआ करें। (मक्का में दाखिल होते वक़्त और बस में इस दुआ को आप पढ़ते भी हैं) और अगर आप से उन को फायदा पहुँचता है तो उसे खुशी से होने दें। तंग दिल न हों, वहाँ के होटल, दुकानें, बस, टैक्सी वगैरह की बड़ी आमदनी का ज़रिया हज और रमज़ान-उल-मुबारक ये दो मवाके ही हैं इस लिए अगर इन दो मौकों पर आप को ऐसा महसूस हो कि वह ज़्यादा कमा रहे हैं तो इस का उन को हक़ है। और आप को इन की मद्दद करनी चाहिये और ज़्यादा रूपया बगैर तंग दिल हुए देना चाहिये।

हज़रत बरिद (रज़ि) से रिवायत है के हुजुर (स.) ने इशार्द फर्माया के हज में खर्च करना जिहाद में खर्च करने की तरह है।

एक हदीस में हज़रत आईशा (रज़ि) से मरवी है के हुजुर (स.) ने फर्माया के तेरे उमरे का सवाब तेरे खर्च के बक़दर है यानी जितना ज़्यादा इस पर खर्च किया जाएगा उतना ही सवाब होगा।

## 2. सवारी का इंतज़ाम :

हज के मौके पर तीस से चालीस लाख लोग एक ही वक़्त में एक तरफ़ सफ़र करते हैं इतने ज़्यादा लोगों के लिए एक ही वक़्त सवारीयों का इंतज़ाम करना मुश्किल ही नहीं इस लिए मुअल्लिम का इंतज़ाम लोगों को तीन ट्रिप (trip) में बस के ज़रिए मंज़िल पहुँचाना होता है। सड़क पर लोगों के अज़दहाम और मोटर गाड़ियों की भीड़ की वजह से वह मुश्किल से दो ट्रिप कर पाते हैं। आख़री ट्रिप के तिहाई १/३ लोगों को या तो अपनी मंज़िल तक पैदल या प्रायवेट टैक्सी ही में सफ़र करना पड़ता है।

जो लोग बस के पहली ट्रिप में सवार होते हैं वह दुनियावी नुक़ते नज़र से चुस्त, चालाक और सवारी की मुश्किलों से वाकिफ़ होते हैं। जो, सब लोगों से पहले पहुँच कर धक्कम पेल कर के बस में सवार हो जाते हैं।

जो लोग सब्र कर के और देर तक इंतज़ार कर के दुसरी ट्रिप में सफ़र करते हैं। वह अक्सर सीधे सादे, सवारी की तकलीफ़ों से नावाकिफ़ और भीड़ भाड़ से कतराने वाले लोग होते हैं। आख़री ट्रिप होती ही नहीं। क्योंकि तीसरी ट्रिप तक मंज़िल पर पहुँचने का वक़्त ख़त्म हो चुका होता है इस लिए वह लोग जिन्होंने हज की तर्बियती तालीम हासिल की है और जो मसाइल का इल्म रखते हैं। वह बगैर बस का इंतज़ार किये पैदल या प्रायवेट टैक्सी वगैरह से ही चल देते हैं। अगर आप को मिना से अरफ़ात जाना है तो पहली बस फ़ज़ के फ़ौरन बाद चली जाती है। और दुसरी ट्रिप के लिए करीब ११ बजे वापस आती है। और हाजियों को लेकर २ बजे तक अरफ़ात पहुँचती है। तीसरी ट्रिप के लिए अगर वापस आना हुआ तो फिर अरफ़ात पहुँचते

पहुँचते शाम हो जाएगी और वक़्त ख़त्म हो चुका होगा इस लिए तीसरी ट्रिप हो ही नहीं पाती। इसलिए अब मुअल्लिम रात ही में जो मस्नून वक़्त से पहले है हाजियों को मक्का से मिना और मिना से अरफ़ात ले जाना शुरू कर देते हैं। ऐसी मजबूरी की हालत में रात का सफ़र करना जाइज़ है।

## 3. पैदल सफ़र कितना मुश्किल है ?

१. मक्का शरीफ़ से मिना तकरीबन ४.५ से ५ किलो मीटर दूर है।
२. मिना कि लम्बाई तकरीबन १.५ से २ किलो मीटर है।
३. मुज़दलफ़ा मिना से बिल्कुल लगा हुआ है।
४. मिना से अरफ़ात ६.५ किलो मीटर है।
५. सफ़ा और मरवा की दूरी ३६५ मीटर है।
६. जब आप खाने काबा का तवाफ़ मुकामें इब्राहिम के बिल्कुल करीब से करते हैं, तो एक चक्कर में आप १५० मीटर का सफ़र करते हैं यानी सात चक्कर में एक कि.मी. से कुछ ज़्यादा चलते हैं।
७. जब आप खाने काबा का तवाफ़ काबे शरीफ़ से १०० फिट की दूरी यानी मुताफ़ के आख़री हिस्से से करते हैं तो तकरीबन पौने दो कि.मी. की दूरी तय करते हैं।
८. सफ़ा और मरवा की दूरी ३६५ मी हैं यानी सात चक्कर में आप तकरीबन पौने तीन कि.मी. चलते हैं।
९. उम्रह में अगर आप खाने काबा से १०० फिट की दूरी से तवाफ़ करते हैं और सफ़ा और मरवा के सात चक्कर लगाते हैं। तो ४.५ किलो मीटर की दूरी तय करते हैं यानी मक्का से मिना कि दूरी। अगर आप उम्रह आसानी से कर सकते हैं तो मक्का से मिना भी आसानी से और उतने ही वक़्त में जा सकते हैं।
१०. जब आप मक्का पहुँचते ही उम्रह करते हैं तो उम्रह करते वक़्त अपनी जिस्मानी ताकत का भी अन्दाज़ा कर लें। अगर आप बड़ी आसानी से उम्रह कर लेते हैं तो मक्का और मिना का दरम्यानी सफ़र भी आप बड़ी आसानी से कर लेंगे।
११. एक बार उम्रह करने के बाद कुछ देर आराम करने के बाद अगर आप सफ़ा और मरवा के सात चक्कर और लगा सकते हैं, तो आप मिना और अरफ़ात के दरम्याना का सफ़र भी आराम से कर सकते हैं।
१२. लोग दिन में पाँच से सात बार तवाफ़ करते हैं ये मक्का और मिना या अरफ़ात की दूरी से भी ज़्यादा चलना है मगर क्योंकि एक ही जगह पर चलना होता है इसलिए हिम्मत बंधी रहती है और मिना और मक्का या मिना और अरफ़ात का सफ़र भी पैदल नहीं किया हुआ होता है इसलिए इस बारे में सोचकर हिम्मत टूट जाती है इसलिए अपने पहले उम्रह पर बारीकी से गौर कीजिए। अपनी कुव्वत का अन्दाज़ा लगाइये और अल्लाह की मदद पर भरोसा करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदल सफ़र करने की कोशिश कीजिए।
१३. पैदल चलने की बहुत फज़ीलत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ी) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने फरमाया: जो मक्का को पैदल हज को जाये यहाँ तक के मक्का से वापस आये यानी तमाम हज पैदल करे, तो उस के लिए हर कदम पर सात सौ नेकियां हरम शरीफ़ की नेकियों की मिस्ल लिखी जायेंगी। पूछा गया है कि हरम शरीफ़ की नेकियों की क्या मिक़दार है? नबी करीम (स.) ने फरमाया, “हर नेकी लाख नेकी है।” (इब्न खज़ीमा व हाकिम) लिहाज़ा इस हिसाब से हर कदम पर

सात करोड़ नेकिया हुई। (वल्लाहु जुल्फज़िल अज़ीम)

इसलिए हज के अय्याम में हमेशा पैदल चलना सब से अफज़ल है। मगर जो कमज़ोर हैं और इतनी मशक्कत की हिम्मत नहीं उन के लिए मेरा ज़ाती मश्वरा यह है कि आप नीचे दिए गए तरीके से सफ़र कीजिए।

#### 4. मक्का से मिना का सफ़र:

9. मिना जाने से पहले मुअल्लिम से खेमा का नक्शा ले लीजिए। मक्का में आप की रिहाईशगाह से मिना जाने के लिए बस का इंतज़ार कीजिए और बस में ही सफ़र कीजिए क्योंकि मुअल्लिम ७ तारीख की रात से ही हाजियों को मिना पहुँचाना शुरू कर देते हैं और ८ तारीख को १२ बजे आप को मिना पहुँचाना होता है इस लिए बस में अक्सर आराम से जगह मिल जाती है। दूसरी वजह ये भी है कि बस आप को आप के खेमा तक पहुँचा देगी। पहली बार खेमा ढुंढना भी एक बड़ा मसला है। अगर मुअल्लिम रात में हाजियों को मिना पहुँचाना नहीं शुरू करता तो सुबह में बहुत भीड़ और अफ़रा तफ़री होगी। ऐसे हालात में आप सुबह फ़ज़ के बाद ही मिना पैदल चल दीजिए।

अगर आपके साथ औरतें और बूढ़े हैं जो चल नहीं सकते तो आप सब्र कीजिए और दूसरी या तिसरी बस कि ट्रिप से मिना पहुँचें। क्योंकि आठ तारीख को मिना पहुँचकर आपको सिर्फ पाँच वक्त की नमाज़ पढ़ना है। अगर आप दोपहर २ बजे भी मिना पहुँचते हैं तो भी पाँचों वक्त कि नमाज़ आसानी से पढ़ सकते हैं।

अगर आप चल सकते हैं और आप के पास मिना का नक्शा भी है ओर खेमा तलाश कर लेने का हौसला भी है तो अल्लाह का नाम लेकर पैदल सफ़र शुरू कर दीजिए।

मिना के खेमे में तकरीबन ७० लोगों को रखा जाता है। लोग बड़ी मुश्किल से खेमे में सो पाते हैं जो लोग मिना पहले पहुँचते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जगहों को घेर लेते हैं। जिससे आखिर में आनेवाले को सामान रखने कि जगह भी नहीं मिल पाती। अगर ऐसा हो तो सब्र से काम लीजिए किसी कोने में सामान रखकर दिनदार लोगों को जमा कीजिए और औरतों के पर्दे के लिए खेमे के दरम्यान का पर्दा गिराकर औरता को खेमे के एक तरफ करने कि कोशिश कीजिए।

ऐसा करने से सब की घेरी हुई जाएद जगह आज़ाद हो जाती है। फिर इंसान के साथ आपस के सुलह व मश्वरे से हर एक को इन के आसानी के मुताबिक जगह दीजिए। शरीयत के उसूलों पर चलने से न सिर्फ आखिरत की जिन्दगी बल्कि दुन्यावी जिन्दगी भी आसान हो जाती है।

#### 5. मिना से अरफ़ात का सफ़र:

६. तारीख को मिना में फ़ज़ की नमाज़ पढ़कर अरफ़ात के लिए जाना, यह सुन्नत तरीका है और अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, मगर जब तीस लाख लोग एक साथ ऐसा करें, तो क्या हाल होगा? आप इस का अंदाज़ा कर सकते हैं? सख़्त अफ़रा तफ़री का आलम होता है। बस और जीप में सब छत के ऊपर तक भरे होते हैं। मिना से अरफ़ात आप का मुअल्लिम की बस में जाना ज्यादा बेहतर है इसकी चार वजूहात हैं:

9. मुअल्लिम आप को अपने अरफ़ात के खेमे में ले जाकर ठहराएगा, जहाँ आप सुकून से बैठ सकते हैं ज़रूरत हुई, तो लेटकर आराम कर सकते हैं। अपने ग्रुप में जमात बनाकर नमाज़ अदा कर सकते हैं, और सुकून से इबादत कर सकते हैं।
२. दोपहर का खाना मुअल्लिम की तरफ से होगा। इसलिए आप को अपने खाने की फिक्र नहीं करनी चाहिए।
३. मुअल्लिम के खेमों के आस पास ही नहाने और ज़रूरियात से फारिग होने का अच्छा इंतज़ाम होता है। अरफ़ात में गुस्त सुन्नत है।
४. अरफ़ात से वापसी के वक्त भी मुअल्लिम के खेमे के पास ही से इस की बस रवाना होगी। इस लिए अगर आप के साथ ऐसे लोग हैं जो चल नहीं सकते,

तो आप को सवारी के लिए आसानी होगी।

अगर आप ने अरफ़ात की तरफ पैदल सफ़र किया और मस्जिद नमरा के करीब पहुँच गये, तो वहाँ इतनी शदीद भीड़ होती है, जैसे; नमाज़ के बाद मुताफ़ में तवाफ़ करते वक्त होती है। इसलिए अगर आप का पैदल सफ़र का इरादा है, तो अरफ़ात से पहले दायें या बायें होकर अरफ़ात में दाखिल हों सीधे रास्ते पर मस्जिद-ए-नमरा है।

मुअल्लिम की बस से सुकून से आपको अगर अरफ़ात जाना है, तो आधी रात को जब इस की पहली बस अरफ़ात के लिए रवाना होगी उस से आप अरफ़ात आ जायें और अरफ़ात पहुँच कर फ़ज़ की नमाज़ अदा करें।

मिना में फ़ज़ की नमाज़ पढ़कर निकलना सुन्नत है। मगर मुसलमानों को तक्लीफ़ देना हराम है। अगर आप सुबह तक इंतज़ार करते हैं और सुबह की बस से रवाना होना चाहते हैं, तो उस वक्त जब बस छत तक भर गयी होगी। आप का उस भीड़ में शामिल होना लोगों की परेशानी का सबब बन जायेंगे।

अरफ़ात के करीब पहुँचकर आप को लोगों का एक समंदर नज़र आएगा। मगर ख़बरदार रहिए! जहाँ लोग हैं, वहाँ अरफ़ात के मैदान का होना ज़रूरी नहीं है। अरफ़ात का मैदान एक महदूद जगह है जिसकी निशानदेही कर दी गयी है। वकूअरफ़ा (अरफ़ात में वक्त बिताना) का फ़र्ज़ इसी जगह रहकर इबादत करने से अदा होगा। मस्जिद-ए-नमरा का कुछ हिस्सा और आसपास का बहुत सा इलाका अरफ़ात के हुदूद के बाहर है। जब आप अरफ़ात के मैदान में दाखिल होने लगे, तो अरफ़ात के हद का बोर्ड जरूर देख लें।

मुज्दल्फ़ा से अरफ़ात के तरफ कुल ११ सड़कें जाती हैं जिन में से २ सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए और ९ मोटर गाड़ियों के लिए हैं। पैदल चलनेवाली दो सड़कें मुज्दल्फ़ा में मस्जिद अलशअरूल हराम से निकलती हैं इस में सड़क नम्बर एक मस्जिद ए नमरा और सड़क नम्बर दो जबल-ए-रहमत तक गयी हैं, इन सड़कों पर तरीकुल मशाला रक्कम १ या २ लिखा हुआ होगा। पैदल चलने वाली सड़क नम्बर एक मोटर गाड़ियों के सड़क नम्बर ४ और ५ के दरम्यान है और पैदल चलने वाली सड़क नम्बर २ मोटर गाड़ियों के सड़क नम्बर ७ और ८ के दरम्यान है।

मस्जिद-ए-नमरा अरफ़ात में दाखिल होते ही हैं। इस का मुज्दल्फ़ा की सिमत का एक हिस्सा अरफ़ात के हुदूद के बाहर है। जब के जबले रहमत अरफ़ात मैदान के दरम्यान है, इन दोनों जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अगर आपके ग्रुप में ज्यादा लोग हो और औरतें और कमज़ोर लोग हो तो इन दोनों जगहों से दूर ही रहें तो बेहतर है वरना एक दुसरे से बिछड़ जाने का खतरा रहता है।

(२०१२ से मुअल्लिम ६ तारीख की रात में ही हाजियों को ट्रेन के जरिए अरफ़ात पहुँचा देते हैं। यह सफ़र बहुत आसान भी है।)

#### 6. अरफ़ात से मुज्दल्फ़ा का सफ़र:

हर साल तकरीबन ३५ से ४० लाख लोग हज करते हैं, मगर मक्का शरीफ़ से मिना और मिना से अरफ़ात का सफ़र लोग ३ से ४ घंटे के वक़्ते में करते हैं, यानि किसी ने ३ घंटे पहले और किसी ने ३ घंटे बाद सफ़र शुरू किया। मगर अरफ़ात से मुज्दल्फ़ा का वापसी का सफ़र लोग एक साथ, एक ही वक्त में सूरज डूबते ही करते हैं इस लिए वह गाड़ियाँ जो अरफ़ात के आखरी सिरे पर, यानि मस्जिद-ए-नमरा से दूर होती हैं वह एक ही जगह पर ३ से ४ घंटे खड़ी रह जाती हैं और मुज्दल्फ़ा रात के ३ या ४ बजे पहुँचती हैं। जिस से मगरिब और इशा की नमाज़ें कज़ा हो जाती हैं। मुज्दल्फ़ा की रात बहुत अहम है। अल्लाह तआला ने कुरआन शरीफ़ में शबे क़द्र की सिर्फ फज़ीलत बयान की है कि ये एक रात हज़ार रातों से ज्यादा अफज़ल है। मगर अल्लाह तआला ने मुज्दल्फ़ा की रात में अल्लाह तआला को याद करने का हुक्म कुरआन शरीफ़ में इन अल्फाज़ में दिया है:

فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَسْعَرِ الْحَرَامِ  
وَأَذْكُرُوا كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِحِينَ ﴿١٩٨﴾

“फ-इज़ा अफज़-तुम मिन अ-र-फातिन फज़ कुरूल्लाहा इन्दल मशरिल हराम, वज़ कुरूहु कमा हदाकुम, व इन कुन्तुम मिन कबिलही ल-मिनज़ाल्लीना।”

“जब अरफात से वापस होने लगे तो मशअरे हराम (यानी मुजदल्फा) में अल्लाह का जिफ्र करो और इस तरह करो जिस तरह उस ने तुम को सिखाया और इस से पहले तुम लोग (इन तरीकों से महज) ना वाकिफ़ थे।”

(सूरह बकरा-१६८)

अगर मुजदल्फा आप वक्त पर पहुँच कर इबादत करना चाहते हैं तो पैदल चलने के सिवाय कोई चारा नहीं है। अरफात से मुजदल्फा तकरीबन ६ किलोमीटर है। अरफात से मुजदल्फा के सफर में २० लाख लोग आप के साथ पैदल सफर कर रहे होंगे, इन सब के साथ आप को चलना बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप ठहर ठहर कर आराम से चलें तब भी २ से ३ घंटे में मुजदल्फा पहुँच जाएंगे और अगर थक गए हों, औरतें और बूढ़े साथ हों, तो फिर प्रायवेट टैक्सी से सफर कीजिए क्योंकि बस तो अस् की नमाज़ खत्म होते ही छत के ऊपर तक भर जाती है और असल अरफात में दुआ का वक्त अस् से मगरिब का है। इस दौरान आप खूब दिल लगा कर इबादत कीजिए और आराम से मगरिब के वक्त चलिये।

मुजदल्फा और मिना की सरहदें मिली हुई हैं, और अब तो मिना के खेमे जगह की कमी होने की वजह से मुजदल्फा के अन्दर तक लगाए जाते हैं इस लिए ये सफर पैदल ही किजिए और इतने नज़दीकी के लिए शायद आप को सवारी भी न मिलेगी।

## 2012 के बाद से ट्रेन के जरिए सफर:

२०१२ से सउदी हुकुमत अब ट्रेन से भी हाजियों को मिना से अरफात फिर अरफात से मुजदल्फा और मिना लाने का इंतजाम किया है। इसका तरीका यह है मिना, मुजदल्फा और अरफात इन तीनों जगहों पर रेल्वे स्टेशन है और हर जगह तीन तीन रेल्वे स्टेशन है। आपका का मुअल्लिम आपको आपके सफर का वक्त पहले से बता देगा ताकि आप इसी वक्त तैयार रहें। फिर मुकर्रर वक्त पर उस के गाइड आपके ग्रुप के ५०० हाजियों के ग्रुप को एक साथ मिना के रेल्वे स्टेशन पर ले जाएगा। अगर वह आप सबको मिना के रेल्वे स्टेशन नंबर एक पर ले जाता है तो फिर अरफात में भी एक नंबर रेल्वे स्टेशन पर उतारेगा। फिर हर जगह आपको एक नंबर रेल्वे स्टेशन पर ही उतरना या चढ़ना है। इसी तरह अगर २ नंबर रेल्वे स्टेशन से आप ट्रेन पर सवार हुए तो आखिर तक हर जगह आपको २ नंबर रेल्वे स्टेशन पर ही चढ़ना या उतरना है।

ट्रेन की टिकट कलाई में पहनने के एक पट्टे की तरह है। रेल्वे स्टेशन नंबर एक के लिए यह निले रंग का होगा, और रेल्वे स्टेशन नंबर २ के लिए पिले और रेल्वे स्टेशन नंबर ३ के लिए हरे रंग का होगा। ट्रेन में सवार होते वक्त अगर किसीने टिकट के बारे में पूछा तो सिर्फ कलाई पर पहने हुए पट्टे को जाहिर करना होता है।

मुअल्लिम आपको पहले बस से मिना ८ तारीख की रात में लाएगा। फिर ९ तारीख की रात में ट्रेन के जरिए आपको अरफात ले जाएगा। वहाँ वह आपको अपने खेमे में रात में ठहराएगा। मिना और अरफात के सारे खाने पीने का इंतजाम सब मुअल्लिम के जिम्मे ही है। इसलिए वह आपको हर जगह खाने पीने देगा। आप रात अरफात में गुजारियें फिर ९ तारीख का पुरा दिन अरफात में गुजारे, फिर रात का खाना खिलाकर वह आपको ट्रेन से मुजदल्फा लाएगा। मुजदल्फा में रात एक खुले आसमान के नीचे बसर किजिए मगर पानी और बैतुलखला का इंतजाम मुजदल्फा में भी है। फिर मुजदल्फा से भी वह आपको सुबह ट्रेन के जरिए मिना लाएगा।

मिना के तयाम में मिना और जमरात के दरम्यान भी अगर आप ट्रेन के जरिए जमरात जाना चाहे तो इसका इंतजाम भी मुअल्लिम भी करता है। मगर आपको आजामी है कि अगर आप अपने आसानी के मुताबिक अकेले और अपने वक्त पर जाना चाहते हैं तो अकेले भी जा सकते हैं।

## 8. मिना से मक्का मुकर्रमा का सफर:

जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि मक्का शरीफ से मिना की दूरी सिर्फ साढ़े चार से पाँच कि.मी. है। इतनी दूरी तो आप एक उम्राह में तय कर लेते हैं। मक्का से मिना और मिना से मक्का सफर आप पैदल ही तय कीजिए। अगर आप पैदल चलते हैं तो यह सफर आप ३० मिनट के वक्फे में कर लेंगे। सवारी से दो से तीन घंटे भी लग सकते हैं। सवारी के मुश्किलता से वाकिफ़ सऊदी हुकुमत ने इस मुख्तसर सफर के लिए बेहतरीन सड़कें और सुरंग बनाए हैं। रास्ते में साया भी किया है और पानी का इंतजाम भी है। अगर आपका बैग पहनने वाला है और आप को कंधों पर उठाकर नहीं चलना है, तो सफर और भी आसान हो जाएगा। मिना से मक्का के लिए वापसी के पैदल सफर की एक और वजह यह भी है कि आप को १२ तारीख के मगरिब से पहले मिना से निकल जाना है अपने खेमे से, अगर आप वक्त पर पैदल रवाना हुए तो यकीन के साथ मिना से मगरिब के पहले निकल जाएंगे। बस के सफर में अगर ट्राफिक जाम हो तो कभी कभी बस या टैक्सी एक से दो घंटे जगह पर ही खड़ी रह जाती है इस लिए अगर आप सही वक्त पर भी अपने खेमे से निकलें मगर सवारी में बैठे बैठे सूरज गुरूब होने तक आप अगर मिना में रह जाते हैं तो आप का मिना में रहना अफजल होगा।

## 9. हरम के टेक्सी ड्राइवर:-

हरम के टेक्सी ड्राइवरों से अपने कयामे हरम में हिफाज़त कीजिए और टेक्सी ड्राइवरों पर कभी भी भरोसा मत कीजिए। इन में से अक्सर गैर मुस्लिम और मुज्रिमाना जहिनियत के हैं। उन के जरिए धोका देने और लूटने की अक्सर वारदातें होती हैं।

## 10. सफर से मुतअल्लिक कुछ जरूरी मादूमत:

मक्का से मदीना, मदीना से मक्का या जिददा वगैरह के सफर के बारे में जानकारी के लिए अपनी इमारतों में चिप्सा नोटिस को पढ़ें या अपने अपने मुअल्लिम के दफ्तर से खजुअ करें या अपने हिंदुस्तानी हज मिशन ब्रांच के आफिस से राबता कायम करें।

मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के तारीखी मुकामात की जियारत के लिए कई दलाल आप की इमारत या कमरे में आयेंगे। ये हर शख्स से उन मुकामात की जियारत के लिए १५ से २० रियाल या इससे भी ज़्यादा रूपये वसूल करेंगे। ये उनका मुनाफा बख़श कारोबार है।

अगर आप और कुछ हाजी मिल कर कोन्टर एक्ट वालों से राबता कायम करें, तो बसों इतने सस्ते में मिल जाती हैं के फी कसर हर शख्स को सिर्फ ५ से १० रियाल ही अदा करने पड़ेंगे।



## औरतों का जिहाद, हज है।

हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह (स.) हम जिहाद को अफज़ल समझते हैं, तो क्या हम जिहाद ना किया करें? आप (स.) ने फरमाया, तुम्हारे लिए अफज़ल जिहाद हज्जे मबरूर है। (बुखारी)



# सफरे हज में नमाज़ का बयान

- 9) पर्दे के साथ दरा और सब से अहम और मुश्किल काम जो आप को करना है, वह है खेमा में बा-जमाअत नमाज़ का इत्तेज़ाम। मिना में मस्जिद-ए-खैफ है। अगर खेमा मस्जिद से दूर हो तो वहाँ तक पाँचों वक्त पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। इस लिए खेमा में बा-जमाअत नमाज़ का एहतेमाम करें।
- 2) मिना के क़याम में इबादत के लिए अल्लाह तआला ने खास ताकीद फ़रमाई है। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं:
  - जब हज के तमाम अरकान पूरे कर चुको तो (मिना में) खुदा को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, उस से भी ज़्यादा। (सूरह बकरा आयत: 200)
  - और (मिना के क़याम) के दिनों में (जो) गिन्ती के (चंद दिन हैं) खुदा को याद करो। अगर कोई जल्दी करे (और) दो ही दिन में (चल दे) तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। और जो बाद तक ठहरा रहे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं। (सूरह बकरा)। इस लिए मिना में बहुत ज़्यादा इबादत करना चाहिए। मगर आम तौर पर लोग वहाँ सैर व तफ़रीह, बहस मुबाहिसे और फुज़ूल बातों में वक्त गंवाते रहते हैं।
- 3) मिना में तीन वजूहात की बिना पर एक जमाअत बना कर नमाज़ पढ़ना मुश्किल होता है।
  - (क) नमाज़ के वक्त पर लोगों की ना इत्तेफ़ाकी।
  - (ख) मस्लक का मसला।
  - (ग) कसर नमाज़ का मसला।

हुज़ूर (स.) का इरशाद है, कि जो मेरी एक सुन्नत जिंदा करेगा उसे 900 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा।

जमाअत बना कर नमाज़ पढ़ना हुज़ूर (स.) की सुन्नत है। इस लिए कोशिश कर के जमाअत से नमाज़ पढ़ें। और ऊपर बयान किए गए तीनों वजूहात को आड़े आने ना दें।
- 4) मिना के खेमे में पहुँचते ही पहले परदे का एहतेमाम करें। फिर तमाम लोगों को एक जगह जमा करके नमाज़ बा-जमाअत की कोशिश करें। और ऐसे शख्स को इमाम बनाएँ जिस के पीछे दूसरे मस्लक वालों को नमाज़ पढ़ने में कराहियत ना हो। (जिन हज़रात को कराहियत हो तो बाद में वह खामूशी से अपनी नमाज़ दोहरा लें, मगर हुज़ूर (स.) की जमाअत से नमाज़ पढ़ने की सुन्नत को ना छोड़ें।
- 5) चूँकि अल्लाह तआला फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला को मिना में ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। इस लिए शरीअत के दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की कोशिश करनी चाहिए। मुसाफिर की नमाज़ मुकामी इमाम के पीछे हो जाती है इस लिए कोशिश करके ऐसे शख्स को इमाम बनाया जाए जो कि मुकामी हो। इस से वह हाजी जो मुकामी हैं और जिन पर 'कसर' लाज़िम नहीं है उन्हें चारों रकअत इमाम के साथ नमाज़ पढ़ने का मौका मिलेगा और मुसाफिर हज़रात जो ज़्यादा दो रकअत नमाज़ पढ़ेंगे तो उस का उन्हें भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। (अगर सब मुसाफिर हैं तो इमाम का मुसाफिर में से इत्तेखाब करना और सब का कसर पढ़ना ज़्यादा अफ़ज़ल है।)
- 6) नमाज़ के इलावा भी ज़्यादा से ज़्यादा नफ़िल पढ़ने की कोशिश करें या कम अज़ कम नमाज़ पढ़ने की जगह पर ही 95 मिनट से आधा घंटा बैठ कर तस्बीह पढ़ते रहें। इस से दूसरों को भी इबादत करने का शौक होगा। अगर आप अपनी नमाज़ मुख़्तसर करके फ़ौरन जगह से उठ जाएँगे तो चूँकि

- नमाज़ आराम करने की जगह पर ही होती है। इस लिए इस खौफ़ से कि दूसरों को तकलीफ़ होगी हर कोई मुख़्तसर करके जगह खाली करने की कोशिश करेगा। इस लिए शरीअत जहाँ तक इजाज़त दे पूरी नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें और नफ़िल नमाज़ और तस्बीहात का भी ख़ूब एहतेमाम करें।
- 9) दो मोअज़्ज़िन और दो इमाम मुक़रर कर लें। ताके अगर एक किसी वजह से ग़ैर-हाज़िर हो तो दूसरा ज़रूर अज़ान दे सके और नमाज़ पढ़ा सके। नमाज़ का वक्त भी कागज़ पर लिखकर खेमे में लटका दें ताकी सब को हमेशा याद रहे।
- अल्लाह तआला मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करे। ईमाने कामिल अता फ़रमाए और दुनिया व आख़िरत दोनों जगह कामयाब फ़रमाए, आमीन।

## कसर नमाज़ का बयान:-

- अगर कोई अपने शहर से 95 कि. मि. दूरी के सफर का इरादा करता है तो उस शख्स का अपने शहर को छोड़ते ही मुसाफिर में शुमार होगा।
- अगर वह शख्स मंज़िल पर पहुँच कर 95 दिन से कम रहने का इरादा रखता है तो उस शख्स का दूसरे शहर में भी मुसाफिर ही में शुमार होगा। और 95 दिन से ज़्यादा रहने का इरादा हो तो फिर वह शख्स सिर्फ़ रास्ते के सफर में ही मुसाफिर होगा और मंज़िल पहुँच कर मुकामी हो जाएगा।
- मुसाफिर के लिए 4 रकअत वाली फर्ज़ नमाज़ 2 रकअत होगी। जिन्हें 'कसर' कहते हैं।
- मुसाफिर अगर सुन्नत और नफ़िल ना पढ़े तो कोई गुनाह ना होगा। अगर पढ़ लें तो उसे सुन्नत और नफ़िल के मुताबिक ही सवाब मिलेगा। (सवाब कम न होगा।)
- मुसाफिर के लिए फर्ज़ नमाज़ के इलावा फज़्र की 2 सुन्नत और इशा की 3 वित्र पढ़ना लाज़िम है।
- मुसाफिर अगर मुकामी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ता है तो उस की नमाज़ बिला कराहियत दुरुस्त होगी। और उसे इमाम के साथ पूरी नमाज़ पढ़नी होगी।
- मुकामी हज़रात अगर मुसाफिर इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं तो उन की भी नमाज़ हो जाएगी। मगर जब इमाम कसर की 2 रकअत नमाज़ पढ़ कर सलाम फेरे तो मुकामी हज़रात बग़ैर सलाम फेरे उठ कर बाकी 2 रकआत पूरी कर लें।
- मुसाफिरत के अय्याम में जब मुसाफिर तन्हा नमाज़ पढ़े तो हनफी मस्लक के मुताबिक उसे कसर नमाज़ पढ़ना लाज़िम है। जब कि दूसरे मस्लकों के मुताबिक सिर्फ़ जायज़ है, लाज़िम नहीं।
- सऊदी उलमा का मस्लक हंबली है, इस लिए सऊदी में सारी नमाज़े हनफी मस्लक के नमाज़ के वक्त से बहुत पहले पढ़ी जाती हैं। किसी भी मस्जिद में हंबली मस्लक के वक्त के मुताबिक अगर आप जमाअत से नमाज़ पढ़ते हैं तो आप की नमाज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप अकेले नमाज़ पढ़ते हैं या मिना में सारे हाजी हनफी मस्लक से हैं और अपनी अलग जमाअत बना कर नमाज़ पढ़ते हैं तो उन्हें हनफी मस्लक के मुताबिक जो नमाज़ का वक्त है उस वक्त पर नमाज़ पढ़ना चाहिए।

## मिना में क्या आप मुसाफिर हैं?

- ७८ किलोमीटर दूरी के सफर के बाद अगर आप नहीं जगह में १५ दिन से ज्यादा रोज़ रहने का इरादा करते हैं, तो आप वहाँ मुकामी होंगे मगर नए जगह पर भी अगर आप का दो मुस्तकिल जुदा-जुदा जगह पर ठहरने का इरादा है और हर एक जगह पर भी आप कयाम का इरादा १५ रोज़ से कम होगा तो आप मुसाफिर में ही शुमार होंगे।
- पहले ज़माने में मक्का मुकर्रमा एक शहर था और मिना दो पहाड़ीयों के दरम्यान एक वादी थी। दोनो जुदा-जुदा थे। मिना में आबादी न थी। या मक्का मुकर्रमा से मुसलसल आबादी का सिलसिला मिना न था। इसलिये दो अलग-अलग शुमार किए जाते थे और अगर किसी हुज्जाज कि रिहाईश मक्का मुकर्रमा में हज से पहले १५ दिन से कम होती तो वह मक्का मुकर्रमा और मिना मुज्दल्फा और अरफात में मुसाफिर ही शुमार होता था और उसे कसर पढ़ना लाज़मी होता था।
- मगर अब मिना और मुज्दल्फा का इलाका मक्का शहर में शामिल कर लिया गया है और आप खुद ही देखेंगे कि मक्का मुकर्रमा से मुसलसल ११ आबादी का सिलसिला फैला हुआ है और मिना के मुतवाज़ी पहाड़ पर रिहाईशी इमारतों की एक कतार सी है। और अजिजीया का इलाका जहाँ हिन्दुस्तानी हाजी रहते हैं। वह जमरात से बिल्कुल करीब है।
- सन २००६ इसवी में यह भी खबर मिली है कि अरफात भी मक्का मुकर्रमा शहर में शामिल कर लिया गया है, और वैसे भी हाजी अरफात में रात नहीं गुज़ारते हैं सिर्फ अरफात जाकर शाम तक वापस आते हैं।
- इसलिए अब वह हज़रात जिनका कुल कयाम १५ दिन से कम होगा सिर्फ वही मुसाफिर शुमार किए जाएंगे। वरना सब मुकामी होंगे। कुल कयाम यानी हज के अय्याम से पहले मक्का मुकर्रमा के कयाम के दिन, हज के पाँच दिन और हज के बाद मक्का मुकर्रमा में कयाम के दिन इन सब दिनों की जमा या सब दिन मिलाकर १५ दिन से कम होंगे तो हाजी मुसाफिर हैं वरना मुकामी।

## वकूफे अरफात और नमाज़:—

- मिना और मुज्दल्फा यह दोनों मुकदस मुकामात मक्का मुकर्रमा शहर में शामिल होने के बाद अब अक्सर हाजी मुकामी ही होते हैं और उन्हें नमाज़ पूरी ही पढ़नी होती है।
- अरफात में शानदार और कुशादा मस्जिद, मस्जिदें नमरा है। यहाँ ज़ोहर के वक़्त ही ज़ोहर और अस्र दोनों नमाज़ें एक साथ कसर कि तरह (दो-दो रकात करके) पढ़ी जाती है। अगर आप मुकामी हैं तो मस्जिदें नमरा में कसर नमाज़ किस तरह पढ़ें, यह अपने उल्मा से दरयाफ्त कर लें।
- मालिकी और हम्बली मसलक के मुताबिक, मुकामी और मुसाफिर सबके लिए अरफात में कसर पढ़ना जायज़ है। जब कि हनफ़ी के नज़दिक मुकामी शख्स अरफात में कसर नमाज़ नहीं पढ़ सकता, उसे पूरी नमाज़ ही पढ़नी होगी। हनफ़ी मसलक के मुताबिक मुकामी इमाम कसर नमाज़ पढ़ा ही नहीं सकता। और मस्जिदें नमरा का इमाम मुकामी होता है और कसर पढ़ता है। मगर यह मालिकी और हम्बली के नज़दीक जायज़ है।
- जिन लोगों ने बार बार हज किया है उनके तर्जुबे के मुताबिक, उनकी राय है कि अगर आप ग्रुप में हैं और आप के ग्रुप में औरते और बुढ़े हैं तो भूल कर भी मस्जिदें नमरा मत जाईयें। क्योंकि वहाँ इतनी शदीद भीड़ होती है कि नमाज़ तो दरकिनार सीधा खड़े होने या बैठने के लिए भी जगह मिलना मुश्किल होता है। और एक दुसरे से बिछड़ जाना तो यक़िनी है।
- इसलिए मिना में ६ जिल्हिज्जा कि रात या सुबह जब मुअल्लिम अपने बस से आप को अरफात में अपने खेमे पर ले जाता है तो आप उसके साथ चले जाएं। खेमें पर दोपहर का खाना मुअल्लिम कि तरफ से होगा। खेमें पर पूरे

दिन इत्मिनान से इबादत कीजिए। नमाज़ के वक़्त नमाज़ पढ़ें और बकिया वक़्त तस्बिहात में मशगुल रहें।

- हनफ़ी मसलक के मुताबिक अगर आप मस्जिदें नमरा से दूर अपने खेमें में नमाज़ पढ़ते हैं तो ज़ोहर के वक़्त ज़ोहर नमाज़ पढ़ें और अस्र के वक़्त अस्र पढ़ें दोनों का साथ मिलाकर न पढ़ें और अगर आप मुकामी हैं तो पूरी नमाज़ पढ़ें, कसर न पढ़ें।
- अरफात में भी अपने खेमे के लोगों के साथ जमात बनाकर नमाज़ पढ़ें। नमाज़ के पहले अज़ान का और जमात के पहले तकबीर का एहतेमाम करें।
- हरम शरीफ कि नमाज़ और अरफात के दिन मस्जिदें नमरा की नमाज़ रेडीओ और टिक्की पर नश्र होती है। मगर आप इन की आवाज़ पर अपने खेमें में जमात का तसव्वुर करके नमाज़ नहीं पढ़ सकते। जमात के लिए जरूरी है कि सब बन्दी हो। इकतदा के लिए जरूरी है कि इमाम और मुक्तदी के दरम्यान कोई इतना बड़ा मैदान या खाली जगह न हो जिसमें वह सफ़े कायम हो सकती है। या इतनी बड़ी सड़क न हो कि बैल गाड़ी गुज़र सकें। दरम्यान में कोई खैमा या मकान वगैरा हाइल न हों इसलिए अगर मस्जिदें नमरा कि आवाज़ आप लाउड स्पीकर पर सुन रहें हो मगर दरम्यान में फासला हो तो इस आवाज़ पर नमाज़ न पढ़ें।

## मुज्दल्फा में नमाज़:—

- अरफात में सूरज डुबने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ें बगैर आप मुज्दल्फा कुच करना है, और मुज्दल्फा पहुँचकर मगरिब और इशा दोनों नमाज़ों को जमा करके एक साथ पढ़ना चाहिए।
- अगर आप इशा की नमाज़ से पहले ही मुज्दल्फा पहुँच गए तो भी आप मगरिब की नमाज़ न पढ़ें बल्कि इशा तक इंतज़ार करें। फिर इशा का वक़्त होने पर एक अज़ान और एक तकबीर से पहले मगरिब की फर्ज़ पढ़ें। फिर इशा की फर्ज़ पढ़ें फिर इसके बाद दोनों नमाज़ों की सुन्नत, नफिल और वित्र पढ़ें।
- मुज्दल्फा में सुबह सादिक तक यह नमाज़ कज़ा में शुमार न होंगे। इसलिए जब भी मुज्दल्फा पहुँचे अगर मुमकिन हो तो जमात बनाकर नमाज़ पढ़ें और अगर जमात बनाना मुमकिन न हो तो अकेले ही नमाज़ पढ़ लें।
- फज़्र की नमाज़ का वक़्त होते ही मुज्दल्फा में तोप का गोला दागा जाता है ताकि हाजी नमाज़ का सही वक़्त मालूम कर लें।
- अगर आप ग्रुप में हैं तो मुज्दल्फा में भी सुबह सादिक के बाद फज़्र की अज़ान दें। फिर जमात बनाकर नमाज़ अदा करें और वज़ाईफ व तस्बीहात में मशगुल रहें, और सूरज निकलने से पाँच मिनट पहले मिना की तरफ कुच करें।

## नमाज़ी के सामने से गुज़रना कब जायज़ है?

- नबी करीम(स.) का इर्शाद है कि अगर कोई नमाज़ी के सामने से गुज़रने का अज़ाब जान जाये तो ४० साल खड़ा रहकर इंतज़ार करेगा। मगर सामने से न गुज़रेगा। (बुखारी-अबुदाऊद)
- कोई तवाफ करने वाला अगर नमाज़ी के सामने से तवाफ करते हुए गुज़रे तो ऐसी हालत में न तवाफ करने वाले पर गुनाह है न नमाज़ी पर।
- हन्फ़ी मसलक के मुताबिक किसी दुसरे शख्स को नमाज़ी के सामने से गुज़रने के बारे में दो कौल हैं। एक कौल में नमाज़ी के मकाम से सजदे के आगे से गुज़र सकते हैं। और दुसरे कौल में नमाज़ी से दो सफ आगे से गुज़र सकते हैं। दो सफ के मानी हैं एक नमाज़ी की सफ और एक उससे आगे की सफ। बड़ी मस्जिदों के लिए यहीं हुक्म है।
- मस्जिदें नबवी (स.) और मस्जिदें हराम में हज के दिनों में इतनी भीड़ होती

हैं कि नमाज़ी के सामने से गुज़रने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। इन हालात में अपनी तरफ से पुरी कोशिश करें कि दुसरें कौल पर अमल हों और अगर वह नामुम्किन हो तब ही पहले कौल पर अमल करें यानी नमाज़ी के मुकाम सजदे के आगे से गुज़रें।

- मस्जिदें नबवी(स.) और मस्जिदे खैफ के बाहर लोग फर्ज नमाज़ों के लिए इस तरह सब बंदी करतें हैं कि सफ इमाम से आगे बना लेते हैं। अगर मुक्तदी इमाम से आगे हो जायें तो मुक्तदी की नमाज़ नहीं होगी।

### जमात की रहमियत:-

हज़रत इब्ने मसूद (रजी.) से रिवायत है कि उन्होंने फर्माया: जिस शख्स को इसका शौक हो कि वह कयामत के दिन मुसलमान की तरह अल्लाह के सामने पेश हो वह पाँचों वक़्त की नमाज़ उस मस्जिद में जहाँ अज़ान दी जाती है बाजमात अदा करें। अल्लाह तआला ने तुम्हारे नबी को जो तरीका हिदायत अता फर्माया है उसमें पाँचों नमाज़ें बाजमात पढ़ना भी शामिल हैं तो अगर तुमने अपने घरों में पढ़ली जैसा यह पीछे रह जाने वाला अपने घर में पढ़ता है तो बेशक तुमने अपने नबी (स.) की सुन्नत तर्क कर दी, और तुमने अपने नबी (स.) की सुन्नत तर्क कर दी तो तुम गुमराह हो गये। हमने किसी सहाबी को जमात से गैर हाज़िर होते नहीं देखा, जमात से वहीं शख्स गैर हाज़िर होता था जो खुला हुआ मुनाफिक होता था, बीमार भी दो आदमीयों के सहारों से आकर सफ में शामिल हो जाते थे। (मुस्लिम)

### नमाज़ के लिए ममनु औकात:-

ऐन तुलु अफताब, ऐन ज़वाल अफताब, ऐन गुरुब अफताब में इन वक्तों पर नमाज़ होती ही नहीं है। चाहे आप अपने वतन में हो या हरम शरीफ में।

- अगर आप नफिल नमाज़ शुरू करके नीयत तोड़ दें तो वह नफिल नमाज़ आप के लिए वाजिब हो जाती है। जिसे आपको दोबारा पढ़ना लाज़मी है। अगर “नफिल नमाज़ ही तो थी” ऐसा कहकर छोड़ देंगे और दोहराएंगे नहीं तो गुनाहगार होंगे।

- इसी तरह तवाफ के बाद दो रकअत नफिल अगर आपने ममनु औकात में पढ़ा है तो पहले तो वह नमाज़ नहीं होगी। इसीलिए आपका तवाफ, बगैर नमाज़ के अधुरा ही रहा। फिर अगर आपने नमाज़ दोहराया नहीं तो गुनाहगार भी होंगे। इसलिए हरम में ममनु नमाज़ के औकात का खास ख्याल रखें।
- मस्जिदे हराम में मुकामें इब्राहीम पर नमाज़ पढ़ना अफज़ल है। मगर यह मुकाम अब तवाफ करने वालों के रास्ते के बिल्कुल दरम्यान है। इसीलिए अगर इस मुकाम पर कोई नमाज़ के लिए खड़ा हो जाए तो तवाफ करने वालों को सख्त तकलीफ होती है। मुसलमानों को तकलीफ देना हराम है। इसलिए अफज़ल काम करने कि जुस्तजु में हराम काम करने से बचे।
- मुकामें इब्राहीम पहले खाना काबा से बिल्कुल करीब ७ फिट की दूरी पर था। जब मुसलमानों की तादात बढ़ी और तवाफ करने वाले ज्यादा हो गये तो इस मुकाम पर नमाज़ पढ़ने वालों से तवाफ करने वालों को तकलीफ होने लगी। तवाफ करनेवालों कि आसानी के लिए हज़रत उमर (रजी.) ने मुकामें इब्राहीम को हटाकर खाने काबा से ४६ फिट दूरी पर कर दिया।  
(फतेह अलबारी, शरह अल हदिस ७७८२)
- सारी नसीहतों को नज़र अंदाज करके अगर आप मुकामें इब्राहीम पर नमाज़ पढ़ने के लिए बज़ीद हैं तो यह बात याद रखें कि अब यह इस मुकाम पर नहीं है जिस मुकाम का जिक्र है। वह मुकाम तो खाने काबा के बिल्कुल करीब था। और दुसरी बात यह याद रखें की अमीरुल मोमीनीन हज़रत उमर (रजी.) ने जिस काम को रूकावट समझा और उस मुबारक पत्थर उसकि मुबारक जगह से हटा दिया। आज आप खुद ही रूकावट बनने के लिए वज़ीद हैं। इसीलिए तवाफ करने वालों का ख्याल रखें और इतना पीछे हटकर नमाज़ पढ़ें कि आपसे किसी को कोई परेशानी न हो।



## नमाजे जनाजा

हज के अय्याम में जो हाजी इन्तेकाल कर जाते है उनको दफनाने की जिम्मेदारी हुकुमत की होती है। वह मय्यत को नहलाकर कफन पहनाकर हरम शरीफ में लाते है। फर्ज नमाज के बाद उनकी नमाजे जनाजा पढी जाती है फिर उन्हें दफनाया जाता है। चुंके हज के अय्याम में तकरीबन हर फर्ज नमाज के बाद नमाजे जनाजा पढी जाती है। इसलिए हम उसका तरीका मुख्तसर तौर पर यहां बयान करते है।

नमाजे जनाजा:- यह नमाज सिर्फ खड़े रहकर पढी जाती है। और उसमें चार तकबीरे होती है। उसके पढने का तरीका इस तरह है।

- नमाज का ऐलान होने के साथ नमाजे जनाजा की नियत कर ले। नियत इस तरह है। नियत की मैंने नमाजे जनाजा की पीछे इस इमाम के दुआ वास्ते उस मयत के अगर आप सिर्फ दिल में नमाजे जनाजा पढने की नियत भी करेंगे तो नियत हो जाएगी जबान से कहने की जरूरत नहीं है।
- जब इमाम अल्लाह हु अकबर कहे तो कानो तक हाथ उठाकर नमाज की तरह हाथ बांध ले और सना पढ़े।

- जब दूसरी बार इमार अल्लाहू अकबर कहें तो बगैर हाथ उठाए दरूदे इब्राहीम पढ़े। (वह दरूद जो नमाज पढी जाती है।)
- जब तिसरी मरतबा इमाम अल्लाहू अकबर कहे तो बगैर हाथ उठाए जनाजे की नमाज में पढी जाने वाली दुआ पढ़े अगर याद ना हो तो सिर्फ इतना पढ़े।

• اٰغُوْزِلِيْ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ

- तर्जुमा:- “ए अल्लाह! मोमिन मर्द और औरतों को बख्श दे।”
- जब इमाम चौथी मरतबा अल्लाहू अकबर कहे तो हाथ छोड़ दें और सलाम फेर लें। शाहफई, हम्बली और अहले हदीस हजरात हर तकबीर पर हाथ उठाते है और पहली तकबीर के बाद सूरह हम्द पढ़ते है। जबकी हम्बली हजरात पहली तकबीर के बाद सना पढते है। और सिर्फ एक बार शुरू में हाथ उठाते है। हरम के इमाम हम्बली मस्लक के है वह सिर्फ एक तरफ सलाम फेरते है। हन्फ्री हजरात दूसरी तरफ भी खुदसे सलाम फेर ले।

# मस्लक का मसला

- रिवायात में है कि बनी इस्राईल में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अल्लाह तआला से दुआ कि के या अल्लाह! तु मुझे दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद कर दे, ताकि मैं शब व रोज़ तेरी इबादत किया करूँ। अल्लाह तआला ने उनकी सुन ली। उन को एक जज़ीरा पर पहुँचा दिया। जज़ीरा पर एक अनार का पेड़ उगा दिया और एक चश्मा जारी कर दिया। वह बुजुर्ग रोज़ एक अनार खाते, चश्मा का पानी पीते और शब व रोज़ खुदा की इबादत में मशगूल रहते।

अपनी पाँच सौ साल की उम्र में वह बग़ैर गुनाह किये मुसल्लस इबादत करते रहे। उन की वफ़ात के बाद जब फ़रिशतों ने उन्हें खुदा के हुजुर पेश किया तो अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि जा मैंने तुझे अपने फ़ज़ल से बख़्श दिया।

बुजुर्ग को बड़ा अजीब सा लगा और उन के दिल में एक गुमान सा गुज़रा कि मेरी बख़्शिश के लिए तो मेरी पाँच सौ साल की इबादत सबब है। अल्लाह तआला ने अपने फ़ज़ल से मुझे कैसे बख़्शा?

अल्लाह तआला तो दिलों की बात भी जानता है। उस ने फ़रिशतों को हुक्म दिया कि उन्हें जन्मत में ले जाओ, मगर पैदल।

जन्मत का रास्ता जहन्नम के ऊपर से हो कर गुज़रता है। पुने सिरात जो कि जहन्नम के ऊपर है उस पर से हर एक को पार होना है। अल्लाह के नेक बंदे इस पुल से बिजली की तेज़ी से गुज़र जाएंगे, मगर जो नेक नहीं उन्हें मुश्किल होगी।

जब फ़रिशते बनी इस्राईल के बुजुर्ग को पैदल जन्मत के तरफ़ ले कर चले तो जैसे जैसे जहन्नम नज़दीक आती गई गर्मी की शिद्दत बढ़ती गई। बुजुर्ग को प्यास लगी और गला सूखने लगा। जब और करीब पहुँचे तो प्यास की शिद्दत इस क़दर बढ़ी कि बर्दाश्त से बाहर हो गई। इस वक़्त एक हाथ नमूदार हुआ। उस हाथ में एक का ग्लास पानी था। उस ने बुजुर्ग से कहा यह पानी ख़रीदना चाहते हो, तो ख़रीद लो। बुजुर्ग की प्यास से जान जा रही थी। पूंछ कितने में दोगे? आवाज़ आई, पाँच सौ साल की इबादत के बदले। बुजुर्ग के पास पाँच सौ साल की इबादत तो थी ही, फ़ौरन इबादत दे कर पानी ख़रीद लिया और पी लिया।

जब फ़रिशतों ने बुजुर्ग की नेकियों के ख़रीरे को ख़ाली पाया तो जन्मत का सफ़र रोक दिया और वापस खुदा के हुजुर में पेश किया।

अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि मैंने तुम्हें ज़िन्दगी के हर फ़िक्र से आज़ाद किये रखा और पाँच सौ साल तक शब-व-रोज़ खाना खिलाता रहा, पानी पिलाता रहा और सारी ज़रूरतें पूरी की। तुम ने पानी के एक गिलास की किमत पाँच सौ साल की इबादत तय की है। अब मैंने जो पाँच सौ साल तक तुम पर एहसानात किये और अपनी नेमतें अता कीं, उस का तुम ने कैसे शुक्र अदा किया, उस का हिसाब दो।

बनी इस्राईल के बुजुर्ग सिजदे में गिर गए। तौबा किया और फ़रमाया:

“ऐ अल्लाह, बेशक तु जिसे अपने फ़ज़ल से बख़्श देगा सिर्फ़ वही जन्मत में जाएगा।”

- हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर (रज़ी.) का बयान है कि नबी करीम (स.) ने फ़रमाया जो शख्स सुब्हान अल्लाह कहेगा तो उसके नामें अमाल में एक लाख नेकिया लिखी जाएगी। तो किसी ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसुल! (स.) उसके बाद हम लोग किस तरह जहन्नम में जाएंगे? आप (स.) ने फ़रमाया “क़सम हैं उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान हैं, आदमी क़यामत के दिन इतने आमाल लेकर आयेगा कि अगर वह किसी पहाड़ पर रख दिए जाए तो पहाड़ भी न उठा सके लेकिन उसका जब मुकाबला होगा अल्लाह की किसी नेअमत्

से तो यह नेअमत् इसके सारे आमाल पर भारी होगी।” (इसलिए नेक आमाल पर किसी को ग़ुस्तर नहीं होना चाहिए। अल्लाह तआला की रहमत और उसके फ़ज़ल व ऐहसान ही के नतीजें में जन्मत मिल सकेगी।) (तिबरानी)

- हज़रत उमर फ़ारुक़ (रज़ी.) का कौल है कि अगर अल्लाह तआला मुझे जहन्नम की सज़ा देगा तो ये उस का अद्ल (इंसाफ़) होगा और अगर मुझे जन्मत अता करेगा तो ये उस का फ़ज़ल होगा।

- नबी-ए-करीम (स.) फ़र्माते हैं:

لَنْ يَنْجِي أَحَدٌ كَمِ عَمَلِهِ  
وَلَا نَت يَارَسُو اللَّهَ  
لَا آتَانِ يَتَغَمَدُنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ

तर्जुमा : तुम में किसी को किसी का अमल निजात नहीं दिलाएगा बल्कि अल्लाह का फ़ज़ल निजात दिलाएगा।

हज़रत आईशा (रज़ी.) ने सवाल किया : या रसुल अल्लाह (स.) के आपका अमल भी आप को निजात नहीं दिलाएगा?

नबी अकरम (स.) ने फ़रमाया मुझे भी मेरा अमल निजात नहीं दिलाएगा। जबतक अल्लाह ही का फ़ज़ल दस्तगीरी न करें और मुझे अपनी रहमत में न ढ़ाप लें। मेरा अमल भी निजात दिलाने वाला नहीं है। फ़ज़ल खुदा वन्दा ही निजात दिलाने वाला है। (मिशक़ात)

- नमाज़ के लिए पाकी शर्त है। अगर मामुली सी भी गंदगी कपड़ों में या जिस्म में लगी हो तो नमाज़ नहीं होती। आप हालते जनाबत में हों, गंदगी आप के जिस्म और कपड़ों पर लगी हो और पानी मुयस्सर न हो तो अल्लाह तआला फ़रमाता है कि तैयमुम कर के नमाज़ पढ़ लो। (अल्निसा : ४३)

तैयमुम में मिट्टी पर हाथ मार कर चेहरे और हाथ का मसह करना होता है। क्या सिर्फ़ मिट्टी से मसह करने से गंदगी दूर हो जाती है? नहीं ये सिर्फ़ एक फ़ार्मलीटी (अमल) है। असल में अल्लाह तआला आप की नीयत, आप का खुलूस, और आप की कोशिश देखते हैं और इसी के बिना पर ऐसी इबादत जो कि क़बूल करने लायक भी नहीं क़बूल कर लेते हैं।

अल्लाह तआला सारी कायनात के ख़ालिफ़ व मालिक हैं। उन्हें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं और न किसी को अपने किये का हिसाब देना है। वह जैसा चाहें वैसा करें।

- वह आलिम जो सारी दुनिया पर उंगली उठाते हैं और अपना मस्लक छोड़ कर बाकी हर एक मस्लक को ग़लत बताते हैं। जाइए उन से ज़रा कहिये कि “हज़रत, आप अच्छी तरह पाक हो जाइये, खाना काबा में जाइए और पूरी तवज़्जह और खुलूस के साथ नमाज़ पढ़िये और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद गारंटी दीजिये के अल्लाह तआला आप की उस नमाज़ और इबादत को ज़रूर क़बूल करेंगे।

दुनिया का कोई इंसान खुद अपनी इबादत की गारंटी नहीं दे सकता वह दुसरों की इबादत की गारंटी कैसे दे सकता है कि अल्लाह तआला उस की इबादत नहीं क़बूल करेंगे?”

- ख़िलाफ़ते अब्बासिया में शिया-सुन्नी के इख़्तेलाफ़ का ज़ोर इस क़दर था कि इसी में ख़िलाफ़त का ख़ात्मा हो गया। मगर वहाँ के भीख मंगे फ़कीरों का धंदा बहुत ज़ोरों पर था और इन की कमाई उरुज पर थी। फ़कीरों का एक गिरोह दरिया-ए-दजला के पुल के एक किनारे पर होता और उन का दुसरा गिरोह दुसरे किनारे पर होता। ये पुल बीच शहर में वाके था।

एक गिरोह हज़रत अली (रज़ी.) और अहले बैत के मुनाकिब गाता था। दुसरा गिरोह हज़रत अबुबकर (रज़ी.), हज़रत उमर (रज़ी.) के फ़जाइल में नग़मा सुरा होता था और शिया सुन्नी गुज़रने वाले दोनों गिरोहों को खूब-खूब नवाज़ते थे और नक़दी से उन की हिम्मत अफ़जाई करते। इसी तरह फ़कीरों के दोनों गिरोह सुबह से शाम तक बड़ी बड़ी रक़म जमा कर लेते और रात को यक़जा होकर आपस में बाँट लेते थे।

- कयामत के दिन सबसे पहले आलिम अल्लाह तआला के सामने पेश होंगे। अल्लाह तआला फ़र्माएगा कि ऐ मेरे बन्दे मैंने तुझे दिन का इल्म दिया था बता तुने मेरे एहसान का कैसे शुक्रिया अदा किया?

आलिम कहेगा कि ऐ अल्लाह मैंने तेरे दिए हुए इल्म को दिन रात तेरे बंदो तक पहुँचाया है।

अल्लाह तआला कहेगा, तू झूट कहता है। फ़रिश्ते भी इसके झूटे होने की गवाही देंगे। अल्लाह तआला फ़र्माएगा तू इसलिए तक्ररीर करता था कि लोग तेरी तारीफ़ करें और यकीनन दुनिया में तेरी तारीफ़ हो चुकी और तुझे तेरे काम का बदला मिल चुका।

फिर उस आलिम को घसीटकर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इस हदीस में आगे शौहदा और अमीर के लिए इसी तरह के फ़ैसलों का बयान है। (मुस्लिम)

तो कयामत के दिन वह लोग जो सबसे पहले जहन्नुम में जाएँगे वह आलिम ही होंगे।

- मुसलमानों के बाहमी इख़्तेलाफ़ात से फ़ायदा उठाने वाले बग़दाद के भीख मागने वाले ही नहीं थे बल्कि आज भी इन की तरकीब से फ़ायदा उठाने वाले बरेलवी, देवबंदी, अहीले हदीस, शिया, सुन्नी और मुसलमानों के दूसरे इख़्तेलाफ़ी नज़रियात से फ़ायदा उठाने वाले आलिम हमारे बीच में मौजूद हैं।

- नबी करीम (स.) ने फ़रमाया, अगर तुम हक़ पर हो फिर भी बहस व मुवाहसे में न पड़ो तो मैं तुमको जन्नत के करीब एक घर की ग़रंटी देता हूँ। (अबुदाऊद)

इस हदीस और ऐसी बहुत सारे अहदादीस और कुरआनी आयात के जानने के बावजूद हज़ारों आलिम आप को ऐसे मिलेंगे जिनकी ज़िदगी का मक़सद ही दुसरे मसलकों पर कीचड़ उछालना और बुरा भला कहना है। एक हदीस के मुताबिक़ जिस की रावी हज़रत अबु दरदा है जो किताब अहमद में दर्ज है। (मुंतख़ीब अबवाब सफ़ा 992)

अल्लाह तआला ने बहुत सारे इन्सानों को सिर्फ़ जहन्नुम के लिए ही पैदा किया है इसलिए इन इख़्तेलाफ़ी उलमा को अपने तर्जुअमल पर गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं वह इन्हीं लोगों जैसे काम तो नहीं कर रहे हैं, जिनका जहन्नुम में जाना यकीनी है।

बुजुर्गों और दोस्तों! अल्लाह के लिए इनसे होशियार रहें और इनकी इख़्तीलाफ़ी बातों पर यकीन मत कीजिए क्योंकि यह अपने ज़ाती इज़्ज़त व शौहरत और फ़ायदे के लिए लोगों को आपस में लड़ाते हैं।

- मजबूरी में जैसे गंदगी लगी होने के बावजूद तैयमूम कर के नमाज़ पढ़ी जा सकती है। इसी तरह की मजबूरी से सफ़र हज़ में आप दो चार होंगे। आप मजबूर हैं कि न आप हरम शरीफ़ के इमाम को बदल सकते हैं और न इस का मस्लक। अल्लाह और अल्लाह के रसूल (स.) का हुक्म है कि नमाज़ जमाअत से मस्जिद में पढ़ी जाए और अज़ान सुनने के बाद बग़ैर शरई मजबूरी के घर में नमाज़ नहीं होती। इस लिए खुदा के इस हुक्म को मानते हुए हरम शरीफ़ में जमाअत से ही नमाज़ पढ़ें। अल्लाह तआला आप की कोशिश आप की नियत और आप का खुलूस देखते हुए इंशा अल्लाह उसे न कबूल करने के लायक होगी तो भी कबूल फ़र्माएँगे। आमीन। और वैसे भी अल्लाह तआला खुलूस ही देखते हैं और मग़फ़िरत अपने फ़ज़ल से फ़रमाते हैं।

- आप नफ़रत के ज़ब्बे से अलग अकेले या जमाअत बना कर नमाज़ पढ़ते रहे तो जब बनी इस्राईल के बुजुर्ग पाँच सौ साल की इबादत के बल बुते पर भी जन्नत न हासिल कर सके तो क्या आप अपने घमंड में सहीउल्अक़ीदा इमाम के पीछे या अकेले सिर्फ़ कुछ साल की ज़िन्दगी की इबादत के बल बुते पर जन्नत हासिल कर लेंगे?

- बुजुर्गों और दोस्तों, हरम शरीफ़ में एक नमाज़ का सवाब एक लाख नमाज़ों के बराबर है और वही नमाज़ अगर जमाअत के साथ अदा करेंगे तो २७ लाख नमाज़ का सवाब मिलेगा।

इस लिए अल्लाह के वास्ते इस हज़ के मुक़द्दस सफ़र में मस्लक के इख़्तेलाफ़ात से बाहर आ जाएँ और कोशिश करें कि आप हर नमाज़ हरम शरीफ़ ही में पढ़ें और वह भी जमाअत के साथ।

- अगर उलमा का बयान सुन सुन कर आप का ज़हन ऐसा हो गया है कि जमाअत से नमाज़ पढ़ने में आप को कराहियत महसूस हाती है तो अपनी नमाज़ बाद में दोहरा लें। मगर जमाअत से नमाज़ पढ़ कर २७ लाख गुना सवाब ज़रूर हासिल करें, वरना यह आप की ज़िदगी की एक बहुत बड़ी महरूमि होगी।

अल्लाह तआला आप की हर इबादत को कबूल फ़रमाए, आप की हर जाइज़ दुआ को कबूल फ़र्माए और हजे मबरूर अता फ़रमाए। आमीन।



## मअज़ूर की तरफ़ से हज़

हज़रत इब्न अब्बास रज़ि० से रिवायत है,के एक औरत ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह (स०), अल्लाह तआला ने अपने बन्दों पर हज़ फ़र्ज़ किया मेरे बाप पर ऐसे ज़माने में फ़र्ज़ हुआ के वह बिल्कुल बूढ़े हो गये,सवारी पर ठहर नहीं सेकते,तो क्या मैं उनकी तरफ़ से हज़ कर सकती हूँ...? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया...हां, (बुख़ारी,मुस्लिम)

हज़रत लूकित बिन आमिर से रिवायत है,के वह नबी करीम स०की खिदमत में हाज़िर हुए और फ़रमाया या रसूल अल्लाह मेरे बाप बहुत बूढ़े हैं ना हज़ कर सकते हैं ना उम्मा और ना ही चल सकते हैं,और ना ही सवार होने की क़ुव्वत ही रखते हैं,तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायायके तुम अपने बाप की तरफ़ से हज़ बैतुल्लाह व उम्मा कर सकते हो। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

## तवाफ़ के फ़जाइल

अल्लाह ताला कुरआन शरीफ़ में फ़र्माते हैं “इस क़दीम घर का तवाफ़ करना चाहिये। (कुरआन मजीद, सूरह अल-हज़-२६)

रसूल अल्लाह (स.) ने फ़र्माया जो बैतुल्लाह का तवाफ़ करे और दो रक़त नमाज़ पढ़े, इस को एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा।

(इब्न माजा किताबुलमुनासिक़ बाब फ़रुत्तुल्लाह २६-५६)

आप (स.) का इरशाद है के जिस ने बैतुल्लाह शरीफ़ का सात बार तवाफ़ किया तो अल्लाह ताला हर हर क़दम पर इस के गुनाह को माफ़ फ़र्माते हैं और हर हर क़दम पर नेकी लिखते हैं और हर हर क़दम पर एक दर्जा बुलंद करते हैं। (इब्न ख़रीमा - इब्न हबान)

## रिज़क़ में बर्क़त

हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद (रज़ी) से रिवायत है, रसूल अल्लाह (स.) ने इर्शाद फ़र्माया कि, हज़ और उमरा पे दर पे किया करो क्यों कि हज़ और उमरा दोनों फ़क़ व मोहताजी और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह लोहार और सोनार की भट्टी लोहे और सोने चॉन्दी का मैल कुचैल दूर कर देती है। और हज़ मबरूर का सिला और सवाब तो बस जन्नत ही है। (जामा तिर्मिज़ी, निसाई)

# रमी जमार

- मिना वह वादी है जहाँ से हज़रत इब्राहीम (अ.) ने हज़रत इस्माईल (अ.) को ले कर ज़िबह करने के लिए गुज़रे थे और तीन जम्रात वह मुकाम है, जहाँ शैतान ने इन हज़रात को बहकाने की कोशिश की थी और जवाब में धुतकारा गया। शैतान उस वक़्त भी ज़लील हुआ था और हज़रत इब्राहीम (अ.) की सुन्नत अदा करके शैतान को कंकरी मार कर हाजी आज भी उसे ज़लील करते हैं।
- जिस जगह हज़रत इब्राहीम (अ.) ने शैतान को कंकरियां मारी थीं, उस जगह की निशान दही के लिए सुतून खड़े किये गए हैं। इन खम्बों में शैतान नहीं है, न ही इन खम्बों को ही कंकरी मारना है, बल्कि असल कंकरी मारने की जगह इन खम्बों की बुनियाद या जड़ है। जम्ह इसी जड़ या बुनियाद को कहा जाता है। इस लिए आप की कंकरी या सीधे खम्बों की जड़ के पास गिरे या खम्बों से टकरा कर अहाते के बाहर जा गिरी तो आप की वह कंकरी बेकार होगी। इसे गिना नहीं जाएगा। इस के बदले आप को एक और कंकरी मारनी है और अगर आप ने इस की जगह दूसरी कंकरी नहीं मारी तो आप का रमी का रुक्न अधूरा रहा।
- छोटे पत्थरों (कंकरीयों) के फेंकने को अरबी में रमी जमार कहते हैं। (रमी यानी फेंकना, जमार यानी पत्थर की छोटी कंकरीया)।
- रमी जमार हज का वाज़िब रुक्न है और उसके तर्क करने पर हज़ हो जाएगा मगर दम देना लाज़िम होगा।
- जम्ह के नज़दीक कंकरीया चुनना या नापाक जगह से कंकरीया लेना मकरूह है। कंकरीयों को मारने से पहले धो लेना मुस्तहब है। (लाजमी नहीं है)
- हर जम्ह को ७ कंकरीया मारी जाती हैं। अलाहिदा अलाहिदा मारना ज़रूरी है। अगर एक से ज़्यादा या सातों एक ही दफा मारें तो एक ही कंकरी शुमार कि जाएगी अगर अलग अलग गिरी हो। इस लिए बाकी गिनती पूरा करना ज़रूरी होगा।
- ७ कंकरीयों से ज़ायद मारना मकरूह है। शक हो जाने की वजह से ज़्यादा मारे तो कोई हर्ज नहीं।
- अगर किसी ने एक दिन चार कंकरीया कम मारी हो या तीनों दिन मिलाकर ११ कंकरीया कम मारी हो या एक दिन रमी जमार तर्क कर दिया हो या तीनों दिन रमी जमार तर्क कर दिया हो। इन चारों गलतियों में से अगर आप सिर्फ एक गलती करें या चारों गलती करें आप को सिर्फ एक ही दम देना होगा।
- अगर १० वी जिल्हज्जा के दिन ३ या इससे कम कंकरीया न मार सके और बाकी दिनों की रमी में से १० या उससे कम कंकरीया न मार सके। (मारने से रह गये) तो जितनी कंकरीया कम मारे उतना सदका देना होगा। (सदका की मिकदार फित्रे के बराबर यानी पौने दो किलो गेंहू है) यानी अगर किसी ने दो कंकरीया कम मारी है तो उसे दो सदका यानी साढ़े तीन किलो गेंहू सदका करना होगा।
- जम्ह से पांच हाथ की दूरी से कंकरी मारना सुन्नत है। इससे ज़्यादा दूर से भी मार सकते हैं मगर और करीब से मारना मकरूह है।
- कंकरी पकड़ने का कोई खास तरीका नहीं है। लेकिन अगुटे और ऊंगली से पकड़ना मुस्तहब है और रमी के लिए हाथ इतना ऊँचा करना भी मुस्तहब है कि बगल खुल जाए।
- कंकरी मारते वक़्त सिर्फ एक कंकरी एक बार में मारें। कंकरी मारने से पहले

यह पढ़ें:

بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ، رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَرِضَى لِلرَّحْمَانِ

“बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अक्बर। रगु-मन लिशैतानि व रज़ियन लिर्हमान।”  
तर्जुमा : मैं अल्लाह तआला के नाम से शुरू करता हूँ। अल्लाह सब से बड़ा है। यह कंकरी शैतान को ज़लील करने और अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए मारता हूँ।

ऊपर लिखी दुआ में अगर अल्फाज़ में फेर बदल हो जाएगा तो गुनाह होगा। इस लिए बेहतर है आप अपनी जुबान में कहें कि मैं शैतान को ज़लील करने और अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए मारता हूँ और फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अक्बर कह कर कंकरी मारें। कंकरी का एहाते में गिरना ज़रूरी है। एक कंकरी एक ही बार में मारें। अगर आप ने एक से ज़्यादा कंकरी एक बार में मारी तो वह एक ही गिनी जाएगी।

- १० जिल्हज्जा को सिर्फ बड़े शैतान (जम्ह उक्बा) को सात सात कंकरीयां मारना है और पहली कंकरी मारते हुए तलबिया पढ़ना बंद कर दें। ११, १२, १३ जिल्हज्जा को तीनों जुम्मे पर रमी करना है। पहले छोटे शैतान को फिर दरम्यानी शैतान को और आखिर में बड़े जम्ह को इसी तरीक़ा से रमी करना सुन्नत है।
- रमी में कंकरीया पे दर पे मारना मसनून है। एक के बाद दूसरी कंकरीयां मारने में ताख़ीर करना मकरूह है। इसी तरह एक जुम्ह पर रमी के बाद दूसरे जम्ह पर रमी में दुआ के इलावा, बिला वजह ताख़ीर करना मकरूह है।
- जम्ह ऊला (छोटा शैतान) और जम्ह वस्ता (दरमियानी शैतान) पर रमी के बाद क़िब्ला रूख हो कर देर तक दुआ मांगना सुन्नत है, और यह दोनों मुकामात दुआओं की क़बूलियत के खुसूसी मुकामात में से हैं, इस लिए यहाँ रुक कर कम अज़ कम इतनी देर रुक कर दुआ करें जितनी देर में २० आयतें पढ़ी जा सकती हैं। (सुरे: बकरा पढ़ने में जितना वक़्त दरकार है, नबी करीम (स.) उतनी देर रुक कर दुआएं माँगी थी)
- जम्ह उक्बा (बड़ा शैतान) के रमी के बाद किसी भी दिन दुआ के लिये ठहरना सुन्नत नहीं है।
- रमी करते वक़्त किसी खास रूख की तरफ मुँह करके खड़े होने की कोई शर्त नहीं है। आप हर सिमत से रमी कर सकते हैं। १०, जिल्हज्जा को जब नबी करीम(स.) ने जम्ह उक्बा का रमी किया था, उस वक़्त आप की दाहिनी तरफ मिना और बायीं तरफ मक्का मुकर्रमा था। इसलिए इस रूख पर खड़े होकर रमी करना सुन्नत है। (मुअल्लिमुल हुज्जाज)
- एक कंकरी के फ़ौरन बाद दूसरी कंकरी मारना और एक जम्ह पर रमी बिला ताख़ीर रमी करना सुन्नते मुअकिदह है। इसलिए अगर कोई अपनी रमी जमार के बाद किसी और का भी रमी जमार करना चाहता है, तो अफ़ज़ल यह है, कि पहले तीनों जम्रात पर अपनी रमी पूरी कर लें, फिर दूसरों की रमी शुरू से करें। मगर अब यह मुफ़्किन नहीं क्योंकि ऐसा करने के लिए कई किलो मीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। इस लिए अब जम्रात पर पहले अपनी कंकरीयां मारें फिर दूसरों शख्स की तरफ से कंकरीयां मारें।
- शरिअत के मुताबिक १० जिल्हज्जा को रमी जुमार का अफ़ज़ल वक़्त तुलूअे आफ़ताब से ज़वाले आफ़ताब तक है और ११, १२, १३ तारीख़ को ज़वाल से ले कर गुरुबे आफ़ताब तक है। मुबाहे वक़्त १० तारीख़ को ज़वाल से गुरुबे

आफ़ताब तक और ११,१२,१३ तारीख को गुरुबे आफ़ताब से सुबह सादिक तक है।

- हर साल करीब ३५ से ४० लाख हाजी हज करते हैं और इतने लोगों का एक अफ़ज़ल वक़्त पर एक ही जगह जमा होना हर साल किसी न किसी हादसे की वजह बनता है और कीमती जानें जाया होती हैं। हदीस शरीफ़ के मुताबिक़ मुसलमान का मुसलमान को नुक़सान पहुँचाना हराम है और अफ़ज़ल वक़्त पर रमी जुमार करना सिर्फ़ अफ़ज़ल है। इसलिए उल्मा ने फ़त्वा दिया है कि अफ़ज़ल काम करने की जुस्तजू में हराम काम न करें और अफ़ज़ल वक़्त जुमार करने की बजाए मुबाहे वक़्त (जो के हर तरह से बिला कराहियत जायज़ है।) पर रमी जुमार करें उल्मा की इन नसीहतों पर अमल करना हर समझदार मुसलमान के लिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग अफ़ज़ल वक़्त पर हर हाल में ज़रूर जमा होंगे, इसलिए समझदार हज़रात इस मुक़ाम से अफ़ज़ल वक़्त में दूर रहकर भीड़ को कम करने में मदद करें और हादसात को टालने में मदद करें। इस नीयत और खुलूस पर अल्लाह तअला और ज़्यादा अज़र देगा (इन्शा अल्लाह)
- औरतों, बूढ़ों और कमज़ोरों के लिए कराहियत कंकरी मारने का वक़्त सुबह सादिक तक, इस फ़तवा के पहले भी था और अब तो सब के लिए है।
- रमी जुमार जाने से पहले अपने एहराम की चादर कसैं और अच्छी तरह से लपेट लें। कोई सामान या बैग वगैरह हरगिज़ न लें। कोई ऐसा कपड़ा न पहने जिसके दुसरों के कदमों के नीचे दबने का ख़तरा हो। भीड़ में अगर आप की चादर या ओढ़नी या बैग किसी के कदमों के नीचे दब गया, तो उसे फ़ौरन अपने से जुदा कर दें। झुककर या बैठकर कोई चीज़ निकालने या उठाने की हरगिज़ कोशिश न करें वरना जान का ख़तरा है।
- जब ज़मात के करीब पहुँचे, तो दायें और बायें होकर ज़रा आगे बढ़ जायें और आख़िरी सिर से कंकरी मारें क्योंकि जोशीले लोग ज़मात के करीब पहुँचते ही कंकरी मारने लगते हैं, इसलिए पहले सिर पर बहुत अफ़रा तफ़री होती है।
- बहुत सारे तंदुरुस्त लोग खुद कंकरी मारने के बदले किसी और को अपना वकील बना कर कंकरी मारने के लिए मुकर्रर करते हैं। यह ग़लत तरीक़ा है और इस से हज का रुकन अदा नहीं होगा। वकील के ज़रिये उसी की कंकरी मारना दुरुस्त होगी जो शरई तौर पर माज़ूर है। जो खड़े रह कर नमाज़ पढ़ सकता है और चल फिर सकता है उन्हें खुद कंकरी मारना लाज़िम है। वरना दम देना होगा।
- मुज़दल्फ़ा से सीधे ज़मात की रमी के लिए सामान वगैरह ले कर नहीं जाना चाहिए बल्कि पहले अपने ख़ेमों में जायें फिर वहाँ से रमी ज़मात करने के लिए जायें।
- हर मुल्क के लिए रमी ज़मात के अलग अलग औकात हुकुमते सऊदिया ने तय किये हैं, ताकि ज़मात के अतराफ़ लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ न हो जाये। अपने मुअल्लिम से वक़्त माअलूम करके ही रमी ज़मात के लिए रवाना हों।
- ज़मात के लिए ग्रुप में रवाना हों। ग्रुप के एक फ़र्द के हाथ में उंची लकड़ी, झण्डा, छतरी या कोई निशानी दे दें ताकि ग्रुप के बक़िया लोग अगर दूर दूर भी चलें, तो भी साथ साथ ही रहें और कोई बिछड़ने न पाये।
- ज़मात पर किसी तरह का साज़ व सामान न ले जायें। माअज़ूर को व्हील चेयर पर न लें जायें, और न ही बच्चों को ले जायें। कंकरी मारने के बाद वापस आते वक़्त अगर आप ग़लत सड़क पर निकल आए तो आप को कई कि.मी. का ज़ाईद सफ़र पैदल करना होगा। इसलिए आप सही रास्तों का खुसूसी खयाल रखें।
- हज के चार दिनों में चालीस लाख लोग शैतान को ४९ से ७० कंकरी मारते हैं। अगर एक जगह पर यह कंकरीयां जमा की जाएँ तो कंकरीयां का पहाड़

बन जाएगा। मगर ज़मात के पास आप ग़ौर कीजिए के कंकरीयां का कोई ढेर नहीं होता है। क्योंकि मकबूल कंकरीयां फ़रिश्ते चुन ले जाते हैं और यह हदीस शरीफ़ भी है। (रावी हज़रत अबु सईद खुदरी-किताब-हाकिम)

आप भी इस मोअज़िजे का मुशाहिदा करके अपने इमान को ताज़ा कर लें।

(नोट:- २०१२ के बाद सउदी हुकुमतने रमी जुमार के लिए पांच मंजीला पुल नुमा इमारत बना दी है। अब रमी ज़मात के वक़्त पहले की तरह ना लोगों की भीड़ होती है और ना किसी तरह का जान का ख़तरा होता है। अब आप इत्मीनान के साथ रमी ज़मात के अरकान अदा कर सकते हैं।)



## दुआओं का बयान

- हज़रत अबु हुरैरा (रज़ी.) रावी हैं कि रसूलु खुदा (स.) ने इर्शाद फ़रमाया: “जब तुम में से कोई शख्स दुआ माँगे तो ऐसा न कहें: ऐ अल्लाह! मुझे बख़्श दें अगर तू चाहे, मुझपर रहम कर अगर तू चाहे, मुझे रिज़्क अता कर अगर तू चाहे, बल्कि पूरे यकीन व ऐतिमाद के साथ माँगें (शक व शुभा का कलमा मसलन अगर तु चाहें वगैरा इस्तेमाल न करें) क्योंकि अल्लाह तआला वहीं करता है जो वह चाहता है। उसपर कोई ज़ोर और ज़बरदस्ती करनेवाला नहीं।” (बुख़ारी)

- हज़रत नोमान बिन बशीर (रज़ी.) रावी हैं कि रसूलु खुदा (स.) ने इर्शाद फ़रमाया: “दुआ इबादत है।” फिर आप (स.) ने यह आयत फ़रमायी:

وَقَالَ رَبِّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ط (سورة مؤمن آیت: १०)

“व का-ल-रब्बुकुमुद-ऊनी अस्तजिब लकुमा”

तर्जुमा: “और तुम्हारे परवरदीगार ने फ़रमाया है कि मुझसे माँगो, मैं तुम्हारी दुआ कबुल करूँगा।” (अहमद, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई, इब्ने माजा)

- हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ी.) रावी हैं कि रसूलु खुदा (स.) ने इर्शाद फ़रमाया: “तकदीर को दुआ के इलावा और कोई चीज़ नहीं बदलती और उमर को नेकि के इलावा और कोई चीज़ नहीं बढ़ाती।” (तिरमिज़ी)

- हज़रत अबु हुरैरा (रज़ी.) रावी हैं कि रसूलु खुदा (स.) ने इर्शाद फ़रमाया: “जो शख्स चाहता है कि तंगी और सख़्ती के वक़्त अल्लाह तआला उसकी दुआ कबुल करें, वह उसअत व फ़राखी के ज़माने में बहुत दुआ करता रहे।” (तिरमिज़ी)

- हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ी.) रावी हैं कि एक मरतबा मैंने नबी करीम(स.) से उम्राह करने की इजाज़त माँगी तो आप (स.) ने मुझे इजाज़त अता फ़रमायी और इर्शाद फ़रमाया: “ऐ मेरे छोटे भाई, अपनी दुआ में हमें भी शरीक कर लेंना और दुआ के वक़्त हमें न भुलना।” हज़रत उमर(रज़ी.) फ़रमाते हैं कि रसूलु (स.) ने ऐसा कलमा इर्शाद फ़रमाया की अगर इसके बदलें में मुझे तमाम दुनिया भी दे दी जाएँ तो मुझे खुशी न होगी। (अबू दाऊद)

- हज़रत अबु हुरैरा(रज़ी.) रावी हैं कि रसूलु खुदा (स.) ने इर्शाद फ़रमाया: “तीन दुआएँ कबुल की जाती हैं। इन की कबुलीयत में कोई शक़ नहीं। एक तो बाप की दुआ, दूसरी मुसाफ़िर की दुआ और तीसरी मज़लूम की दुआ।” तिरमिज़ी, अबु दाऊद, इब्ने माजा)

- हज़रत अनस(रज़ी.) रावी हैं कि रसूलु खुदा(स.) ने इर्शाद फ़रमाया: “तुम में से हर शख्स को अपनी तमाम हाजतें अपने परवरदीगार से माँगनी चाहिए। यहाँ तक की अगर उसके जुतें का तस्मा भी टूट जाएँ तो उसे भी खुदा से माँगें।” (तिरमिज़ी)

# एहराम का बयान

## एहराम क्या है?

1. एहराम के माअने हैं बेहुरमती न करना या अपने ऊपर किसी चीज़ को हराम कर लेना।
2. हज और उमरा में हम नीयत और तल्बिया के साथ अहराम की दो चादरें पहन कर बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर हराम कर लेते हैं, जैसे; हजामत कराना, खुशबू लगाना, सिले हुए कपड़े पहनना वगैरह वगैरह। इस लिए इस हालत को एहराम कहा जाता है।
3. आम तौर पर लोग सफ़ेद चादर को एहराम कहते हैं। जिसे हाजी एहराम की हालत में पहनते हैं, वह दरअसल एहराम की चादरें हैं, बजाते खुद एहराम नहीं हैं। इन चादरों को आप जितनी बार चाहें तब्दील कर सकते हैं, मगर एहराम की हालत से बाहर आने के लिए आप को उम्रह या हज के सारे अरकान मुकम्मल करने होंगे। यहाँ तक के अय्यामे हज में सिर मुंडवाने के बाद और घर के कपड़े पहनने के बाद भी एहराम की कुछ पाबंदियां आप पर बाकी रहती हैं जो के तवाफ़े ज़ियारत के बाद ही ख़त्म होती हैं। जैसे; अज़दवाजी ताअलुकात (वैवाहिक संबंध)
4. हज का एहराम 9 शब्वाल से ६ ज़िल्हिज्जा का दिन गुज़र कर सुबह सादिक तक पहन सकते हैं। उम्रह का एहराम हज के खास दिन के अलावा कभी भी पहन सकते हैं।
5. मीकात से बाहर रहने वालों के लिए एहराम मीकात से पहनना वाजिब है।
6. मर्दों का एहराम २ मिटर X १ मिटर की बगैर सिली हुई दो चादरें होती हैं। एक चादर को पहनना और एक को ओढ़ना होता है। (साइज की कोई पाबंदी नहीं है।)
7. बगैर सिली चादर का मतलब है कि उस में इंसानी जिस्म की साख़्त के एतबार से कोई चीज़ सिली हुई न हो। जैसे आस्तीन वगैरह। बगैर सिली का मतलब यह नहीं है कि उस में सुई धागा न लगे। ज़रूरत पड़ने पर आप चादर की जगह गोदड़ी या रज़ाई वगैरह ओढ़ सकते हैं। जो कि कई चादरों की तह को सी कर बनाई जाती है।
8. एहराम की चादरें सफ़ेद हों तो अफ़ज़ल है। मज़बूरी में आप रंगीन चादरें भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
9. एहराम की हालत में पैर के ऊपर (पंजे के पीछे) की उभरी हुई हड्डियों का खुला रहना ज़रूरी है। इस लिए ऐसा जूता, चप्पल न पहिनें के हड्डियाँ छुप जायें। अगर आप हवाई चप्पल या स्लीपर पहिनें, तो यह हड्डी खुली रहती हैं।
10. एहराम की हालत में मर्द को सिर और चेहरा खुला रखना है और औरतों को सिर्फ़ चेहरा। इसलिए एहराम की हालत में मर्द और औरत दोनों को अपने चेहरे को इस तरह ढांकना मना है कि कपड़ा चेहरे को छुए। चेहरे के कुछ हिस्से को भी ढांकना मना है जैसे; रूख़सार, नाक, या ठोड़ी वगैरह। (औरतें टोपी और रूमाल बांधते वक़्त एहतियात करें कि पेशानी न ढ़क जाये।)
11. एहराम पहनने से पहले खुशबू जिस्म पर लगाना सुन्नत है। मगर एहराम पहन कर किसी भी तरह का खुशबू का इस्तेअमाल करना जायज़ नहीं है। (खुशबू जिस्म पर इतना कम लगायें कि एहराम के चादर पर इस का दाग़ न पड़े)

12. एहराम बांधने से पहले दोनों हाथों, पैरों के नाखून काटना, नापाक बाल साफ़ करना और गुस्ल करना मुस्तहब है। वुजू या गुस्ल, एहराम के लिए फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, लेकिन इनको बिला उज़्र तर्क करना मक़रूह है।
13. एहराम पहन कर एहराम की नीयत से पहले दो रक़अत नमाज़ अदा करना सुन्नत है। बिला नमाज़ भी एहराम की नीयत की जा सकती है मगर बिला वजह ऐसा करना मक़रूह है।
- एहराम पहनने के बाद पहले से आप पर जो पाबंदियाँ थीं, वह तो बाकी रहती है, जैसे; बदकलामी, फुहश बातें, फ़िस्क व फ़ुजुर और जंग व जिदाल वगैरह। इनके अलावा भी आप पर कुछ और मज़ीद पाबंदियाँ आयद हो जाती हैं। उन की तफ़सील मुंदर्जाज़ैल (नीचे दिए गए) हैं:

## एहराम की पाबंदियाँ :

1. बाल न काटें न तोड़ें। (वुजू करते वक़्त खुद से जो बाल टूट जाए, तो इस पर दम नहीं है)
2. नाखून न तराशें न तोड़ें। (टूटे हुए नाखून को काट सकते हैं)
3. मर्द न सिर ढाँपे और न ही चेहरे पर कपड़ा लगने दें। मोज़ा या दस्ताना पहनना, सिर और मुंह पर पट्टी बांधना भी मना है। आप साये में रह सकते हैं। छतरी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर पर सामान रख कर चल सकते हैं। मगर टोपी, रूमाल, चादर या कोई चिपकने वाली चीज़ से सिर नहीं ढाँप सकते।
4. चेहरे पर कपड़ा न लगायें। अगर चेहरे से पसीना पोंछना हो, तो हाथ से पोंछ कर हाथ कपड़े से पोंछ लें।
5. अपने जिस्म के कपड़े और खाने पीने की चीज़ों में खुशबु न इस्तेमाल करें।
6. किसी शिकार किये जाने वाले खुशकी के जानवर को न मारें, न बिदकाए और न ही दुसरों की इस काम में मदद करें। न ही जिस्म में पैदा होने वाले कीड़ों को मारें जैसे जुँ वगैरह, न जिस्म का मैल धोएँ। आप नहा सकते हैं मगर बगैर साबुन के और बगैर मैल छुड़ाएँ।
7. एहराम की हालत में अज़दवाजी तअलुकात (वैवाहिक संबंध) पर भी पाबंदी होती है।

## एहराम के सही हाने की शर्तें:

- एहराम के सही होने के लिए इस्लाम का होना शर्त है (यानी हज करने वाला मुसलमान हो)।
- एहराम की नीयत और तल्बियाह और कोई ज़िक्र इस के कायम मुकाम करना भी शर्त है। (मुअल्लिमुल हुज्जाज, पेज १००)

## एहराम की वाजिबात:

- एहराम की हालत में कोई सिला हुआ कपड़ा न पहनना। (शुरू से आख़िर तक)
- मीकात से या उससे पहले एहराम बांधना ।
- मन्तूआत एहराम से बचना ।

## एहराम की सुन्नतें:

- गुस्ल करना और एहराम बांधने से पहले खुशबू लगाना।
- एक लुंगी और एक ऊपर ओढ़ने वाली चादर से एहराम बांधना।



- एहराम से पहले नाखून काटना।
- एहराम पहनकर एहराम की नीयत से दो रकअत नमाज़ अदा करना।
- एहराम की इब्त्दा, 'लब्बैक' से करना और फिर बार बार लब्बैक कहते रहना।

### एहराम के मसाइल:

- अगर खुद से कोई बाल गिर जाये, तो कोई सज़ा नहीं।
- अगर तीन से कम बाल तोड़े, तो हर बाल पर एक मुट्ठी गेहूं सदका करें।
- तीन से ज्यादा बाल मगर चौथाई सिर से कम बाल दूर किये, तो सदका दें। (१.७५ किलो ग्राम गेहूं)
- अगर चौथाई सिर या दाढ़ी या इससे ज्यादा बाल साफ़ किये, तो दम वाजिब है।
- अगर अलग अलग हाथ पैर से एक या दो नाखून काटे, तो हर नाखून के बदले सदका देना होगा।
- अगर एक ही बार में चारों हाथ और पैर के नाखून काटे, तो एक दम देना होगा।
- अगर चार बार में चारों हाथ पेर के नाखून काटे, तो चारों दम देना होगा।
- अगर चेहरे या सिर पर एक घन्टा से कम वक़्त तक कपड़ा लग रहा था, तो एक मुट्ठी गेहूं या उसकी कीमत की रक़म ख़ैरात करना वाजिब है।
- अगर एक घन्टा से ज्यादा मगर एक दिन या एक रात से कम वक़्त तक कपड़ा ढका रहा, तो पौने दो किलो गेहूं और अगर एक दिन या एक रात तक या इससे ज्यादा देर तक सिर ढका रहा और चेहरे पर कपड़ा लगा रहा, तो दम वाजिब होगा।
- इसी तरह अगर पांव की बीच की उठी हुई हड्डी जूते वगैरह से ढक जाती है और अगर एक घन्टा से कम वक़्त तक ढकी रही, तो एक मुट्ठी गेहूं।

एक घन्टा से ज्यादा पर १.७५ किलोग्राम गेहूं और एक दिन या एक रात तक या इससे ज्यादा वक़्त तक ढकी रही, तो एक दम देना वाजिब होगा।

- सोते वक़्त रूख़सार (गाल) तकिया पर रखना जायज़ है, मगर चादर से सिर ओर चेहरा न ढांके, सोते वक़्त पैर पूरी तरह चादर में ढांप सकते हैं।
- एहराम की हालत में गले में फूलों का हार मकरूह है। किसी भी खुशबू या खुशबू दार साबुन के एक बार इस्तेमाल पर सदका (पौने दो किलोग्राम गेहूं) और बार बार के इस्तेमाल पर दम वाजिब होगा।
- हिंदुस्तान से हज और उम्रह के लिए जाने वालों के लिए मीकात यलम-लम का पहाड़ है जो मक्का से जुनूब की तरफ़ है, जो हज़रात वतन से सीधे मक्का पहुंचकर हज या उम्रह का इरादा करते हैं, उन्हें मीकात से पहले एहराम बांधना वाजिब है। अगर बग़ैर एहराम जिद्दा पहुंच गये, तो दम वाजिब होगा।

वतन से पहले मदीना जाने वालों के लिए एहराम ज़रूरी नहीं है। हवाई सफ़र में यलम-लम जिद्दा से तक़रीबन एक घन्टा पहले है।

### मर्द एहराम किस तरह पहनें :

एहराम की एक चादर लुंगी की तरह पहननी होती है। इसे आप जिस तरह आसानी हो वैसे पहन सकते हैं। इस के लिए कोई खास कानून या हुक्म नहीं है। मगर चूंकि हज के दौरान लोगों की ज़बर्दस्त भीड़ होती है। लुंगी के नीचे भी आप को अंडरवीयर (चड्डी) और कोई चीज़ पहनने की इजाज़त नहीं है। इस लिए अगर लुंगी खुल जाए तो पूरा बर्हना (नंगा) होने का डर होता है। इस लिए एहराम की लुंगी मुंदर्जाज़ैल तरीके से पहनने की सलाह दी जाती है, जो ज्यादा महफुज़ तरीका है।

- आप पैरों को ज़रा फैला कर खड़े हो जाएँ।
- लुंगी के दोनों सिरे दोनों हाथों में पकड़ लें।
- बाएं हाथ का सिरा, दाहनी कमर और पेट से चिपका ले और पकड़े रहे



और दाहनी तरफ के सिरे को थोड़ा सा खींच कर रखें। (तसवीर १)

- फिर दाहने हाथ को बाएं तरफ इस तरह ले जाएं कि लुंगी का वह सिरा जो हमने दाहनी तरफ दबाया था वह वहीं जमा रहे। (तसवीर २)
  - दाहने हाथ के लुंगी के सिरे को बाएं तरफ पूरी तरह ले जाने के बाद भी लुंगी दो से तीन फिट बची रहेगी। फिर इस बचे हुए सिरे को दाहनी तरफ ले जाएं। मगर दरम्यान से आगे न बढ़ें बल्कि दरम्यान में नाफ के पास तह करके लपेट लें। (तसवीर ३-४)
  - लुंगी आपकी नाफ के ऊपर हो क्योंकि नाफ सतर में शामिल है और सतर का छुपाना लाज़मी है।
  - एहराम सिर्फ़ दो चादरों का नाम है। इस में पट्टा शामिल नहीं। मगर चूँकि हज के दौरान रूपया वगैरह साथ रखना ज़रूरी होता है। इस लिए रूपया रखने के लिए पट्टा पहनने की इजाज़त है। और पट्टा पहनने से पहले इनमें रूपया रखकर पहनना चाहिए।
  - पट्टा नाफ़ पर या नाफ़ के उपर पहनें जिस से कि लुंगी के उपरी हिस्सा से आप की नाफ़ हमेशा छुपी रहे। एहराम की हालत में आप चश्मा, घड़ी, कान का आला वगैरह पहन सकते हैं।
  - उम्रह और हज के तवाफे ज़ियारत में मर्दों को रमल और इज़्तेबा करना सुन्नत है। इज़्तेबा के लिए एहराम का एक सिरा दाहिने हाथ के बगल से निकाल कर बाएँ हाथ के कंधे पर डाल लेते हैं। (तसवीर ५)
  - एहराम की हालत में तवाफे के सातों चक्करों में इज़्तेबा करना सुन्नत है। मगर तवाफे वाजिब नमाज़ के पहले मोढ़े (कांधे) ढ़ाक लें। इज़्तेबा के साथ नमाज़ पढना मकरूह है।
  - हज के खास दिनों में जिस्म पर ३ से ४ दिनों तक एहराम होता है। एहराम की एक चादर लुंगी की तरह पहन कर और पट्टे से मज़बूत बांध कर हाजी बेफिकर हो जाते हैं। मगर ऊपरी चादर संभालना ज़रा मुश्किल काम है वह भी खास कर नमाज़ की हालत में। इस लिए बुजुर्ग और तजुर्बाकार हज़रात जिन्हें कई बार हज का तजुर्बा है नीचे दिए हुए तरीके से ऊपरी चादर लपेटने का मश्वरा देते हैं।
- १) पहले ऊपरी चादर कंधे पर ओढ़ कर पूरी तरह से हाथ सीधा करके सामने की तरफ फैला लें और चादर के दोनों सिरे हाथों में पकड़ लें। (तसवीर ६)
  - २) फिर सीधे हाथ का सिरा बाएँ बगल के नीचे लुंगी या पट्टे के नीचे अच्छी तरह दबा लें। (तसवीर ७)
  - ३) फिर बाएँ हाथ का सिरा दाएँ बगल के नीचे लुंगी या पट्टे के नीचे अच्छी तरह दबा लें। (तसवीर ८)
  - ४) फिर एहराम का कपड़ा जो हाथ के ऊपर लटक रहा होगा उसे आस्तीन की तरह समेट लें। इस तरह आपके दोनों हाथ आज़ाद भी होंगे और ऊपरी एहराम की चादर बार बार न गिरेगी न नमाज़ में खलल पैदा होगा। (तसवीर ९) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

## हज ना करने पर वर्ड

हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर (रज़ी) फर्माते हैं कि जो शख्स तंदुरुस्त हो, हज के अखराज़ात रखता हो, फिर भी बगैर हज के मर जाए तो कयामत के दिन उस की पेशानी पर काफिर लिखा होगा। (दुर्ग मन्थुर)

## स्वसारे का सौदा

मक्का और मदीना मुनब्वरा में हरम शरीफ की मस्जिदों का माहौल इतना पुर नूर और पुर सकून है कि लोग घंटों यूँ ही सेहन और बाहर की खुली जगहों पर बैठे रहते हैं। नमाज़ का इन्तेज़ार करते हैं। और अज़ान होने पर वहीं मुसल्ला बिछा कर नमाज़ पढ़ने लगते हैं।

जितनी देर मस्जिद में बैठ कर नमाज़ का इन्तेज़ार किया जाए वह इन्तेज़ार का वक़्त भी नमाज़ में शुमार होता है और उस का भी सवाब मिलता है। मगर हाजी हज़रात दो वजहों से ये बेहतरीन सवाब कमाने का मौक़ा खो देते हैं। बल्कि कभी कभी तो गुनाहगार भी होते हैं।

पहली वजह तो यह है कि अक्सर हाजी हज़रात इन वक़्तों में आपस में दुनियादारी की बातें किया करते हैं। जिस से सवाब नहीं मिलता बल्कि नमाज़ पढ़ने की जगहों पर दुनियादारी की बात करने वालों पर फ़रिश्ते लानत भेजते हैं और दुसरी यह है कि जब भी जमाअत शुरू हो तो पहले अगली सफ़ों को भरना चाहिये। अगर अगली सफ़ ख़ाली हैं तो बगैर अगली सफ़ों को भरे पीछे दुसरी सफ़ बनाने से नमाज़ नहीं होती।

इन बा-बरकत मस्जिदों में जहाँ सवाब लाखों और करोड़ों में कमाया जा सकता है। अपने नफ़स के ज़रा सी खुशी के लिए हम ऐसे सुनहरे मौक़े बर्बाद कर देते हैं।

इस लिए जब भी हरम में बैठें तो दुनियादारी की बातों से परहेज़ करें। और जमात शुरू होते ही पहले अगली सफ़ों को पुरा कर लें।

बाहरी सेहन बहुत पुरकशिश है और वहाँ बैठना भी आसान है इस लिए जमात शुरू होते ही बाहरी सेहन तो खचा खच भर जाता है। मगर पहला मंज़िला, छत और तहख़ाना ख़ाली रहता है। नमाज़ शुरू होने के बाद अगर कोई अंदर जाना भी चाहे, तो नहीं जा पाता या बहुत तकलीफ़ से जा पाता है।

इस तरह जाने वाले नमाज़ियों को रोकने का वबाल भी बाहर नमाज़ पढ़ने वालों पर होगा। इस लिए भले ही आप सेहन में बैठ कर नमाज़ का इन्तेज़ार करें मगर नमाज़ शुरू होने के पहले अंदर चले जाएँ और अंदर की जगहें पुर करें। अंदर हरम शरीफ की मस्जिद पुरी तरह भर जाने के बाद ही बाहर नमाज़ पढ़ें।

अल्लाह तआला आप की इबादत को क़बूल फ़रमाए और हज-ए-मबरूर अता फ़रमाए। आमीन

## पेज नं १० से.... सामाने सफर

३. ऐसे तमाम किस्म के खिलौने भी मन्तू हैं, जिससे किसी को डरा कर जहाज़ को अगवा किया जा सकता है जैसे, प्लास्टिक की बंदूक वगैरह।

**ये सारी चीज़ें एयरपोर्ट पर ज़ब्त कर ली जाती हैं:**

४. एयरपोर्ट पर तलाशी के दौरान अगर कोई ड्रग या नशे वाली चीज़ आप के सामान में शामिल मिल गयी, तो सऊदी हुकूमत में इस की सज़ा आम तौर पर सज़ा-ए-मौत ही है।

५. बाल काटने की कैंची, सब्ज़ी काटने की छुरी, नाखून काटने के औज़ार या बच्चों के खिलौने वगैरह आप चेक इन लगेज वाले सूटकेस में रख सकते हैं जो के जहाज़ के निचले हिस्से में लोड होगा। ये सारी अश्या जहाज़ के अंदर ले जाना मना है। इनके साथ सफर करना मना है।

६. बाल काटने की कैंची, शेविंग ब्लैड, नाखून काटने का औज़ार, सब्ज़ी काटने की छुरी इन सब की ज़रूरत आप को उम्रह के बाद हज से पहले और हरम में कयाम के दौरान होगी। इस लिए इनको चेक इन लगेज में रख लें और अपने मुक़ाम पर पहुंच कर निकाल लें और इस्तेमाल करें।

# हरम शरीफ़ और मिना के क़याम में पर्दे का मसला

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أِبْصَارِهِمْ ۖ

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أِبْصَارِهِنَّ ۖ (سورة نور آيات: ३१-३०)

“कुल लिल मुअ-मिनीना यगुज्जू मिन अब्यारिहिमा। व कुल लिल मुअ-मिनीनाती यग-जुज्ना मिन अब्यारिहिन्ना।”

- “मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नज़रें नीची रखा करें। और मोमिन औरतों से भी कह दो कि वह भी अपनी निगाहें नीची रखा करें।”

(कुरआन, सूरह नूर, आयत: ३०-३१)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ

يُدْرِينَ عَنِكَ مِنْ جَلَابِئِبِهِمْ ۗ (سورة احزاب آیت: ५९)

“या अइ-युहन्नबिय्यो कुल लिल लि-अज्वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ-मिनीना युद-नीना अलैहिन्ना मिन जलाबी-बिहिन्ना।”

- “ऐ पैगम्बर अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने मूंह पर चादर लटका कर घूंघट निकाल लिया करें।” (कुरआन, सूरह अहज़ाब, आयत: ५९)
- हज़रत आईशा (रज़ी.) का इशार्द है, कि हम रसूल अल्लाह (स.) के साथ एहराम की हालत में होते थे, मगर जब ग़ैर मेहरम मर्द हमारे सामने से गुज़रते, तो हम पर्दा कर लिया करते थे।
- एहराम में औरतों का चेहरा और हाथ खुला रहना ज़रूरी है, मगर पर्दे का जो इस्लाम में शर्इ हुक्म है वह खतम नहीं होता है। एहराम की हालत में भी औरतों को वैसे ही पर्दा करना है जैसे ग़ैर एहराम की हालत में करना है।
- मक्का और मदीना शरीफ के क़याम में एक कमरे में छः से ८ या उससे भी ज़्यादा लोगों को रखा जाता है। अगर सारे लोग उम्र दराज़ और बुजुर्ग हों, तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती अगर उन में जवान और कम दीनदार हों, तो मस्तुरात का उन के दरमियान बग़ैर पर्दे के सोना बहुत मअयूब और तकलीफ़ दह काम है। कमरे में मकान मालिक की तरफ़ से पर्दे का कोई इन्तेज़ाम नहीं होता, पर्दे के लिए आप को घर से खुद पर्दा, रस्सी और कम्बलें वग़ैरह ले जाना होगा और मकान मालिक की इज़ाजत से कमरे में कीलें लगाकर पर्दा करना होगा, इस लिए हज के सफ़र पर जाते वक़्त ही ये सामान साथ लेते जायें। पर्दे के कपड़े और रस्सी वग़ैरह आप को वापसी के सफ़र पर लगेज के ऊपर बांधने के भी काम आयेंगे।
- मिना में करीब ७० मर्द और औरतों को एक ही खेमे में रहना होता है। यह खेमा ४०x३० फिट का होता है। हुकुमत ने इन खेमों में कूलर और लाईट का बहुत अच्छा इन्तेज़ाम किया है। साथ ही खेमे के बीच में पर्दे का इन्तेज़ाम भी है। जो के शुरू में लिपटा हुआ होता है।
- मक्का में जो लोग आप के कमरे के साथी और पड़ोसी हैं यही लोग मिना में आप के खेमे में होंगे मक्का के क़याम के वक़्त ही दीनदार लोगों को पहचान लीजिए। और हो सके तो पहले ही से तय कर लीजिए। मिना पहुंच कर सब से पहले पर्दे और नमाज़ बाजमाअत का काम करना है। और पहले ही से आठ दस आदमी का उन दोनों कामों के लिए हम ख़्याल होना

ज़रूरी है।

एक फेमिली के मर्द और औरतों का सामान और खना पीना एक साथ ही होता है, इसलिए ये बात अक्सर लोगों बहुत गिरां गुज़रती है और वह जल्दी पर्दे के लिए राज़ी नहीं होते, मगर जब आठ दस मर्द पर्दे की हिमायत करें, तो और लोग दब जाते हैं क्योंकि परदा करना शरीअत के हुक्म पर अमल भी है।

मिना पहुँच कर सारे लोगों को इकट्ठा कर लीजिए और हिकमत और मसलहत से लोगों को राज़ी कर के खेमे के दरम्यान का पर्दा गिराकर औरत एक तरफ और मर्द दूसरी तरफ हो जायें।

(२०१३ में सउदी हुकुमत ने मर्दों और औरतों के खेमे पहले से ही अलग अलग कर दिये थे और दोनों को अलग अलग ठहराया।)

- हज के मौके पर हरम शरीफ में अक्सर तवाफ के लिए बहुत भीड़ होती है। ख़ास कर रूक्न यमानी और हज़र अस्वद के दरम्यान। इसी दौरान अक्सर लोगों के जिस्म एक दूसरे से छूते रहते हैं। अगर पीछे से लोगों का ज़्यादा दबाव आये, तो अपने आप को सामने वाले से दूर रखना बड़ा मुश्किल होता है। इस लिए अगर मुम्किन हो, तो औरतों को कम भीड़ के औकात में तवाफ करने के लिए कहें। जैसे सुबह ११ बजे, दोपहर २ बजे से ३ बजे और रात में १ बजे से ३ बजे वग़ैरह। पहले मंजिले और छत पर भी भीड़ कम होती है। इसलिए अगर वहाँ तवाफ़ करे, तो भी बेहतर है। लेकिन पहले मंजिले और छत पर दायरा वसीअ होने की वजह से तवाफ़ की मशक्कत बहुत बढ़ जाती है।
- औरतों के पीछे या बगल में मर्दों की नमाज़ नहीं होती है। इसलिए हरम शरीफ में मौजूद पुलिस औरतों को पीछे की सफ़ों की तरफ भेजती रहती हैं। अगर आप तवाफ़ के लिए औरतों को इस लिए अपने साथ ले जाते हैं, के कहीं रास्ता भूल न जायें, तो नमाज़ से कुछ देर पहले उन्हें औरतों की नमाज़ की जगह खुद ले जाकर बैठा दें, और नमाज़ के बाद फिर अपने साथ ले लें नहीं, तो एक औरत की वजह से कम अज़ कम तीन हाज़ियों की नमाज़ ख़राब होगी। एक दायें दूसरी बायें और तीसरा पीछे और उसका गुनाह और अज़ाब आप को होगा।
- हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ी.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने इशार्द फरमाया: “अल्लाह तआला फरमाता है कि जिस बन्दे को मैं ने सेहत और तन्दरुस्ती बख़्शी और रोज़ी में फराखी और कुशादगी दी और फिर पांच साल की मुद्दत गुज़र जाए और मेरे पास ना आए तो ऐसा शख्स महरुमुल-किस्मत और बद-किस्मत है।”

(तरगीब बा हवाला इब्ने हब्बान, ज़ादे राह: ५८)



हज़रत इमाम हुसैन रज़ी फर्माते हैं कि रसुले खुदा (स.) से एक शख्स ने अर्ज किया, “हुज़ूर (स.) में कमजोर भी हूँ और बुद्धील भी” फर्माया “तु ऐसा जिहाद किया कर जिसमें कांटा भी न लगे।” उसने अर्ज किया, ऐसा कौन सा जिहाद है जिसमें तकलीफ़ न पहुँचें? फर्माया “हज किया कर” (तिबरानी)

# हालते एहराम में मम्नु काम और उन का कफ़ारा

अल्लाह तआला कुरआन शरीफ में इर्शाद फरमाता है कि “जो शख्स इन महिनों में हज कि नियत करले तो हज(के दिनों) में न औरतों से इख्तीलात करें, न कोई बुरा काम और न किसी से झगड़ें और जो नेक काम तुम करोगे वह अल्लाह को मालूम हो जाएगा।”(सुरहे बकरा, १६७)

- ऐसे काम जो हरम शरीफ में और एहराम पहन कर नहीं करने चाहिए, जिनायत कहलाते हैं। (जिनायत की जमा जिनायात है।) ऐसे काम जो एहराम पहनकर नहीं करने चाहिए, आठ तरह के हैं।
  - १. मर्द को सिला हुआ कपड़ा पहनना और पैरों की उपर कि हड्डी को ढांकना।
  - २. मर्द को सर और चेहरा और औरत को चेहरा ढांकना।
  - ३. उम्ह और हज के किसी फर्ज या वाजिब अरकान को छोड़ देना।
  - ४. खुशबू इस्तेमाल करना।
  - ५. बाल उखाड़ना या काटना, बालों से जूँ दूर करना या मारना।
  - ६. नाखून काटना।
  - ७. अज्दवाजी तालुकात कायम करना।
  - ८. खुशकी के जानवर का शिकार करना।
  - ऐसे काम जो हरम शरीफ यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में नहीं करने चाहिए वह नीचे लिखे गए हैं।
  - १. लड़ाई झगड़ा करना।
  - २. घास या दरख्त काटना, किसी दरख्त कि शाखें या काटें तोड़ना। (आप हरम के हुदुद में घास का एक तिनका भी नहीं तोड़ सकते)
  - ३. शिकार खेलना, किसी शिकार किए जाने वाले जानवर को डराना या अपनी जगह से हटाना।  
(हरम के हुदुद में जंगली जानवरों को भी अमान है।) इनको मारना तंग करना तो दूर की बात है अगर वह साये में खड़े हों उन्हें हटाकर आप का सापे में जाना भी हराम है।)
  - ४. गिरी पड़ी चीजों का उठाना।
  - ऊपर बताए गए मम्नु काम करने पर चार तरह का जुर्माना आयद होता है।
  - १. एक मुट्ठी गेहूँ का सदका करना जिज़ा कहलाता है।
  - २. फितरा के बराबर सदका यानी पौने दो किलो गेहूँ या इतनी रकम के सदका को सदका कहेंगे।
  - ३. एक छोटे जानवर की कुरबानी (बकरी, दुम्बा, भेड़ वगैरा) को दम देना कहते हैं।
  - ४. एक बड़े जानवर कि कुरबानी यानी एक गाय या ऊंट कि कुरबानी को बिदना कहते हैं।
- मसला: पूरा ऊंट या गाय की कुरबानी सिर्फ दो जगह वाजिब होती है। एक जनाबत और हैज़ व निफास की हालत में तवाफ करना, दूसरे वकूफे अरफा के बाद और तवाफे जियारत से पहले हमबिस्तरी करना।  
(मसाइले हज व उमराह मआ आदाबे जियारत, पेज नं. ११६ से १२१, मुअल्लिमुल हुज्जाज पेज नं. २२४ और २२५)
- कुरबानी हुदुदे हरम में देना लाज़मी है और उसका गौशत भी खुद नहीं खा

सकते, इसे गरीबों में सदका करना लाज़मी है। या सदके कि कीमत कहीं भी दी जा सकती है।

## मम्नु काम और उनका कफ़ारा

१. किसी मर्द ने एहराम की हालत में सिला हुआ कपड़ा पहना तो अगर एक घंटा या उससे कम पहना तो जीज़ा देना होगा। अगर आधा दिन या आधी रात से कम पहना तो सदका देना होगा। अगर आधा दिन या आधी रात के बराबर या ज्यादा पहना तो दम वाजिब होगा।
  २. एहराम की हालत में किसी वजह से अगर एक घंटे से कम वक़्त तक सिर ढका रहा तो जिज़ा देना वाजिब है। अगर १२ घंटे से कम वक़्त तक सिर ढका रहा तो सदका करना वाजिब है। अगर १२ घंटे से ज्यादा ढका रहा तो दम देना वाजिब होगा।
  ३. एहराम की हालत में गलें में फूलों का हार डालना मकरूह है। खुशबुदार फूल सुंघना भी मना है। खुशबूदार साबुन के एक बार इस्तेमाल से सदका और बार-बार इस्तेमाल से दम वाजिब हो जाता है।
  ४. बाल नोचनें या खुजलाने वगैरह से दाढ़ी या सिर के तीन बाल तक गिरें तो हर बाल के बदलें जिज़ा दें। तीन से ज़ायद बालों पर सदका करें। अपने आप गिरने वाले बालों पर सदका नहीं है।
  ५. अगर एक हाथ या पाँव के पाँचों नाखून एक ही वक़्त में काटें तो एक दम वाजिब होगा अगर चारों हाथ और पैरों के सारे नाखून एक ही वक़्त में काटें तो भी एक ही दम वाजिब होगा। अगर चारों हाथ पैरों के सारें नाखून अलग अलग काटें तो उतने बार दम देना होगा। अगर किसी हाथ पैर के पाँचों नाखून एक साथ नहीं काटें बल्कि एक-एक या दो-दो नाखून काटें तो जितने नाखून उतने-उतने सदके देनें होंगे। (यानी जब पाँचों नाखून एक साथ काटें जाएं तो दम लाज़मी होगा वरना सदका)। टूटें हुए नाखून को काटनें या तोड़ने पर कोई सज़ा नहीं है।
  ६. अगर किसी ने जंगली या मैदानी जानवर का शिकार किया या शिकार करनें में किसी की मदद की, तो इसी जानवर के मिस्त सदका करना होगा।
  ७. अगर हालते एहराम में शहवत के साथ मर्द अपनी बीवी के साथ बोस व किनार होता है तो ऐसी सूरत में, इन्ज़ाल हुआ हो या ना हुआ हो दोनों सूरतों में जुर्माने में एक दुम्बा या गाय की कुरबानी वाजिब हो जाएगी। और अगर बीवी को शहवत हो जाए तो उस पर भी अलग से एक कुरबानी वाजिब हो जाएगी।
  ८. हज में वकूफे अरफा के बाद हलक़ और तवाफे जियारत से पहले बीवी से हम-बिस्तरी हो जाए तो जुर्माना में बदना की कुरबानी वाजिब हो जाएगी। और तीनों इमामों के नज़दीक अगर वकूफे अरफा के बाद जमराह उक़बा की रमी से पहले जिमा (हम-बिस्तरी) हो जाए तो हज ही फासिद हो जाएगी। और हज़रत इमाम अबू हनीफा के नज़दीक हज फासिद ना होगा अलबत्ता जुर्माना में बदना वाजिब हो जाएगी। (गिनिया जदीद, पेज २६६, गिनिया कदीम पेज १४४, अन्वारे मनासिक पेज २१६)
- ### ९. अरकान तर्क करने के मुतअद्लिकः—
- कामः हज और उम्ह के वाजिब अरकान का छूट जाना।  
कफ़ाराः अगर हज और उम्ह का कोई भी वाजीब रूकन छूट जाएगा, तो हज

और उम्रह हो जाएगा मगर दम देना होगा।

काम: हज और उम्रह के फर्ज अरकान का छूट जाना।

कफफारा: हज और उम्रह का अगर कोई भी फर्ज छूट जाए तो हज या उम्रह नहीं होगा। ऐसी हालत में हाजी तवाफ, सई और हलक करवाकर ऐहराम उतार दें मगर फिर उसे उम्रह या हज दौहराना होगा।

## 10. हरम शरीफ के हुदूद की गलतियाँ और कफफारा

काम: किसी ने हरम की बेहरमती की, जैसे हरम के हुदूद में घास उखाड़ लिया या दरख्त की पल्लियाँ तोड़ ली या ऐसा कोई भी काम किया जिसकी मुमानिअत है।

कफफारा:

- हरम की घास काटने से उस की कीमत के बराबर सदका करना वाजिब होगा। (मुअल्लिमुल हुज्जाज पेज नं. २६१)
- किसी दरख्त के पत्ते तोड़ने अगर दरख्त को नुकसान न हो तो पत्ते तोड़ना जायज़ है, वरना जायज़ नहीं। (मुअल्लिमुल हुज्जाज पेज नं. २६२)
- खुद-रौ घास या दरख्त जिसे उगाने का मअमूल नहीं है जैसे नूनिया घास वगैरा और वह फल भी नहीं देता है तो ऐसे दरख्तों को काटना और तोड़ना हुदूदे हरम में मना है। अगर ऐसे दरख्त या घास को काटा जाय तो सज़ा के तौर पर उस की कीमत का सदका वाजिब होगा। (गुनियतुल मनासिक पेज नं. ३०२, हज व ज़ियारत नम्बर पेज नं. १६३)
- हरम का सूखा दरख्त या सूखी हुई घास तोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। (मुअल्लिमुल हुज्जाज पेज नं. २६२)

काम: नापाकी की हालत में मस्जिद हरम में दाखिल होना।

- अगर औरत ने गुफ़लत या लापरवाही में हालते हैज़ में तवाफे ज़ियारत कर लिया या तवाफे ज़ियारत के अक्सर अश्वाल हालते हैज़ में कर लिए मसलन तीन शौत के बाद हैज़ आ गया और हैज़ ही की हालत में चार अश्वाल पूरे कर लिए तो उस पर जर्माना में बिदना वाजिब है। और बिदना ऊंट या गाय या भैंस को कहा जाता है। और अगर औरत ने नहर के दिनों में अन्दर अन्दर तवाफ का इरादा कर लिया है या इन अश्वाल का इरादा कर लिया जिन को हालते हैज़ में किया था तो कफफारा साकित हो जाएगा और कोई चीज़ उस पर लाज़िम न होगी। और अगर नहर के दिन गुज़र जाने के बाद एआदा करेगी तो देरी की वजह से एक दम देना लाज़िम होगा। (गुनियतुल जदीद पेज नं. २७२, कदीम पेज नं. १४५, अन्वारे मनासिक पेज नं. ३४३)
- और अगर हैज़ या निफास या जनाबत की हालत में तवाफे उमराह करेंगे तो जुर्माना में एक दम देना होगा। और अगर पाक होने के बाद एआदा करेंगे तो जुर्माने का दम साकित हो जाएगा। (गुनियतुल मनासिक पेज नं. १४७-१४८, अन्वारे मनासिक पेज नं. ३२२)

## ना-बालिग के मसाइल:

- १) ना-बालिग ने आम लोगों की तरह हज्जे तमत्तओ कर लिया है तो आम लोगों की तरह इस तमत्ताओ की कुरबानी नहीं। इसी तरह किरान की कुरबानी भी लाज़िम नहीं। (गुनियतुल जदीद पेज २०७, अन्वारे मनासिक पेज २०४)
- २) अगर ना-बालिग ने हालते एहराम में कोई ऐसा अमल कर लिया जिस से दम या कफफारा वाजिब होता होजाता है जो ना-बालिग के ग़ैर कुकल्लफ होने की वजह से उस पर कोई कफफारा या दम वाजिब नहीं होगा, और उसकी वजह से उस के वली और जिम्मेदार पर भी कोई कफफारा ना होगा, इसलिए कि यह वली का अपना अमल नहीं है। हों अल्बत्ता वली के लिए मुनासिब यही है कि एहराम के वक्त उस को भी एहराम का कपड़ा पहना दे और मन्मूआते एहराम से उस को महफूज़ रखने की मुष्किन हद

पूरी कोशिश करे। (गुनियतुल जदीद पेज २४, २०७, अन्वारे मनासिक पेज २०४)

(नोट: ऊपर बताएं गए कफफारों हमने बहुत मुख्तसर तौर पर लिखा है। अलग-अलग मसलक में अलग-अलग एहकाम है। इसीलिए इस बारे में आप अपने नज़रिये के आलीमों से मशिवरा लें। मुअल्लिम- उल-हुज्जाज किताब में इनका तफसील से ज़िक्र है।)



## अरफात की दुआएँ और वजीफें

नबी करीम (स.) से रिवायत है, कि आप(स.) ने फरमाया:

“दुआओं में सबसे बेहतर दिन अरफा की दुवा हैं और मैंने और मुझसे पहले अंबीयाने इस रोज जो अफज़ल तरीन कलमात कहें वह यह हैं”

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ أَعْلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِلٍ

तर्जुमा: कोई माबुद बरहक नहीं सिवाय अल्लाह तआला के, वह तनहा हैं, उसका कोई शरीक नहीं, उसीके लिए सारी बादशाही है, उसी के लिए सारी हम्द हैं, वह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला हैं।

- एक सही हदीस में हैं कि, नबी (स.) ने फरमाया: अल्लाह के यहाँ महबुब तरीन कलमात चार हैं:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

- आप (स.) ने फरमाया:

दो कलमात ऐसे हैं जो ज़बान पर बहुत हल्के हैं, मिज़ाने आमाल में बहुत भारी हैं और रहेमान को बहुत महबूब हैं।

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

- हज़रत साद बिन अबी वकास (रज़ी.) से रिवायत हैं कि हम रसुल (स.) की खिदमत में हाज़िर थें कि आप (स.) ने फरमाया:

“क्या तुम में से हर एक शख्स इस बात से आजिज़ हैं की वह हर रोज़ एक हज़ार नेकिया कमाएं?”

हाज़रीन मज़लिस में से एक सहाबी (रज़ी.) ने अर्ज़ किया: “या रसुल अल्लाह(स.)! हम में से हर एक शख्स एक हज़ार नेकिया कैसे कमा सकता हैं?”

आप (स.) ने फरमाया: १०० बार सुब्हान-अल्लाह कहें तो उस के लिए एक हज़ार नेकियां लिख दी जाएगी और एक हज़ार गुनाह उससे माफ कर दिए जाएंगे।

## हुसूले इल्म फर्ज है

रसुल (स.) ने ईर्शाद फरमाया: “दिन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान (मर्द व औरत) पर फर्ज है।” (इब्ने माजा-बरीवायत हज़रत अनस रज़ी)

हज़रत अबू मुसा अशारी (रज़ी.) बयान करते हैं कि रसुल अल्लाह (स.) ने फरमाया: “हाज़ी अपने खानदान के ४०० आदमियों की शिफाअत करेगा। हाज़ी अपने गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता हैं गोया आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हैं।” (बज़ार)

# औरतों का एहराम

औरतें भी हज के तमाम अफआल मर्दों की तरह करें लेकिन कुछ अमूर में उन के लिए मर्दों से अलग हुक्म हैं और चन्द अमूर औरतों ही के साथ मखसूस हैं उन की तफसील नीचे दिए हुए तरीके से हैं।

- १) औरतों के लिए किसी भी सफर के लिए मेहरम का साथ होना ज़रूरी है। हज और उम्रा का सफर बगैर मेहरम के करना नाजायज़ है और गुनाह है।
- २) अगर किसी औरत पर हज फर्ज़ है मगर किसी मेहरम का साथ नहीं, तो उसको चाहिए के मेहरम मिलने तक हज मुलतवी कर दे। इस मजबूरी की वजह से हज में जो ताखीर होगी उसका कोई गुनाह न होगा और अगर उसी हालत में मौत आ गयी तो औरत को मरते वक्त हज-ए-बदल के लिए वसीयत करना वाजिब है।
- ३) इद्दत वाली औरतें अय्यामे इद्दत में मेहरम होने के बावजूद हरगिज हज के लिए ना जायें, ये उन के लिए हराम है।
- ४) मेहरम वह शख्स है जिससे निकाह हमेशा के लिए हराम है। जैसे; बाप, बेटा, भाई, भतीजा, भांजा, शौहर का बाप वगैरह।
- ५) बहनोई, फूफा, खालू, वगैरह मेहरम नहीं हैं। तन्हा इनके साथ हज करने पर गुनाह होगा।
- ६) अगर औरत माल दार हो और मेहरम के साथ भी हो, तो वह शौहर कि इज़ाजत के बगैर पहला हज कर सकती है। क्योंकि एक हज फर्ज़ है। नफ़ली उम्राह और हज के लिए शौहर की इज़ाजत ज़रूरी है।

## एहराम का बयान:

- १) औरतों का एहराम उन के रोज़ मर्ह के कपड़े हैं। सिर्फ़ इस बात का ख्याल रखें कि ये कपड़े बारीक, चुस्त और ऐसे न हों जिस से दुसरों की तवज्जह आप की तरफ़ खिंचे। कपड़े बिल्कुल सादा और साफ़ सुथरे होने चाहिये।
- २) एहराम की हालत में बाल काटना और तोड़ना मना है। ओढ़नी अगर सिर से बार बार सरकती रहे, तो उसके सरकने से बार बार सिर ढाकने से हो सकता है के बाल टूट जायें, इस लिए एहतियात के लिए सिर पर एक रूमाल या टोपी बांध ली जाती है। ये सिर्फ़ एहतियात की तदबीर है। सिर पर बांधा जाने वाला कपड़ा या टोपी का एहराम से कोई वास्ता नहीं है। ये औरतों का एहराम नहीं है। मर्दों के लिए जैसे एहराम के कपड़े और एहराम की चादरें हैं इस तरह औरतों के लिए एहराम का कोई मखसूस कपड़ा नहीं है।
- ३) एहराम की हालत में औरतों को चेहरा खुला रखना है। इसलिए सिर पर टोपी या रूमाल बांधते वक्त इस बात का ख्याल रखें के माथा ढका ना हो वर्ना सदका या दम देना लाज़िम होगा।
- ४) मर्दों की तरह आरतों को कदम के उपरी हिस्से की हड्डी को खुला रखना ज़रूरी नहीं है। औरतें जूतियां पहन सकती हैं, जिससे ये हड्डी छिप जाये।
- ५) गुस्ल और वुजू करते वक्त सिर पर बांधी हुई टोपी या रूमाल का खोलना ज़रूरी है। सिर खोल कर अगर आप ने सिर का मसह न किया, तो न वुजू होगा न ही आप की नमाज़ होगी।
- ६) उम्ह में सई के बाद, और हज में कुर्बानी के बाद हलाल होने के लिए तमाम सिर या कम अज़ कम एक चौथाई सिर के बालों से लम्बाई में

उंगली के पोर के बराबर तक सिर के बाल काट लें। (करीब एक से सवा इंच) ये बाल वह खुद भी अपने हाथ से काट सकती हैं या अपने जैसे किसी और ख़ातून हाजी से जिस ने बाल काटने के पहले के सारे अरकान अदा कर लिए हों बाल कटवा सकती हैं। औरतों का अपने शौहर और अपने साथ आए मेहरम मर्द को छोड़ कर किसी ग़ैर मेहरम से बाल कटवाना जाएज़ नहीं है।

बाल काटने का आसान तरीका है कि बाल की चोटी के आखरी सिरे को उंगली पर लपेट लें और फिर काटें। ख्याल रहे कि एक पोर की लंबाई से कम बाल न कटे।

- ७) एहराम की हालत में कंधी न करें। अगर जान बूझकर कोई बाल टूट गया, तो जिज़ा देना होगा।
- ८) बे खुशबुदार तेल जिस्म पर और बालों में लगाया जा सकता है। बाल टुटने के डर से अगर न लगाया जाए तो बेहतर है।
- ९) आँखों में ऐसा सुरमा लगाना बिला-कराहियत जायज़ है कि जिस में कोई खुशबू ना हो। और अगर ऐसा सुरमा है कि उस में खुशबू नुमायों और वाज़ेह हो तो उस सुरमे को हालते एहराम में लगाने से सदका वाजिब होगा। (अनवारे मनासिक पेज नं. २२८, मुअल्लिमुल हुज्जाज पेज नं. ११५)
- १०) हालते एहराम में मेहंदी लगाना जायज़ नहीं। लिहाज़ा अगर पूरे सर पर या पूरी दाढी पर मेहंदी लगाई है या औरत ने हथेली या सर में मेहंदी लगाई है तो दम वाजिब होगा, इसलिए कि मेहंदी पूरे हिस्से पर लगाई है। और अगर कुछ हिस्से दाढी पर या हथेली और पैर के कुछ हिस्सों पर लगाई है तो सदका वाजिब हो जाएगा।  
(बदाए कदीम पेज नं. १६२/२, अल-मबूत १२४/४, अल-बहरीइक़ जदीद ४/३, अल-मसालिक फिल मनासिक ४७६/२, अनवारे मनासिक २३२ और २११, मुअल्लिमुल हुज्जाज २२६)
- ११) एहराम की हालत में औरतें ज़ेवर पहन सकती हैं। मगर ज़ेवर ऐसा न हों के दुसरों की तवज्जह आप की तरफ़ हो जाए।

## औरतों के लिए मुमानिअत :

- १) औरतें तल्बिया, तकबीर या और कोई तसबीह बुलंद आवाज़ से न पढ़ें। औरतों के आवाज़ का भी पर्दा है।
- २) औरतें न रमल करें न सफ़ा मरवा के दरम्यान तेज़ चलें, न दौड़ लगायें।
- ३) नबी करीम (स.) ने रास्तों पर चलते वक्त औरतों को रास्ते के किनारे चलने का हुक्म दिया था।  
इस हुक्म के बाद सहाबे कराम (रजी.) कि औरतें रास्ते के इतना किनारे चलती थी कि उनके कपड़े दिवारों से रगड़ खाते थे। (अबु वाऊद. बहली)  
हज़रत अबु हुरैरा(रजी.) से रिवायत है कि नबी करीम(स.) ने फरमाया “मर्दों के लिए सबसे बेहतरीन सफ़ पहली सफ़ है और सबसे बद्तरतीन सफ़ आखरी सफ़ है और औरतों के लिए सबसे बेहतरीन सफ़ सबसे आखरी सफ़ है सबसे बद्तरतीन सफ़ पहली सफ़ है” (अबु-वाऊद.)
- ४) कोई अमल या इबादत उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकती जब तक नबी करीम (स.) के हुक्म के मुताबिक़ न हो। इसलिए औरतें तवाफ़ करते वक्त मर्दों के दरम्यान घुस कर न तवाफ़ करें न ही सई करें, और नमाज़ भी औरतों के नमाज़ के मुक़ाम पर पढ़ें, मर्दों के दरम्यान न पढ़ें।

- ५) अगर कोई औरत जमाअत में मर्दों के दरम्यान खड़ी हो जाये, तो उस औरत के दायें, बायें और पीछे खड़े होने वाले मर्दों की नमाज़ नहीं होगी उसका गुनाह उसी औरत पर, और उसके साथ जिम्मेदार मर्द होगा।
- ६) हज के मीके पर हरम शरीफ में अक्सर तवाफ़ के लिए बहुत भीड़ होती है। खास कर रूकन ईमानी और हज़रे अस्वद के दरम्यान। इसी दौरान अक्सर लोगों के जिस्म एक दूसरे छूते रहते हैं। अगर पीछे से लोगों का ज़्यादा दबाव आये, तो अपने आप को सामने वाले से दूर रखना बड़ा मुश्किल होता है।
- इस लिए अगर मुम्किन हो, तो औरतों को कम भीड़ के औकात में तवाफ़ करने के लिए कहें। जैसे सुबह 99 बजे, दोपहर 2 बजे से 3 बजे और रात में 9 बजे से 3 बजे वगैरह। पहले मंजिले और छत पर भी भीड़ कम होती है। इसलिए अगर वहाँ तवाफ़ करे, तो भी बेहतर है, लेकिन पहले मंजिले और छत पर दायरा बढ़ा होने की वजह से तवाफ़ की मशक़त बहुत बढ़ जाती है।
- ७) एहराम कि हालत में औरतों का सिर्फ़ चेहरा खुला रखना है। एहराम में पर्दे का हुक्म मनसूख़ नहीं है।
- हज़रत आईशा (रज़ी.) फ़रमाती है, के हम औरते हज में रसूल अल्लाह (स.) के साथ एहराम की हालत में थीं, एहराम कि वजह से हम चेहरो पर नकाब नहीं डालती थी। मगर जब हमारे सामने से मर्द गुजरते तो हम अपनी चादर सिर के ऊपर से लटका लेती थी और इस तरह पर्दा कर लेती थी। और फिर जब मर्द आगे बढ़ जाते तो हम अपने चेहरे खोल देती थी। (अबू-दाउद, मज़ारिफ़ुल हदीस)
- ८) पर्दा करना अफज़ल या सिर्फ़ सवाब का काम नहीं है। बल्कि औरतों पर वाजिब है। क्योंकि पर्दे का हुक्म अल्लाह ताअला ने वही के ज़रिए कुरान मजीद के आयत में नाज़िल फ़रमा दिया है और इस आयत का मफहूम

इस तरह है।

“ऐ नबी (स.)! अपनी बीवियों से, और अपनी साहबज़ादियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वह अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें।” (कुरआन मजीद सूर: इहजाव आयत: ५६)

इस लिए अगर आप अपने घर और मोहल्लों में पर्दा नहीं करती हो, तो भी हज़ के सफ़र से पहले बुर्का या बड़ी चादर ज़रूर ले लें और हरम शरीफ़ में इस का इस्तेमाल ज़रूर करे। वरना हरम शरीफ़ में एक गुनाह ७० या १०० गुनाह के बराबर होता है।

### नापाकी की हालत में इबादत:

एहराम की हालत में हाइज़ा औरतें नमाज़ और तिलावत-ए-कुरआन को छोड़ कर दिगर इबादत कर सकती हैं। उन के लिए जिक्र और दरूद व वज़ाइफ़ पढ़ना जायज़ है। मुस्तहब ये है के हर नमाज़ के वक़्त पाक साफ़ होकर वुजु कर के मुस्सले पर बैठ कर जितनी देर नमाज़ अदा करने में होती है उतनी देर जिक्र व दुआएँ पढ़ती रहे ताकि इबादत की आदत बाकी रहे।

रिवायत है, के नबी करीम (स.) ने फ़रमाया हाइज़ा औरत अगर नमाज़ के वक़्त सत्तर बार इस्तग़फ़ार पढ़ले, तो उस के लिए हज़ार बरकतें लिखी जाती हैं और सत्तर गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं और उसका दर्जा बढ़ता है और उसको इस्तग़फ़ार के हर हुरूफ़ के बदले नूर मिलता है और बदन की रंग के अेवज़ में हज और उम्ह लिखा जाता है। (मजालिसुल अबरार बसीर)



## हैज़ व निफ़ास के मसाइल

### सफ़र से पहले हैज़ का आना:

अगर किसी को मक्का शरीफ़ के सफ़र से पहले ही हैज़ शुरू हो जाए तो ऐसी हालत में वह नापाकी ही में गैर ज़रूरी बाल साफ़ कर के, नाखून तराश कर, गुसुल कर के एहराम के कपड़े पहन ले और मीक़ात पहुँच कर उम्ह की नीयत भी कर ले। मगर मक्का शरीफ़ पहुँच कर तवाफ़ और सई न करे। पाक होने तक इंतज़ार करे और पाकी के बाद तवाफ़ और सई कर ले। इस नापाकी की मुद्दत में वह एहराम की हालत ही में रहेगी और एहराम की सारी पाबंदियाँ उस के ऊपर आइद रहेगी।

### एहराम पहनने के बाद हैज़ आना:

अगर किसी को एहराम पहनने और नीयत करने के बाद मगर तवाफ़ और सई से पहले हैज़ आ जाए, तो वह पाक होने तक इंतज़ार करे और पाकी के बाद तवाफ़ व सई कर के उम्ह पूरा कर लें और एहराम उतार दें। इन नापाकी के दिनों में एहराम की पाबंदियाँ आइद रहेगी।

### तवाफ़ के बाद हैज़ आना:

अगर किसी के हैज़ के दिन करीब हो, तो जब तक खून न आ जाए मुताफ़ में तवाफ़ करना जाएज़ है, अगर तवाफ़ पूरा करने के बाद हैज़ आ जाए तो नापाकी ही में सई करके बाल तराश के उम्ह पूरा करे। सई के लिए पाकी

शर्त नहीं है। और अगर तवाफ़ करते करते हैज़ आ जाए तो फ़ौरन हरम से बाहर चली जाए और पाकी के बाद तवाफ़ और सई कर के उम्ह पूरा करले। जब तक उम्ह पूरा न होगा एहराम की पाबंदियाँ आइद रहेगी।

### हज से पहले या हज के दौरान हैज़ आना:

अगर किसी को ८ ज़िल्हिज्जा से पहले हैज़ शुरू हो जाए तो उम्ह ही की तरह बाल साफ़ कर के नाखून तराश कर गुसुल कर के एहराम की नीयत कर ले और तवाफ़ ज़ियारत को छोड़ कर सारे हज़ के अरकान अदा कर ले। इसी तरह हज़ के दौरान भी हैज़ आ जाए तो नमाज़, कुरआन की तिलावत और तवाफ़ ज़ियारत को छोड़ कर सारे अरकान अदा करे। तवाफ़े ज़ियारत के लिए पाक होने तक इंतज़ार कर ले चाहे १२ ज़िल्हिज्जा गुज़र जाए। पाकी हासिल करने के बाद तवाफ़े ज़ियारत करे। इस तरह आपका हज हो जाएगा। मगर तवाफ़े ज़ियारत तक एहराम की पाबंदियाँ आइद रहेगी। ताख़र की वजह से दम लाज़िम नहीं होगा।

### उम्ह और हज दोनों के पहले हैज़ आना:

किसी औरत ने तमत्ता की नीयत से एहराम बांधा और मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचने से पहले या मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचने के बाद उम्ह का तवाफ़ करने से पहले ही उस को हैज़ या नफ़ास शुरू हो गया और खून जारी रहा, यहाँ

तक कि ८ ज़िल्हज्जा यानी मिना जाने का दिन आ गया तो ऐसी औरत उम्रह तर्क कर दे और मन्नुआले एहराम (खुशबू लगाना, नाखून काटना वगैरा) में से कोई काम कर के सर के बाल खोल कर उस में तेल डाल कर कंधी कर के उम्रह का एहराम खोल दे और फिर गुस्ल कर के “हज का एहराम” बांध कर तल्वियाह पढ़ ले और मिना चली जाए और हज के तमाम अफ़आल अदा करती रहे और हैज़ बंद होने के बाद पाकी का गुस्ल कर के तवाफ़े ज़ियारत और सई करे। अब उस औरत का हज “हज्जे अफ़राद” शुमार होगा।

हज से फरागत के बाद इस छोड़े हुए उम्रह की कज़ा की नीयत से एक उम्रह कर ले और कुरबानी यानी दम दे, वह दम जो साबिक उम्रह छोड़ने की वजह से वाजिब हुआ था।

ऐसी औरत पर “हज्जे तमत्तआ” के शुक्राने का “दम” वाजिब नहीं है। इस लिए कि उस का हज, हज्जे अफ़राद हुआ है। और हज्जे अफ़राद करने वाले पर कुरबानी नहीं है। (बैरूत फतावा २३३/४, जैनी शरह बुखारी १२३/१०, मिशकात ३०४-३०६/५)

नोट: जिस औरत को अपनी आदत के मुताबिक इस बात की उम्मीद न हो कि वह पाक हो कर अय्यामे हज से पहले उम्रह अदा कर सकेगी। उस के लिए बेहतर यही है की वह हज्जे अफ़राद का एहराम बांधे ताकि उम्रह छोड़ने की वजह से जो दम वाजिब होता है, वह लाज़िम न हो।

### नापाकी की हालत में तवाफ़े ज़ियारत:

२४ से २७ अक्टोबर १९६७ हज हाउस मुंबई में मुनकिद होने वाली १० वी फिकही सेमिनार में हज व उम्रह से मुतल्लिक जो अहम तजावीज़ और फैसले सामने आए थे, उन में से एक तजवीज़ नं. १० हसबजैल करार पाई थी।

### (अलिफ) तजवीज़ नं. १० :-

अगर तवाफ़े ज़ियारत से पहले किसी औरत को हैज़ का खून आ जाए और उस के पहले से तय शुदा प्रोग्राम में इतनी गुंजाइश नहीं है कि वह हैज़ से पाक हो कर तवाफ़े ज़ियारत कर सके तो उस के लिए पहले तो ज़रूरी है कि हर मुम्किन कोशिश के ज़रिए (पाक हो कर तवाफ़े ज़ियारत कर सके इतने वक़्त के लिए अपना सफ़र मोअख़्खर करवा ले) अगर यह मुम्किन न हो तो हालते हैज़ ही में तवाफ़े ज़ियारत कर ले, और एक बड़े जानवर की कुर्बानी दम-ए-जनाबत की नीयत से करे। इस तरह करने से उस का तवाफ़े ज़ियारत अदा हो जाएगा और तमाम पाबंदी से मुकम्मल हो जाएगी।

### बग़ैर तवाफ़े ज़ियारत के घर वापसी:

तवाफ़े ज़ियारत हज के तीन फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है। अगर कोई किसी वजह से तवाफ़े ज़ियारत नहीं करेगा तो उस का हज पूरा न होगा और न वह अपने शरीके हयात से अज़वाजी तालुकात कायम कर सकता है। दोनों एक दुसरे के लिए उस वक़्त तक हराम होंगे जब तक तवाफ़े ज़ियारत न कर लें। इस लिए अगर कोई १२ जिलहज्जा के गुरुबे आफ़ताब तक न कर सका तो तवाफ़े ज़ियारत में देरी करने कि वजह से सिर्फ दम देना होगा मगर इसके बाद वह सारी उम्र में कभी भी कर सकता है।

### तवाफ़े विदा से पहले हैज़ आना:

अगर कोई औरत हज के सारे अरकान पूरे कर चुकी और मक्का शरीफ़ से रवानगी से पहले हैज़ आ गया तो ऐसी हालत में वह तवाफ़े विदा न करे और बग़ैर तवाफ़े विदा किए अपने सफ़र पर रवाना हो जाए। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ी.) से हदीस मरवी है कि “नबी करीम (स.) ने हाएज़ा औरत को ख़ूख़सत दी है कि अगर उस ने तवाफ़े ज़ियारत कर लिया हो, तो तवाफ़े विदा किए बग़ैर ही सफ़र पर रवाना हो जाए” (अहमद, हदीस नं. ३५०५)

### बीमारी का खून:

ज्यादा से ज्यादा हैज़ की मुद्दत दस दिन और कुछ बच्चे की पैदाईश के बाद निफ़ास की मुद्दत चालीस दिन है। इससे ज्यादा मुद्दत के बाद भी अगर खून आये, तो वह इस्तहाज़ा यानि हैज़ की पुरानी बीमारी में शुमार होगा।

इसी तरह किसी औरत को हमेशा यह आम तौर पर सिर्फ तीन दिन या पांच दिन ही हैज़ का खून आता हो और हरम शरीफ़ में इतने दिनों तक खून आ जाये, तो ज्यादा दिन का खून भी हैज़ के बदले बीमारी में शुमार होगा।

इसी तरह अगर किसी औरत को तीन दिन से कम दिन खून आये, तो भी बीमारी में शुमार होगा।

अगर ऐसी बुढ़ी औरत जिस के हैज़ बंद हो चुके हो उन्हे खून आये तो भी बीमारी में शुमार होगा।

अगर किसी हामिला औरत को खून आ जाए तो वो भी बीमारी के खून में शुमार होगा।

इन खून की पहचान यह है, के इन में हैज़ के खून की तरह बदबू नहीं होती है।

इस्तहाज़ा का खून या बीमारी के खून की मिसाल नकसीर; (नाक से खून आना) जैसी है। जो कभी भी किसी को भी आ सकती है। इस खून से औरतों को न रोज़ा या नमाज़ छोड़ने से न तवाफ़े से महरूम होना है। ऐसी औरतों को शरीअत में मअज़ूर माना गया है।

यह औरतें नमाज़ के पांचों वक़्त ताज़ा वुजु करें; (गुस्ल लाज़मी नहीं है।) हैज़ के दिनों में वह जिस तरह पैड (Sanitary Napkin) का इस्तेअमाल करती थीं, उसी तरह साफ़ पैड का इस्तेअमाल करके ताज़ा वुजु से हरम शरीफ़ में तवाफ़े और नमाज़ अदा कर सकती हैं।



### क्या हम भी मुसलमान हैं ?

हज़रत हसन बस्री (रह.) जलील व क़दर ताबई गुज़रे हैं। जिन्होंने ने बड़े बड़े सहाबा (रज़ी.) की ज़ियारत की। आप (रह.) ऐसे ज़माने में थे जब के कदम कदम पर मुहददेसीन, अइम्मा, उलमा और सुलहा मौजूद थे।

एक दिन किसी ने सवाल किया, हज़रत सहाबा ए कराम कैसे थे? फ़र्माया के अगर तुम इन्हें देखते तो कहते के ये तो दीवाने हैं। और अगर वे तुम्हें देखते तो कहते के इन को इस्लाम से दूर का भी वास्ता नहीं!

अन्दाज़ा कीजिए के हसन बस्री ;रह. इब्ने इस ज़माने में ये बात कह रहे हैं कि अभी सहाबा ए कराम (रज़ी.) की ज़ियारत करने वाले लोग ला तावाद मौजूद हैं। आज हमारे अफ़आल, आमाल और किरदार को देखते तो ना जाने उन का तास्सुर क्या होता।

### उम्र भर का कफ़ारा

हज़रत अबू हुरैराह (रज़ी.) से रिवायत है के रसूल अल्लाह (स.) से सुना है के जिस ने हज किया और कोई बेहयाई का काम नहीं किया और फिस्क व फुज़ूर से बचा रहा तो वह गुनाहों से इस तरह पाक हो जाएगा; जैसे आज पैदा हुआ है। (बुखारी, मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैराह (रज़ी.) से रिवायत है कि रसूल अल्लाह (स.) ने फरमाया: एक उम्रह से दूसरे उम्रह तक बीच के तमाम गुनाहों का कुफ़ारा है और हज्जे मबरूर की जज़ा जन्त है। (बुखारी, मुस्लिम)



# हरम और मीकात का बयान

- नबी करीम (स.) का इर्शाद है, कि “अरबों से मोहब्बत करो, क्योंकि मैं अरबी हूँ। कुरआन अरबी में है और जन्म की ज़बान अरबी है। (बैहकी हाकिम) इस लिए हम सऊदी अरब का दिल से एहताराम करते हैं”
  - इस काबिले एहताराम मुल्क में एक वसीअ इलाके को अल्लाह ताअला ने मुकद्दस करार दिया है। सिर्फ समझने के लिए इस वसीअ इलाके को हम मुकद्दस ज़िला का नाम देते हैं।
  - इस मुकद्दस ज़िले के मर्कज़ में एक इंतेहाई मुकद्दस शहर है, इस मुकद्दस शहर का नाम मक्का मुकर्रमा है। इस शहर की हदूद भी अल्लाह ताअला ने मुतय्यन कर दिये हैं, इस की एक मशहूर हद को तन्ओम कहते हैं।
  - अल्लाह तआला के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस मुकद्दस ज़िले और मुकद्दस शहर के हदूद की निशानदही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन मुकामात पर बुर्ज या सतून की शकल में निशानी खड़ी कर दिया था।
  - हज़रत इब्राहिम (अ.स) के बाद हर ज़माने के हुक्मरां उन निशानियों की देखभाल और मरम्मत करते रहे और वे मीकात कहलाते हैं, और वह आज तक करते हैं।
  - मुकद्दस ज़िला और मुकद्दस शहर के वह हदूद जिस की निशानदही हज़रत जिब्राइल (अ.स) ने हज़रत इब्राहिम (अ.स) को की थी, मीकात कहलाते हैं। मुकद्दस ज़िला और मुकद्दस शहर के मीकात अलग अलग हैं।
  - मुकद्दस ज़िला की सरहद (मीकात) के कुछ मशहूर मुकामात इस तरह से हैं: जुल खलीफा, (बीर अली), ज़ाते ईराक, करानुलमुनाज़िल, यलमलम, जिद्दा, जिहफा, मुकद्दस शहर मक्का मुकर्रमा की सरहद (मीकात) के कुछ मशहूर मुकामात इस तरह हैं: तन्ओम, जअराना, वादिए मुहल्ला, मुज़दल्फा, इज़ातुल्लैन, हुदेबिया।
  - मक्का मुकर्रमा के रहने वालों को अहले हरम मक्क कहते हैं। मक्का मुकर्रमा के हदूद के बाहर मगर मुकद्दस ज़िला के हदूद के अन्दर की ज़मीन को ‘हिल’ कहते हैं और यहां के रहने वालों को ‘अहले हिल’ कहते हैं। मुकद्दस ज़िला से बाहर रहने वालों को ‘आफ़ाकी’ कहते हैं।
  - पहले ज़माने में यह उसूल था कि जब कोई शख्स किसी नये मुल्क में तिजारत के लिए जाता, तो पहले उस मुल्क के बादशाह के दरबार में हाज़िरी देता या तोहफा पेश करके इजाज़त तलब करता और इजाज़त मिलने पर मुल्क में घूम फिर कर तिजारत करता और मुनाफा कमाता। हर शख्स के लिए हर मुल्क की सरहदें मुफ्त में खुली न थीं बल्कि कुछ उसूल थे और मौज़ों उसूल थे।
  - ऐसे ही उसूल इस मुकद्दस शहर मक्का मुकर्रमा के लिए भी है। कोई भी शख्स किसी भी ज़रूरत से चाहे वह इबादत की गर्ज से हो या तिजारत की गर्ज से हो दनदनाते हुए इस शहर में दाखिल नहीं हो सकता है। उसे कुछ उसूल की पाबंदी करनी ही होगी। वह निचे दिए हैं।
- १) मुकद्दस ज़िला की सरहद (मीकात) में दाखिल होने से पहले एहराम पहने।
  - २) तल्बिया पढ़ते हुए सारे जहां के खालिक व मालिक के घर पर हाज़िरी दें।
  - ३) फिर मौके के मुताबिक हज या उम्रह करें।
  - ४) इन सब से फ़ारिग होकर वह फिर दूसरे काम कर सकता है।

- ५) मुकद्दस शहर मक्का में अगर किसी आफ़ाकी को सिर्फ तिजारत के लिए जाना हो और इबादत का इरादा न हो तब भी उन उसूलों की पाबंदी करना लाज़िमी है। यानि हज या उमराह करना ही होगा।
  - ६) अहले हिल और अहले हरम के लिए तिजारत की गर्ज या सिर्फ तवाफ की गर्ज से मुकद्दस शहर और मुकद्दस ज़िला के दरम्यान बग़ैर एहराम की पाबंदी के आने और जाने की इजाज़त है। मुकद्दस ज़िला से बाहर जाने के बाद उन्हें भी एहराम पहन कर हरम शरीफ की हदूद में दाखिल होना है।
- अहले हिल और अहले हरम को अगर उम्रह अदा करना है, तो इन मुकद्दस शहर की सरहद पर पहुंच कर पहले एहराम पहनना है, फिर तल्बिया पढ़ते हुए सारी कायनात के खालिक व मालिक के दरबार में हाज़िरी दे कर उम्रह के अरकान अदा करना है। तन्ओम इन मुकामात में से एक है।
  - अहले हरम और अहले हिल को अगर हज करना है, तो उन्हें घर ही में एहराम पहनना है।  
मुकद्दस ज़िला से बाहरी रहने वाले यानी आफ़ाकी जब मुकद्दस शहर मक्का पहुंचकर उम्रह या हज कर लेते हैं और मक्का मुकर्रमा में ही क़याम करते हैं, तो वह भी अहले हरम की तरह हैं यानि अगर उन्हें उम्रह करना है, तो ज़िला के सरहद पर (मीकात) पर एहराम बांधने की ज़रूरत नहीं है। वे अहले हरम की तरह मुकद्दस शहर की सरहद पर जाकर एहराम बांध सकते हैं, इसलिए हाज़ी हज़रात मक्का के क़याम में सिर्फ तन्ओम तक जाकर एहराम बांधते हैं। मगर यहीं हज़रात अगर मुकद्दस ज़िला से निकलेंगे यानी मीकात से बाहर चले गये, तो फिर उम्रह करने के लिए मुकद्दस ज़िला की सरहद या मीकात से ही एहराम बांधना होगा। इसी लिए मक्का से मदीना जाने के बाद अगर वापस आकर फिर उम्रह करना हो, तो जुल्हेला जो के मदीना की तरफ से मुकद्दस ज़िला की सरहद है या मीकात है वहां से एहराम बांधना ज़रूरी है।
  - अगर कोई मदीना से आते वक़्त जुल्हेला के बजाए तन्ओम आकर एहराम बांधकर उम्रह करेगा, तो मुकद्दस ज़िला में बग़ैर एहराम के दाखिल होने के जुर्म में दम लाज़िम होगा।
  - आपका वतन या रिहाईश मुकद्दस ज़िला की सरहद या मीकात के जिस सिम्त है, मक्का मुकर्रमा में उम्रह या हज की नीयत से आते वक़्त इस सिम्त की मीकात से एहराम बांधना ज़रूरी है। आप गोल चक्कर लगा कर हरम से बिल्कुल क़रीब आकर एहराम नहीं बांध सकते क्योंकि अल्लाह तआला ने अपने बंदों को एहराम की हालत में तल्बिया पढ़ता देखना पसंद करता है। आप जितना ज़्यादा वक़्त एहराम पहन कर तल्बिया पढ़ते हुए सफ़र करे उतना ज़्यादा वक़्त अल्लाह तआला की पसंददीदह हालत में होंगे।
  - आप मीकात से गुज़रें या उसकी सीध से गुज़रें, मीकात पर या उससे पहले आप को एहराम पहनना ज़रूरी है। वर्ना, या तो फिर मीकात पर वापिस जाकर एहराम पहनना होगा या दम देना लाज़िम होगा।
  - हिन्दुस्तान की तरफ मुकद्दस ज़िला की सरहद मीकात यलमलम का पहाड़ है, अब आप यलमलम के पास या इस की सीध से पैदल या पानी के जहाज़ या हवाई जहाज़ से गुज़रें, इस के पहले आप को एहराम पहनना लाज़िमी है। हवाई जहाज़ या पानी का जहाज़ चक्कर काट कर दूसरी तरफ से जिद्दा पहुंच जायेगा और आप जिद्दा से एहराम पहन कर हदूद हरम में दाखिल

(बाकी पेज 39 पर)

# कुर्बानी में धोका

- हज एक अजीम इबादत है। बहुत सारे लोग ख़िदमत ख़ल्क के ज़बे से पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं। मिना और अरफ़ात में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हाजियों को मुफ्त बाँटते हैं।  
ऐसा ही एक तबूका आप को अपनी ख़िदमत 90 ज़िल्हिज्जा के दिन कुर्बानी में मदद के लिए पेश करेगा। यह आप से कहेंगे कि हर साल हम सौ या दो सौ या इस से भी ज़्यादा हाजियों के लिए कुर्बानी कराते हैं। अगर आप चाहें तो आप के लिए भी कुर्बानी कर के आप पर एहसान कर सकते हैं। ऐसा ही आप के बिल्डिंग के जिम्मेदार भी कहेंगे। ख़बरदार रहिये, यह सफ़ेद पोश मददगार नहीं, धोके बाज़ हैं।
- हर हाजी मक्का में नया होता है। 90 ज़िल्हिज्जा के दिन बहुत ज़्यादा काम होते हैं। लंबी दूरी तय कर के मज़ह खाना जाकर कुर्बानी करने का हौसला नहीं होता है। एहराम उतारने की जल्दी होती है, इस लिए हर हाजी शॉर्ट कट इख़्तियार करना चाहता है और दलालों को रूपया दे कर बरीउज़्जिम्मा होना चाहता है। मगर ये बहुत बड़ी ग़लती है।
- हम ने और हमारे कई साथियों ने हज से तीन दिन पहले कअुकई मज़ह खाना जाकर जानवर बेचने वालों से जानवरों की क़ीमत, दलालों के ज़रिये कुर्बानी, मज़ह खानों में कुर्बानी का तरीका, कुर्बानी के गोशत का मस्रफ, वग़ैरह वग़ैरह के बारे में गहराई से तहक़ीक़ात की, जिस से पता चला कि:
- 9. हर दलाल का जानवर बेचने वाले से एक कारोबारी संबंध होता है। अगर वह हाजियों से ३०० या ३२५ रियाल वसूल करेगा तो ऐसे जानवर ख़रीदेगा जिन की क़ीमत सिर्फ़ २७० से २८० रियाल तक होगी।
- २. वह जानवर बेचने वाले से भी कमीशन वसूल करेगा।
- ३. अगर सौ कुर्बानी के लिए रूपया वसूल किया है, तो सिर्फ़ ७० या ८० जानवरों की कुर्बानी कराएगा।
- ४. कुर्बानी का एक तिहाई गोशत ग़रीबों को बांटना होता है लेकिन अगर हाजी अपनी कुर्बानी का गोशत छोड़ दें, तो दलाल पूरा का पूरा गोशत होटलों में बेच देगा।
- ५. कुर्बानी करते वक़्त किसी भी हाजी का नाम नहीं लिया जाता है।  
हम लोग तहक़ीक़ कर ही रहे थे कि उस वक़्त तक हर हाजी किसी न किसी दलाल को रूपया दे चुका था। हम में से कई हाजियों ने दलालों से रूपया वापस ले लिए और जो न ले सके उन्होंने अपने दिल के इत्मिनान के लिए फिर से कुर्बानी की।
- मक्का मुकर्रमा में तीन मज़ह खाने हैं एक मिना और मुज्दल्फ़ा के बीच में है, और मिना से बहुत नज़दीक़ है। जहाँ आप पैदल जा सकते हैं। दुसरा कअुकई में है। और तीसरा और सब से बड़ा अल्-मईसम (Al-Meaysem) है। कअुकई मज़ह खाना मक्का मुकर्रमा शहर से ५ कि.मी. दूर है। यहाँ जाने के लिए आप को हरम में मिस्फ़ला इलाके से टेक्सी मिलेगी। अगर आप शेयर-टेक्सी से सफर करें तो २ से ५ रियाल किराया होगा। और अगर अकेले सफर करें तो २० रियाल भी किराया हो सकता है।  
मईसम मज़ह खाना बहुत बड़ा है और यहाँ से ही सारी दुनिया में कुरबानी का गोशत ग़रीब मुल्कों में भेजा जाता है। यह मज़ह खाना मिना और मुज्दल्फ़ा के दरमियान है, यह फैसल पुल और अब्दुल अज़ीज़ पुल के दरमियान वाक़ै है। अगर आप अरफ़ात की तरफ़ रुख़ करें तो यह मिना के बाएँ तरफ़ पहाड़ी के पीछे है। फैसल पुल से यह ३ कि.मी. की दूरी पर है

और अब्दुल अज़ीज़ पुल से दूरी २ कि.मी. है और वहाँ पहोंचने के लिए सुरंग से होकर गुज़रना होगा।

मईसम और कअुकई में कुर्बानी का अच्छा इन्तेज़ाम है, जहाँ बकरे, दुंबे, गाय और ऊंट वग़ैरह आप अपनी इस्तेताअत के मुताबिक़ ख़रीद सकते हैं। जानवर ख़रीद कर आप उन्हें मज़ह खाने में जमा कर दीजिए। वे बकरे की कुर्बानी का ३० रियाल, गाय का १५० रियाल और ऊंट का २५० रियाल लेंगे। कुर्बानी हुकुमत के आदमी ही करते हैं मगर आप ग़ैलीरी में खड़े रह कर देख सकते हैं। जानवर जमा करने पर आप को एक कूपन मिलेगा। जिसे दिखा कर अगर आप चाहें तो जानवर का पुरा गोशत घर ले जा सकते हैं और नहीं तो हुकुमत उसे ग़रीब मुल्कों में भेज देगी।

- मिना मज़ह खाने में भी ऊंट और गाय बैल के कुर्बानी का ऐसा ही इन्तेज़ाम है। दुसरा आसान तरीका बैंक में रूपया जमा करना है। ये भी सही तरीका है। बैंक में रूपया जमा करने में कोई हर्ज नहीं। क्यों के कुर्बानी की जिम्मेदारी हुकुमत लेती है और हुकुमत दिल व जान से हाजियों की ख़िदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती।
- अगर लोगों की भीड़, वक़्त की कमी, खो जाने का डर, कमज़ोरी वग़ैरा से आप खुद कुर्बानी नहीं कर सकते, तो बैंक के ज़रिए कूपन ले कर कुर्बानी कर दीजिए। वरना कुर्बान ग़ाह जा कर कुर्बानी कीजिए, जो कि ज़्यादा बेहतर है। मगर हर हाल में दलालों से होशियार रहिए। अगर आप हज से पहले मज़ह खाना जा कर कुर्बानी के जानवरों के बारे में अच्छी तरह मालूमात हासिल कर चुके हैं तो ही हज के दौरान खुद कुर्बानी कीजिए वरना मद्रसा सौलतिया या बैंक के ज़रिए कुरबानी कीजिए, क्योंकि नए लोगों को हज के शदीद भीड़ वाले दिनों में खुद कुर्बानी करने में कई बार बहुत मुश्क़लात पेश आती हैं।
- मक्का शरीफ़ में हरम से बाहर मद्रसा सौलतिया है, जो वर्षों से हाजियों की ख़िदमत करता चला आ रहा है और एक जिम्मेदार और दीनदार इदार है। मद्रसा सौलतिया बाबे फ़हद के करीब हारतुल बाब इलाके में बच्चियों के कब्रस्तान के करीब है। अगर आप मद्रसा सौलतिया के ज़रिए कुर्बानी करें तब भी सही है। वह आप के बताए हुए वक़्त पर ही कुर्बानी करेंगे। या फिर उनसे पूछ लें की वह आपकी कुर्बानी किस दिन और किस वक़्त करेंगे। फिर उसके बाद सिर मुँडवाएं। इस तरह आप के अरकान सही तरतीब से अदा हो जाएंगे।
- हाजी के लिए दो कुर्बानियां हैं एक हज की कुर्बानी और दूसरी ईदुज्जुहा की कुर्बानी। हज की कुर्बानी मुतम्भा और कारिन पर हुदूदे हरम में वाजिब और मुफ़र्रद पर मुस्तहब है। जबकि ईदुज्जुहा की कुर्बानी के लिए यह हुक़म है, कि अगर हाजी मुसाफ़िर हो, तो उस पर यह कुर्बानी वाजिब नहीं है और अगर मुसाफ़िर नहीं है, तो वाजिब है। यह कुर्बानी वह हुदूदे हरम में भी कर सकता है और अपने वतन में भी। इस लिए अगर किसी को कुर्बानी अपने वतन में करना हो, तो पहले ही से अपने घर वालों को कुर्बानी की हिदायत देकर रखे।
- किसी ग़लती पर अगर दम लाज़िम हो गया हो, तो वह कुर्बानी भी हुदूदे हरम में देना लाज़िम है, और उसका गोशत आप खुद इस्तेअमाल नहीं कर सकते।
- बकरी, मेंढ़ा दुम्बा वग़ैरह पर सिर्फ़ एक ही कुर्बानी होगी। ऊंट, बैल वग़ैरह पर सात कुर्बानी के हिस्से हो सकते हैं।

(बाकी पेज 39 पर)

# तारीखे मक्का मुकर्रमा और काबा शरीफ़

- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ी.) रावी हैं कि आसमान व ज़मीन की पैदाइश के ज़माने में पानी की सतह से सब से अव्वल काबा का मुकाम नमुदार हुआ। फिर इस के बाद ज़मीन इस के नीचे से फैलाई गई। (मअर्रेफत काबा, पेज: ५)
- अल्लाह तआला फरमाते हैं। लोगों के लिए इबादत की गरज़ से बनाया जाने वाला पहला घर मक्का में है जो तमाम दुनिया के लिए बरकत व हिदायत वाला है। (सूरह आले इमरान, ६६)
- काबा शरीफ़ की तअमीर १२ मरतबा हुई। इस में पांच बहुत मशहूर हैं। (१) फ़रिश्तों ने पहली बार तअमीर किया। (२) हज़रत आदम (अलै.) ने दूसरी बार तअमीर किया। (३) हज़रत इब्राहीम (अलै.) ने तीसरी बार तअमीर किया। (४) हुज़ूर (स.) जब २५ साल के थे तब कुरैश ने मरम्मत किया। (५) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ी.) ने ६५ हिजरी में नए सिरे से तअमीर किया।
- हज़रत इब्राहीम (अलै.) के ज़माने तक हतीम खाना काबा का हिस्सा था। कुरैश ने जब काबा शरीफ़ की फिर से मरम्मत की, तो हलाल और पाक दौलत की कमी की वजह से खाना काबा को पहले शकल में न बना सके और हतीम का हिस्सा खाना काबा में शामिल न कर सके।
- हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर (रज़ी.) ने जब खाना काबा की मरम्मत की तो हतीम भी खाना काबा में शामिल कर लिया और पहले की तरह खाना काबा में दो दरवाज़े कर दिए। एक मशरिफ़ और एक मगरिब की तरफ। जब हुज़्जाज मक्का मुकर्रमा का गवर्नर बना तो उस ने हज़रत जुबैर (रज़ी.) को शहीद कर दिया और खलीफ़ा अब्दुल मलिक बिन मरवान की इज़ाजत से हतीम को फिर खाना काबा से बाहर कर दिया और मगरिबी दरवाज़ा भी बंद कर दिया। खलीफ़ा को जब हज़रत आइशा (रज़ी) की हदीस पहुँची तो बहुत पछताया। मगर उस ने खाना काबा को इसी तरह रहने दिया और आज तक खाना काबा इसी हालत में है।
- कुरआन शरीफ़ में मक्का मुकर्रमा के पांच नाम हैं। मक्का, बक्का, अल—बलद अल—अमीन, उम्मुल कुरा, करया
- दूसरी मज़हबी किताबों में भी खाना काबा का ज़िक्र है। हिंदुओं कि किताबों में खाना काबा के निम्नलिखित नाम हैं। इलास्पद- इला यानी अल्लाह, और अस्पद यानी मकाम. (अल्लाह का मुकाम) नाभा-पृथिव्या, नाभ यानी नाफ, पृथिव्या यानी पृथ्वी या ज़मीन (नाफे ज़मीन) नाभी कमल- नाभी यानी नाफ कमल यानी कमल का फूल (उनके मुताबीक खाने काबा कि ज़मीन पहले कमल की फूल की तरह पानी से उपर आयी फिर चारों तरफ फैल गई और इस कमल का दरम्यानी हिस्सा खाने काबा है।) अदि पुश्कर तीर्थ-आदि पुश्कर यानी बेहद मुक्कदस तीर्थ यानी मुक्कदस मुकाम (या बेहद मुक्कदस मुकाम) मुक्तेश्वर- मक्त यानी मक्का, मक्का मुक्कर्रमा ईश्वर यानी परमेश्वर या खुदा (मक्तेश्वर यानी खुदा का मक्का) और भी कई नाम हैं जैसे दारदुकाबन, अलायास्पद वगैरह
- बाइबल में मक्का मुकर्रमा को बक्का के नाम से याद किया गया है। और खाने काबा को अल्लाह का घर बयान किया गया है। (पासलमस ८४:४:६)
- अल्लाह तआला ने काबा शरीफ़ के इतराफ एक बड़े इलाके को हरम करार दिया है। हज़रत जिब्राईल (अलै.) ने इस इलाके की निशान-दही हज़रत इब्राहीम (अलै.) को की थी। हज़रत इब्राहीम (अलै.) ने हरम की सरहद पर

निशानी के तौर पर बुर्ज बना दिए थे। हर दौर में इस की मरम्मत होती रही। और आज तक बाकी है। इस में से एक तन्ओम है। जहाँ से उमरे के लिए हाजी एहराम बांधते हैं। इस इलाके में हर जानदार को अमान है। अल्लाह तआला फरमाते हैं, “जो शख्स इस हरम में दाखिल हो जाए वह अमन वाला हो जाता है।” (आले इमरान, ६८)। इस इलाके में अगर कोई कत्ल करके भी दाखिल हो जाए, तो न इसे हरम में कत्ल किया जाएगा न गिरफ्तार, जब तक वह हरम से बाहर न आ जाए। हाँ! अगर वह हरम में जुर्म करे तो सज़ा मिलेगी क्योंकि इस ने हरम की बेहुर्मती की है।

- हुज़ूर (स.) का इरशाद है कि मस्जिदे हराम की एक नमाज़, एक लाख नमाज़ों से भी बढ कर है। (मस्नद अहमद)
- यानी एक वक़्त की नमाज़ ५५ साल की नमाज़ों से ज़्यादा है और यह एक लाख गुना ज़्यादा सवाब का मिलना सब नेकियों के लिए है। इसी तरह मक्का मुकर्रमा में जिस तरह नेकियां बढ़ती हैं उसी तरह गुनाह भी बढ़ते हैं।
- मुकामे इब्राहीम वह पत्थर है जिसे अल्लाह तआला ने हज़रत इब्राहीम (अलै.) के लिए नरम कर दिया था और इस पर खड़े हो कर वह खाना काबा की तअमीर करते थे और इस पर हज़रत इब्राहीम (अलै.) के कदमों के निशान हैं। पहले यह पत्थर खाना काबा से बिल्कुल लगा हुआ था। अल्लाह तआला फरमाते हैं कि तुम मुकामे इब्राहीम को जा-नमाज़ बनाओ। (बुखारी ७०२)
- मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होने के बाद मुकामे इब्राहीम पर नमाज़ पढने वालों से तवाफ करने वालों को दुश्चारी होने लगी तो हज़रत उमर (रज़ी) ने मुकामे इब्राहीम को खाना काबा से तकरीबन १४ मीटर दूर कर दिया था और आज तक उसी जगह है। (फतेह अल-बारी, शरह हदीस ७७८३)
- खाने काबा का रक़बा तकरीबन १६०० स्क्वायर फिट है अगर हतिम को भी शामिल कर लिया जाए तो ये २३०० स्क्वायर फिट है खाने काबा कि ऊंचाई ४६ फिट है।
- खाने काबा की छत को तीन उमुदी सुतूनो (कॉलम) का सहारा है।
- खाने काबा के अंदरूनी हिस्से कि सजावट बिल्कुल मस्जिद नबवी के रियाजुल जन्ना की तरह है। अंदरूनी हिस्से कि सफाई का विडीयो आप इंटरनेट यु टयुब पर देख सकते है।
- खाना ए काबा पर पहली बार गिलाफ़ दौरे जाहिलियत में तबअ अस्अदुल हमैरी ने चमड़े का पहनाया था। हुज़ूर (स.) ने फतेह मक्का के बाद यमनी कपड़े का गिलाफ़ पहनाया था। नासिर अब्बासी ने पहली बार काले रंग का गिलाफ़ पहनाया था। तब से अब तक गिलाफ़ काले रंग का ही पहनाया जाता है।
- हजरे अस्वद और मकामे इब्राहीम यह दोनों जन्नत के दो चमकदार पत्थर थे, लेकिन अल्लाह तआला ने उन का नूर खत्म कर दिया। अगर अल्लाह तआला उन का नूर खत्म न फरमाते तो यह ज़मीन व आसमान के दरम्यान या मशरिफ़ और मगरिब के दरम्यान पूरी दुनिया को रौशन कर देते। (मस्नद अहमद २१३/२)
- ज़मीन पर बेहतरीन पानी आब ए ज़म ज़म है। यह खूराक भी है और बीमारी से शिफा भी। (मोअज्जा कबीर, तिबरानी, हदीस १११६८)
- हजरे अस्वद और काबा के दरवाज़े की दरम्यान जगह को मुल्लज़म कहा जाता है। हज़रत मुजाहिद ने फरमाया, जो इस जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करेगा, अल्लाह तआला ज़रूर उस की दुआ कबूल फरमाएगा। (तारीख ए मक्का, अज़रकी ३६८/२) हुज़ूर (स.) यहाँ दीवार से इस तरह चिमट कर दुआ मांगा करते जैसे बच्चा अपनी माँ से चिमट जाता है और यहाँ इस तरह दुआ मांगना सुन्नत है।



# मक्का मुकर्रमा के तारीखी मुकामात

## मौलिदे रसूल यानी हुजूर (स.) की जा-ए-पैदाइश:-

यह वह मुकाम है जहाँ २२ अप्रैल ५७१ हिजरी सन को नबी करीम (स.) रहमते आलम बन कर दुनिया में तशरीफ लाए थे। अब इसी मुकाम पर एक लायब्रेरी और मदरसा है। यह मुकाम हरम शरीफ से ३ फर्लांग की दूरी पर सफा मरवा की जानिब टैक्सी स्टैण्ड के पास है।

**जम्नतुल मुअल्ला:-** यह मक्का मुकर्रमा का कब्रस्तान है। यहाँ पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा (रज़ी), बहुत सारे सहाबा ताबैन और औलिया-ए-किराम (रज़ी) मदफून हैं। मस्जिदे जिन्न के करीब मीना जाने वाली सड़क पर है।

**मस्जिद अल-रया :-** यह वह जगह है जहाँ नबी करीम (स.) ने फतहे मक्का के मौके पर अपना झंडा नसब फरमाया था।

**मस्जिदे जिन्न :-** इस जगह नबी करीम (स.) ने जिन्नातों से बैत ली थी।

**जबल ए नूर :-** यह पहाड़ मक्का मुकर्रमा से मिना जाने वाले रास्ते पर तकरीबन ३ मील की दूरी पर है। इस की उँचाई तकरीबन २००० फिट है। इस की चोटी पर गार ए हिरा है, जहाँ पहली बार नबी करीम (स.) पर वही नाज़िल हुई थी।

**जबल ए सौर :-** यह पहाड़ मक्का मुकर्रमा से तकरीबन ६ मील की दूरी पर है। इस की चोटी पर गार ए सौर वाक़अे है, जिस में नबी करीम (स.) ने हिजरत के वक्त हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक (रज़ी) के साथ तीन दिन कयाम फरमाया था। इन दोनों पहाड़ों पर कमज़ोर, ज़ईफ और बीमार न चढ़ें।

**मस्जिदे आइशा (रज़ी):-** इस मस्जिद को मस्जिदे तनईम भी कहते हैं। यह हुदूदे हरम के बाहर है। मक्का मुकर्रमा में रहते हुए अगर किसी को उम्रह करना हो तो इस मुकाम पर आ कर उम्रह का एहराम बांधा जाता है।

**हज़रत ख़तीजा (रज़ी) का घर :-** इस मुकाम पर नबी करीम (स.) ने मदीना मुनव्वरा हिजरत करने तक कयाम फरमाया। हज़रत इब्राहीम (अलै.) के इलावा आप (स.) की सारी औलादें इस मुकाम पर पैदा हुईं। यह मुकाम मरवा की तरफ छपरा बाज़ार में दाखिल होते ही दाएँ जानिब ज़रगरों की पहली गली में है। अब यहाँ दारुल हुफ़ाज़ कायम कर दिया गया है, जहाँ बच्चे कुरआन पाक हिफज़ करते हैं।

मस्जिदे खैफ, मस्जिदे नमरा, मस्जिदे शअरूल हराम, जबल ए रहमत, जम्रात यह वह मुकामात हैं जहाँ आप को हज के पांच खास दिनों में जाना होगा। मगर लोगों के हुजूम की वजह से आप किसी भी मुकाम को ठीक से नहीं देख पाएँगे। इस लिए हज से पहले या बाद में इत्मिनान से इन मुकामात को ज़रूर देखें।

## कुछ मषहूर नामों का तअरुफ़:

**काबा या बैतुल्लाह:** अल्लाह तआला का घर जिस का हज और तवाफ किया जाता है। उसको काबा या बैतुल्लाह कहते हैं, और वह मस्जिद जिस में बैतुल्लाह वाक़अे है उसे मस्जिदे हराम कहते हैं।

**रुक्न यमानी:** खाना ए काबा का जुनूब मगरिबी कोना है। यमन की सिम्त वाक़अे है।

**रुक्न ईराक़:** खाना ए काबा का ईराक़ की सिम्त का कोना है।

**रुक्न शामी:** खाना ए काबा का शाम की सिम्त का कोना है।

**हज़े अस्वद:** दीवार काबा में रुक्ने यमानी के बाद वाले कोने में नसब वह पत्थर जिसे बोसा दे कर या जिसकी तरफ मुंह कर के दूर से हाथ उठाकर तवाफ का हर चक्कर शुरू किया जाता है।

**मुवतज़िम:** हज़े अस्वद और बैतुल्लाह के दरवाज़े के दरमियान की दीवार जिस पर लिपट कर दुआ मांगना मसनून है।

**हतीम:** बैतुल्लाह से मुतसिल सुमाली जानिब का वह हिस्सा जो खाना ए काबा में शामिल था। यह बैतुल्लाह ही का हिस्सा है, जो कुरैश की तअमीर के वक्त हलाल कमाई के कम पड़ने की वजह से बैतुल्लाह से बाहर छोड़ दिया गया था।

**मिज़ाबे रहमत:** खाना ए काबा की छत से हतीम की तरफ़ बारिश के पानी के गिरने की जगह (परनाला) यह वह जगह है, जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहस्सलाम ने बैतुल्लाह को तअमीर किया था।

**तवज़ीम:** यह एक मिकात है, जहाँ से मक्का मुकर्रमा में कयाम के दौरान उम्रह के लिए एहराम बांधते हैं।

**मिकात:** उस जगह को कहते हैं जहाँ से हुदूदे हरम से बाहर रहने वालों के मक्का मुकर्रमा के लिए उम्रह या हज की नीयत से आने के लिए एहराम बांधना ज़रूरी होता है।

**जुल्हुलैफा:** मदीना से मक्का की तरफ़ तकरीबन दस किलो मीटर पर वाक़अे है, जो मदीना वालों का मिकात है।

**ज़ाते ईराक़:** मक्का से ईराक़ की तरफ़ तकरीबन तीन रोज़ की मुसाफ़रत पर है, जो ईराक़ से आने वालों के लिए मिकात है।

**यलमूलम:** मक्का से जुनूब की तरफ़ दा मंज़िल पर एक पहाड़ है, यह हिंदोस्तानियों और पाकिस्तानियों के लिए मिकात है।

**जहफा:** शाम की तरफ़ मक्का से तीन तीन मंज़िल पर है, जो शामियों के लिए मिकात है।

**कुरनुल मनाज़िल:** नज्द की तरफ़ से आने वालों के लिए मिकात है।

**सफ़ा:** काबा के करीब जुनूब में एक पहाड़ी है जहाँ से सई शुरू करते हैं। यही वह पहाड़ी है जहाँ खड़े होकर नबी-ए-करीम (स.) ने सब से पहले कुरैश को इस्लाम की दावत दी थी।

**मरवा:** काबा के सुमाल मशिकी गोशे के करीब एक पहाड़ी है, जहाँ से सई ख़तम करते हैं।

**मसा:** सफा और मरवा के बीच सई करने की जगह।

**मीलैन अरुदरैन:** इस जगह से खाना-ए-काबा के पास लेटे हुए नन्हें हज़रत इस्माईल नज़र नहीं आते थे इसलिए इस जगह से हज़रत हाजरा (रज़ि.) दौड़ कर गुज़रती थीं। इस जगह की निशान-दही के लिए दो हरे रंग के सुतून खड़े कर दिए गए हैं। हज़रत हाजरा (रज़ि.) की सुन्नत अदा करने के लिए मर्द हाजियों को यहाँ दौड़ कर गुज़रना है।

**अरफ़ात:** मिना से तकरीबन ६ किलो मीटर दूर एक मैदान है जहाँ की मस्जिद में हज का खुत्वा दिया जाता है और जहाँ हज के दिन हाज़िर होना ज़रूरी है। यह ज़रूरी नहीं है, के सिर्फ़ मस्जिद नुम्रा में ही हाज़िर हों बल्कि मैदाने अरफ़ात में जहाँ कहीं भी हाज़िर हों, जायज़ है। याद रहे, कि अगर आप अरफ़ात के मैदान में हाज़िर नहीं हुए, तो हज न होगा।

**जबले रहमत:** अरफ़ात में वह पहाड़ जिसके करीब नबी करीम (स.) ने हज्जतुलविदा का खुत्वा दिया था। यहीं पर ज़मीन पर पहली बार मॉ हब्बा और हज़रत आदम (अ.स.) की मुलाकात हुई थी।

**हमत:** यह वह वादी है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम (अ.स.) ने हज़रत इस्माईल (अ.स.) की कुरबानी देने की कोशिश की थी। यहाँ पर हाजियों को कम अज़ कम तीन दिन रहना वाजिब है।

(बाकी पेज ३९ पर)

# हज क्या है?

## हज क्या है ?

- खाना-ए-काबा की तरफ खुदा के हुक्म के मुताबिक आना, तवाफ व सई करना और अरफात में ठहरने और रसूल करीम (स.) के सिखाए हुए तरीके के मुताबिक अरकान अदा करने को हज कहते हैं।

हज हर मुसलमान, बालिग, आकिल, समझदार और हर मालदार पर, ज़िन्दगी में एक बार फर्ज है।

- अल्लाह तआला फरमाते हैं, कि

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْيُسْبِيْلًا (سورة آل عمران: 97)

“लोगों पर अल्लाह का यह हक है, कि जो उसके घर तक पहुंचने की इस्तेताअत रखता हो वह उसका हज करे।” (सूरह आले इमरान: ९७)

- नबी करीम (स.) ने फरमाया: “ऐ लोगों! अल्लाह तआला ने तुम पर हज फर्ज किया है, इस लिए हज करो।” (मुस्लिम निसाई)
- नबी करीम (स.) का इर्शाद है, कि: “जो हज का इरादा रखता हो, वह जल्दी करे” (अहमद अबू दाऊद)
- इमाम अहमद (रह.) इमाम अबु हनीफा (रह.) और इमाम मालिक (रह.) फरमाते हैं, कि इन्सान माली और जिस्मानी तौर से हज करने के काबिल जैसे ही होता है। उस पर हज फौरन वाजिब हो जाता है। (इसमें देर नहीं कर सकते) लेकिन इमाम शाफई (रह.) का ख्याल है, कि कुछ वक्फा देर की जा सकती है, लेकिन आखिर उम्र तक नहीं बल्कि हमेशा हज का इरादा किये रहे जब तक पूरा न कर लें (और जितनी जल्दी मुम्किन हो हज कर ले) वरना गुनाहगार होगा।

## हज की फज़ीलत:

- जिस शख्स ने हज किया और ज़िना और गुनाह से महफूज़ रहा, तो वह तमाम गुनाहों से पाक होकर ऐसा लौटा जैसे कि माँ के पेट से पैदा होने के रोज़ पाक था। (बुखारी, मुस्लिम)
- हज़रत अबु हुदैरा (रजी.) से रिवायत है, कि नबी करीम (स.) ने फरमाया कि उम्ह, दूसरे उम्ह तक के गुनाहों का कफ़ारा है, जो इन के दरम्यान सरज़द रहा और हज मबरूर का सवाब जन्म ही है। (बुखारी, मुस्लिम)

## हज न करने पर वर्इद:

- हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रजी.) फरमाते हैं, कि जो शख्स तंदरूस्त हो, हज के अख़राजात रखता हो, फिर भी बग़ैर हज किए मर जाये, तो क़यामत के दिन उसकी पैशानी पर काफ़िर लिखा होगा। (दुरर मन्सुर)
- हज़रत अबी इमामा (रजी.) फरमाते हैं, कि रसूल अल्लाह (स.) फरमाया के जिस शख्स को किसी ज़रूरी हाजत या ज़ालिम बादशाह या शदीद मर्ज़ ने हज से नहीं रोका और उस ने हज नहीं किया और मर गया, तो वह चाहे यहूदी हो कर मरे या नसरानी हो कर मरे। (बारसी)
- हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रजी.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने फरमाया के इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर है। (१) कल्मा (२) नमाज (३) ज़कात (४) रोज़ा (५) हज, तो जो शख्स इन में से किसी खूबन को तर्क करता है, तो वह इस्लाम की इमारत को ढहाना चाहता है। (बुखारी शरीफ)


## फ़लसफ़-ए-हज:

जिस्म में दिल की और दौराने खून की क्या अहमियत है?

दौराने खून के अमल से खून जिसे सफ़ाई की ज़रूरत है दिल तक पहुंचता है। और वहां से सफ़ाई के लिए भेजा जाता है और फिर साफ़ खून तमाम जिस्म में वापस लौटाया जाता है, ताकि तमाम जिस्म बिल्कुल तंदरूस्त रहे। जिस्म के वह हिस्से जिस में खून का दौरान कम होता है, कमज़ोर पड़ जाते हैं और जिस्म का वह हिस्सा जिस में खून का दौरान रूक जाता है, सड़ जाते हैं।

## ज़मीन का मर्कज़ कहाँ है ?

- अगर हम ज़मीन का नक्शा देखे, तो जो खुश्की का इलाका है और जहां इंसान बसते हैं वह खते उस्तवा (Equator) के ४० डिग्री जुनुब में है और ८० डिग्री शुमाल के दरम्यान है। यानि खते इस्तवा खुश्की के मर्कज़ से नहीं गुज़रता बल्कि खुश्की के मर्कज़ से गुज़रने के लिए हमें २० डिग्री शुमाल की तरफ बढ़ना होगा।
- इसी तरह ज़ीरो डिग्री खते तुलुल बलद ग्रीन विच मुक़ाम से गुज़रता है, मगर यह भी इंसानी आबादी और खुश्की के मर्कज़ से नहीं गुज़रता बल्कि खुश्की कि मर्कज़ से गुज़रने के लिए हमें २० डिग्री मशिरक़ की तरफ बढ़ना होगा।
- ज़मीन के आबादी वाले इलाकों का मर्कज़ अगर हम उपर बताए गये तरीके से तलाश करें, तो जिस मुक़ाम पर हम पहुंचेगे वह शहर मक्का मुकर्रमा होगा जिसे आप खुद नक्शे में देख सकते हैं।  
(मक्का शहर दुनिया के नक्शे में तुलुल बलद Longitude 38.5 डिग्री और अरज़ुल बलद Latitude 21.5 डिग्री पर है।)



- यह शहर ज़मीन का मर्कज़ और इस के दिल की तरह है। अल्लाह तआला ने कुरान शरीफ में फरमाया है -:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ  
(آل عمران: 96)

“इन्ना अव्वला बैतिव-वुज़ेआ लिन्नासि लिल्लज़ी बिबक्कता मुबा-रकंव व हुदल-लिल-आलमीन”

तर्जुमा: “पहला घर जो लोगों के इबादत करने के लिए मुकर्रर किया गया है, वही है, जो मक्का मुकर्रमा में है। बा बरकत और जहाँ के लिए मौअजिब हिदायत।” (आले इमरान: ९६)

तो यह घर लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है और यह बात क़यामत तक के लिए अटल रहेगी और मक्का मुकर्रमा सही दीन का हमेशा सर चश्मा रहेगा।

- जैसे अल्लाह तआला ने कुरआन की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी खुद ली है और

क्यामत तक कोई इस में तब्दीली नहीं कर सकता। इसी तरह खाना काबा के उलमा और उस के ज़िम्मेदारों से दुनिया को हमेशा हिदायत का रास्ता मिलेगा। इस की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह तआला ने खुद ली है। इस मुकद्दस घर को अल्लाह तआला कभी गुमराही फैलाने वाले इमाम और आलिम की सरपरस्ती में नहीं देगा। या यहाँ से दुनिया में कभी गुमराही नहीं फैलेगी।

## तूफाने नूह और गुमराही:

- तूफाने नूह एक आलमी सज़ा थी इस में हज़रत नूह (अलै.) और उनके साथियों के इलावा सारी दुनिया हलाक हो गयी थी। बाद में सारी दुनिया हज़रत नूह (अलै.) और उनके साथियों से ही आबाद हुई। इस लिए दुनिया की हर कौम में इस तूफाने नूह का ज़िक्र मौजूद है, मगर अहम बात यह है, कि हर कौम के तूफाने नूह की तफ़सील में ज़मीन आसमान का फर्क है। (इंटरनेट पर Flood Legend के उनवान से आप खुद तलाश करके इस मौजू पर पढ़ सकते हैं।)

दुनिया नये सिर से हज़रत नूह (अलैहिस्सलाम) और उनके साथियों से आबाद हुई, तो सारी दुनिया में जहाँ भी ये बसे, तूफान का किस्सा एक जैसा होना चाहिए था, मगर इस लिए नहीं है कि, हर दौर में जब इस किस्से को कहने सुनने में कुछ कुछ ग़लती होने लगी, तो इसकी इस्लाह करने वाला कोई न था। ख़ता पर ख़ता होती चली गयी और आखिर में सारा किस्सा असल से बिल्कुल मुख़्तलिफ़ हो गया।

जो तूफाने नूह अलैहिस्सलाम के किस्से के साथ हुआ वही तमाम मज़ाहिब के नज़रियात के साथ हुआ। किसी पैग़म्बर ने शिर्क और बुत परस्ती की तालीम नहीं दी थी, मगर जब नज़रियात में बिगाड़ पैदा हुआ, तो लोगों ने इस की इसलाह की कोशिश न की या उन्होंने इस निज़ाम पर अमल नहीं किया, जिससे इसलाह हो।

- हज यह दुनिया की दाईंमो हिदायत और इस्लाह का ज़रिया है। इस हज की इबादत के जरिए दौरान-ए-खून की तरह सारी दुनिया के इन्सानों को ज़मीन के दिल यानी मर्कज़ (मक्का मुकर्रमा) में जमा होता है और अपने इस्लाह के बाद फिर सारी दुनिया में फैल जाता है। जब तक लोग मर्कज़ में आते जाते रहेंगे उनका मज़हब और नज़रियात बिल्कुल सही रहेंगे। न कभी नमाज़ का तरीका बदलेगा न ही रोज़े का न कभी ज़कात का न कभी हज का। इस्लाम हमेशा अपनी असली शक़ल में बरकरार रहेगा। मगर मर्कज़ से रिश्ता कमज़ोर हो गया या कट गया तो फिर सड़े हुए जिस्म कि हालत होती है वही उस कौम की होगी।

अल्लाह तआला ने हर कौम को इस मर्कज़ पर जमा होकर इबादत करने कि तलकीन की है मगर उन्होंने नज़र अंदाज किया और खुद गुमराह हो गये। मिसाल के तौर पर चार हज़ार साल पुराने ऋग्वेद में हैं;

“ए इबादत गुजारों और मुल्क में समंदर के किनारे दारदुकबन (खाना काबा) है। जिसे कभी इन्सान ने नहीं बनाया इसमें इबादत करों ताकि अल्लाह की रहमत से जन्त में दाख़िल हो सको।” (ऋग्वेद, ३-१५५-१०)

दो हज़ार साल पुराने बाईबिल में है। (Pslam 84:1:12)

ऐ खुदा आपका घर कितना खुबसुरत है।

मेरी रूह तडपती है तेरे घर के दिवार के लिए।

मेरा जिस्म मेरा दिल रोता है इस हमेशा ज़िंदा रहने वाले खुदा के लिए।

ऐ अज़ीम और सारी क़ायनात के शहनशाह

वो खुश नसीब है जिन्हें तेरे घर का दीवार हुआ

वो तेरी इबादत कसरत से करते है।

वो खुश नसीब है जिनका तुझ पर भरोसा है।

वो खुश नसीब है जिसने तेरे घर पर हाज़िरी (हज का इरादा किया)।

जब वो वादी ए मक्का (मक्का मुकर्रमा) से गुजरते है।

तो इस चश्मा (ज़मज़म) के पास ठहरते है।

जिसे बरसात का पानी (तेरी रहमत भी भर देता है)।

ऐ अल्लाह! तेरे घर का एक दिन दुसरी जगहों के हजार दिन के बराबर है।

मेरे लिए तेरे घर का दरबान बनना किसी गुनहागर के घर में रहने से बेहतर है।

ऐ अज़ीम मालिक! वो खुशनसीब है जिनका ईमान तुझ पर है।

(ये अल्फ़ाज हज़रत दाऊद अलैसलाम के दुआ के अल्फ़ाज है। जो उन्होंने फलस्तिन कि फतेह से पहले अल्लाह तआला से माँगे थे) इससे यह बात साबित होता है कि उस जमाने में भी लोगो को मक्का मुकर्रमा, खाने काबा, ज़मज़म और हज के बारे में पूरा इल्म था।

- हरमैन शरीफ़ैन के ईमामों और आलीमों का मज़हब और आकिदा बिल्कुल सही है क्योंकि अल्लाह तआला ने इन मुक्कदस मुकामात के हिदायत का ज़रिया होने की ज़िम्मेदारी ले रखी है। (सूरह आले इमरान : ६६)। वो सारे मसलक भी सही है जो हरमैन शरीफ़ैन के ईमाम और उल्मा को सही समझते है और इन के पीछे नमाज़ पढ़ने में कोई कराहत महसूस नहीं करते और वह सारे मसलक और जो लोग हरमैन शरीफ़ैन के ईमाम और उल्मा को ग़लत कहते है, उनके कहने का मतलब ऐसा है कि किसी ज़माने में हरम हिदायत का ज़रीया हुआ करता था अब नहीं रहा और यह इसलिए हुआ के (नऊज़बिल्ला) अल्लाह तआला ने इसकि हिफ़ाजत कि जो ज़िम्मेदारी ले रखी थी वह पूरी न कर सके। ऐसे नज़रियात रखना गुनाह है।

कुरआन शरीफ़ में अल्लाह तआला फरमाता है:

“और अब उन के लिए कौन सी वजह है कि वह (अल्लाह तआला) उन्हें अज़ाब ना दे, जबकि वह मस्जिदे हरम में (लोगों को) नमाज़ पढ़ने से रोकते हैं और वह इस के मुतवल्ली भी नहीं हैं। इस के मुतवल्ली तो सिर्फ़ परहेज़गार हैं। लेकिन इन में से अक्सर नहीं जानते। (सूरह अम्फ़ाल, आयत ३४)

इस आयत की रू से जो भी इस मस्जिदे हरम के मुतवल्लियों को गुमराह कहेगा और इन के पीछे नमाज़ पढ़ने से रोकेगा वह भी खुदा के अज़ाब का मुस्तहिक होगा। हरम शरीफ़ कि जियारत इस अकिदे से करे कि चारों मुसल्लें बरहक है और चारों मसलकों में से कोई भी ग़लत नहीं है। और इस मस्जिद के इमाम भी हक पर हैं और उन के पीछे नमाज़ पढ़ना सही है। और सारी नमाज़ें भी बा जमाअत हरम में पढ़ें।

## हज आख़िरत की रिहसल

- उलमा कहते है कि हज दरअसल सफ़रे आख़िरत की एक रिहसल है जब किसी का इन्तेकाल होता है तो दोस्त ऐहबाब उसे नहेला धुलाकर, कफ़न पहनाकर, कब्रस्तान ले जाकर छोड आते है। मरनेवाला विराने में क्यामत तक पडा रहता है, फिर क्यामत के दिन वह अपनी कब्र से निकलकर हशर के मैदान में जाएगा और खुदा के सामने अपने अमाल का हिसाब किताब देगा। अगर किसी वजह से अमाल का वज़न कम हुआ तो उसे कोई और मौका नहीं मिलेगा बल्कि सज़ा होगी।

यह अल्लाह तआला का एहसान व करम है कि उसने इन्सानों पर हज फर्ज करके सफ़रे आख़िरत की रिहसल का मौका दिया और इस बाल का मौका दिया कि दुनिया के हशर के मैदान में आकर अमाल का पलडा हल्का है बंदा रो रोकर दुआ माँगे और अपनी मग़फ़िरत करा ले।

हाजी कफन (ऐहराम) पहन कर वीराने (मिना) में जाते हैं, और वहाँ कयात कयाम करते हैं। फिर वहाँ से हशर के मैदान (अरफात) जाते हैं और दिनभर अल्लाह की ईबादत करते हैं और रो रोकर पिछले सारे गुनाह माफ कराकर अपनी मगफिरत करा लेते हैं।

अल्लाह तआला के इस एहसान और करम की कद्र करनी चाहिए हज की एहमियत को समझना चाहिए और इससे पहले कि मौत आजाए या सूरज सवा नैज़े पर आ जाए, सही तरीके से हज करके अपने आखिरत संवार लेना चाहिए।

### रिज़क में बरकत:—

हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद (रजी.) से रिवायत है कि रसूल(स.) ने इर्शाद फरमाया कि हज और उम्ह पे दर पे किया करो क्योंकि हज और उम्ह फक्र व मोहताजी और गुनाहो को इस तरह दुर कर देते हैं जिस तरह लोहार और सोनार की भट्टी लोहे और सोने चांदी का मैल कुचैल दूर कर देती है और हजे मबरूर का सिला और सवाब तो बस जन्मत ही है। (ज़ामे तिरमीजी, निसाई)

### ऊपर बयान किये गए मजमून से वाज़ेह होता है कि,

- हज का मकसद सारी दुनिया की इस्लाह और हिदायत है।
- हज आखिरत की रिहर्सल है।
- अल्लाह तआला ने हज-ए-मबरूर के ज़रिए तमाम इन्सानों को गुनाहों से पाक होने का एक नुस्खा दिया है।
- हज एक बा बरकत इबादत है। इसको करने से माल व दौलत में इज़ाफा होता है। (जो लोग हरम शरीफ में नमाज नहीं पढ़ते और दुसरे तरह के गुनाह करते हैं। चूंकि हरम का एक गुनाह एक लाख गुनाह के बराबर है इसलिए हज के बाद वह लोग अक्सर बर्बाद या मज़ीद बद्दीन हो जाते हैं, जो लोग खुलूस के साथ इबादत करने की कोशिश करते हैं वह हमेशा हज के बाद तरक्की करते हैं और खुशहाल हो जाते हैं। यह मेरा ज़ाती तजरिबा और मुशाहिदा है।)

हजरत अनस (रजि.) कहते हैं कि, हज़रत मुहम्मद (स.) ने मुझसे कहा, 'ऐ मेरे प्यारे बेटे! अगर तुम्हारे लिए संभव हो कि ऐसा जीवन गुज़ारो जिसमें किसी के लिए तुम्हारे हृदय में कोई ग़लत भावना न हो तो ज़रूर ऐसा जीवन गुज़ारो और यह मेरे जीने का तरीका है। जो मेरे जैसा जियेगा तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह मुझसे प्रेम करता है। और जो मुझसे प्रेम करेगा वह मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। (हदीस मुस्लिम)

### रमज़ान का उम्ह

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ;रजिद्ध से रिवायते के रसूल अल्लाह (स.) ने फर्माया रमज़ान का उमराह हज करने के बराबर है जो मेरे साथ किया जाए। (बुखारी-मुस्लीम)

### पेज 33 का बकाया..... (हरम और मीक़ात का बयान)

हैं तो आप गुनाहगार होंगे और आप को दम देना होगा।

### हरम की हुदूद में नीचे दी गई बातें हराम हैं:

- लड़ाई झगड़ा करना।
- घास या पेड़ काटना, किसी पेड़ की शाखें या काँटे तोड़ना। (आप हरम के हुदूद में घास का एक तिन्का भी नहीं तोड़ सकते)
- शिकार खेलना, किसी शिकार किये जाने वाले जानवर को डराना या अपनी जगह से हटाना।  
(हरम के हुदूद में जंगली जानवरों को भी अमान है उन को मारना तंग करना तो दूर की बात है। अगर वह साये में खड़े हों उन्हें हटा कर आप का साये में जाना भी हराम है)
- गिरी पड़ी चीज़ों का उठाना।

इन कामों में से कोई अगर एक भी काम करता है, तो गुनाहगार होगा और कफ़ारा देना होगा। मिना और मुज़दल्फ़ा भी हुदूद हरम में शामिल हैं और नबी करीम (स.) ने मदीना मुनव्वरा को भी हरम करार दिया है।

अल्लाह तआला कुरआन शरीफ में इर्शाद फरमाते हैं कि "जो शख्स इन महीनों में हज की नियत करले तो हज (के दिनों) में न औरतों से इख़्लाल करे, न कोई बुरा काम और न किसी से झगड़े और जो नेक काम तुम करोगे वह खुदा को मालूम हो जाएगा।" (सूरह बकरा, १९७)



### पेज 34 का बकाया..... (कुरबानी में धोका)

- कुर्बानी के वक्त ऊंट कि उम्र कम से कम पाँच साल की हो। गाय दो साल की हो। बकरा, मेंढा, दुम्बा वगैरा दो दाता हो (मुस्लिना) यह सामने के दो दात सच्चा साल में आ जाते हैं। भेड़ कि कुछ किस्मों में एक साल में ही दो दात हो जाते हैं। इससे कम उम्र के जानवर कि कुर्बानी का ऐतबार नहीं।  
नबी करीम (स.) ने हज के मौके पर अपनी और अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी की थी। इस लिए हमें भी चाहिए कि अपनी कुर्बानी के साथ अपने शफ़ीक़ नबी करीम (स.) कर तरफ से भी कुर्बानी करें।



### पेज 36 का बकाया..... (मक्का मुकर्रमा के तारीख़ी मुक़ामात)

**मुज़दल्फ़ा:** मिना से अरफ़ात की तरफ़ तकरीबन एक किलो मीटर की दूरी पर वाक़अे मैदान जहाँ अरफ़ात से वापसी पर हुजाज किराम को रात खुले आसमान के नीचे बसर करनी होती है और अपना वक्त बादत में गुज़ारना होता है।

**वादी ए मुहर्सिर:** मुज़ल्फ़ा से मिला हुवा मैदान जहाँ से गुज़रते वक्त दौड़ कर निकलते हैं। यहाँ कयाम करना मना है। इसी वादी में उस लश्कर को अल्लाह तआला ने हलाक व तबाह कर दिया था, जो काबतुल्लाह को ढाहने आ रहा था। इस लिए यह जा ए अज़ाब है। यहाँ से दौड़ कर, अगर नहीं, तो जल्दी गुज़रना सुन्नत है।



# नबी-ए- करीम (स.) का हज

नबी करीम (स.) ने सिर्फ एक बार हज किया है। इस हज को ४ नामों से याद किया जाता है। हज्जतुल बलागा, हज्जतुल इस्लाम, हज्जतुल विदा, हज्जतुल अत्सामा वल अक्मामा।

- सन १० हिजरी माहे जिल्कअदा में जब आपने हज का इरादा फर्माया तो ऐलान करा दिया। इस ऐलान पर तकरीबन १ लाख २४ हजार (कुछ रिवायतों में १ लाख ४४ हजार) लोग मक्का मुकर्रमा पहुँचते पहुँचते आप के साथ हो गए।
- आप ने २५ जिल्कअदा सन १० हिजरी को ज़ोहर की नमाज़ के बाद कूच किया और मदीना से ६ मील दूर मिकाते जुल हलैफा में कसर करके अस्र की नमाज़ पढ़ी और शब गुज़ारी।
- ज़ोहर के बाद गुस्ल करके एहराम बांधा और अपनी ऊंटनी पर सवार होकर ब अवाज़ बुलंद तल्बिया पढ़ा।
- आप (स.) ने हुक्म दिया कि जो कुर्बानी के जानवर साथ लाए हैं वह हज्जे किरान कि नीयत करें और जो नहीं लाए हैं वह हज्जे तमत्तों कि नीयत करें।
- उम्मुल मुअ मिनीन हज़रत आईशा (रज़ी) मक्का मुकर्रमा से बारह मील की दूरी पर हज से पहले ही हाइज़ा हो गई। आप(स.) ने हज़रत आईशा (रज़ी.) को हुक्म दिया कि उम्रह का एहराम उतार दो और हज का एहराम पहन लो और तवाफे ज़ियारत को छोड़कर सारे अरकान अदा करती रहें। हज़रत आईशा (रज़ी.) ने उम्रहे का एहराम उतारने के लिए सिर खोलकर कंधी किया और फिर हज का एहराम बांध लिया। हज के बाद फिर आपने तनओमि से उम्रह का एहराम बांधकर छुटे हुए उम्रह को दोहराया।
- बहुत से लोग हुज़ूर (स.) के साथ पैदल सफर कर रहे थे इसलिए यह सफर ६ दिन में तय किया। रास्तें में आपका सामान से लगा ऊंट खो गया, मगर बाद में फिर मिल गया।
- रास्तें में किसी बिमारी के सबब आप (स.) नें सिर में पिछनें लगवाए (फासिद खून निकलवाया)।
- ४ ज़िल्हिज्जा को मक्का मुकर्रमा में दिन के वक्त दाखिल हुए। खाने काबाह पर नज़र पढ़ी तो यह दुआ की :  
“ऐ अल्लाह, इस घर की व ताज़ीम, तकरीम व हैबत में इज़ाफा फर्मा। जो शख्स इस घर को शर्फ व अज़मत दें और इसका हज और उम्रह करें तो इसकी तशरीफ, तकरीम, ताज़ीम व नेकी में इज़ाफा फरमा।”
- आप (स.) ने वुजु फरमाकर तहियतुल मस्जिद नमाज़ नहीं पढ़ी बल्कि सीधे तवाफ शुरू किया। तवाफ से पहले इस्तेबा किया और पहले तीन चक्करों में रमल किया और बाद के चार चक्कर मामुली रफतार से मुक्कमल किए। हर चक्कर में हज़रें अस्वद का इस्तेलाम(बोसा देना) किया और रूकने यमानी को छुआ।
- रिवायत है के जब आप (स.) हज़रें अस्वद के सामने आए तो मुहज्जीन (एक आसा जिसका सिर टेढ़ा था) से इशारा फरमाते और फिर मुहज्जीन के सिर को बोसा देते और कभी लंबे मुबारक को संगे अस्वद पर रखकर बोसा देते।
- तवाफ मुक्कमल करके जब मुकामे इब्राहीम पर तशरीफ लाए तो यह आयत पढ़ी:

وَالتَّحِيَّاتُ وَالْمُؤَاتَاةُ مِنْ مَقَامِهِمْ مُصَلَّىٰ ط (سورة بقره, آية: १२५)

“वत्तखिजू मिम मकामे इब्राहीमा मुसल्ला” (सूरह बकरा: १२५)

तर्जुमा: और मकामे इब्राहीम को नमाज़ पढ़ने की जगह बना लो।

- मुकामे इब्राहीम पर आप (स.) ने दो रकअत नमाज़ अदा फरमाएँ। पहली रकअत में सुरे: काफ़िरून और दुसरी रकअत में सुरे: इख्लास की तिलावत फरमाई नमाज़ के बाद हज़रें अस्वद को बोसा दिया। उसके बाद आबे ज़मज़म नौश फरमाया और उसके बाद सफा पहाड़ी की जानीब तशरीफ ले गए और पहाड़ी के करीब पहुँचकर यह आयत तिलावत फरमाई:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَبَّ الْبَيْتَ أُوَاعَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿(سورة بقره, آية: १५८)

“इन्ससाफा वल मर्वता-मिन शआ -इरिल्लाहि, फमन हज्जल बैता अविअ् त-म-रा फला जुनाहा अलैहि अंय यत्त्वफा बिहिमा। व मन त-तव्वा खैरन फ-इन्नालाहा शकिरून अलीमा। (सूरह बकरा: १५८)

“बेशक कोहे सफा और मरवाह अल्लाह की निशानियों में से हैं। तो जो शख्स खना ए काबा का हज या उमराह करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि दोनों का तवाफ करे। बल्कि तवाफ एक किस्म का नेक काम है और जो कोई नेक काम करे तो अल्लाह कद्र शनास और दाना है।”

- कोहे सफा पर चढ़कर बैतुल्ला की तरफ रूख किया और तौहिद व किब्रियाई बयान फरमाई।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، تَعَزَّ وَغَدَّ وَنَصَرَ عِبْدَهُ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

“ला इलाहा इल्लल्लहु वह-दहु ला शरी-क-लहु। ल-हुल मुल्कु व-ल-हुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शइ-इन कदीरा। ला इलाहा इल्लल्लहु वह-दहु। अनज्जा वअ-दहू व न-स-रा अब्दहू व ह-ज़-मल अह-ज़ाबा वह-दहू।”

तर्जुमा: “अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं। वह अकेला है। इसका कोई शरीक नहीं। बादशाहत उसी की है। सब तारीफ उसी के लिए है और वह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं। वह तनहा है। उसने अपना वादा पूरा किया अपने बंदे कि मदद फरमाई और उस अकेले ने तमाम लश्करो को शिकस्त दे दी।”

- फिर दुआ मार्गी और यह अमल तीन बार दोहराया। सफा से मरवा की तरफ पैदल सई शुरू की। जब हुज़ूम बढ़ गया तो ऊंटनी पर सवार हो गए। बतने वादी में तेजी से और चढ़ाई पर आहिस्ता चलें।
- मरवा पर पहुँचकर वैसा ही तकबीर और दुआ का अमल किया जैसा सफा पर किया था। उसी तरह ७ वा चक्कर पूरा किया। सई के बाद आप (स.) ने सिर के बाल नहीं मुँडवाए।
- आप (स.) ने इर्शाद फरमाया कि, “जिस शख्स के साथ कुर्बानी का जानवर न हो वह उम्रह के अरकान अदा करके एहराम खोल दे। हजे तमत्तु करने वालों के पास भी अगर (क़र्बानी करने की इस्तेताअत न हो या) जानवर मयस्सर न हो तो अय्याम हज में तीन रोजे रखें और बाकी ७ रोजे अपने घरों पर पहुँचकर रखें।” आप (स.) उम्मत के लिए आसानी पसंद करते थे। इसलिए आफ़ाकी के लिए आप (स.) ने हाजे तमत्तु को ज़्यादा पसंद किया।



- उम्ह के बाद आप (स.) ने मक्का के बाहर ४ दिन कयाम फरमाया। उस दौरान नमाज़े कसर करके अदा फरमाई।
- ८ ज़िल्हिज्जा सन १० हिजरी यौमें तरविया को आप और तमाम सहाबा (रज़ी.) ने मुकामें अबताह में एहराम बांधा। तल्बिया कहते हुए मक्का मुकर्रमा से मिना की तरफ रवाना हुए।
- मिना में अपने अपने वक्त पर ज़ोहर, अस्र, मगरीब, ईशा की नमाज़े अदा की। ९ ज़िल्हिज्जा की रात भी हुजूर (स.) ने मिना में बसर फरमाई। फज़र अदा की। सुरज निकल आया तो अरफात रवाना हुए। अरफात में आप (स.) ने नमरा मुकाम पर कम्बल के खैमें में कयाम फरमाया। ज़वाल के बाद ऊंटनी कसवा को तैयार करने का हुक्म दिया। उस पर सवार होकर बत्नेवादी में तशरीफ लाए और लोगों को खुत्वा फरमाया।
- आप (स.) का यह खुत्वा, खुत्वाए हज्जतुल विदा के नाम से याद किया जाता है। यह खुत्वा तो मुख्तसर था मगर इसमें इन्सानों के लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का निचोड़ मौजूद है।
- खुत्वा हज्जतुल विदा के बाद हुजूर (स.) ऊंटनी से उतरे और हज़रत बिलाल (रज़ी.) को फरमाया के अज़ान दो। अज़ान दी गई और आप (स.) ने नमाज़े ज़ोहर और अस्र दो-दो रकअत करके एक के बाद एक कसर पढ़ाई।
- अहले मक्का जो आपके साथ हज के लिए आए थे वह मुकामी थे। मगर उन्होंने भी हुजूर(स.) के साथ ही कसर नमाज़ पढ़ी।
- नमाज़ से फारिग होकर हुजूर (स.) कसवा ऊंटनी पर सवार हुए और मैदाने अरफात में आए। वहाँ दामने कोह में बड़े बड़े पत्थरों पर किब्ला रूख होकर ऊंटनी पर खड़े हुए और दुआ वज़ारी शुरू की। यहाँ तक कि आफताब गुरूब हो गया। फिर आप (स.) ने फरमाया कि जिस जगह पर हम खड़े हैं यही मखसुस जगह नहीं है। जहाँ चाहे खड़े हो।
- अरफात में आप (स.) दुआ के लिए सीने तक हाथ उठाते थे और इस तरह दुआ माँगते थे जैसे कोई मिस्कीन रोटी तलब करता है। आप (स.) का इरशाद है कि हज यौमें अरफात हैं और बेहतरीन दुआ यौमें अरफा की दुआ हैं।
- गुरूबे अफताब पर आप (स.) मुज़दल्फा के लिए रवाना हुए और उसामा बिन ज़ैद (रज़ी.) को कसवा ऊंटनी पर पीछे सवार कर लिया और ऊंटनी को आहिस्ता चलाने के लिए महार खींचें रखा। रास्ते में आप (स.) लोगो से फरमाते थे, “ऐ लोगो! आहिस्ता चलो। दौड़ना ठीक नहीं और भाग दौड़ परहेज़गारी के खिलाफ है।”
- आप (स.) एक रास्ते से अरफात गए और दूसरे रास्ते से आए। रास्ते में आप (स.) तल्बिया फरमाते रहे। रास्ते में आप (स.) ने इस्तन्जा किया और वुजु किया मगर मग़रिब कि नमाज़ के लिए नहीं रुके।
- मुज़दल्फा में आप (स.) ने दस ज़िल्हिज्जा कि रात मशअरूल हराम के पास कयाम फरमाया और फरमाया कि पूरा मुज़दल्फा वकुफ का मुकाम हैं सिवाय बतने महस्सर के। मुज़दल्फा पहुँचकर फिर वुजु किया और एक अज़ान और दो अक़ामतों के साथ मग़रिब और ईशा कि नमाज़ जमा करके ईशा के वक्त अदा फरमायी। नमाज़े कसर की और दोनों नमाज़ों के दरम्यान कोई नमाज़ नहीं पढ़ी गई। अलबत्ता बराबर लब्बैइक कहते रहे। रातभर आराम फरमाया। यहाँ तक के मामुल की तहजुद के लिए भी बेदार नहीं हुए। फज़र कि सफ़ेदी फैलने के बाद नमाज़े फज़र अदा फरमायीं।
- सुबह की नमाज़ के बाद अल्लाह तआला से फिर मज़लुम व ज़ालीम के बारे में दुआ दोहराई जो कबूल हो गई और आप (स.) के चेहरे पर तबस्सुम के आसार नुमाया हुए।
- हज़रत सौदा (रज़ी.) और अहले बैत के कमज़ोर अफराद को रात ही में मिना जाने कि इजाज़त दे दी। साथ में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास (रज़ी.)

थे। नमाज़े फज़र के बाद कसवा पर सवार हो कर शअरूल हराम के पास खुब रोशनी फैलने तक किब्ला रूख होकर तसबीह व तैहलील, तकबीर और दुआओं में मशगूल रहे।

- तुलु आफताब के बाद मुज़दल्फा से मिना रवाना हुए। आप (स.) जुम्में उक्बा (बड़े शैतान) तक बराबर तल्बिया कहते रहे। हुजूम बहुत ज़्यादा था। आप बराबर लोगों को आहिस्ता चलने की तल्किन फरमाते रहे।
- बत्ने महस्सर को छोड़कर आए तो रमी के लिए चने से बड़े और छोटे बेर से किसी कदर छोटी कंकरी जमा करने का हुक्म दिया। लोगों ने तअमिल की। फज़ल बिन अब्बास (रज़ी.) ने आप (स.) के लिए ७ कंकरियां चुनी।
- आप (स.) जम्ह उक्बा के करीब पहुँचकर एक दरख्त के नीचे रुक गए। उस वक्त आप के बाएं जानीब मिना और दाएं जानीब मक्का मुकर्रमा था। आप (स.) ने कसवा पर ही से हर बार अल्लाहहु अकबर कहकर ७ कंकरिया जुमरे उक्बा (बड़े शैतान) पर मारी। यह रमी जुमार आप (स.) ने आफताब के तुलु हो जाने के बाद फरमाई और तल्बियां मौकुफ कर दिया।
- चाशत का वक्त था। आप (स.) ने ऊंटनी पर बैठकर फरमाया: “मुझसे मनासिक हज सीख लो, मुझे नहीं मालुम की इस हज के बाद दुसरा हज कर सकुंगा या नहीं।” जुमरे उक्बा से आप मिना के लिए रवाना हुए। हज़रत उसामा (रज़ी.) साथ बैठे धूप से बचने के लिए चादर ताने हुए थे। हज़रत बिलाल (रज़ी.) कसवा की महार थामे हुए थे। इसके बाद आप (स.) ने खुत्वा दिया।
- १० ज़िल्हिज्जा के इस खुत्वे के बाद कुरआन शरीफ कि सुरहे अल माएदा कि आयत नं ३ नाज़िल हुई। जिसका मफहूम है कि आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुक्कमल कर दिया और अपनी निअमत तुम पर पूरी कर दि और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसीयत से कबूल कर लिया है।  
कुछ रिवायतों के मुताबीक यह आयत अरफात के खुत्वे के बाद नाज़िल हुई।
- ईमाम शाफई (रह.) फरमाते है, कि इस खुत्वे में आप (स.) ने मनासिक हज बयान फरमाया। खुत्वे के बाद आप (स.) से पुछा गया की कुर्बानी व कंकरिया मारने और बाल कटवाने में अरकान आगे पीछे हो जाए तो क्या हुक्म है? आप (स.) ने फरमाया, लाहर्ज, लाहर्ज। यानि कोई मुज़ाईका नहीं, कोई मुज़ाईका नहीं।
- यहाँ से आप (स.) कुर्बानगाह की तरफ तशरीफ लें गए और हज़रत अनस बिन मालीक (रज़ी.) के मुताबिक ७ ऊंट अपने हाथों से नहर (कुर्बान) किए। उसके बाद हज़रत अली (रज़ी.) के साथ ५६ ऊंट कुर्बान किए और हज़रत अली (रज़ी.) ने ३७ ऊंट कुर्बान किए इस तरह कुल १०० ऊंट कुर्बान किए।
- कुर्बानी के बाद आप (स.) ने सिर मुंडवाए। हज़रत मुअम्मिर बिन अब्दुल्ला अददी (रज़ी.) ने आपका सिर मुंडा। सारे बाल एक-एक दो-दो हाज़रीन में तक्सिम कर दिए गए। आप (स.) ने सिर मुंडाने वालो के लिए ३ बार और तरशवाने वालो के लिए १ बार दुआ फरमायीं।
- ज़वाल आफताब से पहले आप (स.) तवाफे ज़ियारत के लिए मक्का मुकर्रमा रवाना हुए। लोगों के हुजूम की वज़ह से कसवा पर ही सवार हो कर बैतुल्ला का तवाफ फरमाया। तवाफ के बाद ज़मज़म पर तशरीफ लें गए और पानी नोश फरमाया। हज़रत अब्बास (रज़ी.) ने खजुर का शरबत पेश किया तो वह भी नोश फरमाया।

- हज़रत अब्बास (रज़ी.) ने पानी पिलाने की खिदमत की खातिर ११, १२, १३ जिल्हज्जा की रात में मिना कि बजाए मक्का में रहने की इज़ाजत तलब की। आप (स.) ने इज़ाजत दे दी।
- इसके बाद आप (स.) मिना वापस तशरीफ ले गए।
- ११, १२, १३ जिल्हज्जा को तीनों जुमरों को कंकरिया मारी। जुमराह उला पर रमी के बाद किब्ला रूख होकर हाथ उठाकर बड़ी देर तक दुआ मांगी, इतनी देर कि, १ आदमी इसमें सुरे: बकरा पढ़ लें। जुमरें वस्ता पर भी ऐसा किया। जम्ह उक्बा पर कंकरिया मारी लेकिन ठहरें नहीं। वापस चले आए।
- अय्यामें तशरीक के वस्त में सुरे: अल असर नाज़िल हुई। आप (स.) १०, ११, १२, १३ जिल्हज्जा को रोज़ा रखने से मना फरमाया। आप (स.) ने फरमाया कि यह खाने पीने के और जिक्र के दिन हैं।
- आखरी दिन जवाल के बाद रमी फरमायीं और मिना से मक्का के लिए रवाना हुए। रात में मक्का मुकर्रमा से बाहर मुहस्सीब (मुआबदा) में कयाम फरमाया। हज़रत आईशा (रज़ी.) ने तनओम से उम्रह किया। यह १४ जिल्हज्जा की रात थी।
- १४ जिल्हज्जा को सहरी के वक्त बेदार होकर तवाफे विदा के लिए मस्जिदे हराम तशरीफ लें गए। तवाफ के बाद मुल्तज़ीम पर वकुफ फरमाया। यहाँ से चाह ज़मज़म पर जाकर खुद अपने दस्ते मुबारक से डोल खींचा। किब्ला रोह होकर पानी नोश फरमाया और बचा हुआ पानी कुएं में डाल दिया।
- बैतुल्ला से विदा होते हुए आप (स.) मगमुम, आबदीदा और हज़न व मलाल से मगलुब थें। आप (स.) सुरज निकलने से पहले मआअहबाब मक्का से रवाना हो गए और मकामे “ज़ी तवा” में जाकर पड़ाव डाला। वहीं रात गुज़ारी और सुबह को मदीना मुन्वरा के रास्ते पर गामज़न (रवाना) हुए। यहीं से दुसरें मुसलमान अपने अपने वतन को जाने वाले रास्तों पर चल पड़े।
- आप (स.) ने कुल १० दिन मक्का में कयाम फरमाया था। नमाज़ में कसर अदा किया। सलाम के बाद इश्ाद फरमाते थें : “मक्का वालों! सुनो, अपनी नमाज़ें पूरी करो। हम तो मुसाफिर हैं।”
- सफर में एक मुकाम “खम” आया जो हजफा से ३ मील पर हैं। यहाँ नमाज़े ज़ौहर के बाद सहाबा कराम (रज़ी.) को हम्द व सना के बाद फरमाया: “मैं तुम्हारे दरम्यान दो अम्रे अज़ीम छोड़े जाता हूँ। कुरआन मजीद और मेरी सुन्नत। इनके हुक्क की रियाअत रखना (मज़बुती से पकड़े रहना)। यह दोनों चीज़ें तुमसे जुदा न हो ताकि तुम हौजे कौसर पर मुझसे आ मिलो।”
- हज़जतुल विदा के मौके पर ६ मुकामात पर रसूल (स.) ने काफ़ी देर रुक कर दुआ मांगी वह मुकामात यह हैं:
- १. सफा की पहाड़ी, २. मरवा की पहाड़ी, ३. अरफात (ज़ोहर के बाद से गुरुबे आफताब तक) ४. मुज़दल्फा (फज़्र की नमाज़ से तुलु आफताब तक) ५. जुमरा-ए-उला यानी छोटा शैतान (आप (स.) ने इतनी देर दुआ की, कि एक आदमी सुरे: अल बकराह (सव्वा दो पारा) पढ़ लें।)
- ६. जुमरा-ए-वस्ता यानी दरम्यानी शैतान (यहाँ पर भी आप (स.) ने इतनी देर दुआ की, कि एक आदमी सुरे: अल बकराह मुकम्मल पढ़ लें।)
- हज़ूर (स.) कि बिमारी माहे सफर के आखीर में सरदर्द और बुखार से शुरू हुई। लोगों ने नमुनीया ख्याल किया। मगर आप (स.) ने उम्मे अल बशर से फरमाया: “यह वह मर्ज है जो मैंने तेरे बेटे के साथ खैबर में गोश्त का तुकड़ा

खच लिया था। आज उसी ज़हर कि तकलीफ से रगे जान फटी जाती है।” (सही बुखारी-जिल्द २, सफा ६६५, हदीस नं. १५५४)

- तकरिबन चौदा दिन बिमार रहने के बाद और हज़्जे विदा के ६१ दिन आप (स.) ने इस दारे फानी से कूच किया और रफ़ीके आला से जा मिले।

## जन्मत की तज़मीर

- (१) “नाफेउल्लुलाएक” में है कि एक रोज़ एक एराबी रसूल (स.) की खिदमत में आया और फक्र व फाका से रोया। रसूल (स.) ने फर्माया के हर फर्ज़ नमाज़ के बाद दस बार ‘इन्ना अन्ज़ल्ना’, ‘सुरह कद्र’ पढ़ा करो और जुमा के दिन नाखुन कटवाया करो। एराबी ने ऐसा ही किया और मालदार हो गया।
- (२) एक बार एक सहाबी ने हज़ूर (स.) से फर्माया के या रसूल अल्लाह (स.) दुनिया मुझ से रूठ गई है। हज़ूर (स.) ने फर्माया सुबह १०० बार पढ़ा करो। कुछ दिन के बाद वह सहाबी वापस आए और कहा कि या रसूल अल्लाह (स.) अल्लाह तआला ने मुझे इतना दिया है कि रखने की जगह नहीं। अल्लाह तआला को ये कलमात सारे कलमात से ज़्यादा पसंद हैं। हज़ूर (स.) ने फर्माया कि ये कलमात कहने में आसान और वज़न में बहुत भारी है।
- (३) हज़ूर (स.) दिन में सत्तर सत्तर बार इस्तगफ़ार पढ़ा करते थे।
- (४) दरुद शरीफ के इतने फ़ायदे हैं के यहाँ बयान करना मुश्किल है। सालेहीन और औलिया कराम की इबादत का ज़्यादा तर हिस्सा दरुद शरीफ होता था।
- (५) सुरह फातेहा बहुत ही बाबर्कत सुरह है। अल्लाह तआला ने कुरआन शरीफ में इस की तारीफ सात आयतों वाली बाबर्कत सुरह के नाम से किया है। इस के पढ़ने से रोज़ी में बरकत होती है, बीमारियों से शिफा होती है, कर्ज़ दूर होता है और किसी तरह के भी जिन्न और शयातीन परेशान करते हैं तो सुबह सुन्नत और फर्ज़ के दरम्यान ४१ बार पढ़ने से दूर हो जाते हैं।
- (६) मेराज की रात हज़रत इब्राहीम (अ.) ने हज़ूर (स.) से फर्माया के जन्मत एक वीरान मैदान है जब बन्दा दुनिया में अल्लाह तआला का जिक्र करता है तो एक खुबसूरत दरख्त जन्मत में इस के लिए लगाया जाता है। एक दुसरी रिवायत में है के फ़रिश्ते मोमिन का महल जन्मत में उस वक्त तक तामीर करते रहते हैं जब तक उन के पास तामीर का सामान पहुँचता रहता है। जब तामीर का सामान पहुँचना बन्द हो जाता है तो वह फ़रिश्ते भी काम रोक देते हैं। और ये तामीर का सामान मोमिन के नेक आमाल हैं जो वो दुनिया में करता है।
- (७) दुनिया की ज़िन्दगी इतनी मस्रूफ़ है के हमारे पास आखिरत और अपनी जन्मत संवारने का वक्त ही नहीं है। अब जब के सफ़र हज़ के लिए हम ने दुनिया से चालीस दिन की छुट्टी ले ली है, तो इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठा कर अपनी जन्मत भी संवार लें। हम कोशिश करें के अपनी आसानी के मुताबिक़ दरुद शरीफ, इस्तग़फ़ार और तस्बिहात का मुतावाज़िन विद इबादत का मामूल बनाएँ। और चालीस दिन इस पर अमल करते रहें जिस से कि एक आदत सी पड़ जाए और फिर वापस जाकर इसी इबादत पर अमल करना आसान हो। अगर रिज़्क में बरकत वाली तस्बिहात पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब तो मिलेगा ही और साथ में माली हालत भी और बेहतर होगी। कुरआन शरीफ पढ़ने के भी बहुत फ़ज़ाइल हैं। इस मुकद्दस सफ़र में कम से कम दो बार कुरआन शरीफ भी ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर एक छोटा कुरआन शरीफ़ जिसे आसानी से हरम में ले जा सकें साथ ले लें तो और आसानी होगी। असर के जमात के बाद मताफ और मस्जिद ए हरम के दरम्यान सहन में बहोत सारे उलमा का बयान होता है। उर्दु में बयान दरवाजा नम्बर ५० और ५२ के सामने होता है। आप भी उन बयान में शामिल हो कर अपने ईमान को ताज़ा किया किजीए।

# तवाफ का बयान

## तवाफ के फ़ज़ाईल:

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۖ ذَٰلِكَ وَمِنْ

يُعَظَّمُ حُرْمَتُ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ عِنْدَ رَبِّكَ ط (سورह حج 29-30)

“वल-यत्तव्वफू बिल बैतिल अतीक। ज़ालिका व मंय युअज़्जिम हुरूमातिल्लहि फहुवा खैरुल्लहू इन्दा रब्बिही।”

अल्लाह तआला कुरआन शरीफ में फरमाते हैं

“(लोगों को चाहिए कि) बैतुल्लाह का तवाफ करें। यह हमारा हुक्म है। जो शख्स अदब की चीज़ों की जो अल्लाह ने मुक्करर की है (यानी हज, उम्ह, तवाफ वगैरा) कि अज़मत रखेगा तो यह अल्लाह तआला के नज़दीक उसके लिए बेहतर है।” (अल् हज, 24-30)

- रसूल अल्लाह (स.) ने फरमाया: जो बैतुल्लाह का तवाफ करे और दो रकअत नमाज़ पढ़े उस को एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा।

(इब्ने माजा, किताब अल-मनासिक, बाब फज़लुततवाफ 24-26)

- आप (स.) का इर्शाद है : जिस ने बैतुल्लाह शरीफ का 7 बार तवाफ किया तो अल्लाह तआला हर हर कदम पर उस के गुनाह को माफ़ फरमाते हैं और हर हर कदम पर नेकी लिखते हैं और हर हर कदम पर एक दर्जा बुलंद करते हैं। (इब्ने खज़ीमा, इब्ने हब्बान)

- हज़रत इमाम गज़ाली (रह.) ने अपनी किताब ‘अह्या उल उलूम’ में हज़रत इब्ने उमर (रज़ि) की रिवायत नकल की है कि हुज़ूर (स.) ने फरमाया के खाना-ए-काबा का तवाफ बहुत किया करो, वह बड़ी बुजुर्ग चीज़ है। जिस को तुम कयामत के रोज़ अपने नामा-ए-आमाल में पाओगे और इस के बराबर कोई दूसरा अमल रश्क के काबिल न पाओगे। (सातवाँ बाब, हज के असरा और उस की मुमानिअत)

- हुज़ूर (स.) ने इर्शाद फरमाया बैतुल्लाह का तवाफ नमाज़ की तरह है। अल्बलता तुम इस में बात कर सकते हो, तो जो भी दौराने तवाफ बात करे, उसको अच्छी बात करनी चाहिए। (जामे तिरमिज़ी, किताब उल हज, हदीस 66)

- नबी करीम (स.) का इर्शाद है जिसने 50 मर्तबा तवाफ किया, तो गुनाहों से ऐसे पाक हो गया जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। (तिरमिज़ी)

## तवाफ की शर्तें:—

- तवाफ में भी नमाज़ की तरह शर्तें हैं।
- जैसे नमाज़ के लिए वुजु ज़रूरी है वैसे तवाफ के लिए भी वुजु ज़रूरी है।
- जैसे नमाज़ के लिए कपड़े पाक और सतर छुपा हुआ हो। वैसे तवाफ के लिए कपड़े पाक हो और सतर छुपा हुआ हो।
- जैसे नमाज़ के लिए नीयत ज़रूरी है वैसे तवाफ के लिए हज़रे अस्वद से पहले नीयत करें।
- जैसे नमाज़ तकबीर कह कर शुरू करते हैं वैसे तवाफ के लिए हज़रे अस्वद के सामने होकर तकबीर कहें और हज़रे अस्वद को बोसा दें। (इसको इस्तलाम कहते हैं।)
- जैसे नमाज़ में एक रकआत के बाद फौरन दुसरी रकआत पढ़ी जाती है वैसे ही तवाफ में खाने काबा के अतराह दर पे दर चक्कर लगाए। दो चक्करों में वक्फा न हो।

- जैसे नमाज़ में नज़र सजदा कि जगह पर होती है वैसे तवाफ करते वक्त नज़र चलने की जगह पर हो।

- जैसे नमाज़ में किब्ले की तरफ या आसमान की तरफ नज़र उठाना मकरूह है वैसे तवाफ करते वक्त खाना काबा को देखना मकरूह है।

- जैसे नमाज़ सलाम फेर कर पूरी कि जाती है वैसे ही दो रकअत तवाफ वाजिब नमाज़ पढ़कर तवाफ पूरा किया जाता है।

- जैसे नफिल नमाज़ की नीयत करने के बाद अगर हम नमाज़ तोड़ दे तो फिर इस नफिल नमाज़ को दोबारा पढ़ना वाजिब होता है। इसी तरह तवाफ के कुछ चक्कर लगाकर छोड़ दे तो फिर इसका दोहराना या पूरा करना वाजिब होगा।

## तवाफ के बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात

- अगर तवाफ करते करते नमाज़ के लिए जमाअत खड़ी होगी तो तवाफ रोक कर जमाअत से नमाज़ पढ़ लें और छुटे हुए चक्कर नमाज़ के बाद पूरे कर लें। ऐसे वक्त अगर तीन से कम चक्करों के बाद भी वक्फा हो जाए तो कोई मुज़ाईका नहीं।

अगर तवाफ करते हुए चार चक्करों के पहले आप का वजू टूट जाए तो बेहतर है कि वजू कर के फिर से तवाफ करे और अगर वहीं से मुकम्मल कर ले तो यह भी जायज़ है। (गनियतुल मनासिक 929)

- तवाफ शुरू करने से पहले सिर्फ हज़रे अस्वद के सामने ही आपका चेहरा और सीना खाना काबा के सामने होगा। इस के बाद दौराने तवाफ सीना खाना ए काबा की तरफ करना मकरूह है और पीठ खाना ए काबा की तरफ करना मकरूह तहरीमी है, यानी हराम के बराबर है।

- एक चक्कर की जितनी दूरी आप ने खाना ए काबा की तरफ सीना या पीठ करके तय की उसे फिर से दोहरा लें। वह दूरी तवाफ के चक्करों में शामिल नहीं होगी।

- अगर आप ने सात चक्करों के बजाए आठ चक्कर लगा लिए हो तो फिर आपको 6 चक्कर और लगाकर दुसरा तवाफ भी पूरा करना वाजिब होगा।

- अगर किसी ने मक्का मुकर्रमा में तवाफ वाजिब नमाज़ न पढ़ी तो इसको अदा करना वाजिब है ज़िम्मे से साकित न होगी तमाम उम्र में अदा कर सकता है। हरम से बाहर इस नमाज़ को पढ़ना ताखीर करना बुरा और मकरूह है।

- तवाफ हतीम के बाहर से करें। क्योंकि हतीम खाना-ए-काबा का हिस्सा है और तवाफ खाना-ए-काबा के बाहर से किया जाता है।

- तवाफ के दौरान कोई खास दुआ या आयत का पढ़ना फर्ज़ या वाजिब नहीं है।

- जो कुछ दुआएँ हज की किताबों में लिखा है उसे देखकर पढ़ने से बेहतर है कि आपको जो दुआएँ याद है वह समझकर माँगें। देखकर पढ़ने और आवाज़ करने से दुसरे हाजियों को तकलीफ होती है और दुसरोँ को तकलीफ पहुँचाना गुनाह का काम है।

- तवाफ में दुआ पढ़ना कुरान पढ़ने से अफजल है। दुआ तवाफ में बगैर हाथ उठाएँ माँगना चाहिए।

- रूकने यमानी और हज़रे अस्वद के दरम्यान 70 हजार फरीशते तवाफ करने वालों की दुआ पर आमीन कहते हैं।

- एहराम की हालत में तवाफ के सातों चक्करों में इत्तेबा करना सुन्नत है।
- ऐसा तवाफ जिस के बाद सई करना है उस के शुरू के तीन चक्करों में रमल है। ऐसा तीन बार होगा। पहला उमरा के तवाफ में, दूसरा तवाफे जियारत में और तीसरा ८ जिल्हज्जा को अगर मिना जाने से पहले आप तवाफ और सई करते हैं तब।
- ८ जिल्हज्जा को अगर आप ने तवाफ और सई कर ली तो १० जिल्हज्जा के बाद सिर्फ आप को तवाफ के ७ चक्कर बगैर रमल के लगाने हैं। उस के बाद सई करने की ज़रूरत नहीं।
- रमल सुन्नत है। अगर कोई रमल वाले तवाफ मे रमल करना भूल जाएं तो यह खिलाफे सुन्नत होगा। मगर तवाफ हो जाएगा। तवाफ दोहराने की ज़रूरत नहीं। या किसी ने सातों चक्कर में रमल कर लिया तो भी यह मकरूह है। मगर तवाफ हो जाएगा।
- तवाफ का सवाब किसी को भी पहुँचाया जा सकता है। जो इतेकाल कर गए उन्हें और जो जिंदा हैं और मक्का मुकर्रमा से दूर हैं उन्हें भी।
- मञ्जूर, सवारी पर बैठ कर तवाफ कर सकते हैं।
- खाना ए काबा पर १२० रहमतें उतरती हैं। जिन में से ६० रहमतें तवाफ करने वालों पर, बक्या ४० रहमतें नमाज़ पढ़ने और २० खाना ए काबा को देखने वालों के लिए हैं।
- रूकने यमानी को तवाफ के दौरान सिर्फ हाथ लगाना सुन्नत है। बोसा देना खिलाफे सुन्नत है। अगर भीड़ हो तो दूर से गुज़र जाएँ। इस्तलाम भी न करें। रूकने यमानी के पास रूक कर सीना खाना ए काबा की तरफ कर के हाथ लगाना या भीड़ लगाना खिलाफे सुन्नत है, और मन्मू हैं।
- अस्र के बाद कज़ा फर्ज़ नमाज़ों को छोड़ कर और नमाज़ नहीं पढ़ सकते। इस लिए अस्र के बाद हरम में ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ कीजिए मगर आख़री की दो रकअत तवाफे वाजिब मत पढ़िये और मगरिब के बाद आप ने जितने तवाफ किए हैं उन के हिसाब से हर तवाफ के लिए दो रकअत अलग अलग पढ़ लीजिए। इस तरह हरम शरीफ के अंदर आप का हर लम्हा बेहतरीन इबादत में गुज़रेगा।

### मसाइले तवाफ

- १) तवाफे जियारत में तरतीब वाजिब नहीं है।  
(मसाइल व मञ्जुमाते हज व उमराह पेज ८१, मुअल्लिमुल हुज्जाज पेज २१३, १७६, अहमदुल्लाह वासिआ पेज २४६)
- २) तवाफे जियारत, रमी और हलक़ यानी हजामत के बाद करना सुन्नत है वाजिब नहीं। (मुअल्लिमुल हुज्जाज पेज २१३, १७६, अन्वारे मनासिक पेज २७३)
- ३) अगर कोई यौमुन्नहर में हलक़ व कुरबानी से पहले तवाफे जियारत कर ले तब भी बिला-कराहियत जायज़ है। (अन्वारे मनासिक पेज ३४०)

### मकरूहाते तवाफ (यह चीज़ें तवाफ में मकरूह हैं)

- १) फुजूल और बे फायदा बात चीत।
- २) खरीद व फरोख्त करना या इस की बात चीत करना। (तवाफ करते वक्त अगर फोन आ जाए तो आप के ना चाहते हुए भी आप को सामने वाले के सवालियों के जवाबत देने होंगे। आप के जवाबत हो सकता है मुबाह या मकरूह हों, इसलिए मस्जिदे हरम में मोबाइल बंद रखें)
- ३) दुआ या कुरआन बुलन्द आवाज़ में पढना जिस से तवाफ करने वालों और नमाज़ियों को तकलीफ हो या खलल हो।
- ४) नापाक कपड़ों में तवाफ करना।
- ५) रमल और इत्तेबा को बिला वजह तर्क करना।

- ६) इत्तेबा की हालत में नमाज़ पढ़ना। (नमाज़ दोनो मोठे यानी कंधे ढांक कर पढ़ें।)
- ७) तवाफ के फेरों के दरमियान ज़्यादा वक्फा करना। (किसी वजह से कुछ देर के लिए तवाफ रोक देना।)
- ८) बगैर वजह दो तवाफ एक के बाद एक 'बगैर तवाफे वाजिब नमाज पढ़ें'। (मकरूह वक्त पर इजाज़त है।)
- ९) दोनों हाथ तवाफ की नियत के वक्त बगैर तकबीर के उठाना।
- १०) हरम शरीफ में खुतबा और फर्ज़ नमाज़ की जमाअत खड़ी हो जाने के वक्त तवाफ करना।
- ११) तवाफ के दरमियान खाना खाना। कुछ उलमा ने पीने को भी मकरूह कहा है।
- १२) पेशाब पाखना के तकाज़े के वक्त तवाफ करना।
- १३) भूक और गुस्से की हालत में तवाफ करना।
- १४) तवाफ करते हुए नमाज़ की तरह हाथ बांधना या कमर पर हाथ रख कर चलना या गरदन पर हाथ रख कर चलना या किसी के गले में हाथ डाल कर चलना।
- १५) औरतों का ऐसे वक्त या इतने हुजूम में तवाफ करना जब औरतों का जिसम गैर मर्दों को यकीनन छू जायगा तो ऐसे वक्त औरतों का तवाफ करना हराम है।  
(इस मजमून के सारे मसले "मुअल्लिमुल हुज्जाज" से लिए गए हैं।)  
तवाफ का तरीका हम इन्शा अल्लाह उमराह के बयान में सीखेंगे।



### हज की अदाएगी में जल्दी करें।

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ी.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने फरमाया: "ए लोगो! अगर तुम पर हज फर्ज़ हो चुका हो तो उस की अदाएगी में जल्दी करो, इस लिए कि तुम में से कोई नहीं जानता कि कब क्या रूकावट पेश आ जाए।" (तरगीब)

### जमाअत की अहमियत

हज़रत इब्ने मसऊद ;रजि.ख़ से रिवायत है कि उन्होंने ने फरमाया: जिस शख्स को इस का शौक हो कि वह कयामत के दिन मुसलमान की तरह अल्लाह के सामने पेश हों, वह पांचों वक्त की नमाज़ उस मस्जिद में जहाँ अज़ान दी जाती है बा-जमाअत अदा करे। अल्लाह तआला ने तुम्हारे नबी ;सख़ को जो तरीका ए हिदायत अता फरमाया है उस में पांचों नमाज़ें बा-जमाअत पढ़ना भी शामिल है। तो अगर तुम ने अपने घरों में पढ़ ली जैसा ये पीछे रह जाने वाला अपने घर में पढ़ता है तो बेशक तुम ने अपने नबी ;स. ख़ की सुन्नत तर्क कर दी। और तुम ने अपने नबी ;स. ख़ की सुन्नत तर्क कर दी तो तुम गुमराह हो गए। हम ने किसी सहाबी को जमाअत से ग़ैर हाज़िर होते नहीं देखा। जमाअत से वही शख्स ग़ैर हाज़िर होता था जो खुला हुआ मुनाफ़िक़ होता था। बीमार भी दो आदमियों के सहारे से आकर सफ में शामिल हो जाते थे। (मुस्लिम)

# अरकाने उम्रह और हज का बयान

उम्रह के सिर्फ दो फ़राईज़ और दो वाजिबात हैं, जो भी उन्हें पूरा करेगा उस का उम्रह हो जाएगा।

इसी तरह हज के ३ फ़राइज़, ६ वाजिबात और १० सुन्नतें हैं जो भी उन्हें पूरा करेगा उस का हज हो जाएगा।

इस किताब में हम सफ़र के अलग अलग मरहलों के लिए अलग अलग दुआएँ अज़कार और नफ़िल नमाज़ का ज़िक्र करेंगे। ये सिर्फ़ हज और उम्रह की इबादत को और अफ़ज़ल बनाने के लिए हैं। उन के न करने पर न कोई गुनाह होगा और न हज और उम्रह की इबादत में कोई फ़र्क़ आएगा।

## १) उम्रह के फ़राईज़ :

- १) मीकात से एहराम बाँधना, नीयत करना और तल्बिया पढ़ना।
- २) ख़ाने काबा का तवाफ़ करना और तवाफ़ के बाद दो रकअत नमाज़ वाजिबुत्तवाफ़ पढ़ना।

## २) उम्रह के वाजिबात :

- १) सफ़ा व मरवा के दरम्यान सई करना।
- २) बाल कतरवाना या मुंडवाना।

## ३) हज के फ़राईज़ :

- १) एहराम पहन कर हज की दिल से नीयत करना और तल्बिया कहना।
- २) वकूफ़ अरफ़ात यानी ६ ज़िल्हिज्जा को ज़वाल आफ़ताब से ले कर १० ज़िल्हिज्जा की सुबह सादिक़ तक अरफ़ात में किसी वक्त ठहरना। अगर एक लम्हा के लिए ही क्यों न हो।  
हुज़ूर (स.) ने फरमाया “हज अरफ़ात में ठहरने का नाम है।”  
(जामे तिमिज़ी, हदीस ८८६)
- ३) तवाफ़े ज़ियारत जो दसवीं ज़िल्हिज्जा की सुबह से लेकर बारहवीं ज़िल्हिज्जा के मग़रिब तक किया जा सकता है।

## ४) हज के वाजिबात :

- १) अरफ़ात में सूरज डूबने तक ठहरना।
- २) मुज्दल्फ़ा में वकूफ़ के वक्त ठहरना।
- ३) सफ़ा व मरवा के दरम्यान सई करना।
- ४) शैतान को बा-तरतीब कंकरी मारना।
- ५) कुर्बानी करना।
- ६) सिर के बाल मुंडवाना या कुतरवाना।
- ७) मीकात से बाहर रहने वाले को तवाफ़े विदा करना। (अहले हरम और अहले हिल पर वाजिब नहीं है, सिर्फ़ मुस्तहब है।)
- ८) १०, ११, १२ तारीख़ को रातें मीना में गुज़ारना।

## ५) हज की सुन्नतें :

- १) मुफ़रद आफ़ाकी और कारिन को तवाफ़ कुदूम करना।
- २) इमाम का तीन मुक़ाम पर खुल्बा पढ़ना। सातवीं ज़िल्हिज्जा को मक्का मुकर्रमा में, नवीं ज़िल्हिज्जा को अरफ़ात में और ग्यारहवीं को मीना में।
- ३) नवीं ज़िल्हिज्जा की रात में मीना में रहना।
- ४) तुलू अ़े आफ़ताब के बाद नवीं ज़िल्हिज्जा को मीना से अरफ़ात को जाना।

५) अरफ़ात से इमाम के चलने के बाद चलना।

६) अरफ़ात में गुस्ल करना।

इन के इलावा भी और बहुत सी सुन्नतें हैं।

## सफ़रे हज पर निकलने से पहले नीयत का बयान:-

हज तीन तरह के होते हैं और सफ़रे हज में हज के साथ उम्रह भी किया जाता है, तो जब आप घर से एहराम पहन कर निकलेंगे, तो क्या नीयत करेंगे? उम्रह की या हज की और किस तरह के हज की?

हज की तीन किस्में हैं १. हजे इफ़ाद २. हजे किरान ३. हजे तमतलो

हजे अफ़राद में हाजी एहराम सिर्फ़ हज कि नीयत से पहनते हैं और सिर्फ़ हज करके एहराम उतार देते हैं।

हजे किरान में हाजी हज और उम्रह दोनों की नीयत से एहराम पहनते हैं और दोनों करने के बाद ही एहराम उतारते हैं। अहले हरम और अहले हिल सिर्फ़ हजे अफ़राद ही कर सकते हैं। हजे किरान और तमतलुअ इन के लिए मना है आफ़ाकी के लिए छूट है कि वह तीनों में से जिस का चाहे एहराम बाँधे।

हजे तमतलो में हाजी पहले उम्रह की नीयत से एहराम पहनते हैं और उम्रह करके एहराम उतार देते हैं। फिर ८ ज़िल्हिज्जा को एहराम हज की नीयत से पहनते हैं और हज करके उतारते हैं। हिन्दुस्तान से जानेवाले हाजियों को हजे तमतलो ही आसान होता है। इसलिए हम इस हज को सीखेंगे।

इसलिए अगर आपकी फ़्लाईट जिद्दा के लिए हो और ८ ज़िल्हिज्जा से पहले की हो तो आपको मक्का शरीफ़ पहुँचकर पहले उम्रह करना है। इसलिए आप एहराम भी उम्रह की नीयत से पहनेंगे और पहले नीयत भी उम्रह ही की करेंगे।

अगर आप कि फ़्लाईट मदीना के लिए हो तो न आप घर से एहराम पहनकर निकलेंगे और न किसी चीज़ की नीयत करेंगे, बल्कि मदीना ४० वक्त कि नमाज़ पुरी करके जब आप मदीना से मक्का रवाना होंगे तब आपको एहराम पहनकर उम्रह की नीयत करना होगा।

	अरकान	तारीख़	हजे तमतलो	हजे किरान	हजे अफ़राद
	तवाफ़ेकुदूम		⊗	सुन्नत	सुन्नत
सिलसिलावार उम्रह के अरकान	अहरामे उम्रह	८ ज़िल्हिज्जा से	फ़र्ज़	फ़र्ज़	⊗
	तवाफ़े उम्रह	१३ ज़िल्हिज्जा	फ़र्ज़	फ़र्ज़	⊗
	सई उम्रह	के दरमियान उम्रह	वाजिब	वाजिब	⊗
	सिर मुंडवाना	नहीं किया जा सकता।	वाजिब	⊗	⊗
सिलसिलावार हज के अरकान	अहरामे हज	८ ज़िल्हिज्जा	फ़र्ज़	इमराह का एहराम	फ़र्ज़
	क्यामे मीना	८ ज़िल्हिज्जा	सुन्नत	सुन्नत	सुन्नत
	वकूफ़े अरफ़ा	६ ज़िल्हिज्जा	फ़र्ज़	फ़र्ज़	फ़र्ज़
	वकूफ़े मुज्दल्फ़ा	१० ज़िल्हिज्जा की रात	वाजिब	वाजिब	वाजिब
	रमी जमरा उक़बा	१० ज़िल्हिज्जा	वाजिब	वाजिब	वाजिब
	कुरबानी	१०, ११, १२ ज़िल्हिज्जा	वाजिब	वाजिब	इच्छायारी
	सिर मुंडवाना	१०, ११, १२ ज़िल्हिज्जा	वाजिब	वाजिब	वाजिब
	तवाफ़े ज़ियारत	१०, ११, १२ ज़िल्हिज्जा	फ़र्ज़	फ़र्ज़	फ़र्ज़
	सई	२६ ज़िल्हिज्जा से पहले	वाजिब	वाजिब	वाजिब
	क्यामे मीना	११, १२, १३ ज़िल्हिज्जा	सुन्नत	सुन्नत	सुन्नत
	रमी जमार	११, १२, १३ ज़िल्हिज्जा	वाजिब	वाजिब	वाजिब
तवाफ़े विदा	वापसी से पहले	वाजिब	वाजिब	वाजिब	

# सफ़रे हज का आगाज़

## सफ़रे हज पर निकलने से पहले की तैयारियाँ:-

१. ६ से ८ अच्छे और दीनदार लोगों के साथ ग्रुप बनाकर हज का फार्म भरें। क्योंकि एक कमरे में ६ से ८ लोगों को रखा जाता है। अगर यह लोग हमखयाल और नेक हों, तो बड़ी आसानी होती है।
२. दिल में यह यकीन जमाएँ कि मुझे मेरा माल, मेरी ताकत, मेरी सलाहियत मुझे हज के सफ़र पर नहीं ले जा रही है बल्कि मुझे मेरा अल्लाह ले जा रहा है। कई लोग दुनिया में मालदार हैं, बा सलाहियत है, ताकतवर है लेकिन उन्हें अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ, वह नहीं जा सकते।  
मैंने ज़ाती तौर से महसूस किया कि हज न सिर्फ अल्लाह कि तौफ़िक से हम कर पाते हैं। बल्कि हज के अरकान भी अल्लाह तआला अपने फज़ल से पूरा कराते हैं। ३० से ४० लाख के मज्मे में अगर अल्लाह तआला की मदद न होती, तो मैं और कई हाज़ी अरफ़ात और मुजदल्फ़ा वक़्त पर न पहुँच पाते और यह अरकान हमसे फ़ौत हो सकते थे।
३. हाज़ी कहलाने का शौक, ख़रीदारी वगैरह भी हज की नीयत के साथ शामिल हो तो तौबा करें और हज कि नीयत ख़ालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करें।
४. कारोबार और घर की सारी ज़रूरीयात और ऊमुर से मुत्अल्लिक वसीयत नामा लिख दे, लेना देना, हक हुकूक सब मुफसल दर्ज कर दे और किसी मामला शनास और दीनदार शख्स को अपना कायम मुकाम बना दे।
५. घरवालों को आप की ग़ैर मौजूदगी में भी नमाज़ पढ़ते रहने और पूरी तरह दिन पर चलते रहने की नसीहत कर दे।
६. सड़के से बलाएँ टलती हैं इसलिए सफ़र में जान और माल कि हिफ़ाज़त के लिए सड़का ख़ैरत कर दे या गरीबों को खाना खिला दे।
७. अगर किसी का हक अदा न किया हो तो अदा करें। किसी का दिल दुखाया हो तो माफ़ी माँग लें। अल्लाह तआला बेनियाज़ है वह खुद के हुकूक माफ़ कर देगा लेकिन बंदों के हुकूक माफ़ नहीं करेगा। उसे तो आपको बंदों से ही माफ़ कराने होंगे।
८. सफ़रे हज की सामान कि मुकम्मल फेहरिस्त बना ले और उसके मुताबिक सामान एक या दो दिन पहले ही पैक कर ले।
९. एक अलग हैंड बैग में पासपोर्ट जहाज़ का टिकट, शनाख़ी कार्ड और दुसरे ज़रूरी सामान रख लें। यह बैग ऐसा हो कि उसे आप १४ घंटे के सफ़र में हमेशा अपने कंधे से लटकाए रह सकें।
१०. बाल साफ़ कर ले, नाखून काट लें और नहा धोकर अच्छी तरह पाक हो जाए और एहराम पहन ले।

## घर से रवानगी:-

अच्छी तरह नहा धो कर साफ़ सुथरे हो जाएँ और एहराम पहन लें।

- इस मुबारक सफ़र की कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआएँ माँगें। दुआ ज़्यादा असर रखती है जब ये नफ़िल नमाज़ पढ़ कर माँगी जाएँ। इस लिए दो-दो रकअत कर के दस रकअत नफ़िल नमाज़ इस तरह पढ़ें।
- दो रकअत नफ़िल नमाज़ सलातुल्हाजात की नीयत से पढ़ें, और अल्लाह तआला से दुआ करें के अल्लाह तआला आप का सफ़रे हज आसान और कामयाब करे और आप को हजे मबरूर अता फ़रमाएँ।
- दो रकअत नफ़िल नमाज़ सलातुल्तौबा की नीयत से पढ़ें। इस नफ़िल नमाज़ के बाद आप अल्लाह तआला के दरबार में सच्चे दिल से अपने गुनाहों से

तौबा करें।

- दो रकअत नफ़िल नमाज़ शुक्राने की पढ़ें और अल्लाह तआला का शुक्र अदा करें कि उस ने ये तौफ़िक आप को दी, कि आप हज के सफ़र पर जा रहे हैं।
- दो रकअत नमाज़ अपने और अपने घर वालों की बलाओं और मुसीबतों से हिफ़ाज़त की नीयत से पढ़ें और दुआ करें की अल्लाह तआला आप को सफ़र में और घर वालों को वतन में अपने अमान और हिफ़ाज़त में रखे और तमाम मुसीबतों से महफूज़ रखे।
- आख़री दो रकअत नमाज़ एहराम की नीयत से पढ़ें। सारी नमाज़ें आप एहराम की चादर से सर ढांप कर पढ़ें और आख़री दो रकत का सलाम फेर कर सिर खोल दें मगर अभी उम्रह की नीयत न करें। उम्रह की नीयत अगर आप जहाज़ में यलम लम मिकात से करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। यलम लम मिकात जिद्दा उतरने से एक घंटा पहले आता है और जहाज़ का अमला मिकात आने पर आप को इसकी ख़बर कर देगा।

## कुछ याद रखने लायक बातें:-

- बुजुर्गों से सुना है कि एहराम की हालत में इंसान जो भी काम करता है उस पर मुहर लग जाती है। फिर वह जिन्दगी भर उसे दोहराता रहता है। वैसे तो हर वक़्त गुनाहों से बचना चाहिये मगर एहराम की हालत में गुनाहों से सख़्त परहेज़ करना चाहिये और पूरी तरह से सुन्नत के मुताबिक़ शब-व-रोज़ गुज़ारने की कोशिश करना चाहिये।
- कुछ ऐसे गुनाह हैं जिन की हमें आदत सी है और उन के गुनाह होने का हमें एहसास तक नहीं होता। जैसे गीबत, नज़रों का गुनाह वगैरह और यह गुनाह हम उस वक़्त करते हैं जब हम दुनियादारी की बातें करते हैं या बाज़ारों में घुमते हैं। एहराम की हालत में और वैसे भी हरम के हुदूद में इन दोनों से परहेज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त कुरआन शरीफ़ की तिलावत, तवाफ़, नफ़िल नमाज़ और वज़ाइफ़ पढ़ते हुए गुज़ारें। आप जिस जगह जा रहे हैं (मक्का शरीफ़) वहाँ एक नेकी का सवाब एक लाख गुना बढ़ा कर मिलता है। इसी तरह एक ग़लती का गुनाह भी एक लाख गुना मिलेगा। हज़रत नुह (अलै.) की उम्र ९५० साल थी। अगर आप चार दिन हरम शरीफ़ में इबादत करें तो चार लाख दिन के बराबर इबादत का सवाब मिलेगा। जो के १००० साल की इबादत से ज़्यादा है। यानि आप हज़रत नुह (अलै.) की उम्र से भी ज़्यादा अरसे तक इबादत करते रहे। इस से आप अन्दाज़ा लगाएँ कि अगर आप एक महीने हरम में इबादत करते रहे, तो कितना सवाब मिलेगा? वह लोग खुश नसीब हैं, जो इस बात को समझ कर इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाते हैं।
- अपने वतन में एक फ़र्ज़ नमाज़ छूट जाए तो उस का गुनाह ७० गुनाह कबीरा के बराबर होता है जिसकी जहन्नम की सज़ा कई लाख साल है। यही गुनाह अगर हरम शरीफ़ में हो जाए तो यह एक लाख गुना और बढ़ जाएगा। नमाज़ छोड़ने के साथ अगर किसी ने गीबत भी की, नज़रों का गुनाह भी किया, झगड़ा वगैरह भी किया और महीने भर करता रहा तो ऐसा शख्स जब हज के सफ़र पर निकलता है तो कुछ नेक होता है और गुनाह का ज़ख़ीरा भी उसकी उम्र के मुताबिक़ पचास साठ साल का होता है। मगर जब हज से वापस आता है तो हज़ारों साल की उम्र के गुनाह के बराबर गुनाहों का ज़ख़ीरा लेकर आता है। ऐसा बदबख़्त इंसान हज कर के हाज़ी के बदले पाजी नहीं बनेगा, तो और क्या बनेगा! इस लिए कुछ लोग हज के बाद ज़्यादा बद्दीन हो जाते हैं। अल्लाह तआला हमें आप को और सारे

मुसलमानों को दीन समझने और उस पर सही तरीके पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन।

- वह मुकद्दस ज़मीन जिसे देखने के लिए लाखों आँखें तरस्ती हैं। वहाँ आप को सिर्फ चालीस दिन रहना है। इन चालीस दिनों के लिए अगर आप दुनियादारी छोड़ देंगे, तो क्या क़यामत आ जाएगी? घर से निकलते वक़्त अपनी दुनियादारी को यहाँ छोड़ कर सफ़रे हज़ पर रवाना हों और आने वाले हर लम्हे को ग़नीमत समझें और जितनी नेकी अपने दामन में समेट सकते हों समेट लें। मौत की किसे ख़बर, हो सकता है यह आप का आख़री सफ़र हो?

### मुकद्दस सफर का पहला कदम:—

- स्टील का कड़ा पहन लें, पासपोर्ट, एअर टिकट और दुसरा ज़रूरी सामान हैंड बैग में रखकर कांधे पर लटकालें। सारे सामान पर अपना नाम पता और कवर नंबर फिर एक बार जॉच लें और घर वालों के लिए अल्लाह तआला से दुआ करें, उन्हें अल्लाह तआला की अमान में दें और यह दुआ पढ़ें।

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَاتَكَ وَاخِرَ عَمَلِكَ  
رُوْدَكَ اللّٰهَ التَّقْوَىٰ، وَاَسْرَكَ النَّحْرَ حَيْثُ كُنْتَ.

“अस्तौदिउल्लाहा दी-नका व अमा-न-त-का व आखि-र-अ-म-लिका। ज़व-द-कल्लाहुल्लववा, व यस-स-र-ल-कल खै-र-हैसु कुन्ता।”

तर्जुमा : अच्छा जाओ तुम और तुम्हारा दीन और तुम्हारी दीन व दुनिया की अमानत और तुम्हारे कामों का अंजाम अल्लाह तआला के सुपुर्द है। अल्लाह तआला तुम को तक्वा की दौलत से नवाज़े और तुम्हारे लिए नेकियाँ आसान करे, जहाँ कहीं रहो।

- घर से पहला कदम निकलते हुये यह दुआ पढ़ें।

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

“बिस्मिल्लाहि तवक्कल-तु अ-लल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला विल्लाहा।”

तर्जुमा: शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, मेरा अल्लाह तआला पर इमान और उसी पर भरोसा है, और यह यकीनी बात है कि अल्लाह तआला के हुकम के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, मैं अल्लाह ही के सहारे सफ़र शुरू करता हूँ सवारी आ जाये तो सवारी पर सुन्नत तरीके से सवार हों। सवारी पर सवार होने का सुन्नत तरीका :

- हज़रत अली बिन रबीया (रज़ी.) से रिवायत है कि अली (रज़ी.) बिन अबी तालिब के लिए जब सवारी लाई गई तो इस वक़्त मैं मौजूद था। इन्होंने जब इस की रेकाब पर पैर रखा तो बिस्मिल्लाह कहा। फिर जब पीठ पर बैठ गये तो कहा अलहम-दु-लिल्लाह फिर फरमाया-

سُبْحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۝  
وَإِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ۝ (سورة غرّ، آيات: ۱۳-۱۴)

“सुब्हानल्लज़ी सख़-र-ल-ना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकिरनीना व इन्ना इला रब्बाना ल-मुन-कलिबून।”

तर्जुमा : उस अल्लाह की तारीफ़ है जिसने इस को हमारे लिए मुसख़र कर दिया। हम इस की ताकत नहीं रखते थे और हम अपने रब की तरफ़ पलटने वाले हैं। (सूरह जुक्रुफ, आयत: 92-94)

फिर तीन मरतबा अलहम-दु-लिल्लाह कहा, फिर तीन बार अल्लाहु अकबर कहा। फिर ये दुआ पढ़ें:

سُبْحٰنَكَ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَاِنَّهٗ لَا  
يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ.

“सुब्हा-नका इन्नी ज़-लम-तु नफ-सी फग़-फिर-ली, फ-इन्नहू, ला यग़-फिरूज्जुनूबा इल्ला अन्ता।”

तर्जुमा : पाक है तू। बेशक मैं ने अपनी जान पर जुल्म किया। बस मुझको बख़्श दे और तेरे सिवाय कोई बख़्शने वाला नहीं।

यह कह कर हंस दिये, लोगों ने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन आप हंसते क्यों हैं। इन्होंने फरमाया कि मैं ने हुजुर (स.) को इसी तरह करते देखा था जिस तरह मैंने किया और जब आप हंसते तो मैंने भी अर्ज़ किया था या रसूल अल्लाह (स.) किस बात ने आप को हंसाया। आप (स.) ने फरमाया था तुम्हारा रब पाक है। इस के बंदे जब कहते हैं, कि ऐ रब! मुझे बख़्श दे, तो फिर वह खुश होता है कि मेरा बंधा जानता है कि मेरे सिवाय कोई बख़्शने वाला नहीं। (अबु दाऊद-तिर्मिज़ी)

इस दुआ को याद कर लीजिए और हज के दौरान और उसके बाद भी जब भी सवारी पर सवार होना हो, इसे जरूर पढ़ें।

### हवाई सफर का आगाज़

- जिन जहाज़ों से हज कमेटी से जाने वाले हाजियों को ले जाया जाता है उसमें सिर्फ हाजी ही सफर करते हैं। उन में सफर करने की आम मुसाफिरों को इजाज़त नहीं होती, उन जहाज़ों से सफर करनेवाले हाजियों के टिकटों पर सीट नंबर भी नहीं होते हैं। इसलिये जो हाजी पहले पहुँच जाते हैं, उन्हें अपने सारे ग्रुप के साथ बैठने के लिए अच्छी सीटें मिल जाती हैं और जो देर से जहाज़ में दाखिल होते हैं, तो उन्हें जो बची हुई खाली सीटें होती हैं उसी पर बैठना पड़ता है। ऐसे में अक्सर ग्रुप बिखर जाता है और हो सकता है कि आप को मजबूरन गैर मैहरम के बगल में जगह मिले।

- हज के अय्याम में आम दिनों से ज़्यादा वक़्त एअरपोर्ट पर सामान की चेकिंग और दुसरे कामों में लगता है इसलिये ३ से ४ घंटे पहले एअरपोर्ट पर पहुँच जाए और जल्द अज़ जल्द जहाज़ में सवार होने की कोशिश किजिए।

- एयरपोर्ट पर दाखिल होते ही पहले आप को ज़रे मुबादला मिलेगा। उसे आप हिफाज़त से अपने हैंड बैग के अंदर वाली जेब में रख लें। ताकि अगर बार बार बैग खोलना हुआ तो पैसा गिरने या खो जाने का डर न हो।

एयरपोर्ट पर ही आपके पासपोर्ट के पीछे एक स्टिकर चिपकाया जाएगा। जिसमें आपके मुअल्लिम का नाम मक्का में आपकी बिर्डींग का नंबर और रूम नंबर होगा। इस तफसिल को आप परमनंट मार्कर पेन से अपने सारे सामानों पर लिख लें। जहाज़ में अब अक्सर सामान पिछे छूट जाते हैं। फिर मक्का में हप्तों बाद मिलते हैं। इस नंबर और तफसिल से फ़ौरन आपका सामान आप तक पहुँच जाएगा। अपने सामान पर अपने घर का पत्ता और जिस एयरपोर्ट से आप रवाना होंगे उसका नाम भी जरूर लिखें।

- ज़रे मुबादला मिलने के बाद आप के लगेज का सेक्युरिटी चेक होगा। फिर आप का सामान वज़न होगा, उसके बाद आप का सामान जहाज़ पर लोड होने चला जाएगा और आप को जहाज़ पर सवार होने से पहले वेटिंग हॉल (Waiting Hall) में जाकर इंतज़ार करने के लिए कहा जाएगा। इस हॉल में आप पेशाब पाखाना से फ़ारिग होकर वुजु करलें। हज कमेटी की तरफ़ से नमाज़ पढ़ने का भी इंतज़ाम किया जाता है। वक़्त हो तो नमाज़ भी पढ़ लें।

- जहाज़ का सफर साढ़े चार से पाँच घंटे का होता है। जहाज़ में टॉयलेट (Toilet) तो है मगर नापाक होने का ख़तरा रहता है और वुजु का इंतज़ाम भी नहीं, इस लिए पहले से ही तैयार रहें। (और पानी वगैरा कम पीए।)

जब जहाज़ में सवार होने का ऐलान किया जाए तो सवारी की दुआ पढ़ते हुये जहाज़ में दाखिल हों और जब जहाज़ रवाना हो तो ये दुआ पढ़ें :

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَهَا وَاَوْسَسْهَا اِنَّ رُبِّيْ لَعَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ (سورة اودآيات: 1-3)

“बिस्मिल्लाहि मज्रीहा व मुसआहा। इन्ना रब्बी ल-गफू-र-रहीमा।”

तर्जुमा : जहाज़ों का चलना और ठहरना अल्लाह ही के नाम की बरकत से है, बेशक मेरा रब बख़्शने वाला और रहम करने वाला है। (सूरह हूद, आयत: 49)

# हवाई सफ़र और मक्का मुकर्रमा में आमद

हवाई सफ़र साढ़े चार घंटे का है सफ़र के दौरान कोल्ड्रिंक, खाना और खुशबूदार कागज़ के रूमाल मिलेंगे। अगर आप ने सफ़र शुरू करने से पहले उम्रह की नीयत कर ली है, तो खुशबूदार मशरूबात (Cold Drink), खुशबूदार रूमाल और खुशबूदार खाने से परहेज़ करें क्योंकि एहराम की हालत में खुशबू लगाना और खाना दोनों की मुमनिअत है। अगर उम्रह की नीयत न की हो तो शौक़ से खाएँ।

तीन घंटे सफ़र के बाद नीयत करने की तैयारी कीजिए। मीक़ात आने के पहले ही जहाज़ का अमला आप को ख़बर कर देगा। मीक़ात आने पर उम्रह की नीयत इस तरह करें :

**اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِي وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي**

“अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्र-त-फ-यस्सर-हाली व तकब्ल-हा मिन्नी।”

तर्जुमा : ऐ अल्लाह! मैं उम्रह की नीयत करता हूँ/करती हूँ। इसे तू मेरे लिए आसान कर और कबूल फ़र्मा।

नीयत के बाद मर्द बुलंद आवाज़ में और ख़वातीन धीमी आवाज़ में तीन बार तल्बिया पढ़ें।

“लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।” **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ**

हाज़िर हूँ मेरे मौला आपके हुजुर हाज़िर हूँ।

“लब्बैक ला शरी-क-ल-क-लब्बैक।” **لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ**

मैं हाज़िर हूँ, आपका कोई शरीक नहीं मैं हाज़िर हूँ।

**إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ،**

“इन्नल हम-दा वन्निअ-मता लका वल मुल्का।”

सारी हमद व सताईश के आप ही सज़ावार हैं। और सारी नेअमते आप ही की हैं और सारी कायनात में हुक्ूमत भी आप ही की है।

“ला शरीका लका।” **لَا شَرِيكَ لَكَ**

आप का कोई शरीक व सहीम नहीं।

नीयत करने और तल्बिया पढ़ते ही आप पर एहराम की सारी पाबंदियाँ आइद हो गईं। इस के बाद आप के लिए सब से अफज़ल तस्बीह ज़िक्र तल्बिया ही है।

जो हवाई जहाज़ हाज़ियों को ले जाते हैं वह इस बात का खयाल रखते हैं के मुसाफ़िरो को मीक़ात की ख़बर दें। मगर जो आम फ़्लाइट हैं उस में इस बात का खयाल नहीं रखा जाता कि मीक़ात की ख़बर करें। इस लिए अगर आप दूर से और आम फ़्लाइट से जा रहे हों तो एहतियात के तौर पर सफ़र के दो घंटे बाद ही नीयत कर के तल्बिया पढ़ लें।

जिद्दा पहुँच कर जहाज़ से उतरने के बाद एक बस के ज़रिये आप को एयरपोर्ट की इमारत में ले जाया जाएगा। एयरपोर्ट की इमारत में दाख़िल होने के बाद आप को तीन मरहलों से गुज़रना है।

- पहले मरहले में आप को एक जंगले से घिरे हुए हॉल में रुकाया जाएगा और आप के पासपोर्ट पर दाख़ले की मुहर लगेगी।
- दुसरे मरहले में आप को बग़ल के दुसरे हॉल में जाकर अपना सामान पहचान कर एक जगह जमा करना है और उस की सेक्यूरिटी जाँच करानी है। जाँच के बाद आप का सामान फिर ले लिया जाएगा और उसे बस अड्डे पर पहुँचा दिया जाएगा।

- तीसरे मरहले में आप को करीब दो सौ मीटर दूर हिन्दुस्तान के बस अड्डे की तरफ जाना है। जिद्दा का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और खोजने का ख़तरा रहता है। इस लिए अपने साथियों के साथ रहें और बोर्ड देखते हुए और रास्ते में खड़े गाइड से पूछते हुए हिन्दुस्तान के बस अड्डे पर पहुँचें। इस काउंटर पर ज़रूरियात से फ़ारिग़ होने, वुजु करने और नमाज़ पढ़ने की सहूलतें मुहय्या हैं। इस लिए ज़रूरियात से फ़ारिग़ होकर वुजु बना कर नमाज़ पढ़ लें। जो सामान आप से जाँच के बाद ले लिया गया था, कुली उसे यहाँ पहुँचा देते हैं। अब आप अपना सामान पहचान कर एक जगह जमा कर लें और अपना पासपोर्ट काउंटर पर दिखायें।

(नोट: जो कुली आप का सामान बस डिपो तक पहुँचाने में आप की मदद करते हैं, उन का बिल्ला नम्बर ज़रूर नोट कर लें।)

यहाँ आप को ग्रुप बना कर मुअल्लिम के हवाले किया जाएगा। मुअल्लिम एक बस में जितने लोग सवार हो सकते हैं उतने लोगों को जमा करेंगे। उन का सामान एक ट्रॉली पर लाद कर बस तक ले जाएंगे और बस में सवार कर देंगे। आप इस बात का खयाल रखें कि आप इसी बस में सवार हों जिस में आप का सामान लादा जाए। बस में सवार होते वक़्त मुअल्लिम आप से आप का पासपोर्ट ले लेंगे और मक्का शरीफ़ में आप के रिहाईशगाह पहुँच कर आप को आप का रिहाईशगाह कार्ड, अपना शिनाख़्ती कार्ड और प्लास्टिक पट्टा हाथ में पहनने के लिए देंगे।

एयरपोर्ट और बस में हर जगह तल्बिया का ज़िक्र जारी रखें। जब बस मक्का शरीफ़ की हद में दाख़िल हो, तो यह दुआ पढ़ें:

“या अल्लाह यह आप का और आप के रसूल (स.) का हरम है। इसमें जानवरों को भी अमन है। ऐसे मोहतरम मुक़ाम की बरकत से आप मेरे गोश्त, खून और हड्डियों को आग पर हराम कर दे और मुझे अपने वलियों और अताअत गुज़ारों में शामिल फरमा।”

## जब मक्का शहर पर पहली नज़र पड़े तो यह दुआ पढ़ें:

या अल्लाह मेरे लिये मक्का शहर में ठिकाना फ़रमा दे और हलाल रोज़ी दे,

या अल्लाह हम को मक्का मुकर्रमा में बरकत इनायत फ़रमा।

या अल्लाह इस शहर के मेवे हमें नसीब फ़रमा।

या अल्लाह अहले मक्का को हमारी नज़रों में मेहबूब बना दे।

या अल्लाह हमें भी अहले मक्का की नज़रों में मेहबूब बना दे।



बस आप को आप की रिहाईशगाह तक पहुँचा देगी। कुली आप का सामान बस से उतार कर आप के कमरे तक पहुँचा देगा। सामान कमरा में रखकर कुछ खा पी लें। ज़रूरत हो तो कुछ देर आराम कर लें। जो रियाल आप को एयरपोर्ट पर मिले थे, उन्हें सूटकेस में हिफ़ाज़त से रख दें। अपने साथ हरम में हरगिज़ न ले जाए। फिर उम्रह की तैयारी करें। मक्का मुकर्रमा पहुँच कर आप जितनी जल्दी उम्रह करेंगे उतना अफ़ज़ल है।

हज व रमज़ान के दिनों में हरम शरीफ़ में नमाज़ व नमाज़ के बाद तवाफ़ करने वालों का ज़बरदस्त हुज़ूम होता है जिस वजह से उम्रह के अरकान अदा करने में काफी परेशानी होती है। सुबह इशराक के बाद दोपहर २ बजे से ४ बजे के बीच और रात में ईशा और खाने के बाद हरम शरीफ़ कुछ खाली होता है। लेहाज़ा इन दो वक़्तों में अगर आप उम्रह करें, तो कदरे आसानी होगी।



## मस्जिदे हरम की तफसील

- ① खाना ए काबा के अंदर फर्श मताफ से 7 फिट ऊँचा है। खाना ए काबा की कुल ऊँचाई 46 फिट, लम्बाई 42 फिट, और ऊँचाई 38 फिट है। हतीम का आखरी सिरा खाना ए काबा से 21 फिट दूर है।
- ② मकामे इब्राहीम एक पत्थर है जिस पर हजरत इब्राहीम के कदमों के निशान हैं। यह 8 इंच ऊँचा, 14 इंच चौड़ा, और 15 इंच लम्बा है, और खाना ए काबा से 46 फिट दूरी पर है। इस का रंग पीला व लाल के दरमियान सफेदी लिए हुए है।
- ③ हजरे अस्वद खाना ए काबा के मशरकी कोने पर जमीन से तकरीबन सवा चार फिट की ऊँचाई पर नखब है। यह किसी हादसे में टूट गया था। अब इस के 8 टुकड़े एक 7x10 इंच के काले पत्थर पर जोड़ कर चांदी के फ्रेम में लगा दिया है। हजरत इब्राहीम (अलै.) के जमाने में सफेद था, अब लोगों के गुनाहों से काला हो गया है।
- ④ जम जम का कुँवाँ अग तहखाना में है। इस की पानी की सतह जमीन से 12 फिट नीचे है। पानी के सूते 40 फिट पर फूटे हैं और कुँवें की कुल गहराई 100 फिट है। कुँवें का दहाना (मुँह) 6 फिट है। जम जम का कुँवाँ काबा शरीफ से 60 फिट की दूरी पर है।
- ⑤ मसजिदे हरम की तर्की तामीर, मुताफ और तुर्की तामीर का खर्चा 290000 मुरब्बा फिट है।
- ⑥ सऊदी दौर की मस्जिदे हरम की नई इमारत। तहखाना के साथ कुल खर्चा 1310000 मुरब्ब फिट और जमीन से छत की ऊँचाई 30 फिट है।
- ⑦ मस्जिदे हरम का पहला मंजिला और छत की ऊँचाई 30 फिट और खर्चा 420000 मुरब्ब फिट है।
- ⑧ मस्जिदे हरम की छत।
- ⑨ मस्जिदे हरम का तहखाना। इस के छत की ऊँचाई 12 फिट है।
- ⑩ मस्जिदे हरम के कुल मीनारों की कुल तादाद 9 है और ऊँचाई 293 फिट है।
- ⑪ मस्जिदे हरम का बाहरी सेहन का कुल खर्चा 880000 मुरब्बा फिट है।
- ⑫ काबा शरीफ से सफा 430 फिट दूर है। यह मस्जिदे हरम के अंदर मगर बाहरी किनारे पर है।
- ⑬ लोगों की भीड़ के वक्त मस्जिदे हरम और सेहन में 10 लाख से ज़्यादा नमाज़ी नमाज़ पढ़ सकते हैं।



## खाना-ए-काबा और मुताफ़ की तफसील

# उम्रह कैसे करें ?

## मस्जिदे हराम में दारवला :-

काबा शरीफ के चारों तरफ जो अज़ीमुशान इमारत बनी हुई है, इस को मस्जिदे हराम कहते हैं। इसमें सौ से ज्यादा दरवाजे हैं। हुजुर (स.) का घर मरवा से शुमाल मशरक की सिमत था और हुजुर (स.) बाबुस्सलाम जो कि सफ़ा और मरवा के बीच है अक्सर इसी दरवाजे से मस्जिदे हराम में दाखिल हुआ करते थे। इस लिए अगर मुस्किन हो तो बाबुस्सलाम से दाखिल हों वरना किसी भी दरवाजे से दाखिल हो सकते हैं। मस्जिद में दाखिल होते वक़्त दाहीना कदम मस्जिद में रखें और पढ़ें।

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَلَيْسَ لِي، أَبْوَابٌ رَحْمَتِكَ

“बिस्मिल्लाही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि। अल्लाहुम्मा तह-ली, अब्बा-ब-रह-म-तिका।”

तर्जुमा : अल्लाह का नाम लेकर दाखिल होता हूँ और रसूलअल्लाह (स.) पर दरूद व सलाम भेजता हूँ। ऐ मेरे! रब मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दीजिए।

## पहली नज़र और दुआ :-

काबा शरीफ पर पहली बार जब आप की नज़र पड़ेगी, तो पलक झपकने से पहले आप जो भी दुआ मांगेंगे, अल्लाह तआला उसे क़बुल फ़रमाएँगे। इस लिए ये लम्हा बहुत अहम है इस लम्हा से ज्यादा फ़ैज़याब होने के लिए पहले से ही तैयारी कर लें। मस्जिदे हराम में दाखिल होते वक़्त नीची नज़रें रखें। फिर करीब दो सौ कदम आगे बढ़ते जाएँ। इस दौरान आप को दो बार सीढियाँ उतरनी होंगी। जब आप सेहन में पहुँचें तो रास्ते से एक तरफ हट कर खड़े हो जाएँ और नज़रें उठा कर अल्लाह के उस घर को देखें जिसकी तरफ रूख़ करके आप सारी उम्र सजदे करते रहे। ख़ाना काबा पर नज़र जमा दें, बग़ैर पलक झपके ये दुआ पढ़ें। “या अल्लाह इस के बाद, मैं जो भी ख़ैर की दुआ माँगूँ क़बूल फ़रमा”।

इस के बाद तीन मतर्बा ये दुआ पढ़ें।

“अल्लाहु अक्बर, ला इलाहा इल्लल्लाहा।” اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

तर्जुमा : अल्लाह सब से बड़ा है, नहीं कोई मअबूद सिवाय अल्लाह के।

दुआ के बजाए आप तकबीर शरीफ भी पढ़ सकते हैं।

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

“अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, व लिल्लाहिल हम्दा।”

तर्जुमा : अल्लाह सब से बड़ा है, अल्लाह सब से बड़ा है, नहीं कोई मअबूद सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह सब से बड़ा है, अल्लाह सब से बड़ा है और तमाम तअरीफें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं।

इस के बाद दरूद शरीफ पढ़िये फिर दिल भर कर दुआएं मांगिये। ये ग़नी का दरबार है। मांगने वाला मांगते मांगते थक जायेगा। मगर देने वाला देते देते न थकेगा। अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, उम्मेते मुस्लिमा के लिए, अपने मुल्क के लिए और हर एक के लिए सुकून से रो रो कर दुआ मांगें।

## तवाफे उम्रह:-

उम्रह के दो फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ आप एहराम पहन कर पूरा कर चुके, अब दुसरा फ़र्ज़ (तवाफ) अदा करना है। तवाफ हज़रे अस्वद से शुरू होगा

हज़रे अस्वद पर ही ख़त्म होगा। हज़रे अस्वद काबा शरीफ के मशरकी कोने पर लगा हुआ जन्नत का एक पत्थर है। जिस के चारों तरफ चाँदी का फ्रेम बना हुआ है। तवाफ हज़रे अस्वद को छु कर और बोसा देकर शुरू करना होता है। मगर लोगों के हुजूम की वजह से यह नामुम्किन है। इस लिए हम मुम्किन और आसान तरीके से उम्रह करने का तरीका बयान करेंगे।

तवाफ हज़रे अस्वद को नज़दीक से या दूर से बोसा ले कर शुरू किया जाता है। मगर हज़रे अस्वद की सीध का अंदाज़ करने के लिए मशरक की तरफ मताफ में दीवार पर और अतराफ की मस्जिदे हरम में छत (Terrace) पर खम्बों पर हरे रंग की ट्यूब लाईट लगा दी गई है। इन्ही निशान से आप हज़रे अस्वद की सीध का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप का तवाफ इसी निशान से शुरू होगा और इन्हीं पर ख़त्म होगा।

पहली नज़र की दुआ के बाद आप हिज़रे अस्वद की सीध में आ जाएँ। वहाँ पहुँचने के लिए आप लोगों के मुखालिफ सिमत चलने के बजाए तवाफ करने वालों में शामिल हो जाएँ और इन के साथ चलते चलते हज़रे अस्वद और हरी ट्यूब लाईट के दरम्यान में पहुँचें।



इज़्त्बा की हालत में खुला हुआ सीधे हाथ का कंधा

**रमल :** एक तवाफ पूरा करने के लिए ख़ाना ए काबा के गिर्द सात चक्कर लगाने होते हैं और दो रकअत नमाज़ वाजिबुत्तवाफ़ पढ़ना होता है।

उम्रह के तवाफ और हज़ के तवाफे ज़ियारत में पहले तीन चक्करों में मर्दों को पहलवानों की तरह शान से अकड़ कर, छोटे छोटे कदम रख कर तेज़ी से चलना होता है। इसे रमल कहते हैं। और रमल करते वक़्त सीधा हाथ का कंधा खुला रखते हैं, इसे इज़्त्बा कहते हैं। इज़्त्बा के लिए एहराम का एक सिरा दाहिने हाथ के बगल से निकल कर बाएँ हाथके कंधे पर डाल लेते हैं। रमल इस तवाफ में होता है जिसके बाद सई करनी होती है और नफली तवाफ में न रमल नहीं है। मगर जब भी आप एहराम पहन कर तवाफ करे इज़्त्बा करना सुन्त है। हों नमाज़ पढ़ते वक़्त दोनों कांधे ढांक लें।


## तवाफ़ का पहला चक्कर :-

● लोगों के हुजूम के साथ जब आप तवाफ करते करते हज़रे अस्वद तक पहुँचें तो हज़रे अस्वद और हरी ट्यूब लाईट की सीध और दरम्यान से आधा फिट पहले रूक जाएँ और हज़रे अस्वद की तरफ रूख कर के तवाफ की नीयत इस तरह करें।

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ، سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ لِلَّهِ تَعَالَى، فَيَسِّرْ لِي، وَتَقَبَّلْ مِنِّي.

“अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदू तवाफा बैति-कल हराम, सब-अता अश्वतिन लिल्लाहि तआला, फ-यस्सर ली, व तकब्बल-हु मिन्नी।”

तर्जुमा : ऐ अल्लाह! मैं आप के इस हुर्मत वाले घर का तवाफ आप की रज़ा और खुशनुदी के लिए कर रहा हूँ। आप इस को मेरे लिए आसान करें और क़बुल फ़रमाएँ।




हज्रे अस्वद और हरी ट्यूब लाइट की सीध में आधा फिट पहले हज्रे अस्वद की तरफ रख कर के नियत करें।

- नीयत करने के बाद आप दाहिनी तरफ इतना हटें के हज्रे अस्वद और हरी ट्यूब लाइट के बिल्कुल दरम्यान सीध में आ जाएँ। इस के बाद मुंदर्जाज़ैल तकबीर पढ़ते हुऐ कानों तक इस तरह हाथ उठाएँ जिस तरह नमाज़ में उठाते हैं।

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ


“बिस्मिल्लाहि, अल्लाहु अक्बर, व लिल्लाहिलि हम्द।”

तर्जुमा : शुरु करता हूँ अल्लाह के नाम से। अल्लाह सब से बड़ा है और सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं।




हज्रे अस्वद के बिल्कुल सामने आकर और हज्रे अस्वद की तरफ रख कर के कानों तक हाथ उठा कर तकबीर कहें।

- तकबीर कहने के बाद हाथ छोड़ दें फिर हज्रे अस्वद की सिमत में दोनों हथेलियाँ कंधों की ऊँचाई तक इस तरह फैलाएँ के गोया आप हज्रे अस्वद को छूने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसे चूम लें। यह अमल हज्रे अस्वद को बोसा देने के बराबर है और इसे इस्तेलाम कहते हैं।



तकबीर पढ़ने के बाद हाथ छोड़ दें। हज्रे अस्वद की तरफ हाथ फैला कर उसे चूम लें और तवाफ शुरु करें।

- खाने काबा की तरफ सीना करके तवाफ करना मकरूह है और पीठ करके तवाफ करना मकरूह तहरीमी है। इन दोनों हालतों में आप जितनी दूरी तय करेंगे वह तवाफ में शुमार नहीं होगा इतनी दूरी आपको फिर से तय करना है इसलिए हज्रे अस्वद के इस्तेलाम के बाद फौजीयों की तरह बिल्कुल जगह पर धुमकर अपना रख तवाफ करने के सिमत में कर लीजिए और तवाफ शुरु कीजिए। (सीना और चेहरा खाना-ए-काबा की तरफ करके एक कदम भी मत चलिए।)



हज्रे अस्वद के इस्तेलाम के बाद बिल्कुल जगह पर धूम कर अपना रख तवाफ करने की सिमत में कर लीजिए और तवाफ शुरु कीजिए।

- हज की तमाम किताबों में हर तवाफ के लिए लंबी लंबी दुआएं लिखी हुई है। यह सब बुजुर्गाने दीन का तरीका है, नबी करीम (स.) से साबित नहीं है। हजूर(स.) से सिर्फ निचे दी गई दुआएं साबित है।

### 9. रुकने यमानी पहुँचकर :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَاقَةِ وَمَوَاقِبِ الْحُزِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“अल्लाहुम्मा इन्नी अ-ऊजु-बिका मिनल कुफरी वल फा-क-ती व मवा-कफिल खिज़यी फिद-दुन्या वल आखिराह।”

तर्जुमा : ए अल्लाह मैं पनाह चाहता कुफ्र से और फाके से और दीन व आखिरत की रूसवाई से।

### 2. रुकने यमानी और हज्रे अस्वद के दरम्यान:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْأَلُكَ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (سورة البقرة)

“रब्बिना आतिना फिद दुन्या ह-स-नतंव व फिल आखि-रती ह-स-नतंव व किना अज़ाबन्ना।”

तर्जुमा : ए हमारे रब! हमे दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी और हमको दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। (सूरह बकराह)

### 3. तवाफ के दौरान

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ.

“अल्लाहुम्मा इन्नी अस-अलु-करी-हता इन्दल मौति वल अफ-वा इन्दल हिसाब।”

तर्जुमा : ए अल्लाह में तुझसे सवाल करता हूँ मौत के वक़्त राहत और हिसाब के वक़्त आफियत का।

- तवाफ करते वक़्त किसी आयत या दुआ का पढ़ना फर्ज या वाजिब नहीं है। आप अपनी आसानी के लिए जो भी याद हो पढ़ सकते हैं। मगर जो भी दुआ पढ़े समझकर और बगैर किताब देखे पढ़ें। दुआ ही असर रखती है जो समझकर दिल से की जाए।

- तवाफ करते वक़्त देखकर दुआ पढ़ने से दुसरो को तकलीफ होती है इसलिए सफरे हज से पहले दुआएं याद करले फिर दौराने तवाफ पढ़ें।

- हमेशा नबी करीम(स.) से साबित दुआओं को तर्जिह दें। क्योंकि सुन्नत पर अमल हमेशा सबसे ज़्यादा नफ़ा देता है।

- अगर आपके लिए किताबों में लिखी गई दुआएं याद करना और पढ़ना मुश्किल है, तो हर चक्कर के शुरु से यानि हज्रे अस्वद से रुकने यमानी तक जो कुरआन शरीफ की आयतें याद हों तो उसे पढ़ें या तीसरा कलमा पढ़ें:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ

أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

“सुब्हानल्लाहिल वल हम्दु लिल्लाहि, व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला हिल अलिलियल अज़ीमा।”

तर्जुमा : अल्लाह तआला पाक हैं। सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह तआला सब से बड़े हैं और गुनाहों से बचने की ताकत और इबादत की तरफ रागिब होने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से मिलती है।

और रूकुने यमानी से हजरे अस्वद तक अपनी मादरी ज़बान में दुआए माँगे। तवाफ करते हुए काबा शरीफ की तरफ मुँह करना मकरूह है और पीठ करना मकरूह तहरीमी है जो कि हराम के दर्जा में आता है। इस लिए तवाफ करते हुए सीधे चलें और निगाहें चलने की जगह पर रखें।

### तवाफ़ का दुसरा चक्कर :

रूकुने यमानी से दुआ पढ़ते हुए जब आप हजरे अस्वद और हरी ट्यूब लाइट की सीध में पहुँचें तो हजरे अस्वद की तरफ अपना रूख और सीना करके इसी तरह इस्तेलाम कीजिए जैसे; पहले चक्कर के वक्त किया था यानि हथेलियों को हजरे अस्वद की तरफ दिखाकर तकबीर कहते हुए चूम लें।


तकबीर :

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

“बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अक्बर व लिल्लाहिल हम्द।”

इसके बाद अपनी जगह पर ही बगैर एक भी कदम आगे बढ़ाए अपना रूख तवाफ की सिमत करें और तवाफ शुरू करें।

पहले ज़माने में तवाफ करने वाले लोग बहुत कम थे इसलिए हर कोई हजरे अस्वद को चूम सकता था। तवाफ के दरम्यान सिर्फ हजरे अस्वद को चूमते वक्त सीना काबे की तरफ करने की इजाज़त है, दौराने तवाफ नहीं। मगर अब ५० से १०० फिट दूर से हजरे अस्वद का इस्तेलाम करना होता है और शदीद भीड़ में अंदाज़ा गलत हुआ तो हजरे अस्वद की सीध से कुछ आगे बढ़ने का भी अन्देशा होता है। इसलिए एहतीयात के लिए कुछ उल्मा कहते हैं कि अगर आप बगैर सीना घुमाए सिर्फ अपना चेहरा हजरे अस्वद की तरफ करके इस्तेलाम करे तो यह गलतियों से बचने का बेहतरीन तरीका होगा।



इस्तेलाम के बाद पहले की तरह रूकुने यमानी तक तीसरा कल्मा पढ़ीये और रूकुने यमानी से हजरे अस्वद के दरम्यान दुआ। इसी तरह सातों चक्कर पूरे कीजिए।

हाथ में सात दानों वाली तस्बीह रखिये और हर चक्कर पर एक दाना कम करते रहिये और चक्करों का शुमार करते रहिये। सातवाँ चक्कर पूरा होने पर हजरे अस्वद का तकबीर पढ़ते हुए इस्तेलाम कीजिये। (यह आप का आठवाँ इस्तेलाम था) और दाहीना कांधा जो अब तक खुला था ढाँप लें और मुकाम इब्राहीम के पीछे आजाएँ। इस तरफ खाना ए काबा का दरवाज़ा भी है। फिर तवाफ करने वालों के लिए जगह छोड़ कर दो रकअत नमाज़ वाजिबुतवाफ की नीयत से पढ़ें। इतना अमल करने से आप का तवाफ पूरा हुआ और उम्रह का दुसरा फर्ज़ भी।

### ज़मज़म का पानी पीना :

दो रकअत वाजिबुतवाफ नमाज़ पढ़कर आप खूब सैर होकर पानी पीयें। पानी खड़े होकर क़िब्ला रूख़ होकर बिस्मिल्लाह पढ़ कर पियें और पानी पीने के बाद ये दुआ पढ़ें।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا وَهِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

“अल्लाहुम्मा इन्नी अस-अलुका इल्मन नाफिआ, व रिज़्कव वासिअन व शिफा अम मिन कुल्लि दा इन।”

तर्जुमा : “ऐ अल्लाह! मुझे नफा वाला इल्म दे, रिज़्क में वुस्अत और फ़राखी दे और हर बिमारी से शिफा अता फ़र्मा”

हज़रत जाबिर (रज़ी.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने फरमाया। “आबे ज़म ज़म इस के लिए है जिस के लिए उस को पिया जाए।” (इब्ने माजा) यानि पीने वाला जिस नीयत से भी पीता है अल्लाह तआला उसकी वह नीयत पूरी फरमाते हैं।



ज़म ज़म का पानी पीने के बाद फिर हजरे अस्वद और हरी ट्यूब लाइट के दरम्यान और सीध में आ जायें और एक बार फिर हजरे अस्वद का तकबीर कहते हुए इस्तेलाम कीजिये। यह आप का नवाँ इस्तेलाम था। इस्तेलाम के बाद आप हरी ट्यूब लाइट की तरफ और खाना ए काबा से दूर चलते चलते जायें, इस तरह आप सफ़ा पर पहुँच जायेंगे। तवाफ पुरा करने के बाद खाने काबा की तरफ पीठ करना जायज़ है उसमें कोई कराहियत नहीं है।

### सफ़ा और मरवा की सई :

सफ़ा और मरवा पहले दो पहाड़ियाँ थीं। अब सिर्फ थोड़ी सी ऊँचाई है। हुकूमत ने सफ़ा, मरवा और सई की सारी जगहों को हरम की इमारत में शामिल कर लिया है। पहले सफ़ा और मरवा के बीच बाज़ार हुआ करता था और हाजी धूप और बाज़ार की भीड़ भाड़ में सई करते थे। अब सारी इमारत एयर कंडीशन है और फर्श पर संगे मरमर लगा हुआ है।

सफ़ा पर पहुँच कर खाना काबा की तरफ रूख करके सई की नीयत इस तरह करें।

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ لَوْ جُهِكَ الْكُرَيْمُ، فَيَسَّرَهُ لِي وَتَقَبَّلَهُ مِنِّي

“अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुस सअ-या बैनस सफा वल मर्वता सब-अता अश्वतिल लि-वज-हि-कल करीम, फ-यस्सिर हु ली व तकब्बल हु मिन्नी।”

तर्जुमा : ऐ अल्लाह! मैं सफ़ा और मरवा के दरम्यान सात चक्करों से सई करना चाहता हूँ, महज़ तेरी ज़ाते बुजुर्ग की रज़ा के लिए, बस मेरे लिए सई करना आसान फरमा और कुबूल फरमा।

नीयत करते वक्त हाथ दुआ की तरह उठाएँ। नमाज़ की तकबीर की तरह न उठाएँ।

- सफ़ा, मरवा और सई की जगहें वह मुकाम हैं जहाँ दुआ ज़रूर कुबूल होती है इस लिए सई के दौरान और सई पूरी कर के जब भी आप सफ़ा और मरवा पर रुकें तो खूब दुआएँ माँगे।

सफ़ा और मरवा पर जब भी रुकें, तो तीन बार चौथा कल्मा और एक बार तीसरा कल्मा पढ़ें और सई के दौरान ज़्यादा चौथे कल्मे का विर्द करें। यह आसान इबादत का तरीका है। वैसे सफ़ा मरवा की सातों सई की अलग अलग दुआएँ हैं, जिन्हें आप हज की किताब से देख कर याद कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।

- हज़रत हाजरा (रज़ी.) सफ़ा और मरवा के दरम्यान जो वादी थी वहाँ से दौड़ कर गुज़रती थीं क्योंकि हज़रत इस्माईल (अलै.) जो कि खाना काबा शरीफ के पास थे नज़रों से ओझल हो जाते थे। उनकी यह सुन्नत आज भी अदा

की जाती है। हुकूमत ने दो हरे रंग के सुतून और ट्युब लाईट निशान के तौर पर लगा दिये हैं इन्हें मिलीन अख़ज़रीन कहते हैं। इन के दरम्यान मर्दों को हल्के से बौड़ना होता है। औरतें अपनी रफ़्तार से ही चलेंगी।

- सफ़ा से चल कर मरवा तक पहुँचना यह एक का एक चक्कर हुआ। फिर मरवा से चल कर सफ़ा तक पहुँचना यह दूसरी सई का दूसरा चक्कर हुआ। इस तरह आप सई के सात चक्कर पूरे करेंगे और सातवीं सई आप की मरवा पर ख़त्म होगी।

सई करने की जगह बहुत महदूद है इस लिए हज के खास दिनों में यहाँ लोगों का ज़बरदस्त हुज़ूम होता है और तवाफ़ से ज़्यादा वक्त सई में लगता है। ऐसी हालत में अगर पहले मंज़िले या छत पर सई करें तो बहुत आसानी होगी।

- सई पूरी कर के दो रकअत नमाज़ शुक्राने की पढ़ना मुस्तहब है, वाजिब या ज़रूरी नहीं है।

दो रकअत नमाज़ पढ़ कर मरवा की तरफ़ के दरवाज़े से बाहर निकल जाएँ। अब आप को उम्रह का आख़री रूकून अदा करना है, वह है सिर के बाल कतरवाना या मुंडवाना। मरवा के बाहर दर्जनों हज्जामों की दुकानें हैं। किसी भी दुकान में जाकर सिर मुंडवा दीजिए। औरतें अपने चौथाई सिर का अपनी ऊंगली के एक पौर बाल काटें। वह लोग जो उम्रह के सारे अरकान पूरे कर चुके हैं और सिर्फ़ बाल काटना बाकी है, वह अपने खुद के भी बाल काट सकते हैं और अपने जैसे दूसरे लोगों के भी बाल काट सकते हैं। जिन का सिर्फ़ बाल काटने का सिर्फ़ आख़िरी रूकून बाकी है, औरतों का सिर्फ़ अपने शौहर और महरम मर्द (जिन से किसी भी सूरत में निकाह नहीं हो सकता) से बाल कटवाना जाइज़ है। ग़ैर महरम से बाल कटवाने पर गुनाह होगा।

मरवाह के नज़दीक हज्जाम की दुकान पर सिर मुंडवाने का हुज़ूम होता है। वक्त की फ़िल्लत और लोगों की भीड़ की वजह से उनके पास बालों को देर तक नम करने का वक्त नहीं होता है और वह बड़ी तेज़ी से सिर मुंडते हैं। तेज़ी से काम करने की उनकी आदत सी हो गई है इसलिये सिर मुंडाते वक्त बहुत ही तकलीफ़ होती है। इसलिए जब आप अपने रिहायीश से हरम की तरफ़ जाए तो रास्ते ही में हज्जाम की दुकान देख लीजिए और उम्रह कर के रिहाईश पर आते वक्त अपनी रिहाईश के नज़दीक के हज्जाम से सिर मुंडवाइये।

सिर मुंडाते ही एहराम की सारी पाबंदियाँ आप पर से ख़त्म हो गईं और अल्हम्दुलिल्लाह आप का उम्रह पूरा हुआ। अब घर जाकर नहा धोकर अपने रोज़ मर्ह के कपड़े पहन लीजिए।

- जो लोग मक्का शरीफ़ के रहने वाले हैं उन के लिए हरम में नफ़िल नमाज़ पढ़ना बेहतर इबादत है। मगर जो मक्का शरीफ़ से दूर रहते हैं उन के लिए हरम में नफ़िल तवाफ़, नफ़िल नमाज़ से ज़्यादा अफ़ज़ल है क्योंकि नफ़िल नमाज़ वह अपने वतन जाकर भी पढ़ सकते हैं मगर तवाफ़ का मौक़ा और कहीं नहीं मिलेगा। इस लिए जब तक मक्का मुकर्रमा में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करने की कोशिश करें और सारी नमाज़ हरम शरीफ़ में बाजमाअत अदा करें।
- हरम शरीफ़ की हदूद ने १५ मुकामात दुआ की कबुलियत के हैं। इन मुकामात पर खुसूसी तौर पर देर तक दुआएं माँगे।

**मक्का शरीफ़ में 15 मुकामात ऐसे हैं जहाँ दुआएँ ज़रूर कबूल होती हैं:**

- (१) मुताफ़ (जहाँ तवाफ़ किया जाता है), (२) मुलतज़िम (खाना-ए-काबा की चौखट), (३) मीज़ाबे रहमत के नीचे (खाना-ए-काबा की छत का परनाला), (४) हतीम, (५) खाना-ए-काबा के अंदर, (६) ज़म ज़म के कुएँ के करीब,

(७) मकामे इब्राहीम के पीछे, (८) हज़्रे अस्वद और रूकने यमानी के दरमियान, (९) हज़्रे अस्वद के करीब, (१०) सफ़ा, (११) मरवा, (१२) सफ़ा व मरवा के दरमियान सई की जगह खुसूसन दोनों सब्ज़ सुतूनों के दरमियान, (१३) अरफ़ात, (१४) मुज्दल्फ़ा, (१५) मिना में छोटे और दरमियानी शैतान के नज़दीक।



## 40 हदीसे याद करने की फज़ीलत

हज़रत अबु दर्दा (रजी.) फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह (स.) से पुछा गया: इल्म की कौनसी मिकदार और हज है जिस तक पहुँचने से आदमी “फकी” यानी आलीम हो जाता है? (और आख़िरत में उल्मा के जमरान में शुमार होने की सआदत हासिल कर लेता है) तो रसूल(स.) ने इर्शाद फरमाया: “जो शख्स मेरी उम्मत के नफे के लिए दीनी उमूर से मुतअल्लिक चालीस (४०) हदीसे याद करेगा, अल्लाह तआला (आख़िरत में) इसको फकीह बनाकर उठाएगा, और मैं उसके लिए कयामत के दिन शिफाअत करने वाला और उसकी नेकी व भलाई पर गवाही देने वाला हूंगा।” (बेहकी)



इस किताब में ४० से ज़्यादा हदीसे हैं। हज के मालूमात के साथ अगर आप हदीसे भी गौर से पढ़ें और याद करलें तो इशा अल्लाह कयामत में आपका शुमार आलीमों में होगा।

## अपिल

हमारी दुआ है के अल्लाह तआला आपको हज्जे मसख़र अता फरमाए। अपने हज के सफर से वापिस आने के बाद बराए मेहरबानी इस किताब को आप उन हजरात को वापस लौटा दें जो हर साल हज्जाज अकराम के लिए हज की तरबियत का इंतेजाम करते हैं। हाजी लाखों की तादाद में हर साल हज के लिए जाते हैं। मगर हर साल हम सिर्फ़ ६ हजार किताबे ही छाप पाते हैं। इसलिए यह किताब बहोत से हज्जाज अकराम तक नहीं पहुंच पाती है। अगर हर साल हम इस्तेमाल की हुई किताब भी जमा करके फिरसे हज्जाज इकराम में बांटते रहे तो इन्शा अल्लाह कुछ साल बाद बहोत सारे हज्जाज इकराम तक यह किताब पहुंच सकेगी। अल्लाह तआला आपकी मदद और इस नेक काम का अजीम अज़्र फरमाए और आपको हज्जे मसख़र अता फरमाएं आमिन!!


कमरुद्दीन एस. खान

## अध्यामे हज के खास ६ दिन




हज की क़िताबों में १३ जिहज़िज़्ना के मिन के कयाम के अमल को इतना सरसरी तौर से और इस तरह बयान किया जाता है जैसे वह कोई नफ़िल अमल है या हज का एक ज़ाईद अमल है, जिसका करना और न करना हाजी की मर्जी पर मुनहसर है। १०, ११, और १२ तारीख़ को रात मिना में गुज़ारना वाजिब अमल है, जिस के न करने पर दम देना होगा और १३ तारीख़ के लिए रहिम व करीम रब ने छुट दी है कि अगर किसी मज़बूरी से कोई मिन से चला जाए तो गुनाह नहीं है। (सुदह बकरा) मगर वह मुअल्लिमे इन्सानियत (नबी करीम स.) जिस ने खुद हज करके हमें हज करने का तरीका सीखाया है, उन्होंने १२ तारीख़ के शॉर्ट कट का रास्ता नहीं सीखाया। बल्कि आप(स.) खुद और आप (स.) के साथ तकरिबन सवा लाख सहाबे कराम में १३ तारीख़ का दिन भी मिन में कयाम, यह नबी करीम(स.) और आप (स.) के साथ सवा लाख सहाबा की मुन्नत है और हमें भी इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।

11 तारीख़ का दिन मिन में तीनों शैतानों को कफ़री मरना है।



## हरम शरीफ, मिना, मुज्दल्फा और अरफात का करीबी नक्शा



# हज कैसे करे?

## 8 ज़िल्हिज्जा का दिन:—

- ८ ज़िल्हिज्जा से १२ ज़िल्हिज्जा हज के अय्याम है। इन्हीं दिनों में इस्लाम का अहम रूकन हज मुकम्मल होता है।
- नया अग्रैजी दिन या तारीख, रात के बारह बजे से शुरू होता है। मगर इस्लामी दिन या तारीख सूरज डूबते ही शुरू हो जाता है। इसलिए ७ ज़िल्हिज्जा गुजरकर जो शाम होगी वह ८ ज़िल्हिज्जा की रात होगी। यानि हज के अय्याम शुरू हो जाएंगे।
- ७ ज़िल्हिज्जा के दिन ही अच्छी तरह साफ हो जाएं। नाखून तराश लें। मुँछे छोटी करवा लें। नापाक बाल साफ करले। सुन्नत के मुताबिक एहराम की नीयत से गुसल कर ले, तो अफज़ल है वरना वुजु भी कर सकते है। अगर पसीने में बदबू की शिकायत है, तो खुशबू लगा लें। मगर इतनी कम लगाएं कि एहराम की चादर पर इतर का दाग न लगे। इसके बाद एहराम की चादर पहन लें। (एहराम पहनने के पहले खुशबू लगाना सुन्नत है और बाद में मना है।)
- अगर आप के पास वक्त है, तो एहराम पहनकर हरम शरीफ तशरीफ ले जाए और अगर आप के लिए मुनकिन हो तो तवाफे तहिया करें। (ये तवाफ फर्ज़ या वाजिब नहीं है। इस तवाफ में इस्तेबा और रमल भी नहीं है।)  
नफ़िल तवाफ करके सिर ढाक कर दो रकअत वाजिबे तवाफ पढ़ें अगर भीड़ हो या कमजोरी कि वजह से नफ़िल तवाफ करने का इरादा न हो तो मकसू वक्त कि निगरानी करके अब्दल दो रकअत तहियतुल मस्जिद की नीयत से पढ़ें, इसके बाद सिर खोलकर एहराम की (हज की) नीयत कर ले और तल्बिया पढ़ें।
- अगर आपके साथ कमज़ोर, ज़ईफ और औरते है और १० वी ज़िल्हिज्जा “योमुलखर” के दिन तवाफे ज़ियारत में सफा-मरवा की सई करने में ज़्यादा भीड़ के ख़्याल से पहले ही ८ ज़िल्हिज्जा को सई कर लेना चाहते है, तो इस की भी इजाज़त है।  
ऐसी सूरत में मगरिब की नमाज़ से पहले यानी ७ तारीख के दिन ही एहराम वगैरा पहन लें, और हज की नीयत करलें। सूरज डूबने के बाद यानी ८ तारीख शुरू होते ही मगरिब की नमाज़ के बाद तवाफ और रमी कर लें। तवाफ के पहले इस्तेबा करें और तवाफ के पहले तीन चक्करों में रमल करें। फिर तवाफ के सातों चक्कर के बाद २ रकअत तवाफ ए वाजिब अदा करें। इसके बाद सफा-मरवा की सई करें। सई के बाद बाल न तराशें न सिर मुंडायें। फिर अपनी आसानी के मुताबिक मिना रवाना हो जाएं। इस तरह पहले ही तवाफ और सई करने की वजह से हज के आखरी रूकन तवाफे ज़ियारत में आपको तवाफ करना काफी होगा, सई की ज़रूरत न होगी।  
(नोट: एहराम की चादर पहनने के पहले या बाद में और उम्रह और हज की नीयत करने के पहले या बाद में दो रकअत नफ़िल नमाज़ पढ़ना या नफ़िल तवाफ करना वाजिब या फर्ज़ नहीं है।)
- सूरज निकलने के बाद मक्का मुकर्रमा से मिना के लिए रवाना होना सुन्नत है मगर लोगों की भीड़ कि वजह से मुअल्लिम हाजियों को रात ही से मिना ले जाना शुरू कर देते है। अगर वह आप को रात ही को ले जाना चाहें, तो आप को उनके साथ चले जाना चाहिए। इसमें आपके लिए आसानी है।
- अपने मुअल्लिम से आप बस की रवानगी का वक्त पता करले और वक्त

इजाज़त दे, तो एहराम पहन कर हरम शरीफ जाए। अगर वक्त इजाज़त न दे तो अपने कमरे में ही एहराम पहन कर दो रकअत नफ़िल नमाज़ पढ़ कर हज कि नीयत करे और तल्बिया पढ़ ले। तल्बिया पढ़ते ही आप पर एहराम की तमाम पाबंदियाँ लाज़िम हो जाएगी।

- नीयत इस तरह करें

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي

“अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा-फ-यस्सर-हू-ली व तकब्बल-हु मिन्नी।”

तर्जुमा: या अल्लाह में आप की रज़ा हासिल करने के लिए हज की नीयत कर रहा हूँ आप इसे मेरे लिए आसान फरमाईए और कबुल फरमाईए।

नीयत करके तलबीया पढ़ें।

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ

“लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।”

हाज़िर हूँ मेरे मौला आपके हुज़ूर हाज़िर हूँ।

لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ

“लब्बैक ला शरी-क-ल-क-लब्बैक।”

मैं हाज़िर हूँ आपका कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर हूँ।

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ

“इन्नल हम-दा वन्निअ-मता लका वल मुल्क।”

सारी हम्द व सताईश के आपही सजावार है और सारी नेअमतेँ आप ही की है और सारी कायनात में हुक्मत भी आप की ही है।

لَا شَرِيكَ لَكَ

“ला शरीका लका।”..... आपका कोई शरीक नहीं।

तल्बिया एक बार पढ़ना फर्ज़ है और तीन बार पढ़ना सुन्नत है। तल्बिया पढ़ते ही आप मोहरीम हो गये और एहराम की सारी पाबंदिया आप पर लाज़िम हो गई।

- मक्का मुकर्रमा से मिना रवाना होने से पहले आप अपना मिना के लिए शिनाख्ती कार्ड, खैमे का पता और हो सके, तो मिना का नक्शा भी मुअल्लिम से ले ले, और मुअल्लिम की बस से मिना के लिए रवाना हो जाए।
- हज की कोई किताब साथ रखे और एक बार “एहराम की हालत में ममनु काम” को सरसरी नज़र से पढ़ें। मिना के कयाम का मकसद यह है कि बंदा दुनिया से कटकर यकसु होकर अल्लाह की इबादत में दिन रात गुजारें। मगर लोग इस मिना के कयाम और यकसुई का इस्तेमाल दुसरी तरह से करते है। इनका सारा वक्त बहस मुबाहिसा, गपशप और तफरीह में गुज़रता है। इसलीए आप किताबे, तसबीह वगैरा साथ रखें ताकि अल्लाह की इबादत और इल्म हासिल करने में आपके वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल हो।
- मिना, अरफात में खाने का इतेजा ममुअल्लिमी की तरफ से होगा। इसलिए मिना में आपको जो रूपया खर्च करना है वह सिर्फ कुर्बानी और दिगर कही टैक्सी से जाना हुआ तो टैक्सी का खर्च इसके अलावा और कोई दूसरा बड़ा खर्चा नहीं है। इसलिए बस इतनी रकम साथ ले लीजिए की ज़रूरत पूरी हो जाए। सारी रकम साथ ले कर मिना और अरफात का सफर करना सही नहीं है। बकिया रकम को मुअल्लिम या मदरसे सौलतिया में जमा करा कर रसीद ले ले।



- अगर आप ने आठ ज़िल्हज्जा के पहले खुद कुर्बानगाह जाकर कुर्बानी के बारे में मालुमात हासिल कर ली है, तो फिर 90 ज़िल्हज्जा को खुद जानवर खरीद कर कुर्बानी कर सकते हैं और अगर आपने हज के अय्याम से पहले मालुमात हासिल नहीं की है, तो फिर मदरसा सौलतिया से या बैंक के जरिए ही कुर्बानी कीजिए। वरना आप परेशान हो जाएंगे इसलिए मिना रवाना होने से पहले किसी एक जगह पर कुर्बानी का पैसा जमा करा दे।
- अगर मदरसे सौलतिया में आप पैसा जमा कराते हैं, तो उनसे वक्त भी मालूम करले कि किस वक्त वह आपके लिए कुर्बानी करेंगे। उसी वक्त के मुताबिक फिर आपको सिर मुंडवाना आसान होगा। हनफि मसलक के मुताबिक अरकान की तरतीब लाज़मी है। यानि पहले रमी जुमार फिर कुर्बानी फिर कसर। अगर अरकान आगे पिछे हो गए तो दम लाज़िम होगा।
- मक्का मुकर्रमा से मिना को रवानगी के वक्त खाना खाने की प्लेट, ग्लास, एहराम के अतिरिक्त चादरे, शाल, हवाई तकिया, मिसवाक, आपकी दवाएँ और ज़रूरी सामान साथ ले लें।
- मिना में खैमा में कालीन बिछा हुआ होगा। इसलिए बिस्तर की ज़रूरत नहीं है। खाना मुअल्लिम की तरफ से होगा। टॉयलेट का अच्छा इंतज़ाम है इसलिए बाल्टी वगैरह की ज़रूरत नहीं। इसलिए आप जितना कम सामान ले कर सफर करेंगे उतनी आसानी में रहेंगे।
- मिना रवाना होने से पहले मक्का मुकर्रमा में अपना सारा कीमती सामान अपने बैग में लॉक कर दे, और बहुत कम और ज़रूरी सामान लेकर ही मिना को रवाना हो। अपना पहचान कार्ड और कलाई बंद और रेल की टिकट भी अपने साथ रखें।
- तल्बिया पढ़ते हुए मिना को रवाना हो। मिना में खैमे में पहुँचकर मर्दों को जमा करें और सलाह व मशिवरे से खैमा के दरम्यान का पर्दा गिराकर औरतों को एक तरफ कर दे और मर्द एक तरफ हो जाएँ और हर एक आराम से सोने की जगह इन्साफ से आपस में बाँट लें।  
(२०१३ से मुअल्लिम पहले से ही मर्दों और औरतों के ठहरने का इंतज़ाम अलग अलग खैमे में करवाते हैं।)
- अगर खैमा दूर हो, तो मस्जिदे खैफ तक पाँचों नमाज़ों के लिए आना जाना मुमकिन नहीं होगा। इसलिये खैमे में दो इमाम और दो मुअज़्ज़िन मुकर्रर कर लें। (दो इसलिए मुकर्रर करें कि अगर गैर हाज़िर हो तो दुसरा नमाज़ पढ़ा सके।)
- मिना में आठ ज़िल्हज्जा के दिन, जोहर, अस्र, मगरिब, इशा और ९ ज़िल्हज्जा कि फज़्र पढ़ना सुन्नत है। आप मिना और मुज्दल्फा, मक्का मुकर्रमा शहर में दाखिल हैं। इसलिए हज के अय्याम को मिलाकर अगर किसी का कुल कयाम १५ दिनों से ज़्यादा होगा तो वह मुकामी होगा और उसे पूरी नमाज़े पढ़नी होगी इस तरह अब ज़्यादातर लोग मुकामी ही होते हैं। इसलिये ईमान को मुकामी हज़रात में से मुन्तखिब कर ले ताकि मुकामी हज़रात को नमाज़ पढ़ने में आसानी हो।
- अल्लाह तआला का हुक्म है: “और (कयामें मिना के) दिनों में (जो) गिनती के (चंद दिन ही हैं) अल्लाह को याद करो।” (सुरे: बकरा)  
इसलिए मिना के कयाम में पूरी कोशिश करें, कि आपका सारा वक्त अल्लाह की इबादत में गुज़रे। हज की नीयत करने से लेकर बड़े शैतान को कंकरी मारने तक हाजी के लिए सबसे अफज़ल तसबीह तल्बिया कहना है इसलिए कसरत से इसका विर्द करें।
- हरम शरीफ की हुद्द में १५ मुकामात दुआ की कबूलियत के है। इसलिए इन मुकामात पर खुसूसी तौर पर देर तक दुआएं माँगें।

## 9 ज़िल्हज्जा का दिन:—

- नबी करीम (स.) ने ९ ज़िल्हज्जा को मिना में ही फज़्र की नमाज़ अदा की थी और तुलुअे अफताब के बाद अरफात की तरफ कूच किया था। मगर मौजूदा ज़माने में चूँकि ३० लाख से भी ज़्यादा लोग हज के अरकान एक साथ अदा करते हैं इसलिए लोगों की भीड़ की वजह से हज के अरकान अदा करते वक्त कई मसाईल पैदा हो जाते हैं और हाजियों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है।

हाजियों की आसानी और भीड़ को कम करने के लिए और मुअल्लिम ९ ज़िल्हज्जा की रात को ही हाजियों को अरफात ले जाते हैं।

किसी मुसलमान को तकलीफ देना हराम है। मुअल्लिम का रात ही में हाजियों को अरफात में ले जाने का मकसद सिर्फ हाजियों को इस तकलीफ से बचाना है। इसलिए सुन्नत के मुताबिक न होने के बावजूद भी ये जायज़ है और सुबह के पहले हाजियों का अरफात पहुँचने में कोई मुज़ाइफा नहीं है। सुबह के वक्त अफरातफरी का माहोल होगा। सुबह को बस छूट गई तो फिर ११ या १२ बजे दुसरी बस मिलेगी और अगर नहीं मिली तो तनहा अरफात जाना, मुअल्लिम के खैमे से दूर रहने, खाने व पीने का खुद इंतज़ाम करना वगैरा काफी मुश्किल काम है। इसलिए कोशिश करके मुअल्लिम के बस से ही अरफात पहुँचें। मुअल्लिम आपको अपने खैमे में ठहराएगा अरफात के खैमे मिना के खैमों की तरह बेहतरीन तो नहीं होते मगर ज़मीन पर एक दरी और सिर पर एक चादर ज़रूर होती है। यहाँ आप अपने खैमे के लोगों के साथ जमाअत बनाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, थोड़ी देर लेट कर आराम कर सकते हैं। दोपहर का खाना मुअल्लिम की तरफ से होगा इसलिए आप इत्मिनान से सिर्फ इबादत पर तवज्जा दे सकते हैं। खैमे के करीब गुसुलखाने और टॉयलेट भी ज़रूर होते हैं इसलिए आप को ज़रूरीयात से फारिग होने में आसानी होगी। वापसी के लिए बस भी खैमे के पास से ही रवाना होगी।

(२०१२ से सब मुअल्लिम के गाइड हाजियों को अपनी निगरानी में ट्रेन के जरिए मिना से अरफात और फिर अरफात से मुजदल्फा और मुज़दल्फा से मिना लाते हैं।)

## वकुफे अरफा:—

- हजूर (स.) ने फरमाया: “हज अरफात में ठहरने का नाम है।” (जामे तिरमीजी, हदीस ८८९)। तो यही अरफात का कयाम और इसमें की जाने वाली इबादत ही असल हज है। अपने हज को मबरूर बनाने के लिए इन कीमती लम्हात को गनीमत जानिए और दिल की गहराईयों से अपने माबुद-ए-हकीकी की इबादत किजीए।
- नबी करीम (स.) ने ज़वाल के बाद खुत्बा दिया था और जोहर और अस्र की नमाज़े एक अज़ान और दो तकबीरों से कसर करके अदा फरमाई थी और इसके बाद गुरुबे आफताब तक अल्लाह के हुज़ूर में खड़े होकर दुआ वज़ारी ने मसरूफ रहें।

हम में इतनी ताकत नहीं कि नबी करीम (स.) की तरह इबादत कर सके मगर जितना मुमकिन हो नमाज़ के बाद किब्ला रूख होकर रो रो कर अपने रहीम व करीम रब से दुआएँ और गिरया विज़ारी करनी चाहीए।

- हजूर (स.), हज के अय्याम में मुसाफिर थे इसलिए आप कसर नमाज़ अदा करते थे। मस्जिदे हरम में आप मुकामी लोगों को पूरी नमाज़े पढ़ने की तलक़ीन करते मगर अरफात में जब मुकामी लोगोंने मुकामी होने के बावजूद कसर नमाज़ पढ़ी तो आपने मना नहीं किया। इसलिए मालिकी और हम्बली मसलक में अरफा के दिन सारी नमाज़ें कसर पढ़ने का हुक्म है। मगर हनफी मसलक में सिर्फ मुसाफिर ही कसर नमाज़ पढ़ सकते हैं। मुकामी को अपनी नमाज़ पूरी पढ़नी होगी। इसलिए अगर आप मस्जिद से दूर अपने खैमे में हैं और आप मुकामी हैं (कसर लाज़िम नहीं है) तो फिर हनफी वक्त के मुताबिक जोहर के वक्त अज़ान देकर जमात से पूरी जोहर पढ़ें और अस्र

के वक्त अज्ञान देकर जमात से पूरी अस्त्र पढ़े।

- वकुफे अरफात का वक्त अरफात के दिन ज़वाल-ए-अफताब के वक्त से शुरू हो जाता है। नमाज़ से फारिग होकर वकुफ-ए-अरफा में मसरूफ हो जाए। मुमकिन हो सके तो क़िब्ला रूख खड़े होकर मगरिब तक वकुफ करें और अगर पूरे वक्त खड़े रहना मुमकिन न हो, तो बैठना और लेटना भी जायज़ है।
- यह वक्त दुआओं, मनाजात, तौबा व इस्तग़फ़ार की कबुलियत का है। ऐसा मोहतरम वक्त और ऐसी मुकद्दस जगह बस खुशनसीबी से मिलती है और पता नहीं जिंदगी में दोबारा इस बारगाहे रहमत में हाज़िरी का मौका नसीब होता है या नहीं। इसलिए हर लम्हा को ग़नीमत जानिए और हर दुआ को दिल से माँगिये।
- अल्लाह के पैगंबर मासूम होते हैं। अल्लाह तआला उन्हें सारे गुनाहों से बचाए रखता है। नबी करीम (स.) ने अरफात में गुरुब-ए-अफताब तक रो रोककर जो दुआएं माँगी, इसमें ज्यादा हिस्सा इस उम्मत-ए-मुस्लिमा के लिए था। इस शफ़ीक नबी (स.) पर अगर हम दरूद न भेजे तो कैसी एहसान फरामोशी होगी इसलिए हज़ूर (स.) पर बेईन्तिहा दरूद भेजे।
- हज़ूर पाक (स.) और उनसे पहले जितने अम्बिया गुज़रें हैं उन्होंने चौथे कलमें को दुआ का दर्जा दिया और कसरत से इसी का विर्द किया। इसलिए वकुफ-ए-अरफा में सौ बार इस कलमें का ज़रूर विर्द करें।
- अस्त्र का वक्त ख़ास दुआ की कबुलियत का है। अल्लाह तआला आपसे आप की रग जान से भी ज़्यादा करीब है और आपके दिल की धड़कन को सुन रहा है। अपने लिए दुआएं माँगे, अपनी औलाद के लिए, अपने वालिदेन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने वतन के लिए और इस उम्मत में मुस्लिमा के लिए। हर एक के लिए निहायत आजीज़ी व इन्क़सारी के साथ दुआएं माँगे।
- हमने मक्का मुकर्रमा से मिना और मिना से बस से सफर करने की सलाह इसलिए दी थी कि दोनों जगह खुद से मुअल्लिम का खैमा ढूँढ़ना एक मुश्किल काम है और अरफात पैदल न जाने की एक वजह यह है कि दिन भर की इबादत के लिए आप तरो ताज़ा रहें। मगर वकुफ-ए-अरफा के बाद आप बस से सफर करने में परेशानी होगी और पैदल चलने में सहूलत और आसानी है।
- अस्त्र का वक्त जो कि ख़ास दुआ का वक्त है, बहुत सारे लोग इबादत तर्क करके बस की सवारी के लिए चल पड़ेंगे और कुछ ही देर में बस छतों के ऊपर तक भर जाएगी। यह उनकी बड़ी महरूमि होगी।
- आप दुनिया से गाफिल हो कर अपनी इबादत, दुआओं और गिरया विज़ारी में मसरूफ रहे और गुरुब-ए-अफताब के बाद ही बगैर मबरीब पढ़े अरफात से रवाना हो।

२०१२ से मुअल्लिम अपने हाजियों को अब देर रात तक अरफात में ही ठहराए रहता है। फिर रात का खाना खिलाकर ट्रेन के जरिए मुज़दल्फा लाता है। उससे हाजियों को बहुत आसानी होती है।

### मुज़दल्फा के लिए रवानगी:—

- पैदल चलने वाले और बसे सब गुरुब-ए-अफताब के बाद एक साथ अरफात से रवाना होंगे। मगर इन्शा अल्लाह अगर आप पैदल चलते हैं तो ईशा के वक्त या इससे पहले मुज़दल्फा की हुदूद में दाखिल हो जायेंगे और बसे कभी कभी ईशा तक अरफात ही में खड़ी रह जाती हैं और मुज़दल्फा पहुँचते पहुँचते सुबह के चार बज जाते हैं।
- इसलिए आप अपनी इबादत खत्म करके इत्मिनान से मुज़दल्फा की तरफ पैदल सफर किजिए। इस किताब में मक्का मुकर्रमा, मिना, मुज़दल्फा और

अरफात का नक्शा है, इसे भी समझ लीजिए, इसमें आप देखेंगे कि पैदल चलने के दो रास्ते अरफात से निकल कर मुज़दल्फा में शाख़ल हराम मस्जिद की तरफ जाते हैं। इस रास्ते पर मुज़दल्फा में बहुत भीड़ होती है। इसलिए हो सके तो रास्ता बदलकर मुज़दल्फा में दाख़ील हों।

(२०१२ के बाद अब ज्यादा आसानी मुअल्लिम के साथ ट्रेन में सफर करने में है। वह मुज़दल्फा में आपको ऐसी जगह ठहराएगा जहाँ पानी और बैतुलखला का इंतैजाम होगा।)

- अरफात और मिना के दरम्यान मशरिक की जानिब एक ३ मील का मैदान है, इसको मुज़दल्फा कहते हैं। इस मैदान की आख़िरी हद पर एक पहाड़ है जिसे मशअरूल हराम कहते हैं। इसी का ज़िक्र कुरआन शरीफ में आया है। नबी करीम(स.) मशरूल हराम के पास कयाम फरमाया था। मगर सारे मुज़दल्फा के मैदान में कहीं भी मौकुफ किया जा सकता है।
- मुज़दल्फा में रात के कयाम के लिए कोई खैमा वगैरह नहीं है। रात खुले आसमान के नीचे ज़मीन पर चटाई बिछाकर बैठकर गुज़ारी जाती है। वैसे तो जगह जगह मुज़दल्फा में टॉयलेट है, फिर भी आप जहाँ ठहरें, हो सकता है टॉयलेट वहाँ से दूर हो। इसलिए अरफात के दिन अपने खाने पीने पर कंट्रोल रखें ताकि ज़रूरियात से फारिग होने के लिए आप मुज़दल्फा में बैचैन न हो जाए। और कुछ ज़्यादा पानी साथ रखें कि कभी टिले के पीछे ज़रूरियात से फारिग होना हो तो पानी की किल्लत न हो।
- मुज़दल्फा अगर आप ईशा से पहले भी पहुँच जाएं तब भी ईशा कि नमाज़ के वक्त तक इंतजार करें और ईशा के वक्त एक अज्ञान और एक तकबीर से पहले मगरिब की फर्ज़ नमाज़ पढ़ें, फिर ईशा की फर्ज़ नमाज़ पढ़ें फिर मगरिब की सुन्नत व नफिल पढ़ें। फिर ईशा की सुन्नत, वितर और नफिल पढ़ें।
- मुज़दल्फा की यह रात हाजियों के लिए शब-ए-कदर से ज्यादा अफज़ल है। अल्लाह तआला कुरआन मजीद में फरमाता है:

فَاذْأَقْضُتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ  
وَادْكُرُوا لَكُمْ هَذَا نَوْمًا وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِحِينَ ﴿١٩٨﴾ (سورة بقره: 198)

“फ-इज़ा अफज़-तुम मिन अ-र-फातिन फज़ कुरुल्लाहा इन्दल मशअरिल हराम, वज़ कुरुहु कमा हदाकुम, व इन कुन्तुम मिन कब्लिही ल-मिनज्जाल्लीन।”

“फिर जब अरफात से चलो तो मशअरूल हराम (मुज़दल्फा) के पास ठहर कर अल्लाह को याद करों और इस तरह याद करों जिसकी हिदायत उसने तुम्हें दी है। वरना इससे पहले तो तुम लोग भटकते हुए थे।”

(सुरे: बकरा-आयत १९८)

- नबी करीम (स.) उम्मत के लिए आसानी चाहते थे। इसलिए आपने इस रात आराम फरमाया था। इसलिए अगर आप थक कर चूर हों, तो घंटा दो घंटा आराम कर लें। फिर ताज़ा दम हो कर इबादत में मशगूल हो जाएं। सोने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, यह रात खुशनसीबी को मयस्सर होती है, इसकि कदर करें। इसी रात के आख़िरी पहर में जब नबी करीम(स.) ने ज़ालिम और मजलूम वाली अपनी दुआ दोहराई जो अरफात में कबूल होने से रह गई थी वह मुज़दल्फा में कबूल हो गई। तो यह मुकाम और यह रात दुआओं कि कबूलियत की रात है। यहाँ पर भी मालिक-ए-कायनात से अपने एहल व आयाल, अपने वालिदेन और उम्मत मुस्लिमा के लिए बखशिश और सेहत व करम की दुआएं माँगे।
- सुबह सादिक के वक्त हुकूमत की जानिब से तौप का गोला दागा जाता है। ताकि सारे हाजी हज़रात फज़ की नमाज़ सही वक्त पर अदा कर सकें। तो

आप गोले की आवाज़ के बाद अज़ान दे कर जमात से फज़र की नमाज़ अदा करें और तुलू अफताब से कुछ पहले तक दुआ व अज़कार में मसरूफ रहें। सुबह सादिक के बाद थोड़ी देर मुज़दल्फा में वक़ूफ करना वाजिब है।

- रमी जुमार के लिए मिना से भी कंकरी चुनी जा सकती है। मगर आप वहाँ हर जगह पक्की सड़क और क्राफ़िट का फर्श ही पाएंगे। इसलिए मुज़दल्फा से ही ७० से ही कुछ ज्यादा कंकरीया चुन ले। अगर नापाकी का डर हो, तो धो ले वरना धोना फर्ज़ या वाजिब नहीं है।
- सूरज निकलने से कुछ पहले मिना कि तरफ कूच करें। आप मुज़दल्फा कि हूदूद में है तभी सूरज तुलू हो जाए तो कोई हर्ज़ नहीं है। मुज़दल्फा से मिना में अपना खैमा तलाश करते वक़्त अक्सर व बेशतर लोग रास्ता भूल जाते हैं। इसलिए मिना में अपने खैमे के करीब सूतून का नंबर हमेशा याद रखें और अगर आप मिना में अपने खैमे के करीब से गुज़रने वाले पुल का नाम याद रखें, तो आपको अपना खैमा तलाश करने में बड़ी आसानी होगी। वरना सारे खैमे एक जैसे लगते हैं और लोग घंटो दर बदर भटकते रहते हैं।
- मुज़दल्फा और मिना के दरम्यान एक वादी है जिसे 'वादी-ए-महसर' (नया नाम 'वादी-ए-निहार') कहते हैं। इस जगह अस्हाब-ए-फिल पर आज़ाब नाज़िल हुआ था। हुकूमत ने इस जगह को खारदार तारों से घेर दिया है और पैदल चलने वाले हाजियो को दूर रखने के लिए पुलिस का पहरा भी होता है। इसलिए अगर इसके करीब से गुज़रना पड़ा तो दौड़कर गुज़रें।

## 10 जिह्ज्या का दिन:-

- आज ईद उल अज़हा का दिन है। सारी दुनिया ईद की नमाज़ पढ़ेगी। मगर हाजी के लिए ईद की नमाज़ के बजाय कुछ और हुकम है। आज उसे चार अहम काम करने हैं।  
१. रमी जमार, २. कुर्बानी, ३. हलक, ४. तवाफ-ए-ज़ियारत  
पहले तीन काम तो वाजिब हैं जबके चौथा फर्ज़ है।

## रमी जमार:-

- मुज़दल्फा से रमी जमार के लिए सीधे न जाए क्योंकि अब सऊदी पुलिस वाले सामान लेकर रमी जमार के रास्ते पर ही चलने नहीं देते हैं। इसलिए पहले मिना में अपने खैमे पर आ जाए, ज़रूरियात से फारिग हो जाए, आराम कर लें। आज रमी जमार का अफज़ल वक़्त इशराक से ज़वाल तक है। इस अफज़ल वक़्त में रमी के लिए लोगों की बहुत भीड़ होती है। इसलिए सब्र से काम ले और जोहर बाद जाएं। सऊदी हुकूमत ने दुनिया के अलग अलग इलाकों के लोगों के लिए रमी का अलग अलग वक़्त तय किया है। मुअल्लिम से पता कर लें कि हिन्दुस्तानी हाजियों के लिए कौनसा वक़्त तय है। फिर इसी वक़्त रमी करें। शदीद भीड़ का मसला २००६ इसवी तक था। इसके बाद सऊदी हुकूमत ने जमरात के मुकाम पर कई मन्ज़लात पुल बना दिए हैं कि अफज़ल वक़्त में सारे हाजी रमी कर सकें। इसलिए मिना में मुअल्लिम से हालात दरयाफ्त कर लें और इसे सलाह मशिवरा के बाद ही जुमरात की तरफ जाएं।

आज के दिन सिर्फ जुमार उकबा (बड़े शैतान) को कंकरीया मारनी है। कंकरी मारने से पहले तल्बिया पढ़ना बंद कर दे। एक एक करके सात कंकरीया मारे और हर कंकरी मारते वक़्त पढ़ें।

بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرُ رَعْمًا لِّلشَّيْطَانِ وِرْضَى الرَّحْمٰنِ

“बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अक्बर, रग-मशैतानि व रज़ियरमान।”

तर्जुमा: मैं अल्लाह तआला के नाम से शुरू करता हूँ। अल्लाह सबसे बड़ा है। कंकरी मैं शैतान को ज़लील करने और अल्लाह तआला को राज़ी करने के लिए मारता हूँ।

- किसी भी जमरह को चारों तरफ से कंकरी मारना जायज़ है। १० ज़िलहिज्जा को नबी करीम (स.) ने जमरह उक्बा को जब कंकरीया मारी थी, उस वक़्त आपकी दाहनी जानिब मिना और बाएँ जानिब मक्का मुकर्रमा (बैतुल्ला) था। इसलिए इस तरह कंकरी मारना सुन्नत है। (मुअल्लिमल हज्जाज: १७०)  
कंकरी मारने की जगह उस जमरात के सुतून या दीवार की बुनियाद है। इसलिए ऐसे कंकरीया मारे जैसे आप किसी हौज़ में कंकरीया फेंक रहे हैं। दीवार या सुतून को इतने ज़ोर से न मारे कि कंकरीया टकराकर अहाते से बाहर जा गिरें। अगर ऐसा हुआ तो वह गिनी नहीं जाएगी। इसके बदले आपको फिर एक कंकरी मारनी है वरना दम लाज़िम होगा।

## कुर्बानी:-

- अल्लाह तआला कुरआन शरीफ में अरकाने हज के बारे में फरमाता है:

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيّٰمٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقْتَهُمْ مِّنْ بَيِّمٰتٍ اَلْاَنْعَامِ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوْا الْبٰسِ الْفَقِيْرَ ۗ ثُمَّ لِيَقْضُوْا تَقْوٰتَهُمْ وَاَبْوَابُهُمْ لِنُذُوْرِهِمْ وَيَلْبَسُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۗ ﴿٢٩:٢٨﴾ (سورۃ الحج: ٢٨-٢٩)

“व यज़-कुरुमल्लाहि फी अय्यामि मअ-तूमातिन अला मा र-ज़-कहुम मिम बही-मतिल अन्आम, फकुलू मिन्हा व अत-इमुल बाइसल फकीर। सुम्मल यकजू त-फ-सहुम वल यूफू नुजू रहुम वल यत्तव्यफू बिल बैतिल अतीक।”

“इन मुकर्ररा दिनों में (हज के अय्याम में) अल्लाह का नाम याद करें (अल्लाहु अकबर कहते हुए कुर्बानी करें) इन चौपाहों पर जो पालतू है। फिर आप भी खाए और भूखे फकीरों को भी खिलाएं। फिर वह अपना मैल कुचैल दूर करें (सिर मुंडवाए) और अपनी नज़रे पूरी करें और अल्लाह के कदीम घर का तवाफ करें (तवाफ-ए-ज़ियारत करें)।” (सुरह अल हज: २८-२९)

- अल्लाह तआला कुर्बानी के बारे में फरमाता है: “अल्लाह तआला को कुर्बानीयों का गोश्त नहीं पहुँचता न उनका खून। बल्कि उसे तुम्हारे दिल की परहेज़गारी पहुँचती है” (सुरह अल हज ३७)
- नबी करीम (स.) ने तुलुअे आफताब के बाद रमी जमार किया था। उसके बाद खुल्बा दिया था। इसके बाद अकेले सात ऊंटों को कुर्बान किया था। और हज़रत अली (रज़ी.) के साथ ५६ ऊंट। इसके बाद हज़रत अली (रज़ी.) ने अकेले ३७ ऊंट कुर्बान किए, (इस तरह कुल १०० ऊंट कुर्बान किए) कुर्बानी के बाद सिर मुंडवाया था। फिर ज़वाल से पहले मक्का मुकर्रमा में तवाफे ज़ियारत के लिए रवाना हो गए और तवाफे ज़ियारत अदा करके रात गुज़ारने फिर मिना वापस आ गए तो अरकान अदा करने का यह सुन्नत तरीका है।
- कुर्बानी के अरकान, यह इस अज़ीम कुर्बानी की यादें हैं, जो हज़रत इब्राहिम (अ.स.) ने अपने बेटे की अल्लाह तआला की बारगाह में पेश करके दी थी।
- इन्तेहाई खुतूस के साथ कुर्बानगाह जाकर खुद कुर्बानी करें। या बैंक या मदरसे सौलतिया के ज़रीए कुर्बानी करें। फिर दिल में यह मज़बूत इरादा रखें कि बकिया ज़िंदगी में भी इसी तरह अल्लाह की राह में अपनी दौलत, वक़्त और नफस की, खुशी की कुर्बानी देते रहेंगे।

## हलक (सिर मुंडवाना) और तवाफे ज़ियारत:-

- अब दो अरकान बचे हैं, हलक करवाना और तवाफे ज़ियारत।
- मस्जिदे हराम में अगर बाहर के सहन को भी शामिल कर ले तो दस लाख लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं।
- मुताफ में एक ही वक़्त में अंदाज़न २० से २५ हजार लोग तवाफ कर सकते हैं।

- जब लोगों कि भीड़ कम हो, तो एक तवाफ में आधा घंटे से ज्यादा वक़्त लगता है और शदीद भीड़ के वक़्त एक घंटे से ज्यादा वक़्त दरकार है।
- अगर १० लाख हाजी जो मस्जिदे हराम में मौजूद है। एक के बाद एक (२५ हजार के ग्रुप में) तवाफ करना चाहे तो सारे नमाज़ियों को तवाफे ज़ियारत करने के लिए तकरीबन २० घंटों से ज्यादा वक़्त लगेगा।
- अगर हम मुकामी लोगों को शामिल किया जाए, तो हर साल तकरीबन ३५ से ४० लाख लोग हज करते हैं। अगर एक के बाद एक (२५ हजार के ग्रुप में) यह सब हाजी तवाफे ज़ियारत करे तो कम अज़ कम २ दिन दरकार है। इसलिए हाज़ियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से सुन्नत तरीके से और अफज़ल वक़्त पर अरकान अदा करना अब मुम्किन ही नहीं रहा। नबी करीम (स.) ने आसान तरीका (अगर ग़लत न हो तो) पसंद फरमाया। इसलिए खुद भी आसान रास्ता इच्छोयार कीजिए और दूसरों के लिए आसानी पैदा कीजिए।
- मेरी बहन कनीज़ फ़ातमा ने सन २००६ इस्वी में हज किया था। १० ज़िल्हिज्जा के असर के वक़्त जब वह मस्जिदे हराम पहुँची, तो पुलिस ने सारे मस्जिदे हराम के अतराफ घेरा डाल रखा था, और किसी को अंदर दाखिल होने नहीं दिया। क्योंकि मस्जिदे हराम हाज़ियों से भरी हुई थी और अंदर मज़ीद हाज़ियों कि गुंजाईश नहीं थी। वह ईशा तक इंतज़ार करती रही और मजबूरन खाली हाथ मिना लौट गई और दुसरे दिन ११ ज़िल्हिज्जा तवाफे ज़ियारत किया।
- अगर पुलिस आपको न भी रोके और आप किसी तरह अंदर दाखिल हो जाए तो भी इतनी शदीद भीड़ में आप को और दुसरे हाज़ियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उल्मा और वह लोग जो बार बार हज कर चुके हैं, यह मशिवरा देते हैं कि आप ११ ज़िल्हिज्जा को मगरिब मिना में पढ़कर मक्का मुकर्रमा के लिए पैदल रवाना हों, तो ईशा की जमाअत आपको मस्जिदे हराम में मिल जाएगी। बाहर सहन में नमाज़ पढ़े नमाज़ के बाद खाना खा ले। कुछ देर आराम करके फिर तवाफ-ए-ज़ियारत और सई करे और फिर इत्मिनान से रात ही को मिना लौट जाएं। इस तरह अरकान अदा करने से काफी आसानी होगी और अरकान भी अच्छी तरह अदा होंगे।
- अगर आप सौलतिया मद्रसे के ज़रिए कुर्बानी करेंगे तो हाज़ियों कि तादाद ज्यादा होने की वजह से वह आपको कुर्बानी का वक़्त, १० तारीख की शाम या ११ तारीख का कोई वक़्त बताएंगे। आप उस वक़्त तक इंतज़ार कीजिए और फिर इस से भी १ या २ घंटा देरी से हलक़ करवा ले (मुंडवा ले)। एहराम उतारकर रोजमर्रा के कपड़े पहन लें। वक़्त पर नमाज़ पढ़े और अपनी आसानी के मुताबिक तवाफे ज़ियारत के लिए रवाना हो। तो कुर्बानी के वक़्त के मुताबिक भी अगर आप हलक़ करेंगे, तो तवाफे ज़ियारत के लिए आप को ११ ज़िल्हिज्जा तक इंतज़ार करना ही होगा। इसलिए सब्र के साथ एहराम पहने रहे और सुकून व इत्मिनान और सहूलत के साथ अरकान अदा करें।
- तवाफे ज़ियारत का अफज़ल वक़्त तो १० वी ज़िल्हिज्जा है। मगर इसे १२ वी तारीख के आफताब गुरुब होने से पहले तक कर सकते हैं। अगर १२ वी तारीख गुज़र गई और तवाफे ज़ियारत नहीं किया तो ताखीर की वजह से दम वाज़िब होगा, मगर फर्ज़ अदा हो जाएगा। चूँकि तवाफे ज़ियारत हज का एक फर्ज़ रूकन है। इसलिए जब तक तवाफे ज़ियारत न कर ले हज पूरा न होगा। एहराम की एक पाबंदी आप पर आयद रहेगी यानी आप अपनी बीवी से अज़वाजी तालुकात कायम नहीं कर सकते। १२ तारीख गुज़र गई तो दम लाज़िम होगा मगर आप फिर उसे कभी भी कर सकते हैं। जैसे नफिल नमाज़ पढ़ने की नीयत करने के बाद अगर आप नीयत तोड़ दें, तो फिर उसका अदा करना आप पर वाज़िब हो जाता है इसी तरह हज की नीयत करके

अगर आप उसे अधूरा छोड़ेंगे तो उसका दौहराना आप पर फर्ज़ ही रहेगा। इसलिए अगर आप का तवाफे ज़ियारत छूट गया तो ज़िंदगी भर इसका अदा करने का फर्ज़ आप पर बाकि रहेगा और अज़वाजी ज़िंदगी पर पाबंदी भी।

इस तवाफ के पहले तीन चक्करों में रमल भी है। एहराम की चादरे जिस्म पर न होने की वजह से इस्तबा नहीं है।

अगर आप ने ८ ज़िल्हिज्जा को एहराम बाँधने के बाद नफिल तवाफ किया है जिस में रमल इत्तबा और सई कर ली है तो फिर तवाफे ज़ियारत में दोबारा सई करने की ज़रूरत नहीं है और आपका तवाफ भी बगैर रमल होगा। क्योंकि जिस तवाफ के बाद सई होती है रमल इसी में किया जाता है।

शैतान को कंकरी मारना, कुर्बानी करना और सिर मुँडवाना यह तरतीब सुन्नत है और ज़रूरी है। अगर यह रूकन आगे पीछे हो गए तो हनफी मसलक के मुताबिक दम लाज़िम होगा।

हम्बली मसलक (सऊदी उल्मा) और इमाम गज़ाली(रह.) के मुताबिक अगर मजबूरी में अरकान आगे पीछे हो गए तो दम लाज़िम नहीं होगा।

(अहया-उल-उलूम उरु जिल्द अब्ल सफा ४०८)

अगर किसी वजह से तवाफे ज़ियारत के बाद सई १२ तारीख के गुरुबे आफताब तक जो के अफज़ल वक़्त है न कर सके तो ज़िल्हिज्जा महीने के आखिर तक कर सकते हैं। ताखीर (देरी) की वजह से दम लाज़िम ना होगा। मगर शर्त यह है कि तवाफ और सई के दरमियान हज का रूकन अदा ना किया जाए। अगर कोई दूसरा रूकन अदा करेगा तो सई से पहले एक तवाफ करना वाज़िब होगा।

## ॥ और १२ ज़िल्हिज्जा:-

तवाफे ज़ियारत में आप को चाहे जितना वक़्त लग जाए मगर रात गुज़ारने आप को मिना ही लौटकर आना है। मक्का शरीफ में अपनी कयामगाह पर आप रात नहीं गुज़ार सकते।

- रात मिना में गुज़ारे, पाँचों वक़्त नमाज़े पढ़ें।
- यह अय्याम तशरीक के दिन है, इस में कसरत से तकबीर कहना मसनून है।
- जुमरात को कंकरीया मारना भी अल्लाह का जिक्र करना है। ज़वाल के बाद कंकरीया मारना अफज़ल है मगर सहूलत के मुताबिक लोगों की भीड़ का ख्याल रखकर रमी जुमार के लिए जाएं। पहले छोटे शैतान फिर दरम्यानी शैतान और फिर बड़े शैतान को कंकरी मारो। छोटे और दरम्यानी शैतान पर रमी के बाद नबी करीम (स.) ने किब्ला रूख हो कर इतनी देर तक दुआएं माँगी थी कि कोई उतने देर में सुरे: बकरा (सवा दो पारा) पढ़ सकता है। इसी सुन्नत के मुताबिक आप भी दुआओं का एहतेमा करें। बड़े शैतान पर रमी के बाद दुआएं न माँगे।
- हज की इबादत, इब्राहीम (अ.स) के ज़माने से है। आम इन्सानों के अलावा हजारों वलियों और सैकड़ों पैगम्बरों ने हज किया है। हर एक ने मिना में कयाम किया होगा और हर एक ने मस्जिदे खैफ में नमाज़ पढ़ी होगी। मिना के कयाम में वक़्त फारिग करके इस मुबारक मस्जिद में नमाज़ पढ़ कर आप भी रूहानी फैज़ हासिल करने की कोशिश करें।

## १३ ज़िल्हिज्जा:-

- जुमा के दिन मस्जिदो को देखकर बड़ी खुशी होती है। मगर यह खुशी आरज़ी होती है। जहाँ इमाम ने सलाम फेरा कि लोग दुम दबाकर ऐसा भागते हैं कि अगर किसी ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। चंद मिनटों में दरवाज़ों के बाहर तक लबालब भरी हुई मस्जिदे आधी से ज्यादा खाली हो जाती है।

(बाकी पेज ६८ पर)

# हज्जे बदल

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि से रिवायत है कि एक औरत ने अर्ज़ किया था रसूल अल्लाह (स.) अल्लाह तआला ने अपने बन्दों पर हज फर्ज़ किया मेरे बाप पर ऐसे ज़माने में फर्ज़ हुआ कि वह बिल्कुल बूढ़े हो गये, सवारी पर ठहर नहीं सकते तो मैं उनकी तरफ से हज कर सकती हूँ, आप (स.) ने फर्माया, “हां” (बुखारी, मुस्लिम)

हज़रत लुक्ती बिन आमिर (रज़ी.) से रिवायत है कि वह नबी करीम (स.) की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि “या रसूलुल्लाह” मेरे बाप बहुत बूढ़े हैं, ना हज सकते हैं ना उम्रह और ना चलने और सवार होने की कुव्वत है। आप (स.) ने फर्माया तुम अपने बाप की तरफ से हज व उम्रह कर लो (अबु दाउद, तिर्मिज़ी)

हजे बदल के माअने हैं किसी दुसरे की तरफ से नफिले हज या उम्रह करने के लिए कोई शर्त नहीं है। सिर्फ हज करने वाले में अहलियत यानि इस्लाम और अक़ल व तमीज़ का होना काफ़ी है। अलबत्ता किसी दुसरे शख्स से फर्ज़ हजे बदल कराने के लिए (२०) शर्तें हैं।

इन शराइत को जानने से पहले यह याद रखें कि हज कराने वाले को आमिर (हुकम करने वाला) कहते हैं और जो दुसरे के हुकम से हजे बदल करता है उसको मामूर (हुकम के मुताबिक़ काम करने वाला) कहते हैं।

## 20 शर्तें ये हैं:—

- १) जो शख्स अपना हज कराये उस पर हज फर्ज़ हो।
- २) हज फर्ज़ होने के बाद खुद हज करने से आज़िज़ या मजबूर हो गया हो।
- ३) मरते वक़्त तक आज़िज़ी रहा हो।
- ४) आमिर और मामूर दोनों मुसलमान हों।
- ५) आमिर और मामूर दोनों आक़िल हों।
- ६) मामूर को इतनी तमीज़ हो कि हज के अफ़आल समझता हो। अगर औरत मर्द की तरफ से हज बदल करे तो जायज़ है मगर मर्द से हज कराना अफ़ज़ल है और अपना हज ऐसे शख्स से हज कराना अफ़ज़ल है जो आल्लिम बा अमल हो, मसाइल से वाक़िफ़ हो और अपना हज अदा कर चुका हो।
- ७) अगर अपनी ज़िन्दगी में हजे बदल कराये तो दुसरे शख्स को अपनी तरफ से हज करने का हुकम देना और अगर वसीयत कर के मर गया तो वारिस का हुकम देना शर्त है। अगर मय्यत ने वसीयत नहीं की लेकिन वारिस या किसी अजनबी शख्स ने उस की तरफ से खुद हज किया या किसी दुसरे शख्स से करवाया तो इन्शस अल्लाह तआला उस मय्यत का फर्ज़ अदा हो जायेगा और उस सूरत में आगे आने वाली कोई शर्त लाज़िम नहीं होगी।
- ८) सफ़र में सारा माल या उस का अक़सर हिस्सा हज कराने वाले के माल से ख़र्च होना। अगर मामूर ने अपने रूपये से हज किया और बाद में आमिर के माल से वसूल कर लिया तो आमिर का हज अदा हो जायेगा। वर्ना नहीं होगा।
- ९) एहराम बांधते वक़्त या हज के अफ़आल शुरू करने से पहले आमिर की तरफ से हज की नीयत करना।
- १०) सिर्फ़ एक शख्स की तरफ से हज का एहराम बांधना।
- ११) सिर्फ़ एक एहराम बांधना।
- १२) अगर आमिर ने किसी मुईन शख्स का नाम लिया हो तो उसी शख्स का आमिर की तरफ से हज करना और अगर इख़्तियार दिया हो कि किसी से भी करवाया जाये, तो किसी भी जा सकता है और आमिर के लिए भी यही

मुनासिब है।

- १३) मामूर मुईन का मुतअय्यन होना यानि अगर आमिर दल यह कहा हो कि फ़लां शख्स ही हज करे, कोई दुसरे से कराना जाइज़ ना होगा और अगर दुसरे की नफ़ी नहीं की तो जाइज़ हो जायेगा, लेकिन जिसको नामज़द किया गया है अगर उस ने इकार कर दिया और वारिस दल किसी दुसरे से कराया तो जाइज़ है।
  - १४) अगर तिहाई तर कि ख़र्च के लिए काफ़ी हो तो आमिर के वतन से हज कराना वर्ना मीकात से पहले गुंजाइश के मुताबिक़ जिस जगह से हो सके अदा करवाया जाये।
  - १५) अगर तिहाई माल में गुंजाइश हो तो सवारी पर हज करना।
  - १६) हज या उम्रह जिस चीज़ का हुकम किया है उसी के लिए सफ़र करना। अगर हज का हुकम किया था लेकिन मामूर ने अब्बल उम्रह किया फिर मीकात पर लौट कर उसी साल या आईदा साल हज का अहराम बांधा तो आमिर का हज अदा ना होगा।
  - १७) आमिर की मीकात से एहराम बांधना अगर मामूर ने मीकात से उम्रह का उहराम बांधना और मक्का शरीफ़ जाकर हज का उहराम बांधा और हज कर लिया तो आमिर का हज अदा ना होगा। इस से यह मालूम हुआ कि मक्का या मदीना मुनव्वरा में रहने वालों से हज बदल कराना ग़लत है। इस सूरत में हज करने वाले का अपना हज अदा होगा। जिस की तरफ से कराया गया है उस का नहीं होगा, लेकिन नफ़ली हजे बदल किसी से भी कराया जा सकता है।
  - १८) हज का फ़ासिद ना होना।
  - १९) हज का फ़ौत ना होना।
  - २०) आमिर के हुकम की मुख़ालिफ़त ना करना। अगर आमिर ने इफ़राद यानि सिर्फ़ हज का हुकम किया था और मामूर ने तमततओ या क़िरान कर लिया तो मुख़ालिफ़ हो और आमिर को रूपये वापस करना होगा और वह हज मामूर का अपना होगा। यहाँ तीन बातें याद रखें।
- (अ) हजे बदल करने कसे हजे अफ़राद करना चाहिए।
- (ब) हजे क़िरान करना, आमिर की इजाज़त से जाइज़ है, लेकिन दमे क़िरान अपने पास से देना होगा। आमिर के रूपये से बिला इजाज़त देना जाइज़ नहीं है।
- (क) हज तमततओ करना, हजे बदल में तमततओ करने का मस्ला ज़रा पेचीदा है और उस की वजह यह है कि तमततओ में हज का एहराम आमिर की मीकात ये नहीं होता बल्कि मक्का मुकर्रमा में ८ ज़िल्हिज्जा को बांधा जाता है इस लिए मुहतात उल्मा ने हज में तमततओ की मुमानिअत की है, बल्कि यहाँ तक लिखा है कि अगर आमिर अपनी तरफ से हज तमततओ की इजाज़त दे दे तब भी आमिर का हज नहीं होगा, जैसा कि मुअल्लिमुल्हुज्जाज में उल्मा तहक़ीक़ से मनकूल है और इसी को राजेह क़ारर दिया है।
- बाकी दूसरी कुतुबे फ़िक़ह की इबादत से जो मालूम होता है वह यह है कि आमिर की इजाज़त से हज तमततओ करने से आमिर की तरफ से हज हो जायेगा। इस इख़्तिलाफ़ का हल यह है कि आमिर अगर खुद ज़िन्दा है, मआज़ूरी की बिना पर हज नहीं कर सकता, और हज तमततओ की इजाज़त देता है तो ऐसी सूरत में आमिर की इजाज़त से हज तमततओ हो जायेगा। इस तरह जिस पर हज फर्ज़ हुआ और मरते वक़्त वसीयत की, कि मेरी तरफ से हज तमततओ करवाया जाये, तो ऐसी हज तमततओ करने से आमिर की जानिब से हज हो जायेगा। लेकिन मरने वाले ने अगर मुतलक़

हज की वसीयत की है और वरसा ने हज बदल करने वाले को हजे तमत्तओ की इजाज़त दे दी तो ऐसी सूरत में वरसा इजाज़त से तमत्तओ करना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि मय्यत का हज मीकाती होना ज़रूरी है, और जो हज तमत्तओ करेगा उस का हज, हज मक्का हो जायेगा अगर वरसा की इजाज़त से तमत्तओ करेगा तो मामूर पर रुपये वापस करना लाज़िम नहीं है लेकिन आमिर का हज अदाना होगा। हज बदल कराने वालों को इस मुआमले में खास एहतियात करनी चाहिए। एहराम की तवालात से आमिर का हज ख़राब ना करना चाहिए, इस मुआमले में अक्सर लोग हजे बदल के मसाइल से नावाकिफ़ होने की वजह से ग़लती कर बैठते हैं।

### नोट:-

- 9) जिस पर खुद हज फ़र्ज नहीं है और उस ने पहले हज रहीं किया है उस को हजे बदल के लिए जाना इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक जाइज़ है, लेकिन बेहतर यह है कि हजे बदल के लिए उस को भेजा जाये जिस ने अपना हज कर लिया है।
- 2) जिस पर हज फ़र्ज हो गया है और अभी अदा नहीं किया है, उस को हजे बदल के लिए जाना जाइज़ नहीं है।
- 3) वाल्दैन में से कोई फ़ौत हो जाये और उन के ज़िम्मे हज फ़र्ज हुआ और अदाएगी की वसीयत ना की हो तो बेटे के लिए मुस्तहब है कि वाल्दैन की तरफ से बतोर एहसान हज अदा कराये या खुद उन की तरफ से हज कर ले। ऐसी हालत में शर्त नम्बर 9, के बाद वाली शराइत आइद नहीं होंगी और अगर खुद या किसी देसरे शख्स से मक्का मुकर्रमा ही से हज कराये तो भी इंशा अल्लाह तआला मय्यत का फ़र्ज हज अदा हो जायेगा।
- 4) वाल्दैन में से कोई ऐसी हालत में फ़ौत हो जाये कि उन पर हज फ़र्ज नही हुआ था और बेटे साहिबे हैसियत हो जायें तो वाल्दैन की तरफ से फ़र्ज वाला हजे बदल तो नहीं करवाया जायेगा, इस लिए कि उन पर हज फ़र्ज नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बेटे को चाहिए कि वाल्दैन की तरफ से बराए सवाब हज करवा दे या खुद उन की तरफ से हज कर ले। ऐसी हालत में भी शर्त नम्बर 9, के बाद वाली शर्त आइद नहीं होंगी और खुद या किसी दूसरे शख्स से मक्का मुकर्रमा से भी हज करा सकता है इस सिलसिले में यह हदीष याद रखें, रसूलुल्लाह (स.) का पाक इश्राद है कि वाल्दैन की वफात के बाद उन के लिए ख़ैर व बरकत की दुआ करते रहो और अल्लाह से उन के वास्ते मग़फ़िरत और बख़्शिश मांगो।  
हज के ज़रिये वाल्दैन को सवाब पहुंचाना मग़फ़िरत और बख़्शिश मांगने के बराबर है।
- 5) एक हदीस में है, जिस ने अपने मां-बाप की तरफ से हज किया या उनका कोई और फ़र्ज अदा किया तो बेशक उसने उनकी तरफ से हज अदा कर दिया और खुद उसको दस ज़ाइद हज का सवाब मिलेगा।  
एक और हदीस में है, जिस शख्स ने अपने वाल्दैन की तरफ से हज किया या उनका कोई और फ़र्ज अदा किया तो ऐसा करने वाला कयामत के दिन अबरार के साथ उठाया जायेगा। (कनजुल अमाल)
- 6) जिस ने अपना फ़र्ज हज अदा कर लिया हो उस के लिए नफ़िल हज करने के बजाए हजे बदल करना अफ़ज़ल है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ी.) से रिवायत है कि जिसने मय्यत की तरफ से हज किया तो मय्यत के लिए एक हज लिखा जायेगा और हज करने वाले को सात हज का सवाब होगा।
- 9) उज्रत पर हज कराना किसी हालत में जाइज़ नहीं है इस लिए ठेका या उज्रत पर हज करने वालों से हजे बदल ना करायें। बअज़ लोग मसारिफ का ठेका कर लेते हैं। ऐसा करना जाइज़ नहीं है। सूना गया है कि बअज़ मुअल्लिमीन और ठेका पर काम करने वाले लोग चन्द आदमियों की तरफ से रुपये वसूल कर के एक आदमी से हज करा देते हैं और सब को सवाब बख़्श देते हैं, अगर ऐसा होता हो, तो बहुत ही बुरी बात है, इससे एहतियात करें।

### नोट:-

हजे बदल की नीयत इस तरह करें:

- (9) या अल्लाह! मैं अपने वालिद या फ़लां की तरफ से हज की नीयत करता हूँ उस को मेरे लिए आसान बना दे और कुबूल फरमा ले।
- (2) ज़िन्दा या मुर्दा लोगों की तरफ से तवाफ़ या उम्ह करें तो उसकी नीयत भी इसी तर्ज़ पर होगी।

### हज बदल के अस्वराजात से मुतअलिक़ ज़रूरी मसाइल:

- (9) हजे बदल करने वाले को इतना खर्च मिलना चाहिए कि आमिर के वतन से मक्का मुकर्रमा तक जाने और वापस आने के लिए दरम्यानी तौर पर काफी हो जाये, ना तंगी हो और ना फ़जूल खर्ची।
- (2) मसारिफ में सवारी, खाने पीने का सामान, सफर के कपड़े, कपड़ों की धुलाई, हमाली, मकान का किराया वगैरह जिन जिन चीजों की ज़रूरत हो, मामूर की हैसियत के मताबिक सब दाख़िल हैं और आमिर के माल से बिला तंगी व फ़जूल खर्च करना जाइज़ है।
- (3) मामूर को आमिर के माल से किसी की दावत करना, किसी को खाने में शरीक करना, या सदका देना या कर्ज़ वगैरह देना जाइज़ नहीं। हां! अगर आमिर ने सब आमूर की इजाज़त दी हो तो जाइज़ है।
- (4) फ़कीह अबुल लैस (रह.) ने हर उस चीज़ में आमिर का माल सर्फ़ करना जाइज़ कहा है जिस को आम तौर पर हुज्जाज करते हों, और ज़ख़ीरा में उसी को मुख़तार लिखा है, मगर फिर भी एहतियात उसी में है कि आमिर से जुम्ला अमूर में सर्फ़ करने की इजाज़त हासिल कर ले ताकि तंगी और मुअख़िज़ह ना हो, आमिर को भी चाहिए कि मामूर को हज के नफ़के के अलावा कुछ ज़ाइद रकम भी बतौर हदिया दे दे ताकि खर्च करने में सहूलत रहे और हिसाब किताब रखने की तकलीफ़ ना हो। अलबत्ता यह ख़याल ज़रूर है कि हज के लिए दिए जाने वाला नफ़क़ह मामूर को हिबा (बख़्शिश) ना करे, क्योंकि इस सूरत में वह मामूर की मिल्क हो जायेगा और आमिर का हज अदा ना होगा।
- (5) मामूर से कोई जिनायत हो जाये तो दमे जिनायत अपने माल से दे, बिला इजाज़त आमिर उसके माल से देना जाइज़ नहीं है।
- (6) हज से फरागत के बाद आमिर के माल से नक़द रकम सामान वगैरह आमिर या उस के वरसा को वापस करना वाजिब है। हां! अगर वह हिबा कर दे तो लेना दुरुस्त है।

### हज्जे बदल के मसाइल

- 9) फुक़हा ने लिखा है कि हज्जे बदल में हज्जे अफ़राद या हज्जे किरान ही किया जाया सकता है, हज्जे तमत्तओ नहीं किया जा सकता है। मगर फुक़हा की बअज़ इबारतों से हज्जे तमत्तओ का भी जायज़ होना मअ़लूम होता है। चुनांचा दुर्रे मुख़ार में हज्जे बदल की सूरत में तमत्तओ की कुरबानी के खर्च उस शख्स के ज़िम्मे रखे गए हैं जिस की तरफ से हज किया जा रहा है किरान व तमत्तओ और जनायत की कुरबानी हज करने वाले ही पर होगी। गो हज का हुक्म देने वाले ने (जिस की तरफ से हज्जे बदल कर रहा हो) इस की इजाज़त दी हो। मुफ़ती मुहम्मद शफ़ी साहब (रह.) ने भी बअज़ शर्तों के साथ इस की इजाज़त दी है।

इस ज़माने में हज व उमराह करने में आम आदमी आज़ाद नहीं है कि जब और जिस वक्त चाहें जा सकें और लम्बे एहराम से बचने के लिए हज के दिनों के बिल्कुल करीब सफर करें। हर तरफ हुकूमतों की पाबंदियां शदीद

(बाकी पेज 68 पर)

# मदीना मुनव्वरा के तारीखी मुकामात

## मस्जिदे नबवी (स.) :-

मस्जिदे नबवी (स.) की दीनी फज़ीलते तो हैं ही दुनियावी लिहाज़ से भी इस का एक खास मुकाम है। इस की तफसीलात जान कर आप को हैरत होगी। यह दुनिया का खूबसूरत तरीन महल है। इतना कीमती और खूबसूरत महल इन्सानी तारीख में पहले कभी नहीं बना है। इसे बनाने में तकरीबन ३६० अरब रुपये खर्च हुए हैं। इसे टी. व्ही. के डिस्कवरी चैनल ने दुनिया की ८ अज़ीम इमारतों में से एक कहा है और 'गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड' ने इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत तस्लीम किया है। इस की खूबसूरती देखने के साथ समझने से भी तअल्लुक रखती है। हज की इस मुख्तसर किताब में इस की ज़्यादा तफसीलात बयान नहीं की जा सकती। आप इसे "तअमीरे मस्जिदे नबवी" वीडिओ सी.डी. में देख लीजिए या फिर "तारीखे मदीना मुनव्वरा" किताब में पढ़ लीजिए। यह दोनों चीज़ें आप को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में किसी भी किताबों की दुकान में मिल जाएगी।

इस मस्जिद से मुतअल्लिक सिर्फ़ दो बातें यहाँ बयान करूंगा। जिस से आप इस की तअमीर के बारे में कुछ अंदाज़ा कर सकेंगे।

- अगर आप सरसरी तौर पर मस्जिदे नबवी (स.) का दरवाज़ा देखेंगे तो आप को बहुत खूबसूरत लगेगा। लकड़ी का यह दरवाज़ा खलिस सोने और गोल्ड प्लेटेड स्टील से जोड़ा गया है। इस दरवाज़े को बनाने के लिए आफ्रिका के जंगलो से खास लकड़ी चुनी गई। फिर इसे सिज़ीग के लिए जर्मनी भेजा गया। फिर इसे कनाडा (Canada) के माहिर कारीगरों ने बेहतरीन टेक्नोलॉजी से बनाया है। हर दरवाज़े का वज़न कई टन है। इतने वज़न के बावजूद एक आदमी आसानी से इसे खोल या बंद कर सकता है।
- इस मस्जिद कि टाइल्स बहुत खूबसूरत है आप सोच रहे होंगे कि यह बेहतरीन टाइल्स दुनिया कि सबसे बेहतरीन टाइल्स बनाने वाली कंपनीयों से खरीदे गए होंगे। नहीं, बल्कि इस मस्जिद के लिए सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी और आला टेकनिक वाली टाइल्स बनाने कि फेक्टरी कायम की है। फिर इसमें टाइल्स बनाकर इस्तेमाल किए गए। इस तरह इस मस्जिद में इस्तेमाल होने वाला हर पुर्जा और हर चीज़ अपनी मिसाल आप है। आप इसे दिमाग से समझकर अपनी आखों में बसा लें। तसव्वरात की दुनिया अपने महबूब(स.) के इस महल में जब आप कदम रखेंगे, तो आप अपने आप को जन्त में महसूस करेंगे।

**मस्जिदे कुबा:-** जब नबी करीम (स.) हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा पहुँचे, तो सब से पहले आप (स.) ने इसी मस्जिद की बुनियाद रखी और खुद इस की तामीर में शरीक हुए। दर हकीकत यही वह पहली मस्जिद थी जिस में आप ने अपने सहाबा (रज़ी.) को एलानिया बा-जमाअत नमाज़ पढ़ाई। मस्जिदे कुबा में नमाज़ पढ़ने की फज़ीलत के बारे में सहल बिन हनीफ़ (रज़ी.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने फरमाया "जो शख्स घर से निकल कर इस मस्जिदे कुबा में आए और यहाँ २ रक़अतें नमाज़ पढ़े इसे एक उम्रह का सवाब मिलेगा।

**मस्जिदे इजाबा:-** इस मस्जिद में नबी करीम (स.) ने तीन दुआएँ फरमाई थी, इन में से दो दुआएँ अल्लाह तआला ने कबूल फरमा लीं, लेकिन एक दुआ कि मेरी उम्त में आपसी इख्त्लाफ न हों इस दुआ को कबूल न फरमाया।

**मस्जिदे जुमा:-** इसे 'मस्जिदे जुमा' इस लिए कहा जाता है कि नबी

करीम (स.) जब कुबा बस्ती में चंद दिन ठहर कर मदीना मुनव्वरा की तरफ चले तो इसी मुकाम पर आप (स.) ने पहला जुमा पढ़ाया। सहाबा किराम (रज़ी.) ने इसी जगह मस्जिद बना दी।

**मस्जिदे किब्लतैन:-** नबी करीम (स.) बनी सल्मा के इलाके में अपने सहाबा (रज़ी.) के साथ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे। आप (स.) ने अभी २ रक़अतें ही पढ़ी थी के किब्ले की तब्दीली का हुक्म आ गया। आप (स.) नमाज़ ही में काबा की तरफ मुतवज्जा हो गए। इस मस्जिद में एक नमाज़ दो किब्लों की तरफ मुंह कर के पढ़ी गई थी इस लिए इसे मस्जिदे किब्लतैन कहा जाता है।

**मस्जिदे बनी हारसा (मस्जिदे सुत्राह):** नबी करीम (स.), गज़वा-ए-ओहद से वापसी के वक्त आराम करने के लिए इस जगह कुछ देर ठहरे थे इस लिए इसे मस्जिदे सुत्राह कहा जाता है। यह मस्जिद, नबी करीम (स.) के दौरे मुबारक में ही तअमीर कर दी गई थी।

**मस्जिदे फतह:-** मस्जिदे फतह, मदीना मुनव्वरा की शुमाल में एक पहाड़ 'सलअ' में वाके है। इस को मस्जिदे फतह इस लिए कहा जाता है के अल्लाह तआला ने गज़वा-ए-ख़ंदक के दौरान इस जगह नुस्तर व फतेह की वही नबी करीम (स.) पर नाज़िल की थी और नबी करीम (स.) ने सहाबा कराम (रज़ी.) से फरमाया था के "अल्लाह तआला की तरफ से नुसरत व फतेह की वही पर खुश हो जाओ"।

**मस्जिदे गुमामा:-** यह मस्जिद, मस्जिदे नबवी (स.) के जूनूब-मगरिब में बावे सलाम से आधा किलो मीटर के फासले पर वाकेअ है। यह इस मैदान में है जिसे रसूल अल्लाह (स.) ने नमाज़े ईद के लिए मुन्तखब फरमाया था। एक रिवायत के मुताबिक नबी करीम (स.) ने नजाशी (रज़ी.) की गायबाना नमाज़े जनाज़ा भी इस जगह पढ़ाई थी। इसे मस्जिदे गुमामा इस लिए भी कहा जाता है के नमाज़ के दौरान एक बादल ने आप (स.) को धूप से साया किये रखा था।

**जबलो ओहद:-** ओहद पहाड़ एक बड़ा पहाड़ है जो मदीना मुनव्वरा की शुमाल की जानिब और मस्जिदे नबवी (स.) से साढ़े पांच किलो मीटर के फासले पर वाकेअ है। यह हरम की हुदूद के अंदर है। इस की लम्बाई ६ किलो मीटर और रंग सुर्खी माइल है।

नबी करीम (स.) ने इस की फज़ीलत के बारे में इर्शाद फरमाया "यह एक ऐसा पहाड़ है, जो हम से मुहब्बत करता है और हम इस से मुहब्बत करते हैं।"

ओहद पहाड़ ही के पास गज़वा-ए-ओहद हुआ था, जिस में नबी करीम (स.) के चचा सैय्यिदना हमज़ा (रज़ी.) और दूसरे मुसलमान शहीद हुए थे। आप का रूबाई दांत टूट गया था। आप का चेहरे अनवर जख्मी हुआ था और आप के होंठ मुबारक पर भी ज़ख्म आए थे। इस पहाड़ के दामन मे शोहदा-ए-ओहद की कब्रें हैं।

**जन्नतुल बकी:-** यह मस्जिदे नबवी (स.) से बिल्कुल करीब एक कन्नस्तान है जिस में तकरीबन १० हज़ार सहाबा (रज़ी.) मद्फून हैं। नबी करीम (स.) की औलादे अत्हार (रज़ी.) और अज़्वाजे मुतहरात (रज़ी.) भी यहीं मद्फून हैं।

मदीना मुनव्वरा के कई बाज़ार मुहल्ले और बागों का ज़िक्र हदीस शरीफ में

(बाकी पेज 72 पर)

# रौज़ा-ए-मुबारक की तफ़्सील

9) सन ८७ हिजरी तक मस्जिदे नबवी के मशरिकी जानिब अज़्वाजे मुतहरात के हुजरात शरीफ़ा मौजूद थे और हुज़ूर (स.) की कब्र मुबारक मस्जिद के बाहर हज़रत आईशा सिदीका (रज़ी.) के हुजरे में थी।

हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने सन ८७ हिजरी में सारे हुजरात ख़रीद कर मस्जिद में शामिल कर लेने का फैसला किया क्योंकि उस वक़्त तक सारी अज़्वाजे मुतहरात फ़ौत हो चुकी थीं और मस्जिद में जगह की सख़्त किल्लत थी।

मस्जिद के तौसी के वक़्त हज़रत आईशा सिदीका (रज़ी.) के हुजरे को छोड़ कर सारे हुजरे मस्जिद में शामिल कर लिए गए। उस वक़्त हज़रत आईशा (रज़ी.) के हुजरे की दीवारें कच्ची और छत लकड़ी की थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने हुजरे के अतराफ़ बग़ैर खिड़की, दरवाज़े की ऊँची मज़बूत दीवार तअमीर कर दी। हुजरा चौकोर था मगर बाहरी दीवारें पाँच कोनों की बनाई गईं ताकि इस की मुमासिलत काबा शरीफ़ से न हो। अगले छः सौ साल तक मस्जिद की छत और हुजरा की उपर की छत एक ही थी कोई गुंबद न था, सिर्फ़ निशान के तौर पर रौज़ा मुबारक के उपर मस्जिद की छत को थोड़ा ऊँचा कर दिया गया था ताकि कोई ग़लती से रौज़ा मुबारक के ऊपर वाली छत पर न चला जाए।

२) सन ६६८ हिजरी में पहली बार सुल्तान रुक्नउद्दीन बेबरस ने हुजरा के अतराफ़ पाँच कोनों वाले कमरा के अतराफ़ लकड़ी की जाली लगवाई थी जो कि दस से बारह फ़ीट ऊँची थी। सन ६६४ हिजरी में शाह ज़ैनउद्दीन कुतुबग़ा ने इस जाली को ऊँचा कर के मस्जिद की छत तक कर दिया। फिर सन ८८६ हिजरी में सुल्तान कातिबाई ने इन जालियों को लोहे और पीतल से बदल दिया। अब क़िब्ला की तरफ़ की जाली पीतल की है और बाकी तीनों तरफ़ लोहे की जालियाँ हैं जिन पर सब्ज़ रंग चढ़ा हुआ है।

इन जालियों में चार दरवाज़े हैं। एक क़िब्ला की तरफ़ बाब-उल्लौबा, दुसरा मगरिब की तरफ़ बाबे-उल्लफ़ूद, तीसरा मशरिफ़ की तरफ़ बाबे-फ़ात्मा और चौथा शुमाल की तरफ़ बाबे-उल्लहज़ूद। इन दरवाज़ों से दाख़िल होकर भी पाँच कोनों वाले अहाते के बाहर तक ही पहुँचा जा सकता है। रौज़ा-ए-मुबारक को देखना या इस तक पहुँचना किसी के लिए भी मुम्किन नहीं है।

३) सन ८७८ हिजरी में सुल्तान कातिबाई के दौर में दीवारें कमज़ोर हो जाने की वजह से इन की फिर तअमीर की गई। चूँकी ईसाई और यहूदी तरह तरह की साज़िशें किया करते थे। इस लिए सुल्तान ने हुजरे की दीवारों को भी मज़बूत पत्थर का बना दिया। सीधी (Flat) छत चूँकि कमज़ोर होती है और बार बार मरम्मत करना पड़ती है और मरम्मत के वक़्त मज़दूरों को रौज़ा मुबारक के ऊपर छत पर भी काम करना पड़ता है जो एहतेराम के खिलाफ़ है। इस लिए सुल्तान ने छत को भी मज़बूत गुंबद की तरह बनाने का हुक्म दिया। इन दीवारों और गुंबद में कोई खिड़की या दरवाज़ा नहीं है। सिर्फ़ ऊपर के हिस्से में एक छोटा सा सुराख़ है जिस से रौज़ा मुबारक आसानी से नज़र आता है।

सन ८७८ हिजरी में दीवारों की तजदीद के वक़्त अल्लामा समहूदी को हुज़ूर (स.) की कब्र मुबारक की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ। वह लिखते हैं कि तीनों कब्रें कच्ची हैं। ज़मीन के बराबर हैं या सिर्फ़ थोड़ी से उभरी हुई हैं। कुबूर के अतराफ़ कोई पत्थर या ईंट वग़ैरह लगी हुई नहीं हैं। दीवारों और गुंबद की तअमीर के बाद फिर किसी को यह सआदत हासिल नहीं हुई क्योंकि यह इमारत आज भी वैसी ही है।

४) रौज़ा शरीफ़ के ऊपर मस्जिद की छत पर पहली बार गुंबद, शाह मंसूर क़लाउन सालेही ने सातवीं सदी के आख़िर में बनवाया था। ये लकड़ी का था और ऊपर से सीसा (Lead) के पतरे चढ़े हुए थे। सीसा चूँकी सिलेटी होता है इस लिए गुंबद का रंग भी सिलेटी था।

सन ८८७ हिजरी में मस्जिद में आग लग गई थी जिस से इस गुंबद को नुक़सान पहुंचा इस लिए सुल्तान कातिबाई ने इसे दोबारा मज़बूत इंटों और पत्थरों से तअमीर करवाया। अगले साढ़े तीन सौ साल तक यह गुंबद इसी तरह रहा। इस वक़्त गुंबद सफ़ेद या सिलेटी रंग से रंगा जाता था।

५) सन ११६२ ई. में दो इसाईयों ने सुरंग लगा कर हुज़ूर (स.) के रौज़ा-ए-मुबारक तक पहुँचने की कोशिश की थी। नूरुद्दीन ज़ंगी ने उन्हें पकड़ कर क़त्ल किया और रौज़ा-ए-मुबारक के चारों तरफ़ पानी की सतह तक मज़बूत सीसा और पत्थर की दीवार बना दी, जो आज तक मौजूद है।

सन १२३४ हिजरी में सुल्तान महमूद उस्मानी ने इसे फिर से तअमीर करवाया, और हरे रंग से रंगा। यानी गुंबद ख़िज़्रा तअमीर हुए तक़रीबन दो सौ साल हो चुके हैं। इस गुंबद में एक छोटा सा सुराख़ है, जो कि नीचे बने हुजरा के गुंबद के ठीक ऊपर है। यह सुराख़ क़िब्ला की तरफ़ है। जब सूरज ठीक ऊपर होता है, सूरज की रौशनी रौज़ा-ए-मुबारक पर पड़ती है। बारिश के दिनों में बारिश का पानी भी रौज़ा-ए-मुबारक पर टपकता है।

६) हुज़ूर (स.) के रौज़ा-ए-मुबारक और मस्जिद का नक्शा जुबानी बयान किया जाए तो वह इस तरह है। के आप (स.) की कब्र मुबारक कच्ची है। कब्र ज़मीन से कुछ ही ऊँची है। उस के बाहर पत्थर का बना हुआ चौकोर कमरा है। जिस पर एक छोटा गुंबद है। उस के बाहर पाँच कोनों की दीवार का अहाता है। जो मज़बूत है और पत्थरों से बना है। पहले इस पर ग़िलाफ़ चढ़ाया जाता था। जो कि आज भी उस पर पड़ा हुआ है। इस अहाते के बाहर लोहे और पीतल की जाली का अहाता है। हम और आप इसी जाली के सामने जाकर अपना दुरूद व सलाम पेश करते हैं। इन सारी इमारतों को घेरे हुए मस्जिद की इमारत है और मस्जिद की छत पर ठीक रौज़ा-ए-मुबारक के ऊपर हरा गुंबद है। रौज़ा-ए-मुबारक के अतराफ़ के कमरे और दीवारों में कोई खिड़की या दरवाज़ा नहीं है। ऊपर के दोनों गुंबदों में सिर्फ़ एक छोटा सा सुराख़ है। जो कि एक सीध में है रौज़ा-ए-मुबारक से आसमान नज़र आता है। इस सुराख़ से सूरज की रौशनी कब्र मुबारक पर पड़ती है।

## रियाजुलजन्नत, मिम्बर और सुतून का बयानः—

### १) रियाजुलजन्नतः—

हज़रत अबु हुरैरा (रज़ी) से रिवायत है कि नबी अकरम (स.) ने फ़रमाया, “मेरे घर और मिम्बर के दरम्यान जो जगह है वह जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है और मेरा मिम्बर क़यामत के दिन हौज़ (कौसर) पर होगा। (बुखारी शरीफ़)

पहले रियाजुलजन्नत की लंबाई और चौड़ाई 15 x 26.5 मीटर थी। मगर अब चूँकि कुछ हिस्सा जालियों के अंदर चला गया है इस लिए ये अब 15 x 22 मीटर बचा है।

### २) मिम्बर शरीफः—

शुरू शुरू में हुज़ूर (स.) ज़मीन पर खड़े होकर एक खज़ूर के पेड़ के तना का सहारा ले कर खुल्बा दिया करते थे। मगर चूँकि देर तक खड़ा रहना



तकलीफ़देह था इस लिए सहाबा-ए-किराम (रज़ी.) ने तीन सीढ़ियों का एक मिम्बर बना दिया। आप (स.) तीसरी सीढ़ी पर बैठते और दूसरी सीढ़ी पर पांव रख कर खुत्बा दिया करते थे।

ये मिम्बर लकड़ी का था जब बोसीदा हो गया तो हज़रत अमीर मुआविया (रज़ी.) ने इसे नौ सीढ़ियों वाला बना दिया। उस के बाद ये कई बार बदला गया। अब जो मिम्बर मस्जिद नबवी में है वह सन ६६८ हिजरी में सुल्तान मुराद सुव्वम उस्मानी का भेजा हुआ है और बारह सीढ़ियों का है। सऊदी हुकूमत ने इस पर सोने की पालिश वगैरह कर के और खूबसूरत बना दिया है।

मिम्बर कई बार बदले गये मगर जगह आज तक वही रही जो हुजूर (स.) के वक़्त में थी।

निसाई में हज़रत उम्मे सलमा (रज़ी.) से रिवायत है कि रसूल अकरम (स.) ने फरमाया “मेरे मिम्बर के पास बहिश्त की सीढ़ी होगी।”

### ३) मेहराबे नबवी:—

जिस जगह आप (स.) नमाज़ पढ़ा करते थे। आप (स.) की वफ़ात के बाद हज़रत अबुबकर सिद्दीक (रज़ी.) ने आप (स.) के सिजदा की जगह दीवार बना दी ताकि आप (स.) के सिजदे की जगह किसी के क़दम न पड़ें। चारों खुल्फ़ाए राशदीन के ज़माने में कोई मेहराब वगैरह नहीं थी। सन ६१ हिजरी में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने दौर में इस दीवार को एक मेहराब की शकल दे दी। जो कि आज तक कायम है। अब जो कोई इस मेहराब की सामने नमाज़ पढ़ेगा तो आप (स.) के क़दम मुबारक की जगह पर सिजदा करेगा।

इस मेहराब के पीछे मेहराब की दीवार में ही एक सुतून है जिसे सुतून हिनाना भी कहा जाता है। इस जगह पहले एक खज़ूर का तना था हुजूर (स.) इसी जगह खड़े होकर खुत्बा दिया करते और नफ़िल नमाज़ पढ़ा करते थे।

आज कल जिस मेहराब या मुसल्ले पर इमाम खड़े हो कर नमाज़ पढ़ाते हैं यह मेहराब उस्मानी है क्योंकि यह हज़रत उस्मान जुल्ज़ुरैन (रज़ी.) ने बनवाया था। हज़रत उमर फ़ारूक (रज़ी.) को मेहराबे नबवी पर ही खंजर से हमला कर के शहीद किया गया था। जब मस्जिद की तौसी हुई, तो हज़रत उस्मान (रज़ी.) ने क़िब्ला की तरफ़ मस्जिद की तौसी कर के नया मुसल्ला या मेहराब बनाया और अगली सफ़ों को जाली से घेर दिया ताकि उसी तरह नमाज़ के दौरान उन पर भी हमला न हो। अब वह जालियाँ तो नहीं हैं। मगर मेहराब वहीं है।

### ४) सुतूने आईशा (रज़ी.):—

हुजूर (स.) ने फरमाया के मेरी मस्जिद में एक जगह ऐसी है कि अगर लोगों को इस की फज़ीलत मालूम हो जाए तो वहाँ नमाज़ की अदाईगी के लिए आपस में कुरा अंदाज़ी करें। चूँकि हज़रत आईशा (रज़ी.) ने इस जगह की निशानदही की थी इस लिए इसे सुतूने आईशा (रज़ी.) कहा जाता है।

### ५) सुतूने अबु लबाबा:—

ग़च्च-ए-खंदक के बाद हज़रत अबु लबाबा से ग़ैर शउरी तौर पर एक ग़लती हो गई थी। जिस के लिए वह बहुत नादिम हुए और तौबा इस्तग़फ़ार किया और अपने आप को इस सुतूने से बांध लिया और ये अहद किया कि जब तक अल्लाह तआला मेरी तौबा कुबूल न करेंगे मैं इस सुतूने से बंधा रहूँगा।

अल्लाह तआला ने इन की तौबा कुबूल की तब उन्होंने अपने आप को आज्ञाद कराया। इस सुतूने को इस लिए उन के नाम से याद किया जाता है। यहाँ आप (स.) नमाज़ अदा किया करते थे।

### ६) सुतूने सरीर:—

इस जगह रमज़ान के आख़री अशरा में एतिकाफ़ के लिए हुजूर (स.) का बिस्तर बिछाया जाता था। आप (स.) के बाद हज़रत उमर फ़ारूक (रज़ी.) ने भी यहीं एतिकाफ़ किया और इमाम मालिक (रह.) मस्जिद में इसी जगह बैठा करते थे।

### ७) सुतूने हिर्स:—

इस सुतूने के पास वे सहाबा किराम बैठा करते थे, जो आप (स.) की हिफ़ाज़त पर मामूर होते थे।

### ८) सुतूने वफूद:—

जब अरब के वफूद हाज़िरे ख़िदमत होते तो आप (स.) उन से इसी जगह मुलाक़ात फरमाया करते।

सुतूने सरीर, सुतूने हिर्स और सुतूने वफूद अब आधे जाली के अंदर हो गये हैं।

सहाबा किराम (रज़ी.) नमाज़ों के लिए सुतूनों की तरफ़ जल्दी पहुँचते क्योंकि सुतूने नमाज़ियों के लिए सतरा (आड़) का काम भी देता है। हज़रत बुख़ारी (रह.) ने हज़रत अनस (रज़ी.) से रिवायत की है कि मैंने देखा कि बड़े बड़े सहाबा किराम (रज़ी.) मग़रिब के वक़्त मस्जिद की सुतूनों की तरफ़ दौड़ पड़ते। सहाबा किराम (रज़ी.) ने सुतूनों के पास नमाज़ पढ़ी है इस लिए उन के पास नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है।

### ९) सुतूने तहज़ुद:—

यह वह सुतूने है जहाँ नबी करीम (स.) नमाज़े तहज़ुद अदा किया करते थे।

### १०) सुतूने जिब्रईल:—

यह वह मुकाम है जहाँ नबी करीम (स.) की हज़रत जिब्रईल (अ.स.) से मुलाक़ात हुई थी। विसाल से पहले वाले रमज़ान में नबी करीम (स.) ने हज़रत जिब्रईल के साथ कुरआन शरीफ़ का दौर इसी जगह फरमाया था। यह दोनों सुतूने बिल्कुल रोज़े मुबारका के अंदर आ गए हैं। इसलिए बाहर से नज़र नहीं आते। गुम्बदे ख़िज़रा इन्हीं पर कायम किया गया है।

### ११) असहाबे सुपफा:—


सुफ़ा साएबान और साएदार जगह को कहा जाता है। क़दीम मस्जिदे नबवी के (स.) के शुमाल में मशरिकी किनारे पर मस्जिद से मिला हुआ एक चबूतरा था। यह जगह इस वक़्त बाबे जिब्रईल से अंदर दाखिल होते वक़्त मकसूरा शरीफ़ के शुमाल में मेहराबे तहज़ुद के बिल्कुल सामने दो फिट उँचे कटहरों में घिरी हुई है। इसकी लंबाई चौड़ाई ४० X ४० फिट है इसके सामने खुददाम बैठे रहते हैं और यहाँ लोग कुरआन पाक की तिलावत में मसरूफ़ रहते हैं।

१२) सउदी हुकूमतने मदीना मुनव्वरा में शानदार म्यूज़ियम बनाया है। जिसमें नबी करीम (स.) के जमाने के घर और इस्तेमाल होने वाली चिज़ों को रखा है। इसे देखकर अपने इमान को जरूर ताज़ा करें।




नबी करीम (स.) ने औरतों को बा जमाअत नमाज़ पढ़ते वक़्त उन्हें आख़िरी सफ़ में खड़े होने का हुकूम दिया, और इस का भी हुकूम दिया के वह मर्दों के बाद सिजदे से सिर उठाएँ, ताके मर्दों के पोशिदा सतर पर नज़र ना पड़े।

इस हुकूम के सहाबा किराम रज़ि० की औरतें रास्ते के इतना किनारे चलती थीं के उनके कपड़े दीवारों से रगड़ खते थे।



# हुजरा आईशा (रज़ी.) और रियाजुल्जन्नत की तफ़्सील

जन्तुल बकी का यह एक नायाब नक्शा है। सदी हुकूमत ने कब्रों पर सारे निशानात मिटा दिए हैं, और ना ही किसी को किसी कब्र की निशान-दही की इजाज़त है। इस नक्शा के ज़रिए आप हज़रत उस्मान (रज़ी.), उम्माहातुल मोमिनीन, हज़रत हलीमा और दीगर मोहतरम हज़रात के मज़ारात की ज़ियारत कर सकते हैं।



## जन्तुल बकी का एक नायाब नक्शा

## पेज 60 का बकिया....हज कैसे करें ?

- ऐसा ही मामला 92 ज़िल्हज्जा की शाम को मिना में होगा। वह लोग जो अफज़ल औकात में अरकान सही तरीके से करने के लिए टुटें पड़ते थे 92 तारीख कि शाम को अपना बोरीया बिस्तर लपेटकर मिना से गायब हो जाएंगे। क्योंकि 93 तारीख को मिना में रुकना वाजिब नहीं है। “बस सुन्नत ही तो है।”
- नबी करीम(स.) ने हज्जतुल विदा के मौके पर लोगों को बार बार फरमाया कि, “लोगो! मुझ से हज सीख लो, हो सकता है यह मेरा आखरी हज हो।” आप (स.) ने खुद ऐसा तरीका उम्मत के सामने पेश किया जो आसान था। मिसाल के तौर पर आप (स.) ने सहाबा (रज़ी.) से फरमाया कि अगर कुर्बानी के जानवर साथ नहीं है, तो उम्रह के बाद एहराम उतार दे और हाजे तमत्तओ करें। आप (स.) ने नमाजे कसर करके पढ़ी। आप (स.) ने मुज्दल्फा की रात आराम किया। आप (स.) ने औरतों और कमज़ोर लोगों को रात में मिना जानें की इजाज़त दी। आप (स.) ने हज़रे अस्वद को दूर से ही इस्तलाम करने की इजाज़त दी वगैरह वगैरह।  
मगर जहाँ तक मिना से गैर हाज़िर रहने की बात है तो सिर्फ हज़रत अब्बास (रज़ी) ने आप (स.) से हाज़ियों को पानी पिलाने के लिए मस्जिदे हरम में रहने की इजाज़त माँगी थी और मैंने एक भी ऐसी रिवायत नहीं पढ़ी जिसमें सवा लाख असहाबे किराम में से किसी ने 92 तारीख की शाम मक्का लौटने की आप (स.) से इजाज़त माँगी हो। नबी करीम (स.) और तकरीबन सवा लाख सहाबे कराम(रज़ी.) जिन्होंने आप (स.) के साथ हज किया, 93 तारीख को रमी जुमार के बाद ही मक्का मुकरमा लौटे।
- अल्लाह तआला ने कुरआन शरीफ में फरमाया की अगर कोई 92 तारीख को मक्का लौट जाए तो कोई गुनाह नहीं, तो यह आसानी का मामला अल्लाह का करम है। मगर नबी करीम (स.) की सुन्नत 93 तारीख को जवाब के बाद, रमी जुमार के बाद मक्का मुकरमा लौटना है।
- ६ ज़िल्हज्जा से 93 ज़िल्हज्जा यह अय्याम तशरीक कहलाते हैं। नबी करीम (स.) ने फरमाया, “अय्याम में तशरीक खाने पीने और अल्लाह का जिक्र व अज़्कार करने के दिन होते हैं।”(मुस्लिम)। तो इन दिनों में कसरत से अल्लाह तआला का जिक्र और इबादत करनी चाहिए। इसलिए अगर कोई मजबूरी न हो तो 93 तारीख को मिना में ही रुके, इबादत में दिन गुज़ारे, जवाब के बाद रमी जुमार करें और इसके बाद मक्का मुकरमा रवाना हो।
- अगर कोई मजबूरी हो तो कोशिश करें की 92 तारीख की शाम से पहले मिना से रवाना हो जाएँ क्योंकि शरीयत के मुताबीक अगर मिना में सूरज गुरुब हो गया तो आपको मिना में रुकना ज़रूरी है। मगर अब चूँकि रमी जुमार में जवाब के बाद बहुत भीड़ होती है और उल्मा ने सुबह सादिक तक रमी जुमार की सलाह दी है और कहा है कि इन्शा अल्लाह यह मकरूह नहीं होगा। इसलिए अब अगर आप सुबह सादिक तक भी मिना से निकल गए तो इन्शा अल्लाह गुनाह न होगा।

इस तरह अल्लाह तआला के करम और फ़ज़ल से आप के हज के सारे अरकान पूरे हुए। मक्का मुकरमा में सिर्फ एक ज़रूरी और वाजिब अमल आप का बाकी रहा वह है तवाफे विदा।

### तवाफे विदा:—

हज के बाद जब मक्का मुकरमा से वतन या मदीना जाना हो तो रुकसती का तवाफ या तवाफे विदा किया जाता है। यह हर बाहर रहने वाले “आफाकी” पर वाजिब है।

मक्का मुकरमा या मिकात की हुदूद में रहने वाले और सिर्फ उम्रह की नीयत

## पेज 62 का बकिया....हज्जे बदल

हैं। इसलिए अगर किसी हज्जे बदल करने वाले को वक्त से ज़्यादा पहले जाने की मजबूरी हो तो और लम्बे एहराम वाजिबते एहराम की पाबंदी मुश्किल नज़र आए तो उस के लिए हज्जे तमत्तओ कर लेने की गुंजाइश है। (जवाहरूल फ़िक्का, जिल्द अब्बल, पेज ५१६)

इस लिए मौजूदा हालात में अगर अफराद और किरान की वजह से इतने दिन हालते एहराम में रहना पड़े कि हाजी के लिए इस को बरदाश्त करना मुश्किल हो तो हज्जे बदल में भी हज्जे तमत्तओ की गुंजाइश है। (जदीद फ़िक्ही मसाइल, जिल्द अब्बल, पेज १६७, २६८)

- 3) हज्जे बदल में मामूर को हज्जे अफराद करना चाहिए ताकि हज्जे आफाकी और हज्जे मीकाती हो जाए। क्योंकि तमत्तओ करने में उमराह तो आफाकी हो जाता है, मगर हज हजे-आफाकी नहीं होता बल्कि हजे मक्की हो जाता है। लैकिल गौर तलब बात यह है कि हज्जे बदल में मामूर कुल्ली तौर पर आमिर की नियामत करता है और आमिर को हज की तीनों किस्मों में से किसी एक का इख्तियार करने का हक हासिल था जो आमिर जो फाइले मुख्तार है अगर वह अपने मामूर को तीनों किस्मों में से किसी एक का इख्तियार दे दे तो क्या अशकाल है?

जवाब: इस लिए आमिर की इजाज़त से हज्जे बदल में तमत्तओ बिला तरद्दूद जायज़ होना चाहिए। अल्बत्ता तमत्तओ का दम आमिर के माल से ना होगा बल्कि मामूर पर लाज़िम होगा। लैकिन अगर मामूर ब-खुशी अदा करता है तो यह भी जाइज़ है। हाँ अल्बत्ता हज्जे बदल में हज्जे अफराद करना ज़्यादा अफज़ल होगा। (जवाहरूल फ़िक्का, जिल्द अब्बल, पेज ५१३, ५१४, ईफाहुल मनासिक पेज १७२, अहसनुल फतावा जिल्द ४, पेज ५२३, अन्वारे मनासिक पेज ५५०)

- 4) इस ज़माने में आफाकी का हज्जे तमत्तओ करना ही ज़्यादा मअरूफ है। इसलिए उरफन आमिर की तरफ से हज्जे तमत्तओ की इजाज़त साबित होती है, लिहाज़ा सराहत के साथ इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं। (ईफाहुल मनासिक पेज १७२, अहसनुल फतावा जिल्द ४, पेज ५२३, अन्वारे मनासिक पेज ५५०)
- 5) अब हज्जे तमत्तओ का मसला गौर तलब है कि जब आमिर ने तमत्तओ की इजाज़त दे दी तो कुरबानी भी उसी के माल में से होगी। मइयत की तरफ से हज्जे बदल हो तब भी यही हुक्म है जबकि सब वारिस मिल कर ब-खुशी इस की इजाज़त देते हों। (अन्वारे मनासिक पेज ५५१)
- 6) हज्जे बदल में चूँकि बहुत से फुकहा ने आमिर की इजाज़त के साथ तमत्तओ करने की इजाज़त दी है। इस लिए शदीद मजबूरी तमत्तओ करने की आ जाए तो और तमत्तओ कर ले तो अल्लाह तआला से उम्मीद है कि हज कराने वाले का फर्ज़ अदा हो जाएगा। (अहकामे हज पेज १२०, हज़रत मौलाना मुहम्मद शफी साहब (रह.)

## बच्चे के हज का सवाब माँ को

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ी.) से रिवायत है कि रसूल अल्लाह (स.) रोहा(9) में एक काफ़िले से मिले। आप (स.) ने फरमाया, तुम लोग कौन हो? अर्ज़ किया हम मुसलमान हैं और आप कौन हैं। फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो एक औरत ने (कजावे से) बच्चे को उंचा कर के दिखाया और अर्ज़ किया “क्या इस के लिए हज है? आप (स.) ने फरमाया, हाँ! है, लेकिन सवाब तुमको मिलेगा”।

# मदीना मुनव्वरा का सफर

- नबी करीम(स.) का इर्शाद है कि जिस ने भी मेरी मस्जिद(मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) में ४० वक्त की नमाज़ें बा जमात अदा की और कोई नमाज़ कज़ा न की, तो वह निफ़ाक़ और जहन्नुम के आज़ाब से निजात पाएगा।
- मस्जिदे नबवी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) में ४० वक्त बा जमात नमाज़ पढ़ने की इतनी बड़ी फ़ज़ीलत है इसलिए आपका मदीना का कयाम कमअज़कम ६ दिन का होगा। ताकि ८ दिन आप पाचों वक्त की नमाज़ बाजमआत अदा कर सके।
- अगर आप की फ्लाईट हज के अय्याम से बहुत पहले है, तो पहले आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे। फिर वहाँ ४० वक्त की नमाज़ पढ़कर मक्का मुकर्रमा का सफर करेंगे।
- अगर मक्का मुकर्रमा से पहले मदीना मुनव्वरा का कयाम हो तो, सफर से पहले एहराम पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। मदीना मुनव्वरा के कयाम के बाद में आप मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा के लिए सफर करेंगे तब आपको एहराम पहनना होगा।
- मदीना मुनव्वरा में रिहाईश के लिए सबके दर्जे एक जैसे है मक्का मुकर्रमा की तरह पहला, दुसरा और तीसरा दर्जा वगैरा नहीं है।
- मदीना मुनव्वरा में सर्दी का मौसम मक्का मुकर्रमा से ज्यादा शदीद होता है। इसलिए अगर आपका मदीना मुनव्वरा का कयाम सर्दियों के मौसम में है तो गरम कपड़े जरूर साथ ले जाएं।
- मक्का मुकर्रमा कि बनिस्बत मदीना मुनव्वरा systematic और पुरसुकून शहर है। शहरी शरीफ और ईमानदार है। अगर आप हस्सास तबीयत के मालिक है तो मदीना मुनव्वरा में आप को हमेशा रहमत व सकीनत का एहसास होगा।
- मदीना मुनव्वरा भी मक्का मुकर्रमा कि तरह हरम शरीफ है। यहाँ पर भी जानवरों का मारना, डराना झाड़ियों को या घास तोड़ना, झगड़ा करना, रास्ते पर पड़ी चीज़ें उठाना वगैरा हराम है।
- हदीस शरीफ के मुताबिक दुनिया में सिर्फ तीन मुकामात की ज़ियारत के लिए सफर किया जा सकता है। १. मस्जिदे हराम (मक्का मुकर्रमा), २. मस्जिदे नबवी(स.), ३. मस्जिदे अक्सा। तो जब आप सफर करें तो नीयत मस्जिदे नबवी(स.) में नमाज़ पढ़ने कि करें।
- एक हदीस के मुताबिक मस्जिदे नबवी की एक नमाज़ का सवाब दुसरी मस्जिदों से पचास हज़ार गुना ज्यादा है।

## हाज़िरी के आदाबः—

- अल्लाह तआला का कुरआन शरीफ में हुक्म है कि :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ  
بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالِكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

(سورة مجرات १. آیة २)

“या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तर फऊ अस्वा-तकुम फौका सौतिन्नबिय्यी वला तज-हरू लहू बिल कौलि क-जहरि बअ-ज़िकुम लि-बअ-ज़िन अन तह-ब-त अअ-मालुकुम व अन्तुम ला तश-उरून।”


“ऐ ईमानवालों! अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से बुलंद न करो और न नबी (स.) के साथ ऊँची आवाज़ से बात किया करो, जिस तरह तुम आपस में एक दुसरे से करते हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे नेक आमाल सब बर्बाद हो जाएं और तुमको खबर भी न हो।” (सुरहे हुजरात : २)

- मस्जिदे नबवी की हाज़िरी किसी भी शहनशाह के दरबार में हाज़िरी से बढ़कर है। एक बादशाह के दरबार में बे अदबी से सिर्फ जान का खतरा रहता है। और नबी (स.) के दरबार में बे अदबी से आखिरत की बरबादि का खतरा रहता है। इसलिए वह लोग जो नबी(स.) की अज़मत को समझते थे, उन्होंने नबी (स.) कि ताज़ीम की वह मिसाल कायम की है कि तारीख में और कहीं ऐसी मिसालें नहीं मिलती। इनकी ताज़ीम की चंद मिसाले नीचे दी गई है।
- १. हज़रत उमर बिन आस (रज़ी.) ईमान लाने के पहले नबी करीम(स.) और मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे। नजाशी के दरबार में आप ही मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाने गए थे। आप सख्त जंगजू और इन्तिहाई ज़हीन थे। हज़रत उमर (रज़ी.) के ज़माने में आप (रज़ी.) ही ने मिस्त्र फतेह किया था। हज़रत उमर बिन आस (रज़ी.) कहते हैं कि ईमान लाने के बाद मैंने कभी नज़र भरकर हुज़ूर (स.) के चेहरे अनवर को नहीं देखा। नबी करीम (स.) के दरबार में अदब से हमेशा सिर झुकाए रखता।
- हज़रत इमाम बुखारी(रह.) की हदीस की किताब कुरआन शरीफ के बाद सबसे ज्यादा मौअतबर मानी जाती है। हज़रत इमाम बुखारी(रह.) और हज़ारों अल्लाह वालों ने मदीना शरीफ की मुकद्दस जमीन पर ऐहताराम की वजह से न कभी जुते पहने और न कभी सवारी पर सवार हुए।
- तुर्की के हुक्मराह जिनसे यूरोप और एशिया के मुमालिक कांपते थे, जब मस्जिदे नबवी बनाने का इरादा किया, तो पहले हाफिज़ मर्द और हाफिज़ औरतों को चुना। फिर उनका निकाह किया। फिर उनसे जो औलाद हुई उन्हें भी हुक्मरत की सरपरस्ती में हाफिज़ बनाया और साथ-साथ इमारत बनाने का हुनर सिखाया और माहिर कारीगर बनाया फिर इन माहिर कारीगरों ने दिली एहताराम के साथ दरूद व सलाम और कुरआनी आयात का विर्द करते हुए मस्जिदे नबवी की इमारत को तअमीर किया। पत्थर तराशने का काम शहर से बाहर करते और जब कभी किसी पत्थर को मज़ीद तराशने की नौबद आती तो फिर उसे मदीना मुनव्वरा से १२ मील दूर ले जाकर तराशा जाता है कि नबी करीम(स.) को आवाज़ से तकलीफ न हो।
- मस्जिदे नबवी (स.) एअर कंडीशन्ड है। मगर आज भी इसकी एअर कंडीशनींग मशीन मस्जिद में नहीं है बल्कि मस्जिदे नबवी (स.) से ७ किलोमीटर दूर है और वह मशीनें इतनी दूर से मस्जिद को पार्इपलाईन के जरिए ठंडा करती हैं।


- एक बार एक बुजूर्ग ने मदीना के कयाम के वक्त मदीना के दही की शिकायत की, कि बहुत खट्टी होती है। रात को एक बुजूर्ग हस्ती ने उनको तंबी किया कि अगर आपको यहाँ की दही पसंद नहीं है, तो मदीना से निकल जाओ।

- एक बार मैं मस्जिदे नबवी (स.) में जमात से बहुत पहले पहुँच गया। नमाज़ी कम थें इसलिये मैं पलथी मारकर बैठ गया। जमात का वक्त करीब आया तो मस्जिद भर गई। एक हिंदुस्तानी भाई मुझे हिंदुस्तानी पहचानकर मेरे करीब आये और दरखास्त की, कि अगर मैं दो ज़ानो बैठ जाऊं, तो उनके बैठने

(बाकी पेज 83 पर)



रौज़ा-ए-नबवी (स.) की आउट लाइन (नक्शा)



# दरबारे रिसालत कि पहली हाज़री

## नबी करीम(स.) की अपनी उम्मत से मोहब्बत:-

- मौहसीन इन्सानीयत (स.) जो इस मस्जिद नबवी में आराम फरमां है, वह आपसे वेइन्तिहा मोहब्बत करते है और इसकी गवाही कुरआन शरीफ इन अल्फाज़ में देता है:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا  
عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٨﴾  
(سورة توبه آية ١٧٨)

“ल-कद जा-अकुम रसूलुम मिन अन्फुसिकुम अज़ीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअ-मिनीना रऊफुर्रहीमा।”

“वेशक तुम्हारे पास अल्लाह के पैगम्बर आए है, जो तुम ही में से है। उन पर वह चीज़ें गिरां गुज़रती हैं जिस से तुम को तकलीफ पहुँचे। वह तुम्हारी भलाई का हरीस है। और इमान वालों पर बड़ा शफ़कत करने वाला है।”

(सुरहे तौबा आयत १२८)


- नबी करीम(स.) ने फरमाया: “मुसलमानों में जिसका कोई वारिस नहीं है उसका मैं वारिस हूँ और अगर वह अपना कर्ज चुँकाए बगैर मर जाए, तो मैं उसका कर्ज चुँकाउंगा।” (बुखारी शरीफ)
- एक हदीस का मफहूम है कि “ऐ लोगो! मैं तुम लोगों को कमर से पकड पकड कर जहन्नुम के घड़े से दूर लिए जाता हूँ और तुम हो कि उसकी तरफ लपकते रहते हो।” (मुस्लिम)
- एक हदीस का मफहूम है कि एक मोमिन की जान पर खुद उस मोमिन से ज्यादा मेरा (नबी करीम (स.) का) हक है। (मिशकात)
- आप पर अल्लाह का कितना बड़ा एहसान व करम है कि उसने आप को अपने घर (खाने काबा) के दीवार का शर्फ बख्शा और हज का फरीज़ा अदा करने कि तौफिक अता फरमाई। इसके बाद अल्लाह तआला का मजीद एहसान व करम हुआ कि उसने आप को नबी करीम (स.) की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने और आप(स.) के रोज़े मुबारक के रूबरू खड़े होकर दरूद व सलाम पढ़ने की तौफिक अदा फरमाई तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और दिल की गहराईयों से अदब और एहताराम के साथ मस्जिद नबवी की तरफ कदम उठाएं।

## मस्जिद में दरवाज़ा:-

- 1) अच्छी तरह से नहा धो कर, नया कपड़ा पहन लें। खुशबू लगा लें और दरूद व सलाम पढ़ते हुए मस्जिद नबवी की तरफ चले।
- 2) मस्जिद में दाखिल होते वक़्त दाहिना कदम मस्जिद में रखें और येँ दुआ पढ़ें  
بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي، أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.  
“बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि। अल्लाहुम्मफ-तह-ली अब्बा-ब-रह-मतिका।”  
तर्जुमा : अल्लाह का नाम लेकर दाखिल होता हूँ और रसूल अल्लाह (स.) पर दरूद व सलाम भेजता हूँ। ऐ मेरे रब; मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दीजिए।
- 3) अगर जमाअत का वक़्त न हो तो दो रकअत तहीयतुल्मस्जिद पढ़ लें और अगर जमाअत का वक़्त हो, तो पहले जमाअत से नमाज़ अदा कर लें।
- 4) रौज़ा मुबारक, मस्जिद में किब्ला की तरफ; (जुनूब की सिम्त) है और रौज़ा मुबारक की ज़ियारत के लिए आप को मग़रिब की सिम्त से दरवाज़ा नंबर

एक बाबुस्सलाम से दाखिल होना होगा।

- 5) इंतेहाई अदब के साथ आहिस्ता आहिस्ता दरूद व सलाम पढ़ते हुए आगे बढ़ें। यह अदब का मुक़ाम है। आवाज़ नीची रखें, किसी से ग़ैर ज़रूरी बात चीत से परहेज़ करें और पूरा ध्यान दोनों जहाँ के शहिशाह के सामने अपनी हाज़री पर रखें।
- 6) रौज़ा मुबारक के सामने तीन जालियाँ हैं। मगर आप (स.), हज़रत अबुबक्र सिद्दीक (रज़ी.) और हज़रत उमर फ़ारुक (रज़ी.) आप तीनों हज़रत दरम्यानी जाली के पीछे ही आराम फरमा हैं। अपने रौज़ा मुबारक में हुज़ूर(स.) का कदम मशरक की तरफ, सर मग़रिब की तरफ और चेहरा अनवर का खूब किब्ला की तरफ है (जुनूब की तरफ)। जब आप रौज़े मुबारक के सामने खड़े होंगे तो आप की पीठ किब्ला की तरफ होगी और आप का खूब हुज़ूर (स.) की चेहरा अनवर की तरफ होगा।  
आप के पीछे (शुमाल की तरफ) और कंधों की बराबरी में हज़रत अबुबक्र सिद्दीक (रज़ी.) आराम फरमा हैं और हज़रत अबुबक्र सिद्दीक (रज़ी.) के पीछे (शुमाल की तरफ) और कंधों की बराबरी में हज़रत उमर फ़ारुक (रज़ी.) आराम फरमा हैं।



## हुज़ूर (स.) पर दरूद व सलाम:-

- 9) दरम्यानी जाली में तीन गोल सूराख हैं। पहले सूराख के सामने आप (स.) का चेहरा अनवर है। यहाँ पहुँच कर रुक जाएँ और इस तरह सलात व सलाम पढ़ें।

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ  
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह  
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह  
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह  
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खै-र-खल्किल्लाह

अस्सलामु वस्सलामु अलैका या खा-तमल अम्बिया  
अस्सलामु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अम्बियाए वल मुसलीन व रह-मतुल्लाहि  
व ब-र-कातुहू

रहमत और सलामती हो तुझपर ऐ अल्लाह के रसूल (स.)  
रहमत और सलामती हो तुझपर ऐ अल्लाह के नबी (स.)  
दरुद और सलामती हो तुझपर ऐ अल्लाह के हबीब (स.)  
दरुद और सलामती हो तुझपर ऐ बेहतर अल्लाह कि मखलुफ  
दरुद और सलामती हो तुझपर ऐ खातम-उल-अंबीया(आखरी नबी)  
दरुद और सलामती हो तुझपर ऐ नबियों के सरदार  
और भेजे हुए पैगंबरों को अल्लाह कि रहमत और उसकी बरकत

### हज़रत अबु बक्र सिद्दीक (रज़ी) पर दरुद और सलाम:

क) हज़ूर (स.) पर दरुद व सलाम पढ़ने के बाद एक फुट दाहिनी तरफ बढ़ कर दुसरे सूराख के सामने रुक जाएँ। इस सूराख के सामने हज़रत अबुबक्र सिद्दीक (रज़ी) का चेहरा मुबारक है। यहाँ इस तरह से सलाम पढ़ें।

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ  
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ  
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَزِيرَ رَسُولِ اللَّهِ  
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْغَارِ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ.

अस्सलामु अलैका या अबा बकिरनिसिद्दीक  
अस्सलामु अलैका या खली-फता रसूलिल्लाह  
अस्सलामु अलैका या वज़ी-र-रसूलिल्लाह  
अस्सलामु अलैका या या साहि-ब-रसूलिल्लाहि फ़ील ग़ारी व रह-मतुल्लाहि  
व ब-र-कातुहू।

जनाब अबुबक्र सिद्दीक (रज़ी) आप पर सलाम हो,  
रसूल अल्लाह (स.) के खलीफ़ा आप पर सलाम हो,  
रसूल अल्लाह (स.) के वज़ीर आप पर सलाम हो,  
रसूल अल्लाह (स.) के ग़ार के साथी आप पर सलाम, अल्लाह की रहमतें  
और बरकतें हों।

### हज़रत उमर फ़ारुक़ (रज़ी) पर दरुद व सलाम:—

क) हज़रत अबुबक्र सिद्दीक (रज़ी) पर सलाम पढ़ने के बाद एक फुट दाहिनी तरफ बढ़ें और तीसरे सूराख के सामने रुक जाएँ। इस सूराख के सामने हज़रत उमर फ़ारुक़ (रज़ी) का चेहरा मुबारक है। हज़रत उमर फ़ारुक़ (रज़ी) पर इस तरह सलाम पढ़ें।

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عِزَّ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ  
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَزِيرَ رَسُولِ اللَّهِ  
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ  
وَالْأَزْمَلِ وَالْأَيَّامِ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ.

अस्सलामु अलैका या उ-म-र-ब्निल खत्ताब  
अस्सलामु अलैका या इज़ज़ल इस्लामि वल मुस्लिमीन  
अस्सलामु अलैका या वज़ी-र-रसूलिल्लाह  
अस्सलामु अलैका या अमीरुल मुअ्-मिनीना वल अरामिलि वल अैतामि व  
रह-मतुल्लाहि व ब-र-कातुहू।

आप पर सलाम हो, ऐ उमर बिन अलख़ताब (रज़ी.),

आप पर सलाम हो, ऐ मुसलमानों के अमीर,  
आप पर सलाम हो, ऐ इस्लाम और मुसलमानों की आबरू बढ़ाने वाले,  
आप पर सलाम हो, ऐ फ़कीरों, ज़ईफ़ों, बेवाओं और यतीमों की दस्तगीरी  
और मदद करने वाले और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों।

90) हज़ूर (स.) का इर्शाद है कि जब कोई मुझ पर दरुद व सलाम भेजता है तो अल्लाह तआला मेरी रूह को मेरे जिस्म में वापस भेज देता है और मैं उस का जवाब देता हूँ। (मिशक़ात)

आप (स.) का इर्शाद है कि अल्लाह तआला ने एक फ़रिश्ता मेरी कब्र पर मुक़र्र कर रखा है। दुनिया में जब कोई मुझ पर दरुद व सलाम पढ़ता है तो वह फ़रिश्ता मुझे उस की ख़बर करता रहता है। (तरगीब-रावी हज़रत हसन(रज़ी.)

आप (स.) का इर्शाद है कि फ़रिश्ते दुनिया में सियाहत करते रहते हैं, और दुनिया में जो कोई भी मुझ पर दरुद व सलाम पढ़ता है वह मुझ तक पहुँचाते रहते हैं। - (रावी हज़रत आली (रज़ी.))

इस लिए आप कहीं से भी हज़ूर (स.) पर दरुद व सलाम भेजेंगे वह हज़ूर (स.) को ज़रूर पहुँचेगा और आप (स.) उस का जवाब देंगे। इस लिए रौज़ा मुबारक के सामने सेक्युरिटी गार्ड और लोगों के हुजूम को हटा कर जाली छूने, चूमने, रूकुअ की तरह झुकने और हर तरह की बेअदबी से बचें।



### पेज ६३ का बकिया...मदीना मुनव्वरा के तारीखी मुकामात

आया है। इन मुकामात के कुछ आसार अब भी बाकी हैं। जिनकी फेहरिस्त नीचे दी गई है। मदीना मुनव्वरा में जब आप ज़ियारत के लिए निकलें, तो अपने गाईड को इन मुकामात की सैर कराने का ज़रूर इसार करें।

9) **खाके शिफ़ा:-** इस मिट्टी से हज़ूर (स.) ने इलाज का तरीका बताया था।

2) **कबीला बनी नज़र के मकानात:-** यह हज़ूर (स.) कि वालिदा का कबीला था।

3) **बागे समुन:-** यह उस यहूदी का बाग है जिसमें हज़रत अली (रज़ी.) काम करते थे।

4) **बागे सलमान फारसी:-** इस बाग को हज़ूर (स.) ने हज़रत सलमान फारसी (रज़ी.) को गुलामी से आज़ाद कराने के लिए अपने हाथों से लगाया था।

9) **बैरे खातम:-** इस कुएं में हज़ूर (स.) कि अंगुठी हज़रत उस्मान (रज़ी.) की उंगली से निकलकर कुएं में गिर गई थी और बहुत तलाश के बाद भी न मिल सकी।

8) **बैरे उस्मान:-** इस कुएं को हज़रत उस्मान (रज़ी.) ने खरीदकर मुसलमानों के लिए वक़फ कर दिया था।

9) **कबीले बनु सलमा कब्रस्तान:-** इस कब्रस्तान में हज़रत जिब्रईल (अ.स.) ने अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा करके हज़ूर (स.) के सामने गुफ्तगू की थी।

मस्जिद सबक, कबीले सलमा, मस्जिद बुखारी, कबीला बनु जाफर, कबीला ऐर, जबलै राया इन तारीखे मुकामात के बारे में गाईड से दरयाफ्त करें।



हज़रत जाबीर (रज़ी.) कहते हैं कि रसुले खुदा (स.) ने फर्माया: “सलाम कलाम से पहले है।” (यानी मुलाकात के वक़्त पहले सलाम करें फिर बातचित करें।) (तिरमिज़ी)

आप (स.) ने यह भी फर्माया कि, “पहले सलाम करने वाला तक्कबुर से पाक है।” (बेहकी)



# नबी-ए-करीम (स.) का ईसार और हमारी जिम्मेदारियां

- नबी करीम (स.) की हमसे मोहब्बत की रिवायतें हम ने पिछले सफ़हात में पढ़े। आप (स.) ने हमारे लिए जो तकलीफ़ बर्दाश्त कीं और कुर्बानियां दीं, उस की भी मुख़्तसर तफ़सील पढ़ते हैं।
- नुबूवत के वक़्त नबी करीम (स.) के पास पच्चीस हज़ार दीनार थे। (जो कि पाँच हज़ार पाँच सौ तौले सोना या तक़रीबन नौ करोड़ रूपयों के बैंक बैलेंस के बराबर है।) और अच्छी तरह चलता हुआ मुनाफ़ा बख़्श करेबार था। (एक हज़ार साढ़े तीन आना के बराबर है और सोलह आना का एक तौला होता है।) यह सारी रक़म जो कि आप (स.) ने कारोबार से कमाया था, मुसलमानों के लिए ख़र्च कर दिया। आप (स.) की वफ़ात के वक़्त घर में चिराग़ जलाने के लिए भी तेल न था। माँ आयशा (रज़ी.) ने इंतक़ाल की रात एक पड़ोसी के यहाँ से कर्ज़ लेकर चिराग़ रौशन किया था।
- नुबूवत के चौथे साल नबी करीम (स.) ने जैसे ही ख़ाना काअबा की सिहन में तौहीद का ऐलान किया कुफ़ारे करैश आप (स.) पर टूट पड़े और आप (स.) को बचाने की कोशिश में हज़रत ख़दीज़ा (रज़ी.) के पहले शौहर के बड़े लड़के हज़रत हारिस बिन अबी हाले (रज़ी.) शहीद हो गये।
- अबु लहब और उक्बा बिन अबी मुअ़ीत, नबी करीम (स.) के पड़ोसी थे। एक दीवार का इस के घर से मिलती और उक दीवार उस के घर से। ये दोनों कमीने मुसलसल आप (स.) के घर में गंदगी फेंकते और दरवाज़े पर गंदगी डालते।
- नुबूवत के पहले नबी करीम स. अ. की साहब जादियां हज़रत रुक़ैय्या और हज़रत उम्मे कुलसुम (रज़ी.), अबु लहब के बेटों उक्बा और उतैबा के निकाह में थीं। (ख़ुसूती नहीं हुई थी।) अरब के शरीफ़ घरानों में तलाक़ बड़ी बे-इज़्ज़ती की बात समझी जाती थी। नबी करीम (स.) को ज़हनी अज़ीयत देने के लिए अबु लहब ने बेटों पर दबाव डालकर दोनों को तलाक़ देने पर मजबूर कर दिया। एक मौक़े पर कमीने उक्बा ने नबी करीम (स.) के मुँह पर धूँका और गिरेहबान पकड़ कर ऐसी गुस्ताख़ी की कि नबी करीम (स.) की जुबान से इस के लिए बद्दुआ निकल गई। इस तलाक़ के बाद तक़रीबन दस साल तक हज़रत उम्मे कुलसुम (रज़ी.) बिन ब्याही अपने घर बैठी रहीं।
- नुबूवत के पांचवे साल एक बार आप (स.) हरम शरीफ़ में नमाज़ पढ़ रहे थे। जब आप (स.) सिजदे में गये तो आप (स.) के पड़ोसी उक्बा बिन अबी मंश़ीत ने आप स.अ. की गर्दन मुबारक पर ऊंट की ओझड़ी (आंत) रख दी जो इतनी वज़नी थी कि आप (स.) अपनी गर्दन न उठा सके। जब आप (स.) के घर वालों को ख़बर हुआ तो बीबी फ़ात्मा (रज़ी.) दौड़ी दौड़ी आयीं और गंदगी को गर्दन से उतारा। इस मंज़र को देखकर कुफ़ार हंसते और मज़ाक़ उड़ाते रहे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रज़ी.) कहते हैं कि मैं गुलाम ओर मजबूर था और आप (स.) की मदद न कर सका। आप (स.) की इस हालत पर मुझे बेहद तकलीफ़ हुई।
- एक बार नबी करीम (स.) हरम शरीफ़ में नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज़ की हालत में ही उक्बा बिन अबी मुअ़ीत आया और आप (स.) की गर्दन में चादर फंदा डाल कर पेच देने लगा। गला मुबारक घुटने से आप (स.) की आँखें निकल पड़ी। हज़रत अबु बकर (रज़ी.) ने बीच में पड़कर आप (स.) को फंदे से आज़ाद कराया।
- हज के क़याम में मीना में लोगों का बड़ा मजमअ (भीड़) होता था और आप (स.) अक्सर उन में तब्लीग़ के लिए तशरीफ़ ले जाते। ऐसे मुवाक़अे पर अबु लहब भी पीछे चलता ओर लोगों से कहता कि यह शख़्स लात व उज्ज़ा को छोड़ने की दावत देता है। तुम इस की बात हरिग़िज़ न मानो, न ही इसे सुनों नुबूवत के तेहरवें साल भी आप (स.) मीना तशरीफ़ ले गये और बनी आमिर सअ़सअ़ (क़बीला) को दावते हक़ दी, तो उन्होंने आप (स.) की हिमायत की हामी भरी, मगर तब उनका सरदार बहरा बिन फ़्रास कैशरी आया तो आप (स.) से बड़ी बेखूबी से मिला और कहा, “जाइये और अपनी क़ौम से मिल जाइये”। अगर आप (स.) मेरी क़ौम की अमान मे न होते, तो मैं आप स.अ. का सिर तन से जुदा कर देता”। ये सुन कर हुज़ूर अकरम (स.) उठ खड़े हुए और अपनी ऊंटनी पर सवार हो गये इसके बाद उस बरबख़्त ने आप स.अ. की ऊंटनी के पेट पर इस ज़ोर से डंडा मारा। जिससे वह उछल पड़ी और आप (स.) ऊंटनी की पीठ पर से ज़मीन पर आ गिरे।
- एक सहाबी कहते हैं, कि इस्लाम करने से पहले मैंने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान है ओर लोगों को दावत देता फिर रहा है। सुबह से चल रहा है और कलमे की तरफ़ बुला रहा है। मैंने पूछा, “यह कौन है?” किसी ने कहा यह कुरैश का एक नौजवान मुहम्मद (स.) है, जो बेदीन हो गया है। सुबह से वह नौजवान दावत देता रहा, यहां तक कि सूरज सिर पर आ गया। इतने में एक आदमी ने आकर उसके मुँह पर थूक दिया, दूसरे ने गिरहबान फाड़ दिया, तीसरे ने सिर पर मिट्टी डाल दी और चौथे ने चेहरे अनवर पर थपड़ मारा, लेकिन खूबसूरत नौजवान की ज़बान से बद्दुआ का एक लफ़ज़ न निकला। इतने में एक लड़की ज़ारो क़तार रोती हुई पानी का प्याला लेकर आयी। लड़की को रोता हुआ देखकर आप (स.) की आँखें ज़रा नम हुईं और कहा, “बेटी अपने बाप का गुम न कर तेरे बाप की अल्लाह हिफ़ाज़त कर रहा है, और मेरा कलमा बुलंद होगा। उन सहाबी (रज़ी.) ने किसी से पूछा, “यह लड़की कौन है?” किसी ने कहा इसकी बेटी ज़ैनब (रज़ी.) है। (बसीरत अफ़रोज़ वाक़आत: सफ़हे नंबर २२)
- हुज़ूर करीम (स.) की बड़ी साहबजादी हज़रत ज़ैनब (रज़ी.) जब मक्का से मदीना के लिए रवाना हुयीं, तो रास्ते में मुशिरकों ने घेर लिया। उकरमा बिन अबु जहल और उसके साथियों ने आप (स.) के ऊंट को ज़ख्मी कर दिया जिससे आप ऊंट की पीठ से ज़मीन पर आ गिरीं और ज़ाअे हो गया। सिर में चोट लगी, बहुत सा खून बह गया, और इसी ज़ख्म में कई साल बाद इतक़ाल फ़रमाया।
- नुबूवत के दसवें साल आप (स.) ने तायफ़ का सफ़र किया ताके वहां भी इस्लाम की रोशनी फैलायें। वहां के तीनों सरदार अब्दिया लैल मसऊद और हबीब का जवाब गुस्तख़ाना और तकलीफ़दह था, न वह खुद सुनना चाहते थे और न यह चाहते थे, कि आप (स.) इनकी क़ौम में तब्लीग़ करें। इसलिए शहर के बदमाश और गुंडों को आप (स.) के पीछे लगा दिया कि आप जहां जायें आप की हंसी उड़ायें और आप (स.) जिधर से भी गुज़रें आप पर पत्थर फेंकें आप (स.) दस या बीस दिन तक ये मुसीबतें झेलते और सब्र करते रहे। आख़िरी दिन उन्होंने जुल्म की हद कर दी। वह अपने हाथों में पत्थर ले कर सफ़-ब-सफ़ खड़े हो गये। आप (स.) क़दम उठाते ओर ज़मीन पर रखते तो वह बद्-बख़्त आप (स.) के टख़्नों पर पत्थर मारते। चूंकि क़त्ल का इरादा न था सिर्फ़ अज़ीयत देनी थी इसलिए तीन मील तक वह आप (स.) का इसी

तरह पीछा करते रहे और पत्थर बरसाते रहे, भागते-भागते जब आप (स.) थक कर और ज़ख्मों से चूर होकर बैठ जाते तो फिर वह गुंडे आप (स.) का बाजू पकड़कर खड़ा कर देते, गालियां देते, तालियां बजाते, आवाज़ कसते और वलने पर मजबूर करते और फिर पत्थर की बारिश करते। पत्थरों से इतनी चोटें आयीं कि आप (स.) के नालेन (जूता) मुबारक खून से भर गया। जिस्म ज़ख्मों से चूर हो गया और फिर आप (स.) बेहोश होकर गिर पड़े। हज़रत जैद (रज़ी.) आप (स.) को अपनी पीठ पर उठा कर आबादी से बाहर लाये।

● मक्का में तकरीबन दस साल तक हुजूर (स.) तकालीफ उठाते, जलील हरकतें करते, उबाशों के झण्डे आप (स.) के पीछे आवाज़ें कसते, रास्ते में गिलाज़त ऊपर डाली जाती, रातों में गुज़र गाह में कांटें बिछाये जाते, गालियों से तवाज़ों की जाती, सिरे अकदस पर ख़ाक फेंकी जाती। अबू जहल ने खुद एक बार आप (स.) को पत्थर से हलाक करने की कोशिश कर डाली। इस तरह ऐसी हज़ारों मुसीबतें आप (स.) बर्दाश्त करते रहे। दौरे नुबूत के तेहरवें साल कुरैश के चालीस दरिन्दों ने आप (स.) का शहीद करने के इरादे से रात भर आप (स.) के घर को घेरे रखा। मगर आप (स.) ब-हिफ़ाज़त मदीना हिजरत कर गये।

● गुज़-ए-अहद के दिन अब्दुल्लाह इब्न कुमैय्या ने इस ज़ोर एक हमला किया कि आप (स.) का रूख़सार मुबारक ज़ख्मी हो गया। 'खुद' के दो हल्के (Ring) रूख़सार मुबारक में धंस गये। उल्हा अबी वकास ने पत्थर फेंक कर मारा जिससे नीचे के दंदांने मुबारक शहीद हो गये और होंठ कट गया। अब्दुल्लाह बिन शहाब जौहरी ने पत्थर मारकर पैशानी लहलुहान कर दिया। हज़रत अबु उबैद इब्न ज़र्राह ने 'खुद' के एक हल्के को दांतों से पकड़कर इस ज़ोर का खींचा कि ज बवह रूख़सारे मुबारक से निकला तो हज़रत अबु उबैद इब्न ज़र्राह का दांत भी टूट गया और हज़रत अबु उबैद (रज़ी.) पीठ के बल ज़मीन पर गिर पड़े। इसी तरह जब दूसरा हल्का दांत से पकड़कर खींचा तो इतना ज़ोर से लगाना पड़ा कि हल्का निकालते वक़्त दूसरा दांत भी टूट गया। हुजूर (स.) के ज़ख्मों से खून किसी तरह बंद न होता था। ज़ख्मी हालत में कुछ दूर चले ताकि महफूज़ मक़ाम पर मुंतकिल हो जायें। कि अबु आमिर फ़ासिक के खोदे हुए गड्ढे में गिर गये। जिसे उसने पत्तों से ढांक रखा था। हज़रत अली (रज़ी.) और हज़रत तल्हा बिन अब्दुल्लाह (रज़ी.) की कदद से बड़ी मुश्किल से गड्ढे से निकल कर ऊंचाई पर तशरीफ़ ले गये।

● मदीना मुनव्वरा में भी आप (स.) और आप (स.) के घर वालों को जो भी माले ग़नीमत मिलता सब ग़रीबों पर ख़र्च कर देते। तीन तीन माह घर में चूल्हा जलता, तीन तीन दिन फ़ाक़े होते। रोटी खते भी तो 'जौ' की। हर इंसानों को जहन्नम से बचाने की इतनी फ़िक्र थी कि रात रात भर रो कर दुआएं मांगा करते और इस कदर मशक़ूत उठाते कि वह अल्लाह जिस ने आप स.अ. को पैग़म्बर बनाकर लोगों तक दीन पहुंचाने की जिम्मेदारी दी थी, उसे भी कहना पड़ा कि :

لَعَلَّكَ بِأَخْرَجْتَنِّي مِنَ الْإِيمَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ (سورة مائدة، آية 3)

“ल-अल्ल-क बाख़िउन नफ-सका अल्ला यकूनू मुअ-मिनीना।”

(आप इस तरह मशक़ूत क्यों उठाते हो?) ऐ पैग़म्बर (स.)! शायद तुम इस रंज से कि यह लोग ईमान नहीं लाते। अपने आप को हलाक कर लोगे!

(कुराने करीम, सूरह शौअरा, आयत:३)

● वह जिस के सदके में अल्लाह तआला ने इस कायनात को ज़ीनत बख़्शी। वह जिसका हम पर हमसे ज़्यादा हक़ है। वह शफ़ीक़ हजे अल्विदा के मौके पर जब आप (स.) ने अपने सवा लाख सहाबा (रज़ी.) से पूछा कि क्या मैंने तुम तक अल्लाह तआला के फ़रमान पहुंचा दिया और अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया तो सब ने एक जुबान हो कर कहा कि बेशक़ हम गवाह हैं कि आप (स.) ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया।

● नबी करीम (स.) ने तो अपनी सारी दौलत और आराम व सुकून और सारी जिन्दगी हम तक दीन पहुंचाने के लिए कुर्बान कर दी और अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अब बारी हमारी है कि अपना फ़र्ज़ अदा करें। नबी करीम (स.) का इर्शाद है कि कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे खुद उस की जान से ज़्यादा अज़ीज़ न हो जाऊं। (मुस्लिम-बुखरी)

● जान से ज़्यादा अज़ीज़ होने का क्या मतलब है? कि इंसान को नबी करीम (स.) के हुक़म के ख़िलाफ़ कुछ करने से ज़्यादा आसान जान देना लगे। क्या आप जानते हैं कि नबी करीम (स.) ने हमें क्या हुक़म दिया है?

यह किताब हज के मौजुअ पर है, इस लिए हम इस में नबी करीम (स.) के सारे इर्शादात शामिल नहीं कर सकते। नबी करीम (स.) ने अपने आखिरी हज के मौके पर अर्फ़ा के मैदान में अपने उम्मतियों को जो हुक़म दिया था सिर्फ़ वही यहाँ नक़ल करते हैं। आप (स.) ने इर्शाद फ़रमाया:

“सारे इंसान बराबर हैं। न कोई किसी से बड़ा है न छोटा। अगर कोई किसी से ज़्यादा इज़्ज़त दार है तो वह तक्वा के बुनियाद पर है।

“सारे मुसलमान आपस में भाई-भाई हैं।

“मुसलमानों की जान-व-माल और इज़्ज़त एक दूसरे पर हराम है। कोई एक दूसरे को न जान से मारे, न माल बर्बाद करे, न बेइज़्ज़त करें।

“औरतों से बेहतर सलूक करो। तुम मैं बेहतर वह है जो उसकी बीवी के लिए सब से बेहतर हौं सूद हराम है। न कोई सूद ले, न दे।”

“अल्लाह तआला की किताब और मेरी सुन्नत को मज़बूती से पकड़े रहना। अगर तुम ऐसा करोगे तो कभी गुमराह न होगे। जिन लोगों तक मेरी बात पहुंची है वह उन लोगों तक पहुंचा दें, जिन तक नहीं पहुंची। चाहे वह एक ही आयत क्यों न हो। नबी करीम (स.) ने फ़रमाया कि, ऐ मुआसरूलमुस्लिमीन तीन बातें सीने को पाक रखती हैं। (१) अज़्माल में इख़लास (२) दीनी भाईयों की ख़ैरख़्वाही (३) मुसलमानों का आपस में इत्तेहाद।

क्या हम उन में से एक भी नहीं इर्शाद नबुवी पर अमल करते हैं? क्या हम मुस्तक़बिल में आप (स.) के दूसरे अहक़ामात पर अमल करेंगे।

● एक समझदार के लिए हर दिन जिन्दगी की नई शुरुआत होती है। इस हज के मुबारक सफ़र में जब अल्लाह तआला इंसानों को गुनाहों से बिल्कुल पाक-व-साफ़ कर देता है, हम फिर से अपनी रूहानी जिन्दगी की शुरुआत करें। हम और आप अपने शफ़ीक़ और करीम नबी (स.) के रौज़-मुबारक के सामने यह अहद करे कि जो हो चुका सो हो चुका। इश्शा अल्लाह नई जिन्दगी में आप (स.) के एक बार भी हुक़म की ख़िलाफ़ वर्ज़ी नहीं करेंगे, और पूरे खुलूस के साथ सच्चा पक्का मुसलमान बनने की कोशिश करेंगे।

● हर पीर और जुमेरात के दिन उम्मत के अज़्माल नबी करीम (स.) के सामने पेश किये जाते हैं। हम और आप उस अहद के बाद जो कुछ करेंगे वह नबी करीम (स.) के सामने हर हफ़ता पेश होगी अगर हम आप (स.) के इर्शादात की ख़िलाफ़ वर्ज़ी की तो शफ़ीक़ और करीम (स.) को उससे बड़ी सख़्त तकलीफ़ होगी, और हमारा शुमार भी सच्चे और पक्के मुसलमानों में नहीं होगा बल्कि उन मुशिरकीन और मुनाफ़िकीन की तरह के लोगों में होगा जो जिन्दगी भर नबी करीम (स.) को सख़्त तकलीफ़ पहुंचाते रहे, और अब हम और आप (स.) की आराम गाह (क़ब्रे अनवर) में भी तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं।

इस लिए आईये! हम वतन वापसी के सफ़र के साथ एक नई जिन्दगी की शुरुआत करें जो पूरी तरह नबी करीम (स.) की सून्नत के मुताबिक़ हो।

अल्लाह तआला हमें, आप को और सारी दुनिया के मुसलमानों को दुनिया और आखिरत में सुख़रूह और कामयाब फ़रमाये। आमीन !!



# हज से मुतअल्लिक चन्द मशहूर ग़लतियाँ

- नबी करीम (स.) ने दौलत होने के बावजूद हज न करने वालों से सख्त नारागी का इज़हार किया है। बहुत सारे लोग बहाना करते हैं कि कारोबार संभालने वाला कोई नहीं है। बच्चे छोटे हैं वगैरह वगैरह आज कल कुछ दूर वाले सिर्फ सात से दस दिन में हज कराते हैं। इतने सारे वसाइल और पैसा होने के बावजूद हज न करना एक बहुत बड़ी ग़लती है।
- कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता, मगर फिर भी ह करना चाहते हैं। वह इसके लिए लोगों से पैसा मांगते फिरते हैं। बहुत ग़लती और लोगों को तकलीफ़ देने का काम है। जब आप के पास पैसा होगा तब ही हज फ़र्ज़ होगा। इसके बाद ही हज कीजिए चंदा मांग कर लोगों को परेशान मत कीजिए।
- ऐसा खानदान जो पहले ग़रीब था फिर बच्चे बड़े हुए और रूपया कमाने लगे और हज हो गया। तो हज उस पर फ़र्ज़ होता है जो रूपया कमाता है। अगर लड़का कमाता है तो हज लड़के पर पहले फ़र्ज़ होगा। अगर ऐसा लड़का हज सिर्फ़ मॉ-बाप को कराता है और खुद हज किए बगैर मर जाता है तो गुनाहगार होगा। मॉ-बाप को हज ज़रूर कराएँ मगर हज फ़र्ज़ होते ही खुद भी हज करें वरना गुनाहगार होंगे।
- नबी करीम (स.) की एक हदीस का मफहूम है कि आने वाले ज़माने में लोग तीन वजह से हज करेंगे। अमीर तफ़रीह के लिए हज करेंगे, ग़रीब भीख मांग कर हज करेंगे और दरम्यानी तबके के लोग तिजारत के लिए। इन तीनों वजहों से हज करना बहुत बड़ी ग़लती है।
- उम्रह हज-ए-असगर है और हज, हज-ए-अकबर है। अब यह हज चाहे जिस अदन भी हो, हजे अकबर ही माना जायेगा। सिर्फ़ जुमअे के दिन के हज को 'हजे-अकबर' समझना ग़लत है।
- अपने हज का बार बार तज़क़िरह करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप के हाजी होने का इल्म हो। एक रियाकारी है।
- घर से हज के सफ़र पर कफ़न ले जाना और उस हज का एक हिस्सा समझना ग़लत है। पचास साल पहले सऊदी अरबिया एक ग़रीब मुल्क था। हज का बहरी और रेगिस्तानी सफ़र भी बहुत मुश्किल था। ऐसे में किसी की मौत हो जाये, तो कफ़न का इंतज़ाम मुश्किल होता है। इसलिए हाजी अपने साथ कफ़न रखते थे। आज के दौर में सऊदी अरब दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। सफ़र भी आसान हो गया है। कफ़न अब आसानी से हर जगह मिल जाते हैं। इसलिए कफ़न साथ ले जाना ज़रूरी नहीं रहा। हज के बाद बहुत से लोग अपने इस्तेअमाल शुदा एहराम को अपने कफ़न के लिए महफूज़ कर लेते हैं। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं।
- लोग हज से पहले न हज का तरीका अच्छी तरह सीखते हैं, न हरम के चालीस दिन के क़याम के बारे में मअलूमात हासिल करते हैं। इस वजह से कभी कभी खुद उनकी अपनी ग़लती की वजह से और कभी दूर और हिंदोस्तानी सफ़ारत ख़ाने की मजबूरी या लापरवाही की वजह से हाजियों को सख्त तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। जिसे तकलीफ़ हुई है, पहले इस बात को समझे कि उसे ऐसी तकलीफ़ क्यों हुई? फिर क़ानूनी व दीगर तरीकों से कोशिश करें कि दूसरे हाजियों को फिर ऐसी तकलीफ़ न हो। दौराने हज की अपनी तकलीफ़ों का बार बार बयान करने से लोग सफ़रे हज से ख़ौफ़ज़दा हो जाते हैं, और हज न करने या देर से करने के बहाने तलाश करने लगते हैं। इसलिए अपनी तकलीफ़ों का इस तरह ज़िक्र करना कि कोई

ख़ौफ़ ज़दा हो जाये, ग़लत काम है। हज के सफ़र में जितनी तकलीफ़ आप को होगी अल्लाह तआला उसका अज़र आप को देंगे।

- मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में इबादत का मज़ा और मस्जिदों की पूर नूर फ़िज़ा जन्नत से कम नहीं। इसलिए हज के मुद्दतों बाद तक लोग उसके सरवर और मस्ती में मस्त रहते हैं, और बे इख़्तियारी तौर पर उनके ज़बान से वहाँ की ऐसी तअ़रीफ़ निकलती है, कि दिल वहाँ की इबादत की ख़्वाहिश में तड़पतने लगता है। ग़रीबों के सामने ऐसी तअ़रीफ़ों और बयानात से बचना चाहिए। जिससे उनके दिल अपने मालिक का घर और महबूब का गुम्बद देखने के लिए तड़प जाये और फिर अपनी मजबूरी और बेबसी पर उदास और गुमगीन हो जाये। किसी मोमिन का दिल दुःखाना और तकलीफ़ पहुंचाना बहुत बड़ा गुनाह है।
- हज नमाज़ की तरह एक इबादत है। हज के सफ़र पर, अज़मत, वक़ार, सादगी और आजिज़ी के साथ निकलना चाहिए। फूलों का हार पहन कर ढोल बाजों के साथ घर से निकलना ग़ैर इस्लामी तरीका और रियाकारी है।
- इस्लाम किसी भी औरत को बगैर महरम के, न किसी सफ़र की इजाज़त देता है और न इसके साथ तन्हाई में रहने की इजाज़त देता है। एक औरत चाहे वह किसी भी उम्र की हो, अगर बगैर महरम के हज के सफ़र पर जाती है, तो एक बड़ा गुनाह करती है। और हरम का एक गुनाह एक लाख गुनाहों के बराबर है।
- लोगों के पास हज न करने का एक और बहाना है, कि हमारा पैसा हलाल नहीं है। पहली बात तो यह कि जब पैसा हलाल नहीं था, तो कमाया ही क्यों? और दूसरी बात यह कि हज दौलत आने पर फ़र्ज़ होता है, न कि सिर्फ़ हलाल दौलत के आने पर। जब आप अपनी दौलत से खा पी रहे हैं और बच्चों की परवरिश कर रहे हैं तो हज भी कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो अल्लाह तआला बे नियाज़ भी है और क़हहार और जब्बार भी है। उसे किसी की भी इबादत की ज़रूरत नहीं है और उसने वआदा भी किया है कि मैं जहन्नम को इंसानों और जिननों से भर दूंगा।
- बड़े उम्रह और छोटे उम्रह की कोई हकीकत नहीं है। जो आफ़ाकी हैं उन्हें उम्रह का एहराम 'हील' की बाहरी सरहद (मिक्कात) से बांधना होता है। जो अहले हिल हैं वह हिल की हुदूद में कहीं भी एहराम बांध सकते हैं। जो अहले हरम या मक्की हैं उसका असर उम्रह या हज की फ़ज़ीलत पर नहीं पड़ता। अगर अहले हरम तन्ज़ीम के बदले, जुल्हुज़ैफ़ा जाकर उम्रह का एहराम बांधें, तो यह उनके उम्रह की फ़ज़ीलत तो नहीं बढ़ायेगा अल्बत्ता वक़्त बर्बाद ज़रूर करेगा।

## हज और उम्रह की अदाएगी के दौरान होने वाली बअज़ आम ग़लतियाँ:-

- एहराम की इब्तेदा से मुनासिक हज की इन्तेहा तक इज़्तिबाअ की हालत में रहना। (तवाफ़ के इलावा इज़्तिबाअ करना मकरूह है।)
- एहराम बांधने के बाद नीज़ अरफ़ात व मुज़ल्फ़ा में तल्बिया कहते वक़्त आवाज़ बुलन्द न करना या तल्बिया छोड़ ही देना।
- तवाफ़ या सई के दौरान हर चक्कर के लिए बाअ-ज़ दुआओं को ख़ास करना, जबकि इस दौरान सिर्फ़ यह मशरूअ है कि जो चाहे दुआ मांगे या अल्लाह का ज़िक्र करे या कुर-आन मजीद की तिलावत करे।

- तवाफ के दौरान बुलन्द आवाज़ से मिल कर दुआएँ पढ़ना जो दूसरों के लिए तशवीश का बाअ़स बनती है।
- सफ़ा पर चढ़ते हुए कअबा की तरफ इशारा करना।
- सब्ज़ निशानियों के दरम्यान बाअ़-ज़ औरतों का दौड़ना, जबकि यह हुक्म सिफ़ा मर्दों के लिए है।
- बाअ़-ज़न लोग यह समझते हैं कि 'सफ़ा' से सई शुरू करके वापस 'सफ़ा' पर पहुंचना यह एक चक्कर है, यह सही नहीं है। सही यह है कि जब 'सफ़ा' से शुरू करके 'मरवा' पर पहुंच गया, और जब 'सफ़ा' पर वापस आयेगा तो यह दूसरा चक्कर होगा।
- एहराम से हलाल होते वक़्त सिर का कुछ हिस्सा मुंडवा देना और कुछ को छोड़ देना। या पूरे सिर के बाल मुंडवाने या कटवाने की बजाय चन्द बालों को काट लेना।
- वकूफे अरफ़ात के दौरान दुआ मांगते वक़्त क़िब्ले रख न होना।
- अरफ़ात में दुआ के लिए 'जब्ले रहमत' पर चढ़ने की कोशिश करना।
- अरफ़ात में मिना में और अय्यामे तशरीफ़ की रातों के दौरान बिला मक़सद कामों या बातों में वक़्त जाअ़े करना।
- ऐसा जानवर ज़बाह करना जो कुर्बानी की उम्र को न पहुंचा हो, या ऐबदार जानवर ज़बाह करना या ज़बाह करने के बाद जानवर को फेंक देना।
- अरफ़ा के दिन अस्त्र के बाद बहुत से हाजी कूच की तैयारियों में लग जाते हैं, बावजूद इसके कि यह वक़्त दुआ के लिए अफ़ज़ल तरीन वक़्त है, और इस वक़्त अल्लाह तआला अपने बन्दों का ज़िक्र फ़िक्रिया अंदाज़ में फ़रमाता है।
- बहुत से हुज्जाजे किराम का मुज्दल्फ़ा की रात मगरिब और ईशा की नमाज़ों के लिए क़िब्ले की सिम्त मअ़लूम किये बग़ैर जल्दी करना और इसी तरह फ़ज्र की नमाज़ में भी करना जबकि वाजिब यह है कि क़िब्ला की सिम्त मअ़लूम करने की कोशिश करनी चाहिए या जिसको मअ़लूम हो उससे पूछ लेना चाहिए।
- बहुत से हुज्जाज का मुज्दल्फ़ा से आधी रात से क़ब्ल ही निकल जाना, हालांकि मुज्दल्फ़ा में रात गुज़ारना हज के वाजिबात में से है।
- बअ़-ज़ कुव्वत रखने वालों का किसी दूसरे को रमी जुमार के लिए वक़ील बनाना, जबकि यह इजाज़त सिर्फ़ मअ़जूरों के लिए है।
- जमरात कंकरीयां मारते वक़्त जूतियां या बड़े बड़े पत्थर वगैरह फेंकना।
- बअ़-ज़ हाजी (अल्लाह इनको हिदायत दे) ईद के रोज़ यह समझते हुए दाढ़ी मुंडवाते हैं, कि यह ज़ीनत का बाअ़स है। हालांकि ऐसा करना अफ़ज़ल जगहों और अफ़ज़ल वक़्त में अल्लाह की नाफ़रमानी है।
- बअ़-ज़ औफ़ात हज़रे अस्वद के बोसा के लिए थक्कम पेल करना, जिसमें कभी-कभार लड़ाई, गाली गलौच और दुश्मनी तक जा पहुंचती है।
- बअ़-ज़ लोगों का यह समझना है कि हज़रे अस्वद ब-ज़ाते खुद नफ़ा देता है, लिहाज़ा आप उन्हें हज़रे अस्वद को हाथ लगाकर उसे जिस्म पर मलते देखेंगे। मगर यह जिहालत है। नफ़ा देने वाला सिर्फ़ अल्लाह है।  
हज़रत उमर (रज़ी.) ने हज़रे अस्वद को हाथ लगाते हुए बड़ा तारीख़ी जुम्ला कहा था: "मैं जानता हूँ, कि तुम एक पत्थर हो और अपने तौर पर किसी को नफ़ा या नुक़सान नहीं दे सकते। अगर मैंने रसूल (स.) को तुम्हें बोसा देते हुए न देखा होता, तो तुम्हें कभी बोसा न देता।"
- बअ़-ज़ हाजी साहिबान काबा के तमाम कोनों को छूते हैं और कभी उसकी दीवारों को हाथ लगाते हैं और फिर उनको अपने जिस्म पर फेरते हैं,

हालांकि यह जिहालत है।

- बअ़-ज़ लोग रूकने यमानी को भी बोसा देते हैं और यह ख़ता है इसलिए कि रूकने यमानी को सिर्फ़ हाथ लगाने का हुक्म है, बोसा देने का नहीं।
- बअ़-ज़ हाजी साहिबान हतीम के अन्दर से तवाफ़ करते हैं। यह सही नहीं है।
- बअ़-ज़ लोग मिना में क़याम के दौरान नमाज़े जमा करके पढ़ लेते हैं। यह भी ठीक नहीं।
- बअ़-ज़ हाजी साहिबान सबसे पहले बड़े जम्ह को फिर दरम्यानी जम्ह को और आख़िर में छोटे जम्ह को कंकरीयां मारते हैं। जबकि सही यह है कि इसके बरअक्स तरतीब से कंकरीयां मारी जायें।
- बअ़-ज़ लोग सातों कंकरीयां मुट्टी में लेकर एक ही बार फेंक देते हैं, और यह बहुत बड़ी ग़लती है। अहले इल्म कहते हैं कि अगर किसी ने एक ही बार एक से ज़्यादा कंकरीयां फेंक दीं, तो वह एक ही कंकरी शुमार होगी। वाजिब यह है, कि एक एक कंकरी करके फेंकी जाये जैसा कि नबी करीम (स.) ने किया था।
- काबा से अल्विदा होते वक़्त उसकी ओर हाथ से इशारा करना ग़लत है।

## बच्चे का हज

ना बालिग़ पर हज फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर वह हज करे, तो उसे और उसके वालिदैन को सवाब मिलेगा। अलबत्ता बालिग़ होने के बाद उसे फिर हज करना होगा अगर बच्चा समझदार है, तो वह अपने सरपरस्त की हिदायत और रहनुमाई में खुद हज की नीयत करे और तमाम अरकान जो खुद कर सकता है अदा करे। और जो काम वह नहीं कर सकता वह उस के सरपरस्त करें, जैसे रमी जमार, कुर्बानी वगैरह और अगर बच्चा बहुत छोटा और ना समझ है, तो उसके सरपरस्त उसकी तरफ से नीयत करें और तमाम मुक़ामाते हज पर उसे साथ ले जायें। जो वह कर सकता है उससे करवायें और न कर सकता हो, तो खुद करें अगर बच्चा तवाफ़ व सई करने के क़ाबिल न हो, तो बच्चे को उठाकर तवाफ़ और सई की जाये। अफ़ज़ल ये है, के अपने और बच्चे की तरफ से मुशतरका तवाफ़ व सई न करें बल्कि पहले अपने तवाफ़ और सई करें फिर बच्चे की तरफ से करें बच्चे के एहराम की एहकाम भी बालिग़ के एहकाम जैसे ही हैं।

हज़रत साइब (रज़ी) बिन यज़ीद से रिवायत है कि मेरे बाप ने हज़्जतुल विदा में मुझे रसूल अल्लाह (स.) के साथ हज कराया। उस वक़्त मैं सात साल का था। (बुखारी)

हिकमत व दानाई की बात मोमीन की खोई हुई चीज़ है। लिहाज़ा जहाँ भी उसको पाएँ वह इसका ज़्यादा हकदार हैं।

(तिरमीज़ी-इब्ने माजा-बरिवायत हज़रत अबु हुरैरा(रज़ी..))

# हज का सफ़र किस के ज़रिए करें..?

## (हज कमेटी या टूर)

हज का सफ़र हज के ज़रिए किया जाये या टूर से? यह एक मुश्किल सवाल है, मैं आप से इन दोनों की हकीकत बयान करता हूँ। फ़ैसला आप खुद करें कि सफ़र किस के ज़रिए किया जाये।

सऊदी हुकूमत ने हाजियों की अच्छी मेज़बानी रिहाईश और आसानी के लिए मुंदरजा ज़ैल (नीचे दिये गये) क्वानीन बनाये हैं।

- १) हर हाजी को रहने के लिए १.मी. ग ४ मी. की जगह मिलनी चाहिए।
- २) हर हाजी को पलंग, गद्दा, तकिया और कम्बल मुअल्लिम की तरफ से मिलना चाहिए।
- ३) बस का सारा इंतज़ाम मुअल्लिम करेगा।
- ४) क़ायम गाह में गैस का चूल्हा और गैस पहली बार मुफ्त मिलेगा।
- ५) हर हाजी को उसके कमरे के बाहर ज़मज़म का पानी पीने के लिए मिलेगा।
- ६) हर बिल्डिंग में लिफ्ट होगी।
- ७) हाजी साहिबान सिर्फ़ दो जगह अपना सामान उठायेंगे। एक मक्का में बिल्डिंग की लिफ्ट से अपने पलंग तक और दूसरी जगह मदीना में बिल्डिंग के नीचे से अपने पलंग तक। बाकी एयर पोर्ट तक, बस डिपो या हर जगह मुअल्लिम या एयर पोर्ट के कुली सामान उठायेंगे।
- ८) हज कमेटी के ज़रिए जाने वालों के लिए मक्का शरीफ़ या मदीना मुनव्वरा पहुंचने पर पहले एक वज़त का खाना मुअल्लिम की तरफ से होगा। इसी तरह अरफ़ात के दिन भी दोपहर का खाना मुअल्लिम की तरफ से होगा। ऊपर लिखी हुई सारी ज़रूरियात और सहूलतें मुहैया कराने का काम टूर वाले और हज कमेटी वाले किस तरह अंजाम देते हैं। उसका बयान मुदंजज़िल हैं।

### हरम से नज़दीकी:-

#### हज कमेटी:

हज कमेटी ने हाजियों के रिहाईश गाह के तीन ग्रेड(दर्जे) बनाये हैं।

- १) फ़र्स्ट ग्रेड(ग्रीन): फ़र्स्ट ग्रेड की क़ायमगाहें हरम से ० से १२०० मीटर की दूरी पर होती हैं।
- २) सेकंड ग्रेड(व्हाइट): सेकंड ग्रेड की क़ायमगाहें १२०१ से २००० मीटर की दूरी पर होती हैं।
- ३) थर्ड ग्रेड (अज़ीज़िया): थर्ड ग्रेड की क़ायमगाहें अज़ीज़िया इलाके में होती हैं, जहाँ से सिर्फ़ सवारी से ही आया जा सकता है।

हज कमेटी वाले इस बात की कोशिश करते हैं के वायदे के मुताबिक रिहाईश दें। व अपने वायदों और कोशिशों में ६०: कामयाब भी होते हैं। अलबत्ता कभी कभी रिहाईशी बिल्डिंगों कि कमी की वजह से कुछ हाजियों को वायदे के मुताबिक रिहाईश नहीं मिलती।

#### टूर:-

टूर वाले अक्सर हाजियों का क़ायम बिल्कुल हरम के पास ही रखते हैं मगर टूर वालों के भी ग्रेड होते है। जो बिल्कुल कम रूपयों पर हज कराते हैं, उनकी क़ायम गाहें भी हज कमेटी की दूसरी या तीसरी ग्रेड की तरह दूर होती हैं। और जब कम दाम पर नज़दीक के होटलों में हाजियों को रखते हैं,

वह हज से तीन या चार दिन पहले और हज के तीन या चार दिन बाद तक आरज़ी तौर पर हाजियों को इतनी दूर के होटलों में रखते है कि टैक्सी या बस के ज़रिये हरम आना जाना पड़ता है। यह इसलिए के नज़दीक के होटलों में रिहाईश हज के अय्याम के दौरान बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और गैर मुल्कि अमिर हाजी उसे पहले ही से बुक किये रहते हैं।

मिना में खैमें मुअल्लिम की तरफ से होते हैं। कभी कभी मुअल्लिम और टूर का तालमेल न होने की वजह से टूर के हाजियों को मिना में खैमा भी नहीं मिल पाता। बेचारे हाजियों को दुसरों के खैमों में पाँच दिन गुज़ारने पडते है।

### हाजियों के रहने का म्यार:-

#### हज कमेटी:

सऊदी हुकूमत के कानून के मुताबिक हाजी किसी भी ग्रेड कि रिहाईश वाला हो (याने रिहाईश पास में हो या दूर हो) हर एक को उपर लिखे गये म्यार के मुताबिक सारी सहूलते देना ज़रूरी है और हज कमेटी वाले अपनी पूरी कोशिश करते हैं की उस म्यार को पूरा करें और हकिकत में वह इस कोशिश में ६० फीसद से १०० फीसद कामयाब हो जाते हैं।

#### टूर:

टूर वालों के लिए हज का सफ़र एक कारोबार है और मुनाफ़ा हासिल करने का एक ज़रिया है इस लिए टूर वाले हर जगह रूखा बचाते हैं और सारी सहूलतें आप के पैसे के मुताबिक होती हैं। दरम्यानी और कम खर्च वाले टूरीस्ट बहुत सारे हाजियों को एक ही कमरों में ठहराते हैं, वह भी कभी कभी बगैर पलंग के। अच्छे टूर वाले हर ग्रेड के हाजि को रिहाईश पर अच्छी सहूलत देते हैं आम टूर वाले सिर्फ़ लक्ज़री (Luxury)या (Delux) वगैरा ग्रेड के हाजियों को अच्छी सहूलतें मुहैया होती हैं।

### खाना:-

#### हज कमेटी:

हज कमेटी हज कमेटी तकरीबन २६ हजार रूपयें वापस देकर और क़ायम गाह पर गैस और चुल्हा वगैरा देकर बरी उज़ ज़िम्मा हो जाती है। हाजियों को खरीदकर या खुद पकाकर खाना होता है। हाजी अपनी पसंद आसानी और बजेट के मुताबिक पकाकर या खरीदकर खाते हैं।

#### टूर:

टूर वाले कोई रूपया वापस नहीं करते, खाना टूर की तरफ से होता है, अगर बावर्ची आपके वतन का है और खाना भी अच्छा बनाता है तो खैरियत है वरना चालीस दिन मज़बुरन जो कुछ मिले आपको खाना पडेगा। (मैं एक ऐसे टूर वाले को जानता हूँ जिसने सन् २००७ हिजरी में हाजी औरतों से भी खाना पकवाया था) कुछ अच्छे टूर वाले बहुत अच्छा खाना देते हैं।

### मसलक का मसला:-

#### हज कमेटी:

हज कमेटी से जाने वाले लोग मुख्तलीफ़ इलाको के और मुख्तलीफ़ मसलकों पर अमल करने वाले होते हैं, इसलिए रिहाईशगाह पर भी एक मसलक वालों

की अक्सरियत नहीं होने पाती, मकान का खौफ और मुअल्लिम के आदमियों का डर भी होता है इसलिए सब अपने काम से काम रखते हैं और मसलकी बहस व मुबाहसों में नहीं उलझते हैं।

### दूर:

दूर में अक्सर लोग गुप बनाकर जाते हैं। दूर ऑपरेटर को भी रूपया और खिदमत का मौका देकर एहसान मंद बना चुके होते हैं। होटलों में मुअल्लिम या मकान मालिक का डर नहीं होता इसलिए लोग आपस में बहस और मुबाहिंसा बहुत करते हैं। कुछ मसलक वाले हरम शरीफ के इमाम के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ते, इन लोगों को हरम में ज़मात छूट जाने का डर तो होता नहीं इसलिए कमरें या रिहाइश के हॉल में बहुत वक्त गुज़ारते हैं, मजलिस करते हैं, तकरीर कराते हैं। जिसकी वज़ह से दुसरे मसलक वालों को ४० दिन गुज़ारना मुश्किल हो जाता है।

### हवाई सफर:—

#### हज कमेटी:

हज कमेटी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि हाजियों को ज़र्रा भर तकलीफ न हो, इसीलिए हाजियों की सारी फ्लाइट हिन्दुस्तान से सीधे मक्का शरीफ या मदीना मुन्वरा के लिए होती है। हज कमेटी से जाने वाले हाजियों को हवाई सफर में जो भी तकलीफ होती है वह उनकी अपनी हटडरमी या नावाकफियत या फिर एअर पोर्ट के अमला और एअर इंडीया कि उनकी कारकदर्गी और सियासत की वज़ह से होती है। इसमें हज कमेटी का कोई कसूर नहीं होता।

### दूर:

हज के दिनों में सऊदी अरब कि सारी डायरेक्ट फ्लाइट पहले से रिज़र्व (Reserve) होती है। इसलिए दूर वालों को अक्सर डायरेक्ट फ्लाइट में सीटें नहीं मिलती इसीलिए वह अरब के किसी शहर का पहले टिकट निकालते हैं फिर उसी शहर से सऊदी की टिकट निकालते हैं इसलिए अक्सर हाजियों को कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक अरब के किसी एअर पोर्ट पर रहना पड़ता है और अगली फ्लाइट का इंतज़ार करना पड़ता है। और यह एक बहुत तकलीफ दाह मरहला होता है। जाने और आने में कुछ बड़े दूर वाले जब चार्टर फ्लाइट बुक करते हैं तो यह मसला नहीं होता मगर छोटे दूर वालों के साथ परेशानी का मामला होता ही है। यह मामला हज पर जाने और हज से वापस आने दोनों बार होता है। और दोनों बार (जाते और आते वक्त) जहाज़ बदलते वक्त अक्सर सामान भी छुट जाता है और कई महिनों बाद मिलता है।

### धोका दही:—

#### हज कमेटी:

हज कमेटी से अगर आप का नाम कुर्रा अंदाज़ी में आ गया तो आपका हज के सफर पर जाना यकीनी है।

### दूर:

हज के दिनों में हज के एक वीज़ा की काले बाज़ार में कीमत ८० हजार रूपए से भी ज़्यादा होती है इसलिए ऐसे भी वाक्यात होते हैं की दूर वाले हाजियों से पहले पूरा पैसा ले लेते हैं फिर हज के कुछ दिनों पहले वह सारे पैसे यह कहकर लौटा देते हैं कि विज़ा का इन्तेजाम नहीं हो सका। दरअसल होता यह है कि अगर वह हाजी को हिन्दुस्तान से ले जाकर हज कराकर वापस लाते हैं तो एक हाजी पर तीस हजार से पचास हजार तक मुनाफा कमाते हैं, जब कि अगर वह विज़ा बेच दे तो बगैर मेहनत के हर विज़ा पर ८० हजार

तक मुनाफा होता है। इसीलिए धोकेबाज़ दूरीस्ट काले बाज़ार में विज़ा बेचकर हाजियों का पैसा आखरी दिनों में लौटा देते हैं।

### शिकायत किससे और कहाँ करें?

#### हज कमेटी:

हिन्दुस्तान कि हुदूद के अन्दर हज से मुतालिक सारे इन्तेजामात कि जिम्मेदारी, हज कमेटी ऑफ इंडिया, की है। मगर हिन्दुस्तान से बाहर हज से मुतालिक सारे इन्तेजामात हज कमेटी ऑफ इंडिया के बजाय “हिन्दुस्तानी हज मिशन” नामी इदारा करता है। यह इदारा हिन्दुस्तानी कॉन्सलेट की निगरानी में काम करता है। इसलिए अगर आप को हिन्दुस्तान के अंदर कोई शिकायत हो तो “हज कमेटी ऑफ इंडिया” में शिकायत करें। मगर हिन्दुस्तान के बाहर कोई शिकायत हो तो हिन्दुस्तानी हज मिशन के दफतर में शिकायत करें और वह भी हिन्दुस्तान लौटने से पहले करें। हिन्दुस्तानी हज मिशन और हिन्दुस्तानी सफारत खाना (कॉन्सलेट) के पत्ते और फोन नं. इस किताब के आखरी सफे पर दर्ज हैं। हज कमेटी का पता नीचे दिया है।

चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, हज कमेटी ऑफ इंडिया  
हज हाऊस, ७-ए, एम.आर.ए. मार्ग, पलटन रोड, मुंबई ४०० ००९.  
www.hajcommittee.com,  
Fax: 022 22630461, 22620920, Tel.: 022 22612989 (6 Lines)

### दूर:

दूरीजम एक बहुत बड़ा और अच्छा कारोबार है। उसमें दूर ऑपरेटर बहुत ईमान दारी के साथ ग्राहकों को बेहतरीन खिदमत देते हैं। मगर हाजियों के साथ ऐसा मामला नहीं होता है। इसीलिए के अक्सर हाजी भोले भाले, नेक और शरीफ होते हैं। चूँकि जैसे वह खुद नेक होते हैं वैसे ही वह दुसरो को भी नेक समझते हैं इसलिए वह दूर ऑपरेटरो पर भी भरोसा करते हैं और इसी भरोसे का अक्सर दूर ऑपरेटर गलत फायदा उठाते हैं। (कुछ दूर वालों का म्यार बेहतरीन है और किसी को भी किसी मामले में शिकायत का मौका नहीं देते मगर अक्सर दूर वालों से हाजियों को शिकायत होती है।)

इन दूर वालों का हज दूर के अलावा अक्सर इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, (Foreign Exchange) बैरून मुमालिक में रोजगार दिलाने वगैरा के कारोबार होते हैं। यह एक पावर फुल लॉबी है। या तो यह खुद भाई होते हैं या भाई के भाई होते हैं। इसीलिए किसी शरीफ हाजी की इल्तिजा या एहेतेजाज का इनपर कोई असर नहीं होता अगर किसी को इन से शिकायत हो तो कानूनी कारवाई करें और इस नीयत से करें कि इन्शा अल्लाह आंदा दुसरे हाजी उनकी शरारतों से महफूज़ रहेंगे।

दूर ऑपरेटरो का मुन्दर्जाज़ेल दफतरों से किसी न किसी तरह का रिश्ता या राबता होता है। यह सारी जगहें आम हाजी कि पहुँच से बाला तर हैं। मगर अल्लाह से उम्मीद है कि आप की शिकायत पर किसी न किसी के कान पर जुं ज़रूर रेगेंगी।

ASSOCIATION OF ALL INDIA HAJ UMRAH TOUR ORGANISERS  
Head Office: Post Box No.17377, 2nd Floor,  
Halima Manzil, 4th Gavthan Lane,  
Opp. P.O. Andheri (West), MUMBAI-400 058  
Phone Nos: 26283011-26204886-26204887-26245572  
Fax Nos: 022-2628 8453 & 022-2623 6040  
E-mail: info@aihutoa.com, chairman@aihutoa.com  
Website: www.aihutoa.com

बुनयादी तौर से यह दूर ऑपरेटर के मफाद की हिफाज़त के लिए बनायी गई एक असोसीएशन है। लेकिन हो सकता है हाजियों की मुसलसल शिकायतें पहुँचने पर हाजियों के मफाद के बारे में भी संजीदा हो जाएं।

(बाकी पेज 83 पर)

# सन् १८६८ ई. का एक समंदरी सफरे हज

नवाब सैयद सिद्दिक हसन खान (रह.) सन् १८३२ ई. में पैदा हुए। बचपन में अपने बड़े भाई के पास रहे। उलमा से इब्नेदाई दीनी तअलीम हासिल की। फिर चंद साल कानपुर और फरख आबाद में पढ़ते रहे। आखिर में मुफ्ती सदरुद्दिन खान साहब सदरुस्सदूर देहली के पास हाज़िर हो कर तकमील ए इल्म की। हदीस में वह हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ (रह.) और सौकानी के शागिर्द हैं।

सन् १८६८ ई. में हज किया। इस सफर के मुख्तसर हालात उन्होंने 'इतहाफुल नक्ला' और 'ईज़ाहुल मुहज्जा' में लिखे हैं। फरमाते हैं:

बंदा ए शर्मिदा १३ दिसम्बर सन् १८६८ ई. (सन् २७ शअ्वान १२८५ हिजरी) बाद नमाज़े ज़ोहर घर से बा इरादा ए फरीज़े ए हज बाहर निकला। २४ दिसम्बर (१६ रमज़ान) को नमाज़े अस्र से पहले बम्बई से फतेह सुल्तान नामी जहाज़ में सवार हुआ। जब जहाज़ का लंगर उठाया गया तो हवा अच्छी चल रही थी। इस लिए जहाज़ ने करीब ६० मरहले एक दिन में तय कर लिए। फिर हवा रुक गई। तीन दिन तक सर दर्द रहा और कै होती रही। चौथे दिन तबीअत कुछ संभली। इस जहाज़ में ३०० आदमी सवार थे। हम वुजू और गुस्ल समंदर के खारे पानी से करते और खाना पीना मीठे पानी से, जो हम ने जहाज़ में साथ रख लिए थे। १ जनवरी १८६९ को बाबे सिकंदर (बाब उल मज़हब) से गुज़र हुआ। १० जन्वरी को जहाज़ हदीदा में लंगर अंदाज़ हुआ। अभी हमारे हिसाब से २८ ही तारीख थी कि वहाँ रुकते हिलाल टहर गई। चार व नाचार बंदरगाह के लोगों के साथ इत्तेफाक करना पड़ा। ईद गाह में करीब २००० लोगों के साथ नमाज़े ईद पढ़ी। बक्या कज़ा रोज़े रखे। और १० शव्वाल को वापस जहाज़ पर आना हुआ।

जहाज़ ६ दिन और बंदरगाह में लंगर अंदाज़ रहा और १७ शव्वाल को लंगर उठा। जब जहाज़ चला, राह में फिर हवा बंद हो गई। तीन दिन तक जहाज़ वहीं खड़ा रहा। जब हवा चली तो रात को अब्र व बारों भी आया। जिस से दिन को जहाज़ जितना सफर तै करता, रात को हवा की सिम्त मुखालिफ होने की वजह से फिर पलट आता। ऐसा कई दिन तक होता रहा। कुछ न पूछो क्या हाल हुआ? न पानी बाकी रहा न खाना। सिर्फ एक वक़्त आधा पाव खिचड़ी और दो घूंट पानी बा मुश्किल मिलते थे। दम घुट कर नाक में आ गया। "हिस्ने हसीन" का खतम किया। हवा चली और जहाज़ रवाना हुआ। एक अंधेरी रात में जहाज़ किसी पहाड़ से टकराते टकराते बचा। वह तूफानी रात शबे हिज्ज से ज़्यादा सियाह, सख्त व दराज़ थी। सनीचर के दिन जहाज़ में जिल्कअदा का चांद दिखाई दिया। चार जिल्कअदा को 'यलम लम' पहाड़ी (मीकात) का सामना हुआ। बाद नमाज़े फज़र नहा थो कर उम्रह का एहराम बांधा। हज्जे तमत्तअ की नीयत की। अल्लाह अल्लाह करके जहाज़ २१ फरवरी (६ जी-कअदा) को जिदाह बंदरगाह पर लंगर अंदाज़ हुआ। जान में जान आई। हदीदा से जिदाह का सात दिन का बहरी रास्ता तकरीबन एक माह में तै हुआ। जिदाह में तीन दिन क़याम रहा। १४ जी-कअदा को महसूल जमरक (जंग) दे कर आगे बढ़े। आधी रात को अपने एक साथी सैयद अबू बक्र के साथ बाबुस्सलाम से मस्जिद उल हराम में दाखिल हुए।

खाना ए काबा पर निगाह पड़ते ही सारी तकलीफे राह व मसाईबे सफर व मताइबे बहर व बर भूल गए। आमाले उम्रह तरतीब वार अदा किए। भीड़ न होने की वजह से हज्जे अस्वद का बोसा हर चक्कर में बा खूबी मयस्सर आया। सई के बाद शब हरम में ही बसर की। सुबह अव्वल वक़्त में मुसल्ला ए शाफई पर फज़र की नमाज़ पढ़कर मंजिल पर आना हुआ। २६ जिल्कअदा (१३ मार्च) को काज़ी के सामने चांद देखने की शहादत गुज़री। मगर में ने या किसी मुसाफिर ने चांद नहीं देखा।

८ जिल्हिज्जा को हज का एहराम बांध कर मिना पैदल गए, फिर वहाँ से सवारी के ज़रिए गए। अरफात में कबले वकूफ सारी "हज़फुल आजम" पढ़ी। बाद

मगरिब मुजल्फा की तरफ कूच किया। अरफात व मिना में बा औकाते फुरसत किताबत भी की। १३ जिल्हिज्जा को मिना से मक्का आना हुआ। १५ सफर १२८६ हिजरी सन (२७ मई १८६९ ई. सन) को काफिला मदीना की तरफ चला। खिलाफे आदत २० दिन में पहुँचा। एक हफ्ता क़याम हुआ। मस्जिदे नबवी मआ मरक़द व मुतहहर व दीगर मज़ारात ए बकी व शोहदा ए उहद वगैरा मयस्सर आया। वापसी में खास मदीना से उम्रह का एहराम बांधा। १२ दिन में काफिला मक्का पहुँचा। उस वक़्त भी निस्फ शब थी। मुताफ व सई को खाली पाया और इस को गनीमते बारदा समझा। मुहल्लाह हिंदी में क़याम था। हरम में आने जाने के लिए बाबुज़्जियारा था।

मक्का मदीना में कुल क़याम तकरीबन चार माह का रहा। वापसी में फैजुल बारी नामी जहाज़ मिला। इस में नौ सो आदमी सवार थे। इस का लंगर भी हदीदा में तीन दिन रहा। इस बंदरगाह का मुअब्बिर निहायत बदतर है। वहाँ से चल कर अदन तक ऐसी गर्मी हुई के सारे बदन पर दाने हुए। अदन से आगे बारिश का मौसम मिला। करीब ए बम्बई तूफान ने जहाज़ को तह व बाला करना शुरू कर दिया। तूफानी मौजों ने मुसाफिरों के औसान खता कर दिए। २२ दिन में जिदाह से बम्बई पहुँचा। बारिश की वजह से बड़ी मुश्किल से जून के दूसरे हफ्ते में भोपाल पहुँचना हुआ। सारी मुद्दत इस सफर की सात माह है।

(बा शुक्रिया : माहनामा हज मेगज़ीन, मुंबई)

यह था अपने ज़माने के एक नवाब का हज का सफर। पहले ज़माने में नवाबों को भी हज के सफर में जो तकलीफ होती थी, इस नाए ज़माने में क्या इस का एक फीसद भी किसी को तकलीफ होती है? इस लिए इस मज़मून को कई बार पढ़ कर ज़हन नशीन कर लीजिए। फिर आप के अपने सफर में आप को अगर कोई तकलीफ हुई, तो आप शिकायत के बजाए अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे।

अल्लाह तआला आप का सफरे हज आसान और खैर व आफियत वाला बनाए और आप को हज्जे मबरूर अता करे। आमीन



## बद नसीब कौन ?

हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ी.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने ईशाद फरमाया: "अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कहता है कि जिस बन्दे को मैं ने सेहत और तन्दुरुस्ती बख्शी और राजी में फराखी और कुशादगी दी और फिर पांच साल की मुद्दत गुज़र जाए मेरे पास ना आए तो ऐसा शख्स मेहरमुल किस्मत और बद किस्मत है।"

तशरीह: तन्दुरुस्ती और रोज़ी की कुशादगी अल्लाह तआला की बहुत बड़ी नेअमत है। यह दोनों नेअमतें जिसे हासिल हों उस को ज़्यादा से ज़्यादा खुदा से तअल्लुक जोड़ना चाहिए, और कौलन व अमलन हर तरह से शुक्रगुज़ार बन्दा बनना चाहिए। लेकिन यह बन्दा नेअमतें पाकर एक दिन या एक हफ्ता या एक दिन या एक महीना या एक साल नहीं बल्कि पांच पांच साल तक खुदा के पास यानी बैतुल्लाह हज के लिए नहीं जाता तो इस से ज़्यादा महस्मी की बात क्या होगी? उसे जानना चाहिए कि जिस ने उस को सेहत दी है वह छीन भी सकता है। और जिस ने उस को रिज़्क की कशाइस से नवाज़ा है उसे पल भर में दाने दाने का मोहताज बना सकता है। इस सेहत और दौलत को गनीमत समझें और जल्द अज़ जल्द फरीज़ा ए हज से फारिग हो। मालूम नहीं कि आईदा यह नेअमतें उसे हासिल भी रहेंगी या नहीं।

(तरगीब बहवाला इब्ने हब्बान)

# हज और उमराह की बरकतें

- हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि नबी करीम (स.) ने अर्ज किया, “हुज़ूर मैं कमज़ोर भी हूँ और बुज़्दिल भी।” फरमाया, “तू ऐसा जिहाद किया कर जिस में कांटा भी न लगे।” उस ने अर्ज किया, “ऐसा कौन सा जिहाद है जिस में तकलीफ ना पहुँचे?” फरमाया, “हज किया करा।” (तिबरानी)
- हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने फरमाया, “जिस ने हज किया और कोई बे हयाइ का काम नहीं किया और फस्क व फुज़ूर से दूर रहा तो वह गुनाहों से इस तरह पाक हो जाएगा जैसे आज ही पैदा हुवा है।” (बुखारी, मुस्लिम)
- हज़रत अबूज़र खुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने इरशाद फरमाया, “अल्लाह तआला फरमाता है कि जिस बन्दे को मैं ने सेहत और तन्दुरुस्ती बख्शी और रोज़ी में फराखी और कुशादगी दी और फिर पांच साल की मुद्दत गुज़र जाए और मेरे पास ना आए तो ऐसा शख्स महरूमल किस्मत और बद किस्मत है।” (तरगीब व तरहीब, बहवाला इब्ने हब्बान, ज़ादे राह ५८)
- हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलल्लाह (स.) ने फरमाया, “पै दर पै हज व उमरह किया करो, क्यूंकि हज व उमरह दोनो मुफलिसी व मोहताजी और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह लोहार और सुनार की भट्टी लोहे और सोने चांदी का मैल कुचैल दूर कर देती है। और हजे मबरूर का सिला और सवाब तो बस जन्नत ही है।”  
(जामे तिरमिज़ी, सुनन नसाई, बहवाला मआरिफुल हदीस पेज १६६)
- हम में से अक्सर बहोत ज़्यादा बहादुर नहीं है, कमज़ोर हैं, गुनाहगार हैं। अल्लाह ने जो भी माल व दौलत दिया है उस से बहोत ज़्यादा कमाने की तमन्ना भी है और हज ना करने पर अल्लाह तआला की तरफ से लअनतें भी है। इस लिए जहाँ तक मुस्किन हो हज जल्द अज़ जल्द कर लेना चाहिए। हज के बाद अल्लाह तआला की जो बे पनाह रहमतें नाज़िल होती हैं इन का कुछ ज़ाती मुशाहिदा मन्दर्जा ज़ैल है। हज और उमरह ज़िन्दगी में खुशहाली का सबब बनते हैं इसलिए इस मौजूज़ को हम ने इस किताब में शामिल किया है।
- एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि अगर बन्दे को एक पहाड़ के बराबर (या एक वादी के बराबर) सोना मिल जाए तो दूसरे पहाड़ की तमन्ना करेगा। यही हाल मेरा था। २००४ ई.सन में अल्लाह का करम था कि मेरी माली हालत अच्छी थी मगर और ज़्यादा की तमन्नाएँ भी थीं जो पूरी नहीं हो रही थीं। हज करने के बाद अल्लाह ने करम किया और ज़िन्दगी एक दम चमक गई। मिसाल के तौर पर मेरे कारखाने की इमारत को रंग लगाए काफ़ी अरसा गुज़र चुका था, दीवारें काली हो गई थीं। हज के बाद एक पेंटर मिला जिस ने मअमूली उजरत पर सारे कारखाने को रंग दिया। और यही काम हज के पहले लाख कोशिश के बा-वजूद किसी ना किसी वजह से टलता रहा।  
हज के बाद अल्लाह तआला ने १७ मंज़िले पर बेहतरीन फ्लैट अता किया। हज के बाद मेरा कारोबार हर साल तकरीबन ८० से १००% बढ़ जाता, इस तरह ४ साल में तकरीबन चौगुना होने के बाद तरक्की की रफतार रूक गई। यही तजुरबा मेरे कई दोस्तों का रहा। मिसाल के तौर पर मेरे दोस्त यूनुस भाई ने हज के बाद तीन महीनों में इतना कारोबार किया जितना वह साल भर में करते थे। आज उन के पास पूना शहर के आस पास करोड़ों की जायदाद है। और तरक्की की यह उछाल उन्हें हज के बाद हासिल हुई।  
इसी तरह मेरे कई दोस्त हैं जिन की खुशहाली हज के बाद हज के बाद बहोत बढ़ी। मगर जिस तरह इस अज़ीम इबादत का सवाब और बरकतें बे-पनाह हैं उसी तरह इस अज़ीम इबादत में अगर कुछ लापरवाही की जाए या मन मानी की

जाए तो लअनतें भी बेपनाह हैं। मैं तीन मिसालें आपके सामने बयान कर रहा हूँ ताकि आप इस अज़ीम इबादत के वक्त इन्तेहाई एहतेयात से काम लें।

- निसार शेख मेरे अच्छे दोस्त हैं। उन का भी मशीनें बनाने का कारखाना है। पिछले कुछ सालों से उन का कारोबार अच्छा चल रहा था। इस खुशहाली में उन्होंने ने घर तअमीर किया, अपनी शादी की और वालिदेन के साथ हज भी किया। मगर किसी वजह से वह मक्का और मदीना शरीफ में इमाम के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ते थे और कई बार हरम की सेक्यूरिटी वसलों से खूब बहस भी की। हज के बाद उन के हालात बदल गए। उन की बनाई मशीनों में खराबी आने लगी। वक्त पर माल नहीं दे पाते, माली हालत इन्तेहाई खराब हो गई। लोगों के कर्ज़ के नीचे दब गए। मेरा भी कुछ कर्ज़ उन पर बकाया है। और अब वह मुंह छुपाए फिरते हैं।
  - जियाउद्दीन अन्सारी का प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) का कारोबार था। मसलक के मसले में उन्होंने ने भी हरम की सारी नमाज़ें अकेले पढ़ीं। वतन वापसी पर वह कारोबार में भी अकेले रह गए। उन का सारा कारोबार भांजे भतीजे चलाते थे और साल में तकरीबन ८० लाख का कारोबार करते थे। मगर हज के बाद एक एक कर के सारे मुलाज़िमो ने अपना खुद का कारोबार शुरू कर दिया। अब अन्सारी साहब मक्की मारते हैं। कुछ दुकानें किराए पर दी हुई है उन की आमदनी से घर का खर्च चलता है।
  - इरफान शेख ने हरम में जमाअत से नमाज़ पढ़ने से परहेज़ किया। हज के बाद माली हालत तो खराब नहीं हुई मगर हज के बाद अब खाने पीने में बहोत परहेज़ करते हैं। हज के पहले नए नए ऑर्डर के लिए सफर करते थे, अब नए नए डाक्टरों की तलाश में घूमते हैं।
- इस लिए बरकत के लिए बार बार हज और उमरह कीजिए, इन्शा अल्लाह बहोत बरकत होगी। मगर दिन के उसूलों का और हरमैन शरीफैन के एहताराम का बहोत ज़्यादा खयाल रखिए। (ऊपर बयान की गई तीनों मिसालों में मैं ने नाम तबदील कर दिए हैं वरना वह लोग डंडा ले कर मेरे पीछे दौड़ पड़ेंगे।)



हजरत मुहम्मद (स.) ने कहा कि, ‘मुसलमानों के शासन में मुसलमान शासकों का यह कर्तव्य है कि गैर-मुस्लिम जनता के जान, माल और सम्मान की रक्षा करें। अगर कोई मुसलमान एक गैर मुसलमान की जायदाद जबरदस्ती ले लेता है, या उनका शोषण करता है, या उनको कोई तकलीफ देता है तो क़्यामत के दिन जब ईश्वर के सामने सब को अपने कर्मों का हिसाब किताब देना होगा, उस दिन मैं (हजरत मुहम्मद) उस गैर-मुस्लिम की तरफ से अल्लाह के न्यायालय में उस मुसलमान के विरुद्ध मुकदमा लूँगा।’  
(अबू दाऊद, सफीना निजात १५१)



# सफरे हज में पढ़ी जाने वाली मसनून दुआएँ

नं.	दुआ पढ़ने का मौका	अरबी में दुआ	हिंदी में दुआ	तर्जुमा
१.	घर से निकलते वक्त की दुआइसे वतन, हरम और हर जगह पढ़ें।	بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلَا حَوْلَ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .	बिस्मिल्लाही तवक्कल- तु अलल्लाही, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।	शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, मेरा अल्लाह तआला पर ईमान और उसी पर भरोसा है। और गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है जो बड़ी शान वाला और अज़मत वाला है।
२.	सवारी पर सवार होते वक्त की दुआ	سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ	सुब्हानल्लजी सख्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरेनीना व इन्ना इला रब्बना लमुन्कलिबूना।	अल्लाह तआला की ज़ात हर किस्म के ऐबों और नुकस से पाक है जिस ने यह सवारी हमारे काबू में करदी। वरना हमारे पास इस को काबू में करने की ताकत नहीं थी। और हम एक दिन हमारे परवरदिगार की जानिब यकीनन वापस लौटने वाले हैं। (सूरह जुब्बफ, आयत १३-१४)
३.	जब जहाज़ रवाना होने लगे	بِسْمِ اللَّهِ مُجْرَهَا وَمُرْسَهَآ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ	बिस्मिल्लाही मुज्रेहा व मुर्साहा इन्ना रब्बी ल-गफूररहीम	जहाज़ों का चलना और ठहरना अल्लाह ही के नाम की बरकत से है। बेशक मेरा रब बख़्शने वाला और रहम करने वाला है। (सूरह हूद, आयत ४१)
४.	उमरह करने की नीयत	اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِي وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي	अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उमरता फ-यसिर-हा-ली व तकब्बल-हा मिन्नी।	मैं उमराह की नीयत करता हूँ/करता हूँ। पस इस को मेरे लिए आसान फरमा और मेरी जानिब से कुबूल फरमा ले।
५.	तलबियाह	لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ، لَا شَرِيكَ لَكَ	लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लब्बैक ला- शरीका लका लब्बैक। इन्ल हम्दा वन्निअम -ता लका वल्मुल्का।	हाज़िर हूँ मेरे मौला हाज़िर हूँ। हाज़िर हूँ आपका कोई शरीक नहीं हाज़िर हूँ। सारी हम्द व सताइश के आप ही सज़ावार हैं। और सारी नेअमते आप ही की हैं। और सारी कायनात में हुक्मत भी आप ही की है। आप का कोई शरीक नहीं।
६.	मक्का शहर में दाखिल होते वक्त की दुआ	اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، جِئْتُكَ الْوَدَى فَرَضَكَ وَأَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَالتَّمَسُّ رِضَاكَ مُتَبِعًا لِمَرْكَ رَاضِيًا بِبِقَائِكَ	अल्लाहुम्मा अन्ता रब्बी व अना अब्दुका। जेअतुल उअदी फर्ज़का व अतलबु रह-म-त-का वल तमिसु रिज़ाका मुत्तबि अल लि-अम्रिक, राज़ियम बिबकाइका।	या अल्लाह आप मेरे रब हैं और मैं आपका बन्दा हूँ। आपका फर्ज़ “हज्जे बैतुल्लाह” अदा करने आया हूँ, और आपकी रहमत की तलब में आया हूँ। आप मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खाल दीजिए और मैं आपकी हमेशा रहने वाली ज़ात के पास आपके हुक्म की इत्तेबा करते हुए आपकी रज़ामन्दी तलाश करने आया हूँ। आप मुझ से राज़ी होकर अपनी रज़ा का एलान कर दीजिए।
७.	मस्जिदे हरम और किसी भी मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ	بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.	बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मफ् तह-ली अब्बावा रह-म-तिक।	अल्लाह का नाम ले कर दाखिल होता हूँ और और रसूल अल्लाह (स.) पर दरूद भेजता हूँ। मेरे रब मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दीजिए।
८.	खाना-ए-काबा पर पहली नज़र पड़े तो यह दुआ पढ़ें।	اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	अल्लाहु अक्बर। ला इलाहा इल्लल्लाह।	अल्लाह सब से बड़ा है। नहीं है कोई मअबूद सिवाय अल्लाह के।

नं.	दुआ पढ़ने का मौका	अरबी में दुआ	हिंदी में दुआ	तर्जुमा
	दुआ के बजाए आप तकबीर तशरीक भी पढ़ सकते हैं।	اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.	अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर। अल्लाहु अक्बर व लिल्लाहिल हम्द।	अल्लाह सब से बड़ा है, अल्लाह सब से बड़ा है। नहीं है कोई मअबूद सिवाय अल्लाह के। और अल्लाह सब से बड़ा है, अल्लाह सब से बड़ा है। और तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं।
६.	तवाफ की नीयत	اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ، سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ لِلَّهِ تَعَالَى، فَيَسِّرْهُ لِي، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي.	अल्लाहुम्मा उरीदु तवाफा बैतिकल हराम। सअता अश्वतिल लिल्लाहि तआला। फ-यस्सिर्हु ली व तकब्बल-हु मिन्नी।	ऐ अल्लाह! मैं आपके इस हुरमत वाल घर का तवाफ आपकी रजा और खुशनुदी के लिए कर रहा हूँ, आप इस को मेरे लिए आसान फरमा दें और मेरी जानिब से कुबूल फरमा लें।
१०.	तवाफ के चक्कर शुरू करते वक्त की दुआ या तकबीर	بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ	बिस्मिल्लाही अल्लाहु अक्बर व लिल्लाहिल हम्द।	शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अल्लाह सब से बड़ा है और सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं।
११.	तवाफ करते वक्त पढ़ने की आसान तस्बीह (तीसरा कल्मा)	سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ. وَلَا حَوْلَ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.	सुब्हानल्लाही वल हम्दु लिल्लाही। व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिथिल अज़ीम।	पाक है अल्लाह की ज़ात। सारी तारीफों की मुस्तहिक ज़ात अल्लाह तआला ही की है और अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं और अल्लाह बड़ा है। और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है जो बड़ी शान वाला और अज़मत वाला है।
१२.	रुकने यमानी और हज़े अस्वद के दरमियान पढ़ने की आसान दुआ	رَبَّنَا اتِّسَأَلِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ	रबना आतिना फिहुन्या ह-स-न-तंव व फिल आखिरति ह-स-न-तंव व किना अज़ाबन्नारं	ए हमारे रब हमें दुनिया में भी भालाई अता फरमा और आखिरत में भी और हम को दोज़ख के अज़ाब से बचाले। (सूरह बकरह, आयत २०१)
१३.	मकामे इब्राहीम पर यह दुआ पढ़ें।	وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى	वत्खिजु मिम मकामे इब्राहीमा मुसल्ला।	तुम मकामे इब्राहीम के पास अपना मुसल्ला बनाओ। (सूरह बकरा: १२५)
१४.	ज़म ज़म का पानी पीते वक्त यह दुआ पढ़ें।	اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ	अल्लाहुम्मा इन्नी अस-अलुका इल्मन नाफिअंव व रिज़्कन वासिअंव व शिफाउम् मिन कुल्ली दा।	ए अल्लाह! मुझे नफा वाला इल्म दे, रिज़्क में वुस्अत और फराखी दे और हर बीमारी से शिफा अता फरमा।
१५.	सफा और मरवाह पर सई के लिए जाते वक्त यह दुआ पढ़ें।	أَبْدًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ، إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ.	अब्द-उ बिमा बदाउल्लाहु बिहि। इन्नस्सफा वल मर्वता मिन शआइरिल्लाह।	इब्देदा करता हूँ मैं उस से जिस से इब्देदा की है अल्लाह तआला ने। यकीनन सफा और मरवाह अल्लाह तआला की निशानियों में से है। (सूरह बकरह, आयत १५८)
१६.	सई की नीयत	اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ لِرَجَائِكَ الْكَرِيمِ، فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي	अल्लाहुम्मा उरीदुस सअ्या बैनस्सफा वल मर्वता सअता अश्वतिल लि वज- हि -कल करीम। -यस्सिर्हु ली व तकब्बल-हु मिन्नी।	ए अल्लाह! मैं सफा और मरवाह के दरमियान सात चक्करों से सई करना चाहता हूँ। महज़ तेरी ज़ाते बुजुर्ग की रजा के लिए। पस मेरे लिए सई करना आसान फरमा और कुबूल फरमा।

नं.	दुआ पढ़ने का मौका	अरबी में दुआ	हिंदी में दुआ	तर्जुमा
99.	सफा और मरवाह पर यह (चौथा कल्मा) पढ़ें, (और तीसरा कल्मा भी पढ़ें जो ऊपर 99 वीं दुआ में बयान हुआ है।)	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَ لَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.	ला इलाहा इलल्लाहु वह-दहू ला शरी- क- लहू लहुल मुल्कु व-ल -हुल हम्दु, युहयी व युमीतु बि-यदिहिल खैर। व हुवा अला कुल्लि शइ-इन कदीर।	नहीं है कोई मअबूद मगर अल्लाह। वह एक है। उस का कोई शरीक नहीं। उसी की बादशाहत है, और सब तारीफ उसी के लिए है, वही जिंदा रखता है और वही मौत देता है और वह हर चीज़ पर कादिर है।
9८.	सई के दौरान पढ़ने की दुआ	رَبِّ اغْفِرْ، وَارْحَمْ، أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ	रब्बिग फिर। वर-हमा। अन्तल अ-अज्जुल अकरम	ए मेरे रब तू मुझे बख्शा दे और रहम फरमा, तू जबरदस्त बुजुर्गी वाला है।
9६.	हज की नीयत	اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهَا لِي وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي	अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा-फ-यस्सिर्हा ली व तकब्बल-हा मिन्नी।	ए अल्लाह मैं हज की नीयत करता हूँ, इसे तू मेरे लिए आसान कर और कुबूल फरमा।
२०.	शैतान को कंकरी मारते वक्त पढ़ने वाली तकबीर	بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ، رَعْمًا لِلشَّيْطَانِ وَرَضَى لِلرَّحْمَانِ	बिस्मिल्लाही अल्लाहु अक्बर। रगुमा लिश्शैतानी व रजियल लिर्हमान।	मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। अल्लाह सब से बड़ा है। यह कंकरी शैतान को ज़लील करने और अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए मारता हूँ।

### पेज 69 का बकिया...मदिना मुनव्वरा का सफर

की जगह निकल आएगी। दो ज़ानों पर ज़्यादा देर बैठना आसान नहीं है। इसलिए मैंने इन्कार किया और वह चले गए मगर इसके बाद बगैर किसी वजह के मुझे बहुत गुस्सा आया और दिल बार बार चाहता था कि मैं मस्जिद से निकल जाऊँ और कहीं दूर जाकर सुकून से नमाज़ पढ़ूँ।

एक असें बाद जब मैं उस वाकिआ को सोचता हूँ, तो मुझे एहसास होता है, कि नबी करीम (स.) के मेहमान को इन्कार करने पर मुझपर लानत हो रही थी और मैं खुद मस्जिद से निकाला जा रहा था। अल्लाह तआला मेरी उस गलती को माफ करें।

मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी (स.) दोनों जगह मुझसे कुछ गलतियाँ हुईं और मुझे फौरन सज़ा का एहसास हुआ। इससे मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि इन दोनों मस्जिदों में हमें अपनी आसानी और आराम से ज़्यादा दूसरों नमाज़ियों की आसानी और आराम का ख्याल रखना ज़रूरी है। क्योंकि वह अल्लाह और उसके रसूल (स.) के मेहमान हैं और अगर हमने ऐसा नहीं किया, तो हम इस गुमान में रहेंगे कि उस मुकद्दस मुकाम पर हम खूब सवाब कमा रहे हैं, जबकि हकीकत में हम पर लानत बरस रही होगी।

- नबी करीम (स.) के रोजे मुबारक पर जब हाज़िरी दें, तो इन्तिहाई अदब से हाज़िरी दें। किसी तरह की बातचित से परहेज़ करें और दूसरों का ख्याल अपने आप से ज़्यादा रखें। क्योंकि वह सारें हाजी नबी करीम (स.) के मेहमान हैं।

### i \$ 78| s/kx-s-gt dkl Qj fdl d st #, dj 8

**Ministry of External Affairs (MEA) Govt. of India**  
Administrative officer/Under Secretary (Haj cell)  
Akbar Bhavan, New Delhi.  
E-mail: aohaj@mea.gov.in  
Website: http://meaindia.nic.in

यह हिन्दुस्तानी हुकूमत का एक दफ्तर है। जहाँ सारें दूर ऑपरेटरज़ को अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है।

#### **Moassasa Mutawaffy hujjaj (South Asia countries)**

Second Ring Road, Al-Rusifa Makka Al Mukarammah  
(Kingdom of Saudi Arabia) Tel:5342144  
Fax No. 009662-2-5342182

यह सऊदी हुकूमत का दफ्तर है जो जुनुबी एशिया से हज और हाज़ियों से जुड़े मामलात पर नज़र रखता है। इनकि नज़र दूर ऑपरेटरों पर भी होती है।

आपकी शिकायत का आख़री पत्ता पुलिस चौकी है। मगर वहाँ कदम रखने से पहले ज़रा अपनी आप का जायज़ा ले लें। क्योंकि यहाँ के कानून कुछ कुछ जंगल से मिलते जुलते हैं। वहाँ जीत उसी की होगी जिसमें देर तक और दूर तक आने कि ताकत होगी।



नबी करीम (स.) ने फ़रमाया: “अल्लाह तआला फ़रमाता है, कि ऐ औलादे आदम! तू मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर ले, मैं तेरे सीने को गिना से भर दूंगा और मुश्किलात को आसान करूंगा, और अगर तूने मेरी इबादत से मुँह मोड़ा तो न मैं तेरे हाथों को मसख़फ़ियत ये ख़ली करूंगा और न तेरे फ़िक्रों फ़ांका को दूर करूंगा”।

(इब्ने माजा: हदीश नम्बर- ४१०७)

# अरफ़ात में मांगने वाली दुआएँ

१) नबी करीम (स.) ने फर्माया, “हज, अरफ़ात में ठहरने का नाम है।” (तिर्मिज़ी हदीस ८८६)

यानि हज जैसी अज़ीम इबादत का मग़ज़ अरफ़ा के दिन की इबादत है। इस लिए अपने हज को हजे मबरूर बनाने के लिए उस दिन ख़ूब खुशु व खुजु के साथ इबादत करें। नबी करीम (स.) ने कई तस्बीहात और कल्मों की ख़ास फज़ीलत बताई है। इस मुबारक दिन इन मस्नून तस्बीहात और कल्मात का खुसूसी विर्द करें। कुछ मस्नून तस्बीहात और कल्मात मुन्दर्जा ज़ेल है:

२) एहराम की हालत में लब्बैक (तल्बिया) पढ़ना अल्लाह को बहुत पसंद है। इस लिए अरफ़ा के दिन इस के विर्द का ख़ास एहतिमाम करें।

३) नबी करीम (स.) ने फर्माया, “क़सम है उस पाक ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जब किसी ऊंची जगह पर कोई शख्स लब्बैक या तकबीर कहता है तो उस के सामने का सारा हिस्सा ज़मीनके के ख़त्म होने तक लब्बैक या तकबीर कहने लगता है।” इसलिए अरफ़ा के दिन तकबीर भी ख़ूब पढ़ें।

४) नबी करीम (स.) से रिवायत है कि आप (स.) ने फर्माया:

दुआओं में सब से बेहतर यौमे अरफ़ा की दुआ है और मैं ने और मुझ से पहले अंबिया ने इस रोज़ जो अफज़ल तरीन कल्मात कहे वह ये हैं:

“लाऽ इलाहा इल्लल्लाहु वह-दहु लाऽ शरी क लह, लहुल्लुल क- व लहुल्लहम्द- व हुवा अलाऽ कुल्ली शख्दन कदीर”

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ أَعْلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“ला इलाहा इल्लल्लाहु वह-दहु ला शरी-क-लहू। लहुल मुल्का व लहुल हम्दा व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर।”

तर्जुमा: कोई मअबूद नहीं सिवाय अल्लाह तआला के, वह तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए सारी बादशाही है, उसी के लिए सारी हम्द है, वह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है।

५) एक सही हदीष में है कि नबी करीम (स.) ने फर्माया: अल्लाह के हां महबूब-तरीन कल्मात चार हैं:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

“सुब्धानल्लाह वल्लहम्दु लिल्लाह व लाऽ इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर”

तर्जुमा: पाक है अल्लाह तआला, सारी तअरीफों की मुस्तहक ज़ात अल्लाह तआला ही की है, और अल्लाह जआला के सिवा कोई मअबूद नहीं और अल्लाह बड़ा है।

६) नबी करीम (स.) ने फर्माया: दो कल्मात ऐसे है जो ज़बान पर बहुत हल्के हैं, मीज़ाने अअमाल में बहुत भारी हैं और रहमान को बहुत महबूब हैं। (बुखारी)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

“सुब्धानल्लाह व बिहम्दिहि, सुब्धानल्लाहिल अज़ीम”

तर्जुमा: पाक है अल्लाह तआला की ज़ात, तअरीफ उसी के लिए है, पाक अल्लाह तआला निहायत अज़मत वाला।

७) हुज़ूर (स.) ने अरफ़ात के मैदान में अपनी उम्मत को नहीं भुलाया है और रो रो कर मगरिब तक अपनी उम्मत के लिए दुआएँ मांगी हैं। अपने महबूब और करीम आका (स.) पर हम अगर अरफ़ात में दुरूद नहीं भेजते तो यह बड़ी अहसान फरामोशी होगी।

इसलिए अरफ़ा के दिन ख़ूब दुरूद शरीफ पढ़ें।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.

“अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिंव व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैला अला इब्राही म, व अला आलि इब्राही म इन्न् क हमीदुम् मजीद,

“अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिंव व-अला आलि मुहम्मदिन, कमा बारकू त, अला इब्राही म, व-अला आलि इब्राही म इन्न् क हमीदुम् मजीद”

तर्जुमा: ऐ अल्लाह! रहमत भेज मुहम्मद (स.) पर और मुहम्मद की आल पर, जिस तरह तू! ने रहमत भेजी इब्राहीम पर और इब्राहीम की आल पर, बेशक तू! तअरीफ के लायक बुजुर्गी वाला है।

ऐ अल्लाह! बारकत नाज़िल फरमा मुहम्मद (स.) पर और मुहम्मद की आल पर, जिस तरह तू! ने बारकत भेजी इब्राहीम पर और इब्राहीम की आल पर, बेशक तू! तअरीफ के लायक बुजुर्गी वाला है।

८) नबी करीम (स.) ने फर्माया: “कुरान की तिलावत बेहतरीन इबादत है। इस लिए दुरूद शरीफ और तस्बीह पढ़ने के बाद जो वक़्त मिले उस में कुरान शरीफ की तिलावत करें। खुसूसी तौरपर मुन्दर्जा ज़ेल सूरतें पढ़ें; सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुल्क, सूरह तौबा, सूरह वाक़या, सूरह फतेह।

# हज की तअलीम किस किताब से हासिल करें?

## • मुअल्लिमुल हज्जाज: (मौलाना अलहाज कारी सईद अहमद साहब)

अगर आप गहराई से हज और उसके मसाइल का मुतालआ करना चाहते हैं तो किताब “मुअल्लिमुल हज्जाज” पढ़ें। यह एक जामे और बेहतरीन किताब है, मगर चूंकि इस किताब में अक्सर मसाइल का गहराई और हर पहलू से जिक्र है इसलिए अवाम के बदले उलमा ए कराम इसे ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप किताबों के शौकिन हैं, तो इसे आप एक डिक्शनेरी की तरह अपने पास रखें और हज के दौरान अगर किसी मसअले का हल जानना हो तो उसे खोलकर पढ़ लें। उसकी कीमत सिर्फ ७०/- रुपये है और मिलने का पता है:

हनफी कुतुब खाना, नंबर २३, लालबाग, फोर्ट रोड, मस्जिद (मसावली) बैंगलोर-४.

## • मसाइले हज और उमराह (तालीफ : मुहम्मद मोईनुद्दीन अहमद)

अगर आप कम वक्त में हज के खास मसाइल के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो यह किताब जरूर पढ़ें। एक तरह से यह मुअल्लिमुल हज्जाज के खुलासे की तरह है। कीमत १५/- रुपये है। मिलने का पता:

क्लासीक आर्ट्स, ३४४ गली गढ़इया, मटीया महल, जामा मस्जिद, देहली नं-६. Off.-011-23281481, 011-023528638

## • हज और उमराह फलाही के हमराह :

(मुफती अहमद देवलवी साहब)

यह हज के मौजू पर एक बेहतरीन किताब है। लिखने का अंदाज बेहतरीन है। किताब के आखरी सफहे तक आप की दिलचस्पी बनी रहेगी। इस किताब में हज की मुकम्मल मालूमात आसान लफ्जों में ब्यान कि गई है। मगर मसला यह है कि यह किताब बाजार में दुकानों पर दसतियाब नहीं है। मुफती अहमद देवलवी साहब उसे मुफ्त तकसीम करते हैं। मगर चूंकि किताब की छपाई किंमत ५०/- रुपये तक होगी इसलिए मुफती साहब उसे महदुद तादाद में छापते हैं। उनकी ईजाज़त से हमने इस किताब को इंटरनेट पर डाल दिया है। अगर अल्लाह तआला ने आपको माली तौर पर खुशहाल किया है तो इस किताब को छापने और बांटने में मुफती साहब की मदद करें और खुद भी फायदा उठाएँ और दुसरो की भी मदद करें या फिर उसे इंटरनेट पर पढ़ लें। आप उसे मंदरजाजेल वेब साईट से मुफ्त डाउन-लोड कर सकते हैं।

www.freeeducation.co.in, www.tanveerpublication.com.

किताब मिलने का पता:-

मुफती अहमद देवलवी, जामिया उलूमल कुरआन, जम्बूसर, तालुका भरूच, (गुजरात)-३६२१५०

Phone:- 02644-220786. Fax: 02644-222677.  
www.jamiahambusar.com, Email: jamia@satyam.net.in

## • सूए-हरम:

हज के उनवान पर यह एक बेहतरीन किताब है। इसमें मालूमात बहोत है। बयान का अंदाज बेहतरीन है। तसवीरे बेहतरीन और बेशुमार हैं। और छपाई भी लाजवाब है। ५६८ सफहात पर मुशतमिल यह किताब आपके लिए बहोत कार-आमद साबित होगी। इस किताब के मौअल्लिफ है मुहम्मद मुईनुद्दीन अहमद साहब और अताउर रहमान साहब, अताउर रहमान साहब ने ही उसे अपने इदारे अर्रहमान प्रिंटर्स कोलकत्ता से शाए किया है। इस खुबसूरत किताब कि किमत २००/- रुपया है। किताब मिलने का पता:

अर्रहमान प्रिंटर्स, १८ जकरया इस्टेट, ग्राउंड फ्लोर,  
कोलकाता- ७०००७३. Phone :- 2235-4079  
Email :- alrahmanpnp@gmail.com

## • मुस्तनद मसाइल हज व उमराह जियारते नबी (स.):

लेखक: मिर सआदत अली हैदराबादी, अल फला कम्पुटर्स, निजाम आबाद, मोबाईल:- ०६२४७८३३६३१.

हज के मौजू पर यह भी एक बेहतरीन किताब है। इसमें भी मुअल्लिमुल हज्जाज कि तरह हज और इसके मसाइल पर बहुत ज्यादा मालूमात दी गयी है।

- हज कमेटी की तरफ से भी हुज्जाजे कराम की तरबियत का इतेज़ाम किया जाता है, वहाँ से मालूमात हासिल करें।
- इंटरनेट पर और यु-ट्युब पर (You tube) पर बहोत सारी वेबसाईट है जहाँ से हज के बारे में मालूमात हासिल हो सकती है।



## हज़रत मुहम्मद (स.) का आखिरी पैग़ाम मानवजाति के नाम

हज़रत मुहम्मद (स.) ने अपने आखिरी हज के अवसर पर जो उपदेश लोगों को दिया था उसके मुख्य अंश इस प्रकार है;

- ईश्वर एक है। और उसके अलावा कोई पूजने के लायक नहीं। उसका कोई साथी नहीं। ईश्वर ने अपना वचन पूरा किया। केवल उसने ही सभी अधार्मिक शक्तियों को पराजित किया। (और इस्लाम धर्म को फेला दिया।)
- तुममें सबसे अधिक आदरणीय वह है जो सबसे अधिक ईश्वर से डरने वाला हो। न कोई अरब गैर अरब से महान है। न कोई ग़ोरा व्यक्ति किसी काले से महान है न कोई काला व्यक्ति किसी गोरे से महान है। (अर्थात जात-पात, रंग व नस्ल का कोई भेदभाव नहीं) महानता केवल ईश्वर से डरने और आचरण की पवित्रता पर निर्भर है।
- लोगों आज (हज) का दिन, यह (हज का) महीना और यह मक्का शहर जिस तरह आदरणीय है उसी तरह तुम लोगों की जान, माल और (इज्ज़त) सम्मान एक दूसरे के लिए आदरणीय है। (अर्थात कोई एक दूसरे के जान व माल और सम्मान को नुकसान न पहुँचाए।)

# मुसन्निफ क्यू. एस. खान की चन्द अहम किताबों का ताअरुफ

## • पवित्र वेद और इस्लाम धर्म (हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती)

यहूदी अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं, और वह नहीं चाहते हैं कि कोई गैर यहूदी, यहूदी मज़हब को इखतियार करे। ईसाइ अपने मज़हब को सबसे ज़्यादा सही मानते हैं, और दिलो-जान से अपने मज़हब की इशाअत की कोशिश करते रहते हैं। और इन की इसी कोशिश का नतीजा है कि आज दुनिया में ईसाइ सब से ज़्यादा हैं।

हिंदु भाई फितरतन ज़हीन है। मगर इन की रूहें प्यासी हैं। वह हक की तलाश में हैं। मगर हक तक पहुँचना उनके लिए मुश्किल है। इस सूरते हाल को सामने रखते हुए यह किताब लिखी गई है। इस्लाम से दूरी या अज्ञबियत कम करने के लिए इस किताब में पहले कुरआन और वेदों का तआरुफ कराया गया है, फिर ऐसे इस्लामी मौजूआत और हकाइक बयान किए गए हैं जो हिंदु मज़हब की किताबों में भी हैं। जैसे खाना-ए-काबा का जिक्र, हज़रत इब्राहीम (अ.स.) की कुरबानी का जिक्र, हज़रत नुह (अ.स.) के तूफान का जिक्र, नबी करीम (स.) की आमद के मुताल्लिक पेशनगोइयाँ वगैरह। फिर बहोत आसान अल्फाज़ में इस्लाम की तालिमात को पेश किया गया है।

इस किताब को पढ़कर कई लोग इस्लाम कुबूल कर चुके हैं। इस किताब की कीमत सिर्फ २५/- रुपये है। इस किताब के मुसन्निफ क्यू. एस. खान ने इस किताब और अपनी दीगर किसी भी किताब का कोई कॉपी-राइट नहीं रखा है। इस लिए खरीद कर या छपवा कर इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा गैर-मुस्लिम भाईयों को तक्सीम करने की कोशिश करें, ताकी दअवत का फरीज़ा का कुछ तो हक अदा हो सके।

## • डिज़ाइन एंड मेन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेसेस

(Design & Manufacturing of Hydraulic Presses)

इन दिनों ज़्यादा तर मशीनें हाइड्रोलिक सिस्टम पर चलती हैं। हिंदुस्तान में अभी इंडस्ट्रीयल हाइड्रोलिक टेक्नोलोजी गैर-मुतआरिफ या गैर-मअरुफ है। उसकी वजह यह है कि मुल्क के इंजिनियरिंग कॉलेजों में इंडस्ट्रीयल हाइड्रोलिक्स पर कोई खास कोर्सेस मौजूद नहीं हैं। इस किताब के मुसन्निफ क्यू.एस. खान १९८७ से हाइड्रोलिक मशीनों के डिज़ाइन और मेन्युफैक्चरिंग के मैदान में हैं। इस मैदान में उन्हें २४ साल का तजुर्बा हासिल है। हाइड्रोलिक्स के मौजूअ पर अपने तजुर्बात की रौशनी में उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। यह किताबें इंजिनियर्स और इंजिनियरिंग के तलबा दोनों के लिए मफ़ीद हैं।

## • लॉ ऑफ सक्सेस फॉर बोथ दी वर्ल्ड्स

(Law of Success for Both the World)

(यह किताब अंग्रेजी और मराठी ज़बान में छप चुकी है और उर्दू, हिंदी में तजुर्मे का काम जारी है।)

जैसे इन्सान जिस्म और रूह से बना है, अगर रूह निकल जाए तो जिस्म किसी काम का नहीं रहता इसी तरह खुशहाली अल्लाह की रहमत के साथ दौलत का नाम है, अगर अल्लाह की रहमत हटा ली जाए तो वही दौलत

इम्तिहान और मुसिबत का सबब बनती है। इस किताब में कामयाबी अल्लाह की रहमत के साथ हासिल करने का तरीका बताया गया है। और साथ में गैर मुस्लिमोंको इस्लाम कि दअवत भी दी गई है।

नबी करीम (स.अ.) ने हुज्जतुल विदा के मौके पर फर्माया था, जो हाज़िर है वह मेरी बात जो नहीं हाज़िर है उन तक पहुँचा दें, चाहे वह एक आयत ही क्यों न हो। जिस मुसलमान तक नबी करीम (स.अ.) की तालीम पहुँची है उसपर यह फर्ज़ बनता है कि आप (स.अ.) कि तालीम को उनतक पहुँचाएँ जिन तक यह इस्लाम कि तालीम नहीं पहुँची है। कयामत के दिन गैर मुस्लिम खुदा के दरबार में हमारा दामन पकड़ेंगे कि “ए अल्लाह, यह सब जानते थे उन्होंने वह दअवत हमें नहीं दी इसलिए हमारे साथ जहन्नम में इनको भी दाखिल कर।” तो आप उसका क्या जवाब देंगे, और यह दावा वह लोग करेंगे जिनसे आपका रोज साबेका पड़ता है। गैर मुस्लिम से आपने दोस्ती की, कारोबार किया, रोज़ाना घंटो बातें करते हैं लेकिन इस्लाम कि दअवत आप कभी न दे सके। तो कयामत में आप अपनी सफाई कैसे पेश करेंगे।

जाती तौर से इस्लाम कि दअवत गैर मुस्लिम दोस्तों को न देने कि कई वजूहात हैं, जैसे कि:

१. हम खुद सच्चे पक्के मुसलमान नहीं हैं। जब हम खुद इस्लाम पर पुरी तरह अमल नहीं करते तो दुसरों को किस मुंह से दअवत दें।
२. हमें इस्लाम का पुरा इल्म नहीं है और न हम यह जानते हैं कि इस्लाम की दअवत कैसे दी जाती है।
३. मुसलमानों का इमेज बहोत खराब है, गैर मुस्लिम इस्लाम को मुसलमानों की जिन्दगी से जोडता है यानी जब मुसलमान इतने गए गुजरे हैं तो उनका मज़हब भी ऐसा ही होगा। हम मुसलमानों को इस बात का इल्म है और अहसासे कमतरी भी है, इसलिए हम ना तो खुद को सच्चा पक्का मुसलमान साबित करने की कोशिश करते हैं और न खुलकर इस्लाम कि दावत देते हैं।

इसी मसले को हल करने के लिए यह किताब लिखी गई है। मुसन्निफ ने युरोप और अमरीका की सबसे बेहतरीन और मशहुर (Best Seller) बिज़नेस मैनेजमेंट की किताबों का मुतालआ किया और उनका निचोड इस किताब में ३०० सफहात में जमा कर दिया और आखिर के १०० सफहात में यह बात समझाने कि कोशिश की गई है कि ईमानदारी के बगैर कामयाबी मुम्किन नहीं है और दुनिया के पांच मशहुर मज़ाहिब की किताबों से इस बात को साबित करने की कोशिश की है के “खुदा एक है और नबी करीम (स.अ.) आखरी पैगम्बर हैं।”

इस तरह इस किताब में बिज़नेस मैनेजमेंट की तालीम के साथ इस्लाम कि बुनियादी तालिम दी गई है।

यह किताब खास तौर से गैर मुस्लिमों को नज़र में रखकर लिखी गई है इसलिए बायबल और वेद के श्लोक का अकसर जिक्र है।

अगर आप कयामत में गैर मुस्लिम दोस्तों से अपना दामन छुड़ाना चाहते हैं तो इस किताब को बिज़नेस मैनेजमेंट की बेहतरीन किताब कहकर तोहफा दे दीजिए और इत्मिनान का सांस लीजिए। (इस किताब कि कीमत १००/- रुपया है।)

## • क्या हर माह चांद देखना जरूरी है? (उर्दू, अंग्रेजी, अरबी)

जिस तरह सूरज के तुलू और गुरुब का एक मुकरर टाइम टेबल है उसी तरह चांद के तुलू और गुरुब का भी एक मुकरर टाइम टेबल है। नए चांद के दिन चांद सारा दिन आसमान में सुरज के कुछ पिछे चलता रहता है और सूरज के गुरुब होने के कुछ वकफे बाद वह भी गुरुब हो जाता है। मगर चूंकि उफक पर सूरज गुरुब होने के बाद कुछ रौशनी कम हो जाती है इसलिए चांद गुरुब होने के पहले नज़र आता है।

अगर हम अपने ज़ाती मुशाहिदे से इस बात का पता लगा लें कि चांद सूरज से कितने वकफे बाद गुरुब होगा तो गुरुब होने से पहले नज़र आएगा, तो चांद देखने का एक बड़ा मसला हल हो सकता है। क्योंकि चांद और सूरज अपने तुलू और गुरुब के वकत से ना एक सेकन्ड पहले गुरुब होते हैं ना एक सेकन्ड बाद में। यानी इन का टाइम टेबल एक दम परफेक्ट है। इस तरह हम सिर्फ टाइम टेबल से ही कह सकते हैं कि किस तारीख को चांद ज़रूर नज़र आएगा?

इसी नज़रया और फलसफा को यू.एस.खान ने अपनी इस किताब में वाज़ेह किया है। (किताब की कीमत २५/-रु. है।)

## कानूने तरक्की?

इन्सान ३ साल की उम्र से ७० साल की उम्र तक पढाइ, मुलाज़मत और कारोबार की शकल में एक बड़ी कामयाबी के लिए जिद्दोजिहद करता रहता है। मगर दुन्या में सिर्फ ३ से ५ फीसद लोग ही कामयाब माने जाते हैं और बकिया नाकाम। इतनी ज़्यादा तअदाद में लोग नाकाम क्यों होते हैं?

क्योंकि उन्हें कामयाबी कैसे हासिल की जाए इस का इल्म नहीं होता।

“दौलत मन्द कैसे बनें?” इस किताब में इस मौजूअ पर तफसील से गुफ्तगू की गई है, और सिर्फ कुरआन व हदीस की रौशनी में मालूमात दी गई है।

उन तमाम लोगों को इस किताब को पढना बहोत ज़रूरी है जो माली तौर से परेशान हैं और जिन्दगी में तरक्की करना चाहते हैं। बिल्खुसूस मुस्लिम नौजवानों के लिए यह किताब बहोत मुफ़ीद है। अल-कलम पब्लिकेशन और फरीद बुक डिपो के किसी भी डीलर से आप यह किताब हासिल कर सकते हैं। (कीमत: ८०/- रु)

## रोमन उर्दू कुरआन

आम तौर से उर्दू मेडियम के स्कूलों का मेअर्यार बुलन्द नहीं होता है। इसलिए खुशहाल लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मेडियम से ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बच्चों की तअदाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। यह बच्चे उर्दू अच्छी तरह समझ तो लेते हैं मगर पढ़ नहीं पाते। दीनी इल्म का सारा खज़ाना अरबी, फारसी और उर्दू में ही है, जिस से यह बच्चे कभी फायदा नहीं उठा सकेंगे। यह कौम का एक अस्मिया है।

यू.एस. खान ने ऐसे बच्चों के लिए रोमन उर्दू में कुरआने करीम छपवाया है जिस में अल्फाज़ उर्दू के हैं लिखावट अंग्रेज़ी जैसे ‘आप’ को Aap लिखा गया है। इस कुरआन में तरजुमा मौलाना जूना गढ़ी साहब का है और तफसीर मौलाना फतेह मुहम्मद जालन्धरी साहब की है। आप एक ऐसा कुरआन खरीद कर करीब की मस्जिद में रख दें ताकि लोगों को इस बात का इल्म हो कि इस तरह का कुरआन करीम मौजूद है जिस से इंग्लिश मेडियम के बच्चे फायदा उठा सकते हैं। अगर आप किसी के इल्म हासिल करने का ज़रिया बनें तो जब तक वह लोग दीन पर अमल करेंगे तो आप को सवाब भी मिलता रहेगा। इस एक कुरआन की छपाई लागत ११०/- है।



## इसाई या यहूदी की तरह मौत

मुश्रेकीन मक्का शिर्क करते थे मगर हज भी करते थे, जब कि इसाई और यहूदी खुदा को मानते थे, रोज़े आखीरत पर ईमान रखते थे, जन्मत और जहन्म के भी काएल थे और रोज़े भी रखते थे, मगर हज ना करते थे। हज इस्लाम का पाँचवाँ और अहम रुकन है। जो हज करने की इस्तेताअत रखने के बाद भी हज ना करे ऐसे इंसान के लिए हुज़ूर ;स.ख़ ने सख़्त नाराज़गी का इज़हार किया है। मुंदर्जाज़ैल हदीस का मफ़हुम है के ऐसे शख्स का बग़ैर हज किये मरना इसाई या यहूदी की तरह मरना है।

हदीस शरीफ़ : हज़रत अली मुर्तुज़ा (रज़ी) से रिवायत है। रसूल अल्लाह (स.) ने इर्शाद फर्माया: “जिस के पास सफ़रे हज का ज़रूरी सामान हो और इस को ऐसी सवारी भी मयस्सर हो जो बैतुल्लाह तक इस को पहुंचा सके, फिर भी वह हज ना करे, तो कोई फ़र्क नहीं कि वह यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर। (जामा लिर्मिज़ी)

और यह इस लिए कि अल्लाह तआला का इर्शाद-ए-आली है कि:

“अल्लाह के लिए बैतुल्लाह का हज फ़र्ज़ है उन लोगों पर जो इस तक जाने की इस्तेताअत रखते हों और जो इन्कार करे तो अल्लाह तआला दुनिया जहान से बे नियाज़ है।” (आले इम्रान ९७)

## पैदल चलने की फ़ज़ीलत

- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ी.) ने बिमारी की हालत में अपनी औलाद के सामने बयान किया, मैंने रसूल अल्लाह (स.) से सुना हैं जिसने मक्का मुअज़्ज़मा से पैदल हज किया उसके हर कदम पर ७०० नैकिया लिखी जाती हैं यहाँ तक की मक्का वापस आजायें और हर नेकी हरम की नेकी के बराबर होती हैं। इब्ने अब्बास (रज़ी) से इनकी औलाद ने पूछा हरम की नेकी क्या हैं? फरमाया हर नेकी एक लाख नैकियों के बराबर हैं। (इब्ने खज़िमा)

मतलब यह हैं की हाजी अपने मकान से तो सवारी कर जायें लेकिन मक्का पहुँचकर मिना और अरफ़ात पैदल जाएं और वापस मक्का मुअज़्ज़मा भी पैदल ही आएँ।

इस हिसाब से ७०० नैकियां, ७०० करोड़ नैकियों के बराबर होंगी और हर-हर कदम पर यह सवाब हैं तो सारे हज के सवाब का क्या अंदाज़ा हो सकता हैं।

- हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ी.) फरमाते हैं कि अंबियाए किराम (अ.) का मामुल पैदल हज का था। (इन्खाफ)
- हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ी.) ने इन्तेकाल के वकत अपनी औलाद को वसीयत फरमायीं कि पैदल हज किया करें।
- नबी करीम (स.) उम्मत के लिए हमेशा आसान तरीका पसंद फरमाया है अपने आख़री हज के मौके पर आप (स.) ने देखा कि एक बूढ़ा दो लोगों के सहारें पैदल चल रहा हैं। पूछने पर पता चला कि उसने पैदल हज करने की नज़र मानी है इसलिए मजबूरन चल रहा हैं। तो आप (स.) ने इसे सवार हो जाने के लिए कहा।

इस लिए पैदल चलना बहुत अफ़ज़ल हैं मगर अपनी कुव्वत और इस्तकामत की देखतें हुए मुशक्कत उठाएँ।

# आखिरी लफ़्ज़

- इस किताब का मकसद आप को हज के सफर में पेश आने वाली मुश्किलता से आगाह करना है जो अल्हम्दु लिल्लाह पूरा हुआ।
- आखिर में अपना एक और मुशाहिदा आप को बताना चाहता हूँ। वह यह है कि अल्लाह तआला के करम और फज़ल से ही हज की तौफ़ीक़ होती है और अल्लाह तआला ही अपने करम और फज़ल से सारे अरकान पूरे कराता है।
- हम अपनी तरफ से हज की पूरी तैयारी करें मगर हज के सारे अरकान पूरे होने और हज मकबूल होने के लिए खुदा की ज़ात पर ही भरोसा रखें और उसी से हर नमाज़ में हजे मबरूर के लिए दुआ करें।
- दुनिया के लाखों दौलतमंद बग़ैर हज के इंतक़ाल कर गये क्योंकि उनको हज की तौफ़ीक़ ना मिली और हर साल लाखों बूढ़े और मअज़ूर लोग हज के सारे अरकान पूरे कर के फ़रीज़-ए- हज बख़ूबी अदा करते हैं यह अल्लाह तआला का करम और उसकी दी हुई तौफ़ीक़ है। इसलिए हज की पूरी तैयारी ज़रूर करें मगर भरोसा सिर्फ़ उसकी ज़ात पर रखें और उसी से मदद मांगें।
- हज अज़ीम तरीन इबादत है। जिसे करने के बाद अल्लाह तआला बंदे के ना सिर्फ़ सारे गुनाह मुआफ़ कर देता है बल्कि उस की दुआ भी कुबूल करता है। इस लिए अपनी दुआओं में अपने साथ अपने अहल-व-अयाल और उम्मेत मुसलमा को मत भूलिए। अगर इस गुनाहगार कमरूद्दीन खान को भी याद रखेंगे तो आप की बड़ी मेहरबानी होगी।
- मैंने अब तक हज और उम्रह के अरकान के बारे में जो किताबें पढ़ीं उन में “हज और उम्रह फ़लाही के हमराह” किताब सब से ज़्यादा मुफ़ीद और आसान मअज़ूम हुई। हज से पहले आप भी उस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें (इस किताब और दीगर किताबों की तफ़सीलात सफ़ेह नम्बर २, पर दी गई हैं, आप उसे वेब साइट से मुफ़्त डाउन लोड कर सकते हैं। डाउन लोड लिंक्स किताब के आखिरी में दी गयी हैं)
- हरम शरीफ़ में हरम के एहताराम का पूरा ख़याल रखें। सारी नमाज़ें हरम में जमाअत से पढ़ें। एक हदीष शरीफ़ के मुताबिक़ हज और उम्रह से रिज़्क में बरकत होती है। उसे मैंने भी महसूस किया है और हज के बाद दोस्तों को भी बहुत तरक्की करते देखा है उसी के साथ जो हरम का एहताराम नहीं करते (हरम में झगड़ा करते हैं) और हरम में जमाअत से नमाज़ नहीं पढ़ते या नमाज़ें कज़ा करते हैं, मैंने उन्हें हज के बाद बर्बाद और शदीद बीमार भी होते देखा है। (इस तरह बर्बाद होने वालों में मेरे दा दोस्त शामिल हैं) इस लिए हरम में सिर्फ़ नेकी करने की कोशिश करें और गुनाहों से पूरी तरह बचने की कोशिश करें।
- आप का हज का सफ़र ३५ से ४० दिन का होगा। हज के सफ़र से वापसी पर आप महसूस करेंगे कि आप की ग़ैर हाज़री से ना तो आप का कारोबार ही बर्बाद हो गया और ना ही आप का ख़नदान तितर बितर हो गया बल्कि अल्लाह तआला ने उन्हें ऐसे ही बरकरार रक्खा है जैसे आप उन्हें छोड़कर गये थे। हमारा यह सिर्फ़ गुमान है कि घर और कारोबार को हमारे सिवा कोई और नहीं चला सकता। हम तो सिर्फ़ ज़रिया या वजह हैं, उन्हें चलाने वाली ज़ात तो खुदा की है और वह किसी ज़रिये और वजह के बग़ैर भी उन्हें चला सकता है। इसलिए अपने आप को ज़्यादा अहम (Indispensable) ना समझें और कुछ कुछ वक्फ़ा के लिए घर और कारोबार से अल्लाह तआला के लिए वक़्त निकाला करें। एक हदीष कुदसी का मफ़हूम है कि:
- नबी करीम (स.) ने फरमाया: अल्लाह तआला फरमाता है, “ऐ औलादे आदम! तू मेरी इबादत के लिए अपने को फ़ारिग़ कर ले, मैं तेरे सीने को गिना से भर दूंगा और मुश्किलता को आसान कर दूंगा और अगर तूने मेरी इबादत से मुंह मोड़ा तो ना मैं तेरे हाथों को मसख़फ़ियत से ख़ाली करूंगा और ना तेरे फ़िक़रो फ़ाका को दूर करूंगा।” (इब्ने माजा, हदीस नम्बर: ४१०७)
- हम और आप अगर एक इज़्ज़तदार और खुशहाल ज़िन्दगी चाहते हैं तो हमें अल्लाह तआला की इबादत से कभी ग़ाफ़िल नहीं होना चाहिए।
- सारी तअज़ीबें सिर्फ़ अल्लाह तआला के लिए है ओर नबी करीम (स.) और सहाबा किराम (रज़ी.) और नबी करीम (स.) के अहल व अयाल और सारी उम्मत पर अल्लाह तआला बहुत बहुत अपनी रहमत और बरकतें नाज़िल फरमाये। व मा अलैना इल्लल्लबलागुल्मुबीन

## अपिल

हमारी दुआ है के अल्लाह तआला आपको हज्जे मसरूर अता फरमाए। अपने हज के सफर से वापिस आने के बाद बराए मेहरबानी इस किताब को आप उन हजरात के पास लौटा दें जो हर साल हज्जाज अकराम के लिए हज के तरबियत का इंतैजाम करते हैं। हाजी लाखों की तादाद में हर साल हज के लिए जाते हैं। मगर हर साल हम यह सिर्फ़ ६ हजार किताबें ही छाप पाते हैं। इसलिए यह किताब बहोत से हज्जाज अकराम तक नहीं पहुंच पाती है। अगर हर साल हम इस्तेमाल की हुई किताब भी जमा करके फिरसे हज्जाज इकराम में बांटते रहे तो इन्शा अल्लाह कुछ साल बाद बहोत सारे हज्जाज इकराम तक यह किताब पहुंच सकेगी। अल्लाह तआला आपकी मदद और उस नेक काम का अज़ीम अज़्र फरमाए और आपको हज्जे मसरूर अता फरमाएं आमिन!!

कमरूद्दीन एस. खान